अष्टम माला, खंड 6, अंक 43

मंगलवार, 14 मई, 1985
24 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 6 दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 43, मंगलवार, 14 मई, 1985/24 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1 - 27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 833,835, से 838 और 840 से 845	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—237
तारांकित प्रश्न संख्या : 834,839, और 846 से 853	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6366 से 6466, 6468 से 6487, 6489 से 6512, 6514 से 6597, 6597 (क) और 6597 (ख)	
दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4854 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण :	237
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	238—251
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	251—274
देश के विभिन्न भागों में बिजली की अत्यधिक कमी तथा उसकी सप्लाई में कटौती से उत्पन्न स्थिति।	
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल	251
श्री बी० शंकरानन्द	252
श्री बाई० एस० महाजन	255
श्री नारायण चौबे	256
श्री ब्रज मोहन मंहती	261
श्री ललित माकन	264

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ग्राम्य आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन आवंटित करने के बारे में वक्तव्य ।	274
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	274
नियम 377 के अधीन मामले	274 -277
(1) बिहार के पूर्णिया जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग ।	
श्रीमती माधुरी सिंह	274
(2) छत्रपति शिवाजी की माता के जन्म स्थान सिंखेदराज को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	
श्री मुकुल वासनिक	275
(3) बंगलोर और मद्रास के बीच रेल लाइन को दोहरी बनाने तथा उसका विद्युतीकरण करने की आवश्यकता ।	
डा० वी० वेंकटेश	276
(4) आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों के समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता ।	
श्रीमती गीता मुखर्जी	276
(5) पर्यटकों के आवागमन और पर्यटन व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से श्री नगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता ।	
श्री अब्दुल रशीद काबुली	277
चाय कम्पनी (राज्य चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1985 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प :	277 -312
और	
चाय कम्पनी (राज्य चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव :	
प्रो० पी० जे० कुरियन	278

विषय	पृष्ठ
श्री नारायण चौबे	281
श्री गिरधारी लाल व्यास	283
श्रीमती फूलरेणु गुहा	286
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	287
श्री अब्दुल रशीद काबुली	292
खण्ड 2 से 34	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	299
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक :	**312—328**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ए० के० सेन	312
श्री ई० अय्यापु रेड्डी	313
प्रो० एन० जी० रंगा	314
श्री अमल दत्त	315
श्री पी० चिदम्बरम	317
श्री ए० सी० षण्मुख	321
श्री सोमनाथ रथ	323
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	323
प्रो० पी० जे० कुरियन	325
श्री विजय कुमार यादव	327
देश में न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता के बारे में चर्चा	**328—397**
श्री मधु दण्डवते	328
श्री एडुआर्डो फैलीरो	346
श्री श्याम लाल यादव	353

श्री ई० अय्यापु रेड्डी 359

श्री पी० आर० कुमार मंगलम 364

श्री शरद दिघे 370

श्री अमल दत्त 372

डा० गौरी शंकर राजहंस 377

श्री बृजमोहन महंती 380

श्री विजय कुमार यादव 383

श्री मूलचंद डागा 385

श्री दिग्विजय सिंह 387

श्री हरुभाई मेहता 388

प्रो० सैफुद्दीन सोज 391

श्री हरीश रावत 396

लोक सभा

मंगलवार, 14 मई, 1985/24 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आज आप अकेले ही सजे बैठे हैं, आपके साथी कहां गए।

श्री नारायण चन्द पराशर।

[अनुवाद]

श्री नारायण चन्द पराशर : प्रश्न संख्या 833।

फोटो फोन प्रणाली शुरू करना

*833: **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फोटो फोन प्रणाली शुरू करने का निर्णय किया है जिससे दूरसंचार के क्षेत्र में हम विकसित देशों के समकक्ष आ सकें;

(ख) यदि हां, तो फोटो फोन प्रणाली किस तारीख तक शुरू किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) वीडियो फोन या पिक्चर फोन सेवा प्रारम्भ करने के लिए विशेष दूर संचार नेट वर्क की आवश्यकता होगी···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : पराशर जी तो शक्ल भी देखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शक्ल से ज्यादा बात है, बात कुछ भी नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीयसदस्य : इसकी युवकों को आवश्यकता है।

प्रो० मधु दन्डवते : बदशकल लोगों के लिए यह अलाभकारी रहेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप किसी को कहकर देख लीजिए।

श्री राम निवास मिर्धा : वीडियो फोन या पिक्चर फोन प्रारम्भ करने के लिए विशेष दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकता होगी जिसके अन्तर्गत फ्रीक्वेंसी के वाइड बैंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी इस पर बहुत कम वाणिज्यिक मूल्य की अपेक्षा काफी खर्चा आएगा। अतः देश में फिलहाल ऐसी सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नारायण चन्द पराशर : महोदय, जिन विदेशों में फोटो फोन व्यवस्था उपलब्ध भी है। वह केवल चुनिन्दा आधार पर ही है। इसलिए जब भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति में अन्य देशों की बराबरी करने का यत्न कर रहा है, तो क्या यह संभव नहीं होगा कि कम से कम प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ चुने हुए शहरों में अथवा कम से कम एक शहर में यह व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये ?

एक माननीय सदस्य : चुनिन्दा व्यक्तियों के लिए भी।

श्री राम निवास मिर्धा : विदेशों में जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी नकल नहीं करना चाहते, परन्तु हम ऐसी बातों को ग्रहण या स्वीकार करना चाहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। परन्तु जहां तक पिक्चर फोन का सम्बन्ध है अमरीका में भी उसका कोई विशेष विकास नहीं हो पाया है तथा ब्रिटिश दूर-संचार व्यवस्था भी उसे 21 वीं शदी तक चालू नहीं करना चाहती। अतः यह करना सही नहीं है कि अन्य देशों में भी प्रयोगात्मक आधार पर वाणिज्यिक आधार पर इसे शुरू किया गया है। यह चालू नहीं किया गया है तथा मैं नहीं समझता कि हम इसे अपनाना चाहेंगे।

श्री नारायण चन्द पराशर : इस समय यह अत्यन्त संगत है। हम भारत को 21 वीं शदी में ले जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय इस बारे में झिझक क्यों रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : ठीक है श्रीमान, परन्तु जैसा कि मैंने बताया है कि हम पश्चिम में अथवा विदेशों में हो रही प्रत्येक बात का अनुकरण नहीं करना चाहते। हम 21 वीं शदी में जाना चाहते हैं परन्तु हम इस प्रकार जाना चाहते हैं जो कि हमारी स्थानीय आवश्कताओं के अनुरूप हो। जहां तक दूर संचार व्यवस्था के विकास के अन्य पहलुओं का प्रश्न है हम अन्य देशों की तुलना में काफी आगे हैं और ऐसा हम जारी रखेंगे। परन्तु इस तरह की तड़क-भड़क की चीजों

को जिन्हें हम संचार व्यवस्था के विकास के लिए वास्तव में आवश्यक और महत्त्वपूर्ण नहीं समझते हैं, हम धीरे-धीरे अपनाना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय छलांग नहीं मारना चाहते, वह धीरे-धीरे चलना चाहते हैं।

तेल और गैस संबंधी विकास के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की स्थापना

*835. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल और गैस संबन्धी विकास के लिए सरकार का भारत फ्रांस संयुक्त आयोग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : अध्यक्ष महोदय, में मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बाबत भारत और फ्रांस के बीच में कोई वार्तालाप हुई थी, यदि हां तो कब हुई थी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच में पेट्रोलियम के क्षेत्र में सहयोग तो है और सहयोग की कार्यवाही विभिन्न स्तर पर जारी है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इण्डो-फ्रेंच जाइण्ट कमीशन के बारे में है, तो ऐसा कोई कमीशन गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। सहयोग का जहां तक क्षेत्र है, वह काफी विस्तृत है और उस क्षेत्र में हमारा सहयोग काफी कम्पनियों से है और इसके साथ-साथ जब इस देश के प्रधान मंत्री नवम्बर, 1981 में फ्रांस गए थे, तो 4 मामलों में मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग किया था, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। ऐसा एक क्षेत्र, इनर्जी का क्षेत्र भी था और उसमें हाईड्रो-कार्बन का क्षेत्र भी शामिल है। इसलिए फ्रांस के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश जारी है।

कलकत्ता में सार्वजनिक टेलीफोन

[अनुवाद]

*836. **श्री विमल कांति घोष** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली की तुलना में कलकत्ता में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं;

(ख) कलकत्ता में अन्य शहरों की तुलना में कम संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कलकत्ता में सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं / उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-85 को कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में सार्वजनिक टेलीफोनों (पी० सी० ओ०) की संख्या 960 थी, जबकि इसकी तुलना में बम्बई, मद्रास और दिल्ली में क्रमशः 5695, 876 और 4088 सार्वजनिक टेलीफोन घर थे।

(ख) उन स्थानों पर, जहां आम जनता अक्सर आती-जाती है और टेलीफोन उपकरण सुरक्षित हैं, वहां काफी संख्या में विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन खोल दिए हैं जबकि कलकत्ता में प्राइवेट गारंटी वाले सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए पर्याप्त मांग नहीं है।

(ग) प्राइवेट गारंटी वाले सार्वजनिकटेलीफोनों को लोकप्रिय बनाने के लिए कलकत्ता टेलीफोन के अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री बिमल कान्ति घोष : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार कलकत्ता में केवल 960 सार्वजनिक टेलीफोन हैं जबकि बम्बई में 5695, मद्रास में 876 और दिल्ली में 4088 हैं। जहां तक मुझे याद है राज्यों की राजधानियों में 1981-82 में सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार थी : कलकत्ता 892, मद्रास 24507 बम्बई 3197। मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि पिछले चार वर्षों के दौरान स्थापित किये गये सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है : कलकत्ता 68, बम्बई 14981 बम्बई तथा कलकत्ता की जनसंख्या लगभग बराबर है। बम्बई की जनसंख्या 82,27332 और कलकत्ता की 82, 91000 है। इससे प्रकट होता है कि शहरों की जनसंख्या का सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या से कोई संख्या से कोई संबन्ध नहीं है। टेलीफोन सुविधा उपलब्ध किये जाने के मामले में कलकत्ता के साथ भेदभाव और अन्याय का एक स्पष्ट मामला है। मन्त्री द्वारा दी गई यह जानकारी कि कलकत्ता में पर्याप्त मांग नहीं है, सही नहीं है। वहां के अधिकारियों ने मन्त्री महोदय को गलत जानकारी दी है। अतः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में कलकत्ता के साथ समुचित न्याय कब तक किया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता तथा अन्य नगरों में कितने प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। और तीसरे···

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार कह चुका हूं कि ऐसा न करें। परन्तु माननीय सदस्य बार-बार वही कार्य करते हैं।

श्री बिमल कान्ति घोष : एक अनुपूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सूची नहीं होनी चाहिए । वह केवल एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देंगे । इसके (क) (ग) (घ) भाग नहीं होने चाहिए ।

श्री बिमल कान्ति घोष : यह प्रश्न कलकत्ता के साथ न्याय के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । आप इस तरह का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं । परन्तु अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है ।

श्री बिमल कान्ति घोष : ठीक है मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाओं के बारे में कलकत्ता के साथ कब तक न्याय किया जाएगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, मैं इस सभा में बता चुका हूं कि दूर संचार सुविधाओं के विकास के मामले पर हम कलकत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं । परन्तु जहां तक सार्वजनिक टेलीफोनों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या वास्तव में उतनी नहीं है जितनी कि हम चाहते हैं । मैं अपने उत्तर में कारण बता चुका हूं कि कलकत्ता में लोगों की टेलीफोन की मांग अपर्याप्त हैं । मैंने उनसे पूछा है कि क्या कोई आवेदन पत्र लम्बित है । ऐसा कोई नहीं है । मैंने यह भी पूछा है कि क्या सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों पर पर्याप्त टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है । वहां पर इसकी पर्याप्त सुविधा है । स्यालदह, हावड़ा स्टेशन पर बहुत से सार्वजनिक टेलोफोन हैं । एयरपोर्ट पर बहुत से टेलीफोन हैं । यदि माननीय सदस्य किन्हीं व्यक्तियों का सुझाव दे सकते हैं जो सार्वजनिक टेलीफोन चाहते हैं तो हम उन पर विचार करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : न्याय मंत्री हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कलकत्ता में अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोनों में से कम से कम आधे तो हावड़ा में ही हैं जो दोषपूर्ण मशीनों के कारण हमेशा खराब रहते हैं और जब कभी हम सिक्का डालते हैं तो सिक्का भी बाहर नहीं आएगा और टेलीफोन भी नहीं मिलेगा (**व्यवधान**) क्या मंत्री महोदय जांच करायेंगे, ये कैसे कार्य कर रहे हैं । मंत्री महोदय ने बताया है कि जनता की मांगें पूरी की जाती हैं, क्या उन्हें पता है कि कलकत्ता का स्टेडियम एशिया में सबसे बड़ा है । कलकत्ता फुटबाल ग्राउंड में हमेशा खेल होते रहेंगे तथा वहां पर कोई भी सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है तथा जो कोई भी वहां जाता है । निराश लौटता है क्या मंत्री महोदय जांच कराकर सार्वजनिक टेलीफोन वहां पर लगवायेंगे ।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी समय जब स्टेडियम अधिकारी अथवा कोई भी जिम्मेदार

अधिकारी, जो हमारे उपकरणों की देखभाल कर सकते हैं। यहां टेलीफोन चाहेंगे हम वहां लगा देंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : सार्वजनिक टेलीफोनों में डाला गया सिक्का भी वापस नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह वापस नहीं आता तो आप पर कम भार पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने पूछा है कि हावड़ा जहां पर सार्वजनिक टेलीफोनों का निरन्तर उपयोग होता है, कितने सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं। वह भली प्रकार जानते हैं कि वे कभी-कभी खराब रहते है। इसके कई कारण हैं। (व्यवधान) केवल कभी-कभी इन्हें खराब कर दिया जाता है। हम मानते हैं कि लोग इन्हें खराब कर देते हैं। यदि आप आज के "टाइम्स आफ इण्डिया" में एक समाचार को पढ़ें, जो लन्दन टाइम्स से उद्धृत किया गया है तो इसमें यह उल्लेख है कि वही समस्या लन्दन में विद्यमान है। उनमें से हजारों ··· (व्यवधान)। हावड़ा में शरारती तत्वों का स्तर लन्दन से अधिक नहीं है। परन्तु बात यह है कि हमारे यहां निर्दोष प्रणाली नहीं है जहां पर हम निर्दोष सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली रख सकें। हमने अपने अनुसन्धान कर्त्ताओं को इस काम पर लगाया है और वे इस कार्य को कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह विश्व-व्यापी स्थिति है।

श्री भागवत झा आजाद : यह राष्ट्र मंडलीय समस्या है।

श्री राम निवास मिर्धा : यह विश्व-व्यापी समस्या है।

मारुति कारों का निर्माण

*837 **श्री दिनेश सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत मारुति डीलक्स कारों और कितने प्रतिशत सामान्य मारुति कारों का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या मारुति डीलक्स कारों का मांग से अधिक निर्माण किया गया है, जिन्हें खरीददारों द्वारा नहीं लिया जा रहा है; और

(ग) सामान्य मारुति कार की तुलना में मारुति डीलक्स कार में लगाए जाने वाले अतिरिक्त साज-सामान की लागत का ब्योरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 30-4-1985 तक कारों के कुल उत्पादन में डीलक्स और स्टैंडर्ड मारुति कारों का अनुमानित प्रतिशत क्रमश: 22 और 78 था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह जानकारी देना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

श्री विनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मंत्रियों को झूठा ठहराने की मेरी आदत नहीं है। परन्तु मंत्री की सुविधा के लिए मैं समझता हूं कि यदि वह फैक्टरी से पता लगाएं कि डीलक्स कारों के कितने प्रस्ताव लोगों को भेजे गए थे तथा कितने अस्वीकृत कर दिये गये, तो यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होना। यदि वह चाहते हैं तो मैं उन्हें कुछ पत्र स्वयं भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे अनावश्यक वस्तु का उत्पादन स्वत: ही बन्द नहीं कर देंगे।

श्री विनेश सिंह : नहीं श्रीमान्, यह बात नहीं है। वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी मांग है और इसे वे लोग लेते हैं जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है और ऐसी स्थिति में ही चोरबाजारी शुरू होती है।

दूसरे, महोदय, यह बताया गया है कि ये आंकड़े देना कम्पनी के वाणिज्यिक हितों में नहीं है। साधारण कार का मूल्य पता है तथा सभी जानते हैं कि डीलक्स कार में क्या फालतू चीज लगाई जाती है और उसका क्या मूल्य होता है। यदि आप ये सभी चीजें लगा दें तो आपको डीलक्स कार के मूल्य का पता लग जाएगा। इस मामले में कुछ भी वाणिज्यिक हित अथवा रहस्य नहीं है। मैंने उन्हें जोड़ने की चेष्टा की है। साधारण कार से डीलक्स कार में जो फालतू हिस्से लगाए जाते हैं उनका मूल्य 15000 रुपये बैठता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार पर कम्पनी 17000 हजार रुपये अतिरिक्त लाभ लेती है। जब इसकी भारी मांग है तब सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा इस तरह लाभ कमाना क्या उचित है। क्या मंत्री महोदय के लिए यह संभव नहीं है कि कम्पनी से कहें कि वह एक ही तरह की कारें बनायें तथा जो व्यक्ति अतिरिक्त उपकरण लेना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं और वे लगाये जा सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मारुति डीलक्स कारों के उत्पादन से स्टैण्डर्ड मारुति कारों के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डीलक्स कारों के उत्पादन का तर्काधार अधिकाधिक उत्पादन ताकि कम्पनी का लक्ष्य पूरा हो सके और कम्पनी 1984-85 में न घाटे न लाभ में चल सके। प्रथम वर्ष में साधारण कारों की अपेक्षाकृत कम मूल्य अधिक और उत्पादन मूल्य अधिक होने के कारण डीलक्स कारों का उत्पादन करना आवश्यक है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न यह नहीं है। आप प्रश्न से हटकर उत्तर दे रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं प्रश्न से हटकर उत्तर नहीं दे रहा हूं। डीलक्स कारों के उत्पादन का कारण यह है कि उनसे हम कम खर्च को पूरा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मारुति कार कम

कीमत पर दी जा रही है। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यही प्रश्न पूछा गया है तथा मैं उसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री दिनेश सिंह : मैं इसका अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे उत्तर पूरा करने दें। डीलक्स कारों के उत्पादन का प्रयोजन था कि 1984-85 में भी कम्पनी न लाभ न घाटे पर चल सके। स्टैंडर्ड मारुति कार की कीमत डीलक्स कार से बहुत कम है। इससे हम इनकार नहीं करते। हम डीलक्स मारुति कार से अधिक लाभ कमा रहे हैं ताकि हम पहले घोषित किए गए मूल्य को बनाए रख सकें और उसी कारण से वित्तीय वर्ष के अन्त तक मारुति कार के मूल्य में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई। इसलिए हमने डीलक्स मारुति कारों का उत्पादन शुरू किया था। हो सकता है कि कुछ ग्राहकों ने, जिन्हें मारुति उद्योग लिमिटेड ने प्रस्ताव भेजे थे, डीलक्स कारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया हो। परन्तु इसके साथ ही साथ डीलक्स मारुति कारें न तो मारुति उद्योग लि० के पास न स्टाकिस्टों के पास पड़ी हुई हैं। जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उठा लिया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : चोर बाजार में।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चोर बाजार में नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : धनी लोगों को अधिक मूल्य देने दें।

श्री दिनेश सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में उत्पादन लक्ष्य क्या था तथा उसे कहां तक प्राप्त किया जा सका तथा इस वर्ष लक्ष्य क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने एक बात और कही थी। यह लागत खर्च के बारे में थी कि एक साधारण स्टैण्डर्ड मारुति कार का लागत और आम ढांचा भी प्रकट नहीं किया गया है। हम कम्पनी के वाणिज्यिक हित में लागत बताना उचित नहीं समझते।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, माननीय सदस्य ने लागत ढांचे के बारे में उल्लेख किया है जिसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह स्थिति केवल मारुति कार के बारे में ही नहीं है। अपितु सभी वाणिज्यिक कम्पनियों के बारे में है। न तो वह लागत ढांचे और न ही लाभ के बारे में कुछ बताते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि इसे प्रकट करना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में होगा। (व्यवधान) मैं दोनों को मिला रहा हूं।

1984-85 में मारुति कारों का कुल उत्पादन 14924 तथा मारुति डीलक्स का उत्पादन 5429 रहा।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन कहीं अधिक ज्यादा हुआ है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार के क्या मापदण्ड हैं···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं अपने प्रश्न हमेशा ही सीधे तरीके से पूछता रहा हूं।

सरकार के पास यह कहने के लिए क्या मापदण्ड है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने उत्पादन शुरू कर दिया है जबकि सभी मुख्य कल-पुर्जे आयातित हैं ? ये पुर्जे यहां केवल जोड़े जाते हैं।

क्या सरकार हमें बतायेगी कि देशीकरण किस हद तक किया जा चुका है और कितने समय में कम्पनी उत्पादन पूरी तरह देशी में ही शुरू कर देगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पिछली बार उत्तर दिया जा चुका है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न मेरे विचार से इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं इस सदन में पहले भी बता चुका हूं कि मारुति उद्योग लिमिटेड का देशीकरण पुनःरीक्षित लक्ष्य के अनुसार प्राप्य कर लिया गया है। परन्तु परिकल्पित अर्द्ध नियोजित रूप से सहायक विकास नहीं हो पाया है इस समय मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने कितने लक्ष्य की पूर्ति की है ? कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे इसके लिए पृथक से पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने कहा कि आप इसका उत्तर पहले दे चुके हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं अगर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं तो आप इसे वाद-विवाद बना देते हैं। कृपया ऐसा मत करिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने प्रश्न पूछा है···

अध्यक्ष महोदय : आप उसी तक सीमित रहिये।

श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय सदन को बतायेंगे कि 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं ?

क्या मन्त्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि वह इस आरोप की जांच करवायेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मारुति स्टैण्डर्ड कार की बुकिंग करवाता है तो उसे उसका नम्बर आने पर कार नहीं मिलती है ? मैं अपने ही बारे में बताता हूं। मुझे बताया गया था कि मेरा नम्बर 16,000 है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मेरी बारी आने पर मुझे कार क्यों नहीं दी गई।

क्या मन्त्री महोदय इस बारे में जांच करवायेंगे कि जब किसी व्यक्ति का मारुति कार का नम्बर आ जाता है तो उसे वह क्यों नहीं दी जाती जबकि मन्त्री महोदय ने कहा है कि लक्ष्य की पूर्ति की जा चुकी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लक्ष्य की पूर्ति तो की जा चुकी है। परन्तु बुकिंग उत्पादन से कहीं अधिक हुई है। 1984-85 के लिए सिर्फ 20,000 कारों का लक्ष्य था और मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं कि उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है।

देशीकरण कार्यक्रम के बारे में, जो कि माननीय सदस्य ने पूछा था, हमने उसे पहले ही···

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इसकी जानकारी दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय जानकारी दे रहे हैं तो आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस समय हमने 27 प्रतिशत देशीकरण कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारे यहां देशीकरण कार्यक्रम पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार है और सहायक विकास के बारे में मैं कहूंगा कि हम में कुछ कमी रही है।

श्री जी० जी० स्वैन : मारुति कार का उत्पादन जापान की फर्म के सहयोग से किया जा रहा है और प्रश्न का मूल मुद्दा है अधिक उत्पादन, उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा कारखाने की समस्याओं का समाधान करना। जापान में एक श्रमिक एक वर्ष में 100 कारें तैयार करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम भी उसी स्तर को प्राप्त करने जा रहे हैं। परन्तु क्या सरकार अथवा उद्योग ने इस स्थिति में भी यह अध्ययन करवाया है कि मारुति में एक श्रमिक एक वर्ष में कितनी कारों का उत्पादन करता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उनके पास इस वक्त आंकड़े मौजूद होंगे।

सरकारी समितियों को पट्टे पर भूमि देना

*838. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में श्रमिक सहकारी समितियों को नमक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमि दिए जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह भूमि निर्धारित दरों पर दी गई अथवा निविदा आधार पर;

(ग) महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार की भूमि पट्टे पर देने के बारे में सामान्य प्रक्रिया क्या है; और

(घ) यदि कोई विसंगति है, तो उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) नमक का निर्माण करने के लिए सरकार अनुसूचित दरों पर पट्टों का नवीकरण करके भूमि देती है। किन्तु नई भूमि के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि और वह भूमि, जहां सरकार द्वारा नमक निर्माणशालाओं का निर्माण किया गया है, निविदा मंगवा कर दी जाती है। जिन मामलों में भूमि निविदा मंगवा कर दी जाती है, उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों आदि जैसे कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को कुछेक रियायतें दी गई हैं।

(ग) सरकारी नमक निर्माणशालाओं के अधीन भूमि निविदा मंगवाकर दी जाती है। कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के मामलों में, ऊपर बताई गई रियायतें लागू होती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस०जी० घोलप : यह उत्तर दिया गया है कि पूरे भारत में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में, विशेषकर बम्बई के क्षेत्र में, नमक की 4 निर्माण-शालाएं हैं, जहां प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, वहां टेंडर भरे जाते हैं। विशेषकर जनता पार्टी के शासन काल में दो समितियों का झगड़ा हो रहा था और इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि टेंडर भरे जाने चाहिए। लेकिन पहले टेंडर नहीं भरे जाते थे और केवल निर्धारित दरों का पालन किया जाता था। उसी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जाता ? परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने भी यह निर्णय लिया है कि निर्धारित दरें ली जानी चाहिए। सलाहकार बोर्ड ने भी यह निर्णय लिया कि उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अतः सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन नमक निर्माणशालाओं के पट्टे सहकारी क्षेत्र को टेंडरों के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। मैसर्स सर्वोदय आदिवासी एम०यू०एस० एस० लिमिटेड, के अनुरोध पर सरकार ने नमक के ये चार निर्माणशालाएं 1-10-1957 से 30-9-1969 तक के लिए उन्हें बारी-बारी से और पेट्टे की अलग-अलग राशि पर दीं। इस बीच एक अन्य सहकारी समिति, मीठागर कामगार सहकारी संघ लिमिटेड ने नमक की ये निर्माण-शालाएं उन्हें दिये जाने का अनुरोध किया। तब सरकार ने नमक की इन चार निर्माणशालाओं को दो प्रखण्डों, प्रत्येक खण्ड में दो को पट्टे पर देने के लिए निविदाएं मंगाने का निर्णय किया। क्योंकि दूसरी समिति इस क्षेत्र में आ गई थी इसलिए हमें निविदाएं मंगानी पड़ी लेकिन ऐसा बहुत पहले किया गया था।

मैं अन्य बात यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने तापीय विद्युत गृह लगाने के लिए यह भूमि मांगी है और इसलिए ये नमक की निर्माणशालाएं 30-6-85 तक के लिए ही पट्टे पर दी गई हैं।

यह सच है कि परामर्शदात्री समिति ने यह सिफारिश की थी कि श्रम सहकारी समितियों को पट्टे पर भूमि 20 वर्ष के लिए दी जानी चाहिए तथा जमीन का किराया प्रति एकड़ 2 रुपये प्रति वर्ष हो तथा निर्धारण फीस उत्पादित और निकासी किए गए प्रतिटन नमक के लिए 1 रुपए होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इस भूमि के मांगे जाने को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इस स्थिति में कोई कार्यवाही करना आवश्यक है।

श्री एस० जी० घोलप : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि भूमि अधिगृहीत की जा रही है। हमें एक पत्र मिला है कि इस भूमि पर कब्जा किया जाना था, लेकिन वह प्रस्ताव अभी रोक लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार अब पट्टे की अवधि बढ़ाने पर विचार करेगी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि महाराष्ट्र सरकार यह सूचना देती है कि अब उन्हें इस भूमि की जरूरत नहीं है, तब माननीय सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव पर हम निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

रामगुण्डम उर्वरक संयंत्र

*840. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुण्डम उर्वरक संयंत्र पर 220 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जबकि प्रारम्भिक अनुमान केवल 92 करोड़ रुपये का था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और यह स्थिति कब से है;

(ङ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या गारंटी परीक्षण प्रत्येक संयंत्र पर किए गये थे अथवा संयंत्र पर समग्र रूप में किए गये थे क्योंकि विदेशी ठेकेदारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, और

(छ) संयंत्र में बार-बार तकनीकी खराबी होने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है और क्या दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (छ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र में 217.90 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जबकि आरंभिक अनुमान 93.85 करोड़ रुपये था ।

(ख) मूल्य में वृद्धि के कारण ये हैं—विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा स्फीती, ब्याज की दर में वृद्धि; आरगोन गैस रिकवरी तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का संलग्न तथा पूर्ण करने की समय-सूची में विस्तार के कारण वित्तीय प्रभार में वृद्धि ।

(ग) प्राप्त क्षमता के आधार पर पिछले तीन वर्षों के यूरिया उत्पादन तथा क्षमता उपयोगिता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	यूरिया उत्पादन	क्षमता उपयोगिता
1982-83	1,62,664	49.29 प्रतिशत
1983-84	1,75,068	53.05 प्रतिशत
1984-85	2,03,090	61.54 प्रतिशत

(घ) पावर कट्स/वोल्टेज डिप्स, उपस्कर समस्याओं, एक्ट्रीमली टाइट स्टीम वेलेंस तथा गैसीफिकेशन तथा स्टीम जेनरेशन संयंत्र में आपाती उपस्कर की अनुपलब्धतता के कारण क्षमता उपयोगिता प्रभावित हुई ।

(ङ) रॉ गैस प्रो-कूलर्स को एस०एस० कूलरों से प्रतिस्थापित करने, एमओ रिमूवल सिस्टम, रॉ गैस लाइन की इपोक्सी लाइनिंग आदि जैसे कुछ अल्पावधिक उपचारी उपाय किए गए हैं । दीर्घकालिक उपचारी उपायों के लिए विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर्वेक्षण किया जा रहा है । विदेशी परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर, उपचारी उपाय आरम्भ किए जायेंगे ।

(च) कुछ संयन्त्रों/उपस्कारों के अलग-अलग गारंटी परीक्षण किये गये थे परन्तु सम्पूर्ण संयंत्र के नहीं । विदेशी ठेकेदारों के साथ कोई विवाद नहीं था ।

(छ) बारम्बार होने वाली मैकेनिकल समस्याएं डिजाइन असन्तुलन के कारण थी । इस लिए अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता

हूं कि रामगुण्डम फर्टिलाइजर प्लांट कब शुरू किया गया था, उस पर कितनी लागत लगने वाली थी, जब वह शुरू हो गया तो उस पर कितनी लागत लगी, कब वह तैयार हो गया था, उसकी उत्पादन क्षमता क्या थी तथा वहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : परियोजना का आक्कलन अप्रैल 1971 में तैयार किया था और उस समय 42 महीनों की अवधि में तैयार की जाने वाली उस परियोजना की अनुमानित लागत 93.85 करोड़ रुपये थी। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार इसकी क्षमता प्रतिदिन 900 टन अमोनिया और 1500 टन यूरिया तैयार करना है। जैसा कि वक्तव्य में मैं पहले ही बता चुका हूं इसका उत्पादन 1982-83 में 1,62,664 टन हुआ; क्षमता उपयोग 42.29% रही। 1983-84 में उत्पादन 1,75,068 टन रहा और क्षमता उपयोग 53.05% रहा और 1984-85 में उत्पादन 2,03,090 टन तथा क्षमता उपयोग 61.54% रहा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : आपने प्रोजैक्ट की लागत 93.85 करोड़ रुपये बताई है और जब यह प्रोजैक्ट शुरू हुआ तो उसके बाद उसकी लागत कुल 270 करोड़ रुपये हो गई, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह लागत कितने दिनों में लगभग तीन गुनी बढ़ गई। इसके अलावा वर्ष 1982-83, वर्ष 1983-84 तथा 1884-85 में उसकी कितनी कैपेसिटी थी और उसके अगेन्स्ट कुल कितने परसैन्टेज और कितना उत्पादन हुआ। इस तरह आपको प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ और वह कितने परसैन्ट था।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं क्षमता उपयोग के बारे में पहले बता चुका हूं। क्षमता उपयोग सम्बन्धी हमारे पास 1984-85 के आंकड़े हैं जो 61.54 प्रतिशत है। माननीय सदस्य हानि के बारे में जानना चाहते थे। मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय सूचना नहीं है। मैं इसे एकत्रित करूंगा और माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इसमें कुल कैपेसिटी का लगभग 50 परसैंट ही प्रोडक्शन हुआ और दूसरी तरफ लासेज नहीं बता रहे हैं।··· (व्यवधान) ··· इससे क्या मतलब निकाला जाये···

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : रामगुण्डम संयन्त्र के क्षमता उपयोग के बारे में मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़े गुमराह करने वाले हैं। अब उन्होंने केवल यूरिया के उत्पादन के बारे में

आंकड़े दिए हैं और बताया है कि 1984-85 में 61 प्रतिशत उत्पादन हुआ। हमारी सूचना के अनुसार अब तक उत्पादन 40 प्रतिशत रहा है। परन्तु यदि हम अमोनिया को भी सम्मिलित कर लें तो निश्चय ही इस में कमी आयेगी। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के आंकड़े देने की क्या वजह है ?

दूसरी बात, हमें बताया गया है कि इस संयन्त्र की मुख्य त्रुटि असन्तुलित डिजाइन है [और इसकी जांच के लिए विदेशी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं।

हमारे देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र प्रायोगिक आधार पर पहली बार लगाया गया है और मेरे विचार में अन्य देशों में भी एक या दो स्थानों पर कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र हैं। दक्षिणी अफ्रीका में एक है और पूर्वी जर्मनी में दो हैं और विश्व के अन्य किसी भाग में ऐसा कोई संयन्त्र नहीं है। यह 1971 में आरम्भ किया गया था क्योंकि उस समय हमारी तेल की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पास तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं था। हमारे पास नेप्था पर्याप्त मात्रा में नहीं था। हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। इसलिए उस समय यह निर्णय लिया गया था···

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : पहले भी हमने चर्चा की थी। हमने यह प्रौद्योगिक क्रुप्स नाम की एक कम्पनी से ली है। यह जर्मन प्रौद्योगिकी है।

माननीय सदस्य श्री डागा लाभ-हानि के बारे में जानना चाहते थे। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि वर्ष 1984-85 में 88 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। पहली बार रामगुण्डम संयन्त्र से 88 लाख रुपये का लाभ हुआ है। परन्तु 21 मार्च, 1985 तक संचित हानि 55 करोड़ रुपये है। क्योंकि विद्युत और अन्य उपकरणों की कमी और असंतुलित डिजाइन के कारण संयन्त्र पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाया।

पोर्टलैंड सीमेंन्ट का उत्पादन

*841. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता [का उपयोग पोर्टलैंड पोजीलाना सीमेंन्ट, पार्टलैण्ड स्लैग सीमेंट और अन्य किस्मों, जिनमें सस्ते पदार्थों का प्रयोग होता

है, करने के कारण बाजार में सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट कम उपलब्ध होने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की विभिन्न किस्मों के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) सामान्य जनता के लिए बाजार में सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय, में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : सीमेंट उद्योग की आंशिक विनियन्त्रण नीति लागू करने से सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद सिंचाई और विद्युत क्षेत्र, रेल, आयल इंडिया आदि जैसे उपभोगताओं से सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की भिन्न-भिन्न किस्मों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(लाख मी० टन)

वर्ष	किस्मवार उत्पादन				
	सामान्य पोर्टलैंड	पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट	पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट	अन्य किस्में	सीमेंट जोड़
1982	49.7	134.9	39.3	1.5	225.4
1983	64.3	144.6	44.0	1.3	254.2
1984	81.9	166.9	40.7	2.2	291.7

अनन्तिम

(घ) सीमेंट उत्पादकों से कहा गया है कि ये सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का पर्याप्त परिमाण में उत्पादन करें जिससे उसे सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं

को लेवी कोटा का 30 प्रतिशत सीमेंट उपलब्ध हो सके। सीमेंट उत्पादकों को इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के (घ) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि आम जनता को सरकारी विभागों की भांति और अधिक सामान्य पोर्टलैंड सीमेन्ट मिलेगा या नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सीमेन्ट उत्पादकों से पर्याप्त मात्रा में सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उत्पादन करने और लेवी कोटा का 30 प्रतिशत विभिन्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

श्री भोलानाथ सेन : आम जनता के बारे में क्या आदेश हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सामान्य वितरण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। सीमेन्ट नियन्त्रक के माध्यम से हम राज्य सरकारों से सम्बन्ध बनाये रखते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बाजार में सामान्य पूल में सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है कि :

> "सीमेन्ट उद्योग की आंशिक विनियन्त्रय नीति लागू करने से सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद सिंचाई और विद्युत क्षेत्र, रेल, आयल इंडिया आदि जैसे उपभोक्ताओं से सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।"

महोदय, इस प्रकार जब सरकारी विभाग पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की अनुपलब्धता के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आम जनता को पोर्टलैण्ड सीमेन्ट उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम केवल उत्पादकों को बाजार में और अधिक सीमेन्ट उपलब्ध करने के लिए कह सकते हैं और वह हम कर रहे हैं।

श्री भोलानाथ सेन : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पोजालाना और स्लैग सीमेन्ट फ्लाई ऐश और स्लैग से बनते हैं। मिल मालिक अपनी क्षमता पोजालाना या स्लैग सीमेन्ट का और अधिक उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यद्यपि आपने सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उत्पादन 30 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा है। अपनी क्षमता पोजालाना और स्लैग सीमेन्ट में लगाकर वे अत्यधिक लाभ कमा रहे है क्योंकि पोजालाना और स्लैग सीमेन्ट के घटकों की कीमत बहुत कम है और सभी किस्मों की सीमेन्ट की कीमत बराबर है। आपके अनुरोध के बावजूद उन्होंने

सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उत्पादन नहीं बढ़ाया है तो क्या आप कानून में परिवर्तन करने के बारे में विचार करेंगे ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक सीमेन्ट की गुणवत्ता का संम्बध है, चाहे यह सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट हो या पोजालैण्ड सीमेन्ट, वह लगभग एक जैसी है । अन्तर केवल इतना है कि···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। अन्तर केवल यह है कि ओ० पी० सी० के मामले में यह बहुत जल्द बह जाता है, पोजोलाना के मामले में इसमें थोड़ा समय लगता है । इसलिए सभी सरकारी विभागों में जहां कहीं सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य होता है, पुलों का निर्माण कार्य होता है, रेलवे का निर्माण कार्य होता है—वहां सम्भवत: वे सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उपयोग करना ज्यादा पसन्द करते हैं । इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें सामान्य पोर्टलैन्ड सीमेंट ही सप्लाई की जाए । अगर कोई शिकायतें हैं तो ये ज्यादातर सरकारी निर्माण विभागों से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए सरकार की यह नीति है कि वह इसे बढ़ावा दे, क्योंकि पोजोलाना सीमेन्ट में सभी प्रकार के स्लैग (लोहचून) फ्लाई ऐश और अन्य सामग्री प्रयोग की जा रही है । हमारे यहां सीमित मात्रा में चूने का पत्थर है और हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सरकार की नीति अधिक से अधिक पोजोलाना सीमेन्ट के बढ़ावा देने का है; इसीलिए इसके उत्पादन में वृद्धि हो उत्पादन हो रही है। इसके साथ ही, सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हम बार-बार उत्पादनकर्ताओं को इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहते रहे हैं । उन्होंने इसमें वृद्धि की है । उत्पादन भी बढ़ा है । अगर कमी होगी, तो हम उत्पादनकर्ताओं से कहेंगे कि जिन विभागों को सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट की आवश्यकता है वे उन्हें सप्लाई करें और हम इसका अनुसरण कर रहे हैं । हम उत्पादनकर्ताओं से विस्तार से बातचीत कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि जहां तक लोक निर्माण विभाग की सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की सप्लाई का सम्बन्ध है, हमने इसे सन्तुष्ट कर सके हैं ।

श्री ललितेश्वर शाही : श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने विभिन्न किस्मों के सीमेंटों को मूल्य-प्रणाली के बारे में विचार किया है । पिछली दफा 1978 में मूल्यों में परिवर्तन किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रणाली में पोजोलाना और पोर्टलैण्ड सीमेन्ट की तुलना में अधिक स्लैग वाले सीमेंट को प्रोत्साहन दिया जाता है ? प्रेस्ट्रेस्ड (पूर्व प्रतिबलित) कंकरीट पुलों में एक निश्चित समय के भीतर सीमेन्ट को ठोस बनना होता है उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु जब तक विभिन्न किस्मों के सीमेन्ट के अलग-अलग मूल्य नहीं निर्धारित किये जाते, तब तक मात्र अनुरोध करने से ही उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पोजोलाना सीमेन्ट और सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के दामों में अन्तर है । साधारण पोर्टलैण्ड सीमेन्ट और पी० ओ० सी० सीमेन्ट के बीच प्रति टन 15 रु० का अन्तर है ।

साधारण पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के मामले में यह 532 रु० है, जबकि पी० ओ० सी० के मामले में यह 577 रु० प्रति टन है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं—क्या सीमेंन्ट की कीमत बढ़ाने की प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है? क्या इसीलिए सीमेन्ट की कीमत सरकार बढ़ाने वाली है, फैक्टरीज सीमेन्ट का स्टाक रिलीज नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पास रख रही हैं—इसमें कहां तक सच्चाई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : गुजिश्ता साल लेवी सीमेन्ट की कुछ कीमत बढ़ाई गई थी। नान-लेवी सीमेन्ट की कीमत बढ़ाने का सवाल नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत मार्केट में सप्लाई और डिमाण्ड पर निर्भर करती है। पिछले साल कीमत बढ़ाने के बाद से सीमेन्ट मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो रहा है, इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। लेकिन गवर्नमैन्ट ने अभी तक इस बारे में कोई तस्फिया नहीं किया है।

श्री भागवत झा आजाद : मत बढ़ाइये, पहले ही काफी बढ़ गई है।

उड़ीसा में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

*842. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री के० प्रधानी } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये उर्वरक संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उर्वरक संयंत्र में कितने उर्वरक का उत्पादन हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए कौन से स्थानों को चुना गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) उड़ीसा में दो उर्वरक संयंत्र चल रहे हैं—एक तालचर में और दूसरा राउरकेला में।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

उत्पादन (हजार टन नाईट्रोजन में)

	1982-83	1983-84	1984-85
तालचर	20.6	37.3	55.1
राउरकेला	11.0	22.5	49.8

(घ) और (ङ) पारादीप, उड़ीसा में एक बड़ा फास्फेटिक उर्वरक संयन्त्र निर्माणाधीन है, यह सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जायेगा। इसके अलावा, उड़ीसा के मयूरभन्ज जिले में एक छोटे सिंगल सुपर फास्फेट एकक की स्थापना करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है।

उड़ीसा में और उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए वर्तमान में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सोमनाथ रथ : मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर खुशी है कि सातवीं योजना अवधि के अन्त तक पारादीप में निर्माणाधीन फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र पूरा हो जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस उर्वरक संयत्र में व्यापारिक स्तर पर कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और इसमें कुल वार्षिक उत्पादन कितना होगी ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, जहां तक पारादीप में स्थापित किये जा रहे इस फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र का सम्बन्ध है, इसकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 117,000 टन नाइट्रोजन और डि-अमोनिया फास्फेट के रूप में 300,000 टन फास्फेटिक उर्वरक, $P_2 O_5$ के साथ होगी, संयंत्र का निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और मार्च, 1986 तक डि-अमोनिया फास्फेट संयंत्र तैयार हो जायेगा।

श्री सोमनाथ रथ : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा के मयूरभन्ज जिले में एक छोटा सिंगल सुपर-फास्फेटिक एकक स्थापित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उड़ीसा के गंजम जिले में इस प्रकार की और छोटी परियोजनाएं आरम्भ करने की सम्भावनाओ पर विचार करेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले कहा है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में फास्फेटिक उर्वरक की 7,000 टन वार्षिक क्षमता का एक सिंगल सुपर-फास्फोटिक संयंत्र स्थापित करने का एक औद्योगिक लाइसेंस ईस्ट फोस्ट-फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है इसके अलावा, अभी तक किसी भी आवेदन पत्र पर निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक उड़ीसा में उर्वरक के उत्पादन का संबंध है, राज्य में उत्पादन मांग से अधिक होने जा रहा है।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पारादीप में एक बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सामान्यतः, राज्य सरकारें बिजली में कटौती कर देती हैं और इस प्रकार इन उद्योगों के उत्पादन पर असर पड़ता है। इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए, मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इन उद्योगों में बिजली-उत्पादन के लिए क्या सरकार रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : तालचर में, हमने पहले ही एक रक्षित-बिजली संयंत्र स्थापित किया है जोकि 30 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की नीति यह है कि आज के बाद उर्वरक संयंत्रों को पूरी तरह राज्य बिजली ग्रिड पर ही निर्भर करने की बजाय हम चाहते हैं कि हमारे अपने रक्षित बिजली संयंत्र हों।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस बात पर विचार करते हुए कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पिछले सप्ताह हल्दिया उर्वरक संयंत्र, हल्दिया के अचानक बन्द हो जाने से करीब 2500 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय कोई उपाय कर रहे हैं ताकि इन मजदूरों को काम मिल सके।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक हल्दिया उर्वरक संयंत्र का संबन्ध है, इसे चालू करने का कार्य चल रहा है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसे पुनः कब चालू किया जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इन 2,500 मजदूरों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि यह संयंत्र बन्द हो गया है। लेकिन मंत्री ने कहा है कि संयंत्र को अभी चालू नहीं किया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैं यह स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। इसे बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इसे अभी चालू नहीं किया गया है। इसे चालू करने का कार्य चल रहा है। जब इसे आरम्भ ही नहीं किया गया, तो इसे बन्द कैसे किया जा सकता है ?

श्री नारायण चौबे : वहां 3,000 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं उन्हें पिछले 10 वर्षों से वहां से मजदूरी मिल रही है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, बदायूं और शाहजहांपुर में जो कारखाने स्थापित किए गये हैं, वे कब तक प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और उनकी उत्पादन क्षमत क्या होगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल. मान्यवर, अगर माननीय सदस्य इसके लिए और एक सवाल पूछेंगे, तो इस के मुताल्लिक मालूमात कर के जानकारी दे दूंगा।

पेट्रोल में मिलावट पर रोक लगाना

[हिन्दी]

*843. **श्री सरफराज अहमद**
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1985 के "जनसत्ता" में "पेट्रोल में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में किन-किन स्थानों पर मिलावट के इस प्रकार के मामलों का पता चला;

(ग) पेट्रोल में मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पेट्रोल में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हरियाणा सरकार से सूचना मंगाई गई है, और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

मिलावट की जांच के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(i) पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट की जांच को बढ़ाने के लिए समस्त राज्य सरकारों/संघ शासित प्रबंधकों को निर्देश।

(ii) तेल उद्योग द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के विपरण नियंत्रण पर दिये नये दिशानिर्देशों

का अनुपालन जिसके, साथ-साथ उत्पादों के गुण नियंत्रण से संबंधित मामलों से सम्बन्ध रखना, मिलावट की रोकथाम के लिए कदम उठाना और खुदरा बाजारों/वितरकों की त्रुटियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

(iii) तेल कम्पनियों में गठित सतर्कता विभाग को सबल बनाया गया है। संयुक्त उद्योग टीम द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। ताकि पेट्रोलियम उत्पादकों के वितरण में व्याप्त कदाचार को रोका जा सके।

श्री सरफराज अहमद : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिलावट केवल हरियाणा में हो रही है अथवा देश के अन्य भागों में भी हो रही है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मिलावट के इन मामलों का विवरण 'जनसत्ता' में छपा था और हरियाणा पुलिस ने इनका पता लगाया था। हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य सरकार ही इसकी सूचना देंगे और हमारे कहने के बावजूद, हमें सूचना नहीं भेजी गयी है। अतः जैसे ही यह सूचना हमें प्राप्त होगी, हम इसे सभा-पटल पर रखेंगे तथा माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करायेंगे।

मिलावट के संबंध में, यह केवल हरियाणा में नहीं है, अपितु और भी बहुत से स्थान हैं जहां मिलावट हो सकती है तथा इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि मिलावट नहीं हो रही है। मिलावट करने के बहुत से कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : जवाब आने की कोई टाइम-लिमिट रखी गयी है ?

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर शर्मा : हम इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जांच कार्य में तेजी लाने के लिए क्या आपने राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं ? क्या राज्य सरकारों ने इन अनुदेशों का पालन किया है ? यदि हां, तो कितने मामलों में ?

श्री नवल किशोर शर्मा : इस प्रश्न के बारे में हमारे पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है किन्तु हम राज्य सरकारों को कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पेट्रोलियम एक्ट बदलने का

सरकार का विचार है क्योंकि यह एस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से चला आता है और पेट्रोलियम में काफी एडल्ट्रेशन होता है ? क्या सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि पेट्रोल में एडल्ट्रेशन को रोका जा सके ?

श्री नवल किशोर शर्मा : इसमें पेट्रोलियम एक्ट को बदलने का प्रश्न नहीं है। डीजल में केरोसीन का एडल्ट्रेशन होता है और यह केरोसीन और डीजल की कीमतों में जो फर्क ही मुख्यत: उसके कारण से होता है।

जहां तक राज्य सरकारों के अधिकार का सवाल है, असेंशल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत उन्हें इस मामले में कार्यवाही करने का अधिकार है और वे अपने इस अधिकार के जरिए से पेट्रोल पम्प ओनर्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पूर्णतया अधिकृत हैं। आयल कम्पनीज भी इस मामले में कदम उठाती हैं। जहां ऐसी शिकायतें मिलती हैं हम ऐसे मामलों में डीलरशिप भी कैंसिल कर देते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मिट्टी के तेल और डीजल तथा दूसरी ओर पेट्रोल की दरों में भारी अंतर है। दूसरे विश्व युद्ध के समय मिलावट को रोकने के लिए इस पर जोर दिया गया था कि मिट्टी के तेल में कोई रंग मिलाया जाना चाहिए ताकि जब भी डीजल अथवा पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया जाए, उसका पता लगाया जा सके। बहुत से देशों में यह प्रयोग सफल हुआ तथा मिलावट रोकथाम हो गयी। क्या मंत्री महोदय; इस प्रयोग को देश में भी लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकें ?

श्री नवल किशोर शर्मा : एम० एस०/एच० एस० डी० में मिट्टी के तेल के अधिमिश्रण का आसानी से पता लगाने हेतु मिट्टी के तेल में मिलाए जा सकने वाले उपयुक्त योगज का विकास करने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है। गत कई वर्षों में, हमने इसकी आजमाइश की की है किन्तु यह सफल नहीं हुआ है। इसके कोई लाभ दायक परिणाम नहीं निकले हैं और अब हम मिट्टी के तेल में 'फुरफुरल' मिलाने जा रहे हैं। यह प्रयोग चल रहा है और इस सम्बन्ध में भी समस्याएं हैं, जब भी हम इस बारे में निश्चित हो जायेंगे कि मिट्टी के तेल में 'फुरफुरल' मिलाना मिलावट के लिए प्रभावकारी रोक होगा हम इसे निश्चित रूप से आजमायेंगे

'डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज'

*844. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पहले 'डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज' की स्थापना हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कहां पर और कब;

(ग) यह एक्सचेंज किस कम्पनी से प्राप्त किया गया था तथा इस उपक ण की गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्थापित करने के पश्चात से यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई-वर्ली में 10 अप्रैल, 1985 को ।

(ग) और (घ) उपस्कर मैसर्स सी० आई० टी० अल्कातेल, फ्रांस से प्राप्त किया गया था । उपस्कर की गुणता व कार्य प्रणाली आम तौर पर संतोषजनक है ।

श्रीमती किशोरी सिंह : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि टेलीफोन केन्द्र का अगस्त, 1984 में काम शुरू करना था किन्तु यह अप्रैल, 1985 में हुआ । यदि हां, तो मैं इस विलम्ब के कारण जानना चाहती हूं ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी टेलीफोन व्यवस्था में नवीनतम अंकीय (डिजिटल) प्रकार का पहला टेलीफोन एक्सचेंज था और हम चाहते थे कि वास्तविक स्वीकृति से पहले बहुत कड़ा स्वीकृति-परीक्षण किया जाना चाहिए । उसके बाद वातानुकूलन इत्यादि से सम्बन्धित समस्यायें भी थीं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कई महीने पीछे धकेल दिया । अत: स्वीकृति-परीक्षण को पूरा करने में समय थोड़ा अधिक लग गया । यह केवल इसलिए हुआ कि हम इस प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज को पहली बार शुरू कर रहे थे और स्वीकृति-परीक्षण के सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे और हम इस बारे में कड़े उपाय अपनाना चाहते थे ।

श्रीमती किशोरी सिंह : श्रीमन्, क्या यह सच है कि फ्रांसीसी फर्म के साथ हुए समझौते के अधीन 22 सेटों का आयात और किया गया है ? और क्या सरकार इस उपस्कर की कार्य-प्रणाली के आमतौर पर संतोषजनक होने के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए दस उपस्करों का आयात और करने जा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार करते समय हुए समझौतों में से एक यह था कि अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए हम इस व्यवस्था की 200,000 लाइनें आयात करेंगे और यह 200,000 लाइनें इसी समय स्थापित की जा रही हैं । दिल्ली में, कलकत्ता में और अन्य स्थानों में जहां यह कार्य हो रहा है उनकी सूची मैं आपको दूंगा । मैं समझता हूं कि यह समझौता मूल समझौते का हिस्सा था और हम इस तरीके से इसे कार्यान्वित कर रहे हैं ।

समुद्र का आर्थिक दोहन क्षेत्र

*845. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र का आर्थिक दोहन क्षेत्र कितने सतह पर फैला हुआ है;

(घ) इस क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए अनुमानतः कितनी गश्ती नौकायें होनी चाहिए; और

(ग) इस अनुमानित संख्या में से इस समय कितनी नौकायें मौजूद हैं तथा आगामी दो वर्षों में कितनी नौकायें हो जायेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नर सिंह राव) : (क) भारत का अनन्य व्यापार क्षेत्र अनुमानतः 28 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है ।

(ख) और (ग) : गश्ती जलयानों के बेड़े की सही संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वे जलयान किस किस्म के हैं और कितनी अधिक गश्त लगाने की जरूरत है । इन गश्ती जलयानों की मौजूदा संख्या और दो वर्षों के बाद की संख्या के बारे में सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है

विवरण

	मौजूदा संख्या	दो वर्षों के बाद की संख्या
तटवर्ती गश्ती जलयान समुद्राभिमुखी रक्षा नौकायें	9	14
अपतट गश्ती जलयान	2	6
महासागर में गश्त लगाने वाले जलयान	—	—
बचाव और प्रदूषण नियन्त्रक जलयान	—	—

सूचना :- इस समय तट रक्षक संगठन भी उनको 1678 में नौसेना से स्थानान्तरित 2 गश्ती युद्धपोतों और 3 "पी" नौकाओं का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : इस प्रश्न से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपेक्षित जानकारी का मुख्यमुद्दा यह है कि 28 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के सम्बन्ध में कितनी अधिक गश्त लगाने की जरूरत है । अत. मैं जानना चाहता हूं कि अपेक्षित संख्या और मौजूदा संख्या तथा अनुमानित संख्या के बीच अन्तर क्या है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, लम्बी अवधि में किसी सही संख्या सहित इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । स्पष्ट रूप से तो यह पता लगाने का विचार है कि इस शताब्दी के अंत तक कितने गश्ती जलयानों की जरूरत होगी । बहुत से अलग-अलग तथा अननुमेय कारण हैं कि आज बताई गई संख्या कल तक न रहे । इसमें इस हद तक तो परिवर्तन हो सकता है कि यह गलत उत्तर है । यही कारण है कि मैं उत्तर देने में सावधान रहा हूं । लेकिन मैं थोड़ी-सी जानकारी दे सकता

हूं। 15 से 20 वर्ष की अवधि में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कितनी गश्त लगाने की जरूरत है। क्या कोई ऐसा कह सकता है ? यह बिलकुल संभव नहीं है। यही कारण है कि मैं आपको वह सूचना दे सकता हूं जो आज हमारे पास है और आगामी पांच वर्षों में स्थिति क्या होगी। यदि उस जानकारी की जरूरत है तो मैं यह देने के लिए तैयार हूं लेकिन यदि मुझसे यह पूछा जाएगा कि 15 वर्षों में कितनी गश्त लगाई जायेगी तथा कितनी अधिक गश्त लगाने की जरूरत होगी तो यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह प्रश्न केवल भावी आवश्यकता के बादों में नहीं है। हम वर्तमान आवश्यकता के बारे में जानना चाहेंगे अर्थात् 28 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र की तुलना में कितने गश्ती जलयानों की जरूरत है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम दोबारा उसी प्रश्न पर वापस आ रहे हैं। मुझे खेद है कि मेरे मुद्दे को समझा नहीं जा रहा है। हमारे पास इस समय जितने गश्ती जलयान हैं, मैं उसकी संख्या बता सकता हूं। मैं गश्ती जलयानों तथा अन्य जलयानों की संख्या बता सकता हूं जिन्हें आगामी पंचवर्षीय योजना में खरीदे जाने का प्रस्ताव है। लेकिन मैं 15 से 20 वर्ष की अवधि में कुल आवश्यकता कितनी होगी इस बारे में आंकड़े नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जिनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता और सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जो जानकारी मेरे पास है उसे मैं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बीरभूम (पश्चिम बंगाल) में उद्योग स्थापित करना

*834 **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीरभूम, पश्चिम बंगाल एक उद्योग रहित जिला है;

(ख) क्या सरकार वहां स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव मन्जूरी हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (ग) जी, नहीं।

(ख) और (ग) किसी विशेष जिले की विस्तृत ओद्योगिक योजना बनाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देकर इनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(घ) जी, नहीं।

खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों में भरने के लिए संयंत्रों की स्थापना

*839. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों में भरने के लिए नए संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1985-88 तक की अवधि में प्रस्तावित नये एल० पी० जी० भरण संयन्त्रों के स्थान व उनकी क्षमता

स्थान	क्षमता (एम०टी०पी० ए०)
1	2
इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	
1. राजकोट	12500
2. हाजिरा	25000

1	2
3. सवाई माधोपुर	25000
4. जमशेदपुर	25000
5. भोपाल	25000
6. दुर्गापुर	25000
7. टिकरीकला (दिल्ली)	50000
8. बालासोर	25000
9. मदनपुर (दिल्ली)	25000
10. करनाल	25000
11. वाराणसी	25000
12. कलकत्ता	25000
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	
1. अरान	75000
2. दिल्ली	75000
3. अम्बाला	25000
4. जबलपुर	25000
5. टुटिकोरिन	25000
6. शोलापुर	12500
7. जलगांव	12500
8. मंगलौर	12500
9. त्रिवेन्द्रम	12500
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	
1. विशाख	12500
2. जम्मू	7000

1	2
3. मैसूर	12500
4. हुबली	12500
5. श्रीनगर	7000
6. चन्द्रपुर	12500
7. औरंगाबाद	12500
8. कलकत्ता	25000
9. कटक	25000
10. विजयवाडा	25000
11. गोवा	12500
12. रायपुर	25000
13. मिराज	12500

तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज के लिए निविदाएं

*846. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तटवर्ती क्षेत्र पर तेल की खोज के लिए भारतीय तथा विदेशी फर्मों से निविदाएं "कोटेशन्स" आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी भारतीय फर्मों ने निविदाएं दी हैं;

(ग) क्या सरकार को भारतीय फर्मों के साथ हुए कथित भेदभाव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भारतीय उद्यमियों से दो टेण्डर मांगे हैं—पहला चार गहन उत्खनन रिगों के चार्टर हायर के लिए और दूसरा दो पिछले उत्खनन रिगों के चार्टर हायर के लिए। पहली निविदा के लिए 15 भारतीय फर्मों से दरसूची प्राप्त हुई है तथा दूसरे के लिए 13 फर्मों से दरसूची प्राप्त हुई है। चार गहन उत्खनन रिगों के चार्टर हायर की एक और विश्वव्यापी निविदा के लिए 3 भारतीय पार्टियों से दरें मिली हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन यूनिट के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र

*847. **श्री मत्स्य गोपाल मिश्र** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में एक 30 मेघावाट क्षमता का रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने का विचार है और यह कब पूरा होगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। 1981 में सरकार ने एक ऐसे संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी थी जिस पर 29.04 करोड़ रुपए की लागत आनी थी।

(ग) और (घ) हल्दिया स्थित अमोनिया/यूरिया और एन० पी० के० संयंत्रों की वर्तमान पावर आवश्यकताओं को गैस टर्बाइन, वाष्प संयंत्र और राज्य ग्रिड से पूरा किया जा सकता है। कैप्टिव पावर संयंत्र का निर्माण कार्यक्रम, अमोनिया संयंत्र के तकनीकी सुस्थिरीकरण, जिसके शीघ्र ही निर्धारित किये जाने की आशा है, पर निर्भर करेगा।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की मद्रास स्थित फैक्ट्री में उत्पादन

*848. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रासायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की मद्रास स्थित फैक्टरी में अप्रैल-दिसम्बर, 1984 के दौरान, 1983-84 में इसी अवधि की तुलना में 50 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस फैक्टरी में उत्पादन की इस गिरावट को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल दिसम्बर, 1984 के दौरान, आई० डी० पी० एल० के मद्रास संयंत्र में 43 प्रतिशत उत्पादन हुआ। यह कमी मुख्यत: ऋण लाइसेंस आधार पर उत्पादन को बंद कर देने के कारण थी। वास्तव में इस अवधि के दौरान मद्रास संयंत्र के उत्पादन में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आई० डी० पी० एल० मद्रास द्वारा फार्मूलेशन क्षमताओं की उपयोगिता को बढाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार

*849. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या पूर्वी क्षेत्र की तेल उत्पादों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को लम्बी दूरी से अर्थात् पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों से तेल उत्पादों की ढुलाई करके पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी शोधनशालाओं के गतिरोधों को दूर करने के संबंध में अध्ययन कर रहा है जिसमें बरौनी स्थित शोधनशाला भी शामिल है।

(ग) ऐसी आशा है कि पूर्ति क्षेत्र में उत्पादों की मांग को अधिकांशत: उस क्षेत्र की शोधनशालाओं के उत्पादन से ही पूरी की जायेगी।

बंद पड़ी पुरानी कागज मिलों को फिर से खोलना

*850. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व स्थापित अनेक अत्यन्त पुरानी कागज मिलें या तो बन्द पड़ी हैं अथवा सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कितनी और कौन-कौन सी मिलें हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन पुरानी कागज मिलों के अधिग्रहण करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने और उन्हें पूरी क्षमता में कार्य करने के योग्य बनाने का है ताकि वे पर्याप्त मात्रा में कागज का उत्पादन कर सकें और वहां बड़ी संख्या में उन श्रमिकों को नौकरी मिल सके जो इन मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये यदि कोई धनराशि आबंटित की गई है तो कितनी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में बंगाल मिल्स और बिहार में रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नामक दो बड़ी एकीकृत लुगदी और कागज मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं।

(ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इन दो कागज मिलों का प्रबन्ध अधिग्रहण करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

*851. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामवासियों की असुविधा दूर करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1990 तक देश के अधिकांश आबाद गांवों में 5 कि०मी० की अरीय दूरी के भीतर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान कर दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि वित्तीय संसाधन और साज-सामग्री उपलब्ध हो जाए।

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की खोज

*852. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों को हाइड्रो-कार्बन्स की खोज में भाग लेने हेतु आकर्षित करने के लिए उन्हें तेल की खोज के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र अधिक अनुकूल शर्तों पर देने की पेशकश की है;

(ख यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ग) कितनी विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज के कार्य की पेशकश की गई है; और

(घ) उनमें से कितनी कम्पनियां इस कार्य के लिए सहमत हो गई हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) सरकार अपतटीय ब्लाकों को तेल अन्वेषण के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। अगले कुछ महीनों में ब्यौरा तैयार हो जाने की सम्भावना है।

इन्सेट-1 बी० का उपयोग

*853. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक इन्सेट-1 बी० का क्षमता से कम उपयोग होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। इनसेट-1बी ने अक्तूबर, 1983 में कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका इस्तेमाल चरणबद्ध रूप में किए जाने की योजना थी। 1984 के अन्त तक 2000 से अधिक सर्किटों का इस्तेमाल किया गया। शेष सर्किटों का इस्तेमाल दिसम्बर, 1985 के अन्त तक कर लिया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों की बिक्री

[हिन्दी]

6366. **श्री छोटू भाई वासवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्तर प्रतिशत से अधिक विटामिनों का विपणन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियन्त्रण में है और उनके द्वारा ऊंची दरों पर औषधियों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में आये ऐसे मामलों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उनका मूल्य ढांचा आदि मंजूर करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा संक्रामक रोगों और व्यापक रूप से फैले कुपोषण को रोकने के लिए इन मदों को सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत लाकर एण्टीबायोटिक औषधियों और विटामिनों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) औषध तथा प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची-5 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाये गये मल्टि विटामिन फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अधीन अगस्त, 1983 में निर्धारित किए गए थे ।

पांच कम्पनियों, अर्थात् मै० फाइजर, मै० अबोट, मै० पार्क डेविस, मै० बार्नर हिन्दुस्तान और मै० सेंडोज ने बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की और मै० पार्क डेविस तथा मै० बार्नर हिन्दुस्तान ने सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर स्थगन प्राप्त किया जबकि शेष तीन कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया गया था । इसलिए ये कम्पनियां अपने मल्टि विटामिन फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में वही मूल्य ले रही है जो वे सरकार के आदेश पारित करने से पहले ले रही थी । तथापि, मै० ग्लेक्सो तथा बोहरिंगर नोल सहित अन्य कम्पनियां मल्टि विटामिन फार्मूलेशनों के लिए निर्धारित मूल्यों का अनुपालन कर रही है ।

एंटिबायोटिक फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के उपबन्धों के अधीन विनियमित किए जाते हैं और ये उनकी उचित तथा उपयुक्त मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है ।

अधिक कास्टिक सोडा संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

6367. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कास्टिक सोडा संयन्त्र काम कर रहे हैं;

(ख) वे कहां-कहां स्थित हैं और उनका वार्षिक उत्पादन क्या हैं;

(ग) क्या देश में कास्टिक सोडा के और संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी विदेशी फर्म ने भारत में कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(च) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के विवरण क्या हैं और उनकी शर्तें क्या हैं; और

(छ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) देश में कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए 39 सन्यन्त्र संचालन में हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान उनका कुल उत्पादन 6.80 लाख टन (अनन्तिम) था। प्रत्येक सन्यन्त्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) कास्टिक सोडा के उत्पादन के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त औद्योगिक लाईसेंस आशय पत्रों के विवरण दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ङ) से (छ) जी नहीं। तथापि कास्टिक सोडा के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विदेशी सहयोग के कुछ प्रस्ताव भारतीय कम्पनियों से प्राप्त हुए हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	इकाई का नाम	स्थिति
1	2	2
1.	मै० आन्ध्रा सूगर लि०	वेंकटारायापुरम तनुकु, कोवूर वेस्ट गोदावरी आन्ध्रा प्रदेश
2.	मै० सिरपुर पेपर मिल्स	सिरपुर आन्ध्र प्रदेश
3.	मै० अशोक पेपर मिल्स	जोगिघोपा गोलपारा आसाल
4	मै० बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि०	रिहेला (पालामाऊ), बिहार
5.	मै० रोहतास इण्डस्ट्रीज लि०	डालमिया नगर, देहरी ओनसोन, बिहार

1	2	3
6.	मै० डीसीएम कैमिकल वर्क्स लि०	दिल्ली
7.	मै० दि अहमदाबाद एमएफजी एण्ड केलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि०	भावनगर, गुजरात
8.	मै० दि अतुल प्रोडक्टस लि०	अतुल, डिस्ट० बुलसार, गुजरात
9.	मै० गुजरात एलकलीज एण्ड कैमि० लि०	बड़ौदा, गुजरात
10.	मै० सौराष्ट्रा कैमि०	पोरबन्दर, गुजरात
11.	मै० टाटा कैमिकल्स लि०	मीठापुर, गुजरात
12.	मै० बलारपुर इण्ड० लि०	यमुनानगर, जगाधरी, हरियाणा
13.	मै० बलारपुर इन्ड० लि०	करवार, कर्नाटका
14.	मै० ट्रावनकोर कोचिन कैमि० लि० कंपनी	उद्योग मंडम, केरल
15.	मै० ग्वालियर रेयन सिल्क एम एफ जी (डब्ल्यू वी जी) कंपनी लि०	नागदा, मध्य प्रदेश
16.	मै० हेमकुण्ड जूट मिल्स	सहाबाद, बमलाई, मध्य प्रदेश
17.	मै० नेपा मिल्स लि०	नेपा नगर मध्य प्रदेश
18.	मै० अहमदाबाद एम एफ जी, एण्ड केलिको प्रिंटिंग कंपनी, लि०	अनिक, चेम्बूर, महाराष्ट्रा
19.	मै० बलारपुर इन्ड० लि०	बलारशाह, महाराष्ट्रा
20.	मै० सेन्चूरी एस पी जी एण्ड डब्ल्यू वी जी मिल्स लि०	थाने, महाराष्ट्र
21.	मै० जे०के० कैमिकल्स लि०	थाना, महाराष्ट्र
22.	मै० दि नेशनल रेयन कार्पो० लि०	मोहन्स, थाना, महाराष्ट्र
23.	मै० स्टेन्डर्ड मिल्स कं० लि०	(स्टेन्डर्ड एलकली) थाना, महाराष्ट्र
24.	मै० जैश्री कैमि० लि०	छतरपुर, गंजम, उड़ीसा

1	2
25. मै० ओरियन्टल पेपर मिल्स	ब्रजराज नगर, सम्भलपुर, उड़ीसा
26. मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०	चरवे, उड़ीसा
27. मै० पंजाब एलकलीज एण्ड कैमि० लि०	नंगल, पंजाब
28. मै० मोदी एलकलीज एण्ड कैमि० लि०	मटसैया इन्ड० स्टेट, एलवार, महाराष्ट्र
29. मै० श्रीराम फर्टि० एण्ड कैमि० लि०	लादपुरा, कोटा, राजस्थान
30. मै० धरमधारा कैमि० वर्क्स लि०	साहूपुरम, तमिलनाडु
31. मै० कथारी (मद्रास) लि०	मनाली, तमिलनाडु
32. मै० मिटुर कैमि० एण्ड इन्ड० कार्पो० लि०	मिटुर डाम, सालम (दो इकाई), तमिलनाडु
33. मै० कानोरिया कैमि० एण्ड इन्ड० लि०	रेनूकोट, मिर्जापुर, उ० प्र०
34. मै० दुर्गापुर कैमि० लि०	दुर्गापुर, बरदवान, वेस्ट बंगाल
35. मै० हिन्दुस्तान हेवी केमि०	खारघा, 24, प्रगनास, वेस्ट बंगाल
*36. मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स कं० लि०	टीटागढ़ और काकीनाड़ा, 24, परगना, वेस्ट बंगाल
=	

*इन दोनों कंपनियो के पास दो संयंत्र हैं।

विवरण-II

क्र० सं०	इकाई का नाम	प्रस्तावित स्थान	नम्बर और तिथि आई एल/एच ओ आई	वार्षिक क्षमता (मीटन)
1	2	3	4	5
	क. लाइसेंसड			
1.	मै० रोहतास इन्ड०	दालमिया नगर बिहार	सी आई एल : 225 (77) दि० 11-7-77	2,400
2.	मै० जयश्री कैमि०	कालाहाण्डी जि० उड़ीसा	आई एल : 347 (76) दि० 18-9-76	25,500
3.	मै० बलारपुर इन्ड०	यमुना नगर, हरियाणा	सी आई एल : 206 (83) दि० 30-5-83	4,950
4.	मै० हेमकुण्ड जूट मिल्स	अमलैई जिला सेडोल मध्यप्रदेश	सी आई एल : 292 (82) दि० 8-10-82	14,000
5.	मै० केमफेब एलकलीज लि०	पांडिचेरी	सी आई एल : 394 (83) दि० 26-11-83	8,250
6.	मै० श्रीराम फर्टि० एण्ड० कैमि०	लादपुरा, कोटा राजस्थान	सी आई एल : 480 (80) दि० 5-2-80	33,000

1	2	3	4
7. मैं० मिथुर कैमि० एण्ड० इन्ड० कार्पो०	मिथुर डाम, सालम, तमिलनाडु	सी आई एल : 52 (83) दि० 9-2-83	13,200
ख. आश्वयपत्र			
1. मैं० ए पी आई डी सी	श्रीकाकूलम आन्ध्रा प्रदेश	एल आई : 195 (75) दि० 31-3-75	33,000
2. मैं० श्रीरायालासिमा एलकलीज	करनोल आ०प्र०	एल आई : 429 (80) दि० 29-8-80	33,000
3. मैं० हिन्दुस्तान पेपर कार्पो०	कछार, आसाम	एलआई : 229 (76) दि० 9-7-76	20,000
4. मैं० हिन्दुस्तान पेपर कार्पो०	नौगांव आसाम	एल आई : 228 (79) दि० 9-7-76	20,000
5. मैं० डी सी एम कैम० वर्क्स लि०	दिल्ली	एल आई : 98 (73) दि० 20-12-73	19,800
6. श्री जे०के० लाम्बा द्वारा एच/एस गुजरात क्लोर अलकली इन्ड० लि०	भारुच, जिला गुजरात गुजरात	एल आई : 227 (83) दि० 6-4-83	33,000

1	2	3	4
7. मै० नरेन्द्रा आई वी वा	जाफराबाद गुजरात	एल आई : 244 (76) दि० 15-7-76	33,000
8. मै० प्रीमियर एलकली लि०	एलमाहिन्दरगढ़ हरियाणा	एल आई : 162 (81) दि० 31-3-81	8,250
9. मै० बलारपुर इन्ड० लि०	करवार, कर्नाटक	एल आई ; 461 (80) दि० 11-9-80	49,500
10. मै० कर्नाटक एस आई डी सी	कर्नाटक	एल आई : 914 (82) दि० 21-12-82	33,000
11. मै० बलारपुर इन्ड० लि०	बलारशाह महाराष्ट्र	एल आई : 788 (80) दि० 22-12-80	4,950
12. मै० एच ओ सी	रसायनी महाराष्ट्रा	एल आई : 78 (81) दि० 6-3-81	33,000
13. मै० इपीकोल	गोपालपुर, गंजम उड़ीसा	एल आई : 660 (82) दि० 31-8-82	33,000

1	2	3	4
14. मै० सांभर साल्ट लि०	सांभर, आबू राजस्थान	एल आई : 154 (81) दि० 31-3-81	33,000
15. मै० कोठारी (मद्रास) लि०	मनाली, तमिलनाडु	एल आई : 836 (80) दि० 31-12-80	33,000
16. मै० दुर्गापुर कैमि० लि०	दुर्गापुर वेस्ट बंगाल	एल आई : 4 (12)/66-कैमि० दि० 29-7-67	5,097

अमीरों के लिए आयातित कागज का प्रयोग

6368. **श्री पी० अप्पाला नरसिंहम :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों की पुस्तकों आदि के लिए कागज का भारी अभाव है और कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में कुछ अमीर लोगों के लिए फैंसी पैकेजिंग परियोजनाएं शुरू की गई हैं; जो काफी मात्रा में आयातित कागज का दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग करती है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने "तेट्रापेक" और टायलट पेपर परियोजनाओं को दो बार नामंजूर कर दिया था क्योंकि ये केवल अमीरों के लिए थीं; और

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किस प्रकार आरम्भ हो गई तथा गत दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं की कागज की वार्षिक खपत कितनी रही और इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में क्या अनुभव है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हालांकि छपाई उद्योग से छपाई के कागज की ऊंची कीमतों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन देश में कागज की कमी नहीं है।

(ख) चूंकि आयातित कागज पर सीमा शुल्क अधिक देना पड़ता है इसलिए दैनिक आवश्यकताओं के लिए इस कागज के पर्याप्त उपयोग की संभावना बहुत सीमित है।

(ग) यद्यपि आरम्भ में सरकार ने टेट्रापैक योजना का समर्थन नहीं किया था लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग (अधिनियम, 1976) की रिपोर्ट और सरकारी उद्यम संबन्धी समिति (अप्रैल, 1976) की रिपोर्ट के आधार इस योजना पर पुन: विचार किया गया था और संबन्धित मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक स्वीकृति लेने के बाद इसे आपरेशन फ्लड-2 के एक अंग में जुलाई, 1979 में मंजूर किया गया था।

(घ) भारतीय डेरी निगम द्वारा बड़ौदा के पास स्थापित की गई टेट्रापैक डेरियों में स्टरलाइजड दूध की पैकिंग के लिए लेमिनेटेड कागज के निर्माण की 7650 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली परियोजना ने 1983 में उत्पादन शुरू कर दिया था। उत्पादन के चौथे वर्ष में संयंत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग किए जाने की आशा है तब तक कागज की खपत लगभग 6,100 मी० टन तक पहुंच जाने की संभावना है।

एयर ब्रेकों की पाइपिंग प्रणाली के निर्माण की व्यवस्था

6369. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस के पास एस०डी० टेकनीकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ वेस्टिंग हाउस टाइप की एयर ब्रेकों की पाइप प्रणाली के निर्माण की व्यस्था करने का लाइसेंस है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने पूरी एयर ब्रेक प्रणाली के लिए तकनीकी सहयोग की व्यवस्था भारत ब्रेक्स की यह लाइसेंस व्यवस्था भारत ब्रेक्स से लेकर ओरलीचकोन बोर, स्विटजरलैंड के लिए क्यों मंजूर की है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मै० भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस ने वेस्टिंग हाउसिंग किस्म के एयर ब्रेकिंग सिस्टम के निर्माण के एक समझौते हेतु मै० एस०डी० टेक्नीकल सर्विसेज प्रा० लि०, नई दिल्ली के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) मै० भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस का मै० एस डी टेक्नीकल सर्विसेज के साथ समझौते का कारण था कि वेस्टिंग हाऊस किस्म के एयर ब्रेकों को रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया था और नियमित प्रयोग के लिए ओरलिकन ब्रेकों को सफल सिद्ध होने में अभी कुछ और समय लगता। एस डी टेक्नीकल सर्विसेज के साथ किसी भी लायसेंसीकरण प्रबन्ध हेतु कम्पनी ने अभी भारत सरकार से स्वीकृति लेनी है।

"निअर फैटल फोन काल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

63770. **श्री राम समुझावन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "निअर फैटल फोन काल" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए इस घटना की जांच कराई गई है कि टेलीफोन के रिसीवर से लपट के रूप में किस प्रकार घातक विद्युत आघात तरंगें निकलीं और इस जांच के परिणाम क्या हैं, और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न होने देने के लिए तथा टेलीफोन इंजीनियरों और प्रोयोक्ताओं की इस प्रकार की घटना के बारे में सचेत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी हां।

(ख) जी हां। घटना की सूचना मिलते ही दूर संचार अधिकारी राज्य सरकार के विद्युत निरीक्षक के साथ तुरन्त जांच पड़ताल के लिए पहुंचे और घटना स्थल पर मौजूदा स्थानीय लोगों से पूछताछ की। कुछ लड़कों ने तार का एक टुकड़ा फेंक दिया जिसका संपर्क 66 कि० वाट के हाई टेंशन वायर और प्रभावित उपभोक्ता की टेलीफोन तारों के साथ जुड़ गया। इसके कारण उपभोक्ता के अहाते में ड्राप वायर में चिंगारी एवं सड़न हुई तथा टेलीफोन सैट को क्षति हुई और उपभोक्ता को चोट पहुंची और भूमिगत कैबिल भी क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) टेलीफोन तारों के साथ हस्तक्षेप करने के बारे में पुलिस अधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह दुर्घटना दूरसंचार स्टाफ की लापरवाही के कारण नहीं हुई। फिर भी सभी हाई टेंशन टावरों के ऊपर चेतावनी बोर्ड सूचना पट्ट हमेशा लगे होते हैं।

मैसर्स रोश द्वारा आयातित और उत्पादित विटामिन "ए"

6371. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स रोश तथा ग्लैक्सो द्वारा विटामिन "ए" की किन विभिन्न किस्मों का आयात और उत्पादन किया गया और विटामिन "ए" की प्रत्येक किस्म का स्वदेश में कितना उत्पादन/आयात और खरीद की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा विटामिन "ए" की प्रत्येक किस्म के उत्पादन और खरीद का किस प्रकार उपयोग किया गया और विटामिन "ए" की प्रत्येक किस्म पर आधारित कम्पोजीशनों सहित विशिष्ट फार्मूलेशन्स के नाम क्या हैं और इनका कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) क्या मंत्रालय की इन दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विटामिन के आयात में किसी प्रकार की अनमितताएं किए जाने की जानकारी मिली है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विटामिन ए एक सरणीबद्ध मद है और इसका विपणन सामान्यतः विटामिन ए पामीटेट (आयली) और विटामिन ए एसीटेट (ड्राई पाउडर) के रूप में किया जाता है। मैं० रोश और ग्लेक्सो विटामिन ए के प्रमुख उत्पादक हैं और 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में विटामिन ए का समग्र उत्पादन इन दो कम्पनियों द्वारा ही किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान इनका उत्पादन निम्न प्रकार बताया गया है :—

(एम० एम० यू० में)

	1982-83	1983-84	1984-85
रोश	38.24	40.72	37.60
ग्लेक्सो	14.25	19.51	16.56

इस मन्त्रालय को इन दो कम्पनियों द्वारा विटामिन ए का कोई आयात किए जाने की जानकारी नहीं है।

गत तीन वर्षों के दौरान विटामिन ए की आयात की गई कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

1982-83	12.425 एम एम यू
1983-84	20.346 "
1984-85	11.685 "

(ख) इस मन्त्रालय के पास उपलब्धि की सीमा तक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं० कम्पनी का नाम	फार्मूलेशन का नाम	मिश्रण	पैक आकार	दिसम्बर में समाप्त वर्ष के दौरान उत्पादन इकाइयों की संख्या		
				1982	1983	1984
1. मै० रोचे प्रोडक्टस	अरोविट गोलि०	विटामिन ए 50,000 आई यू प्रतिगोली	8 का	22,37,336	21,77,927	21,25,428
2. —वही—	अरोविट ड्राप्स	1,50,000 आई यू प्रति एक	7.5 एम्पू	20.233	11,195	6,668
3. —वही—	आरोविट इन्जे०	1 लाख आई यू प्रति एम्प०	3 एम्पू	2,67,250	2,35,308	1,79,199
4. —वही—	आरोविट फोर्ट	3 लाख आई यू प्रति एम्प०	3 एम्पू०	1,93,164	1,46,686	1'42,119
5. —वही—	रिबोगिन गोलि०	प्रत्येक गोली में है विटा०ए 1,0000 आई यू विटा० ई० 25 मिग्रा	8 का	17,68,533	14,52,019	13,34,547
6. मै० ग्लैक्सो लेब्स	ग्लिपालिन कैप०	24,000 आई यू	100 का	64,148	42,525	42,965
7. —वही—	" इन्जे०		1 मिलि	23,790	19,364	4,014
8. —वही—	" इन्जे० (फोर्ट)		1 मिलि	4,34,651	3,70,806	28,056

छावनी निर्वाचन नियमों में संशोधन

6372. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के छावनी बोर्ड क्षेत्रों में लागू निर्वाचन नियम पुराने हो गए हैं क्योंकि ये नियम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्हें नगर नियमों/राज्य विधान सभाओं/लोक सभा के सम्बन्ध में लागू नवीनतम निर्वाचन नियमों के समान बनाने का है; और

(ग) इन छावनी निर्वाचन नियमों में कब तक तदनुसार संशोधन का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी नहीं। बदलती हुई आवश्यकताओं की लोकतन्त्रीय भावना को बनाए रखने के लिए छावनी निर्वाचन नियम समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। फलतः इस समय विद्यमान छावनी निर्वाचन नियमों में अत्यधिक परिवर्तन करने या संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण पर नियन्त्रण

6373. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग द्वारा किये जा रहे प्रदूषण नियन्त्रण (वायु और जल दोनों के लिए) के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) निम्नलिखित संयन्त्रों के द्वारा न्यूनतम राष्ट्रीय स्तरों के अनुपालन के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है (एक) जुआरी एग्रो केमिकल्स (दो) नेशनल फर्टिलाइजर (तीन) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर (चार) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर; और

(घ) निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने में यदि कोई विदेशी टैक्नालोजी और आयात की जरूरत है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों, प्रदूषण निः स्राव एवं बहिस्रावों की प्रकृति तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरक उद्योग (नाइट्रोजन युक्त, फास्फेटिक एवं संशितष्ट) में प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के स्तर पर विस्तृत जानकारी इस अध्ययन के माध्यम से एकत्र की गई है।

(ग) एम०आई०एन०ए०एस० के अनुपालन के लिए उर्वरक संयन्त्रों द्वारा संयन्त्र में ही नियन्त्रक उपाय एवं अपशेष उपचार सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निःस्राव एवं वहिस्राव निर्धारित सीमाओं के अन्दर है।

(घ) हानिकर अपशेषों के उपचार हेतु विकसित प्रक्रिया प्रोद्योगिकीयों एवं तकनीकी को अपनाने में विदेशी प्रोद्योगिकी एवं आयात अन्तर्ग्रस्त हैं।

औषधि मध्यकों की परिभाषा

6374. **श्री सिद्धलाल मुरमू** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद ने "औषध मध्यकों" की परिभाषा तय करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की परिभाषा के अभाव में औषध उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जनता को दवाओं के मूल्य किस सीमा तक अधिक देने पड़ते है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में बलूरघाट में प्रधान डाक-घर के भवन का निर्माण

6375. **श्री पचास बर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बलूरघाट में प्रधान डाकघर के भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) उक्त डाकघर के कार्य को शहर के विभिन्न कोनों में किराये की इमारतों में बांटने की वर्तमान व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1987 के अन्त तक इसके पूरा होने की संभावना है।

(ग) जब तक कि इस विभागीय भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता ।

ब्रांड नामों की अपेक्षा औषधियों का जातीय नामों से विपणन

6376. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या रासायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ब्रांड नामों की अपेक्षा औषधियों के जातीय नामों से उनके विपणन को बढ़ावा देने तथा औषधियों पर सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क छूट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) 1978 की औषधि नीति के आधार पर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय ने औषध तथा प्रशाधन अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी की ताकि निम्नलिखित पर आधारित फार्मूलेशनों के ब्रांड नामों पर प्रथमत: रोक लगायी जाए :

(1) एनलजिन, एस्प्रिन, क्लोरप्रोमाइजन, फैरस सल्फेट और पिपराजाइन और इसके लवण ।

(2) नई एकल संघटक औषधें ।

ब्रांड नामों के अधीन फार्मूलेशन उत्पादित करने वाले एक उत्पादक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की । दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया । सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है और उसे स्वीकार कर लिया गया है । इस बीच जातीय नामों के अन्तर्गत बेचे जाने वाले फार्मूलेशन उत्पाद शुल्क से छूट पा रहे । जातीय नामों के अधीन बेचे जाने वाले फार्मूलेशन उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होते हैं ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की विदेशों में परियोजनाएं

6377. **श्री अनादि चरण दास :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, ने विदेशों में किन परियोजनाओं को हाथ में लिया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितने भारतीय कर्मचारी काम में लगाए गए हैं;

(ग) क्या निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति पर अमल कर रहा है या नहीं; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने श्रमिक बाहर भेजे गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा विदेशों में ली गई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 1-1-1985 को विदेशों में कार्यरत भारतीय जनशक्ति इस प्रकार है :—

	कुवैत	इराक
मजदूर	55	957
कर्मचारी	10	53

(ग) जी, हां।

(घ) 9 ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
1.	इंटरनेशनल एयटपोर्ट प्राजेक्ट, कुवैत
2.	कोक ओवन प्राजेक्ट, सिसाक, युगोस्लाविया
3.	पुशर टाइप रिहीटिंग फर्नेस, इराक
4.	टुन्ना केनिंग प्लांट, मालदीव
5.	उम-कसर बसरा इराक में पानी की सप्लाई में वृद्धि
6.	कुवैत एयरपोर्ट को इस्पाती ढ़ाचे की सप्लाई
7.	अभी ी कुवैत की विद्युत टावरों की सप्लाई करना
8.	जल शोधन संयन्त्र, बैंकाक

1	2
9.	इराक के मैकेनिकल प्रशिक्षण केन्द्र को परामर्श देन
10.	इराक को सर्वेक्षण औजारों की सप्लाई करना
11.	गुयाना के छोटे इस्पात संयन्त्र के लिए सम्भावयता रिपोर्ट देना
12.	कुवैत में अल-फिरदौस आवासीय परियोजना
13.	मैकेनिकल प्रशिक्षण केन्द्र, इराक
14.	सऊदी अरेबिया के वादी गिजान में विद्युतीकरण परियोजना के लिए सिविल कार्य
15.	कुवैत में 35 वीं ब्रिगेड कैम्प परियोजना
16.	कुवैत में सईफ पेलेस एरिया बिल्डिंग परियोजना
17.	इराक में नार्दन ग्रेन साइलो परियोजना
18.	इराक में जल अनुसंधान केन्द्र
19.	इराक में रेडियो और रंगीन टी० वी० परियोजना
20.	इराक में सेन्ट्रल ग्रेन साइलो परियोजना
21.	इराक में एस० ए० ए० डी०-3 परियोजना
22.	आबूधाबी में रुआइस रिफायनरी के लिए सिविल कार्य
23.	सऊदी अरब के जेदाह में तेल स्टोरेज टैंक
24.	इराक के बगदाद में मंत्री परिषद के लिए भवन परियोजना
25.	इराकमें सम्भावयता रिपोर्ट साद-16
26.	(क) साइलो 1 परियोजना का विस्तार, लाट-3 ए, इराक (ख) साइलो परियोजना का विस्तार, लाट-4, इराक
27.	इराक में (मंत्री परिषद भवन परियोजना, बाहरी सेवाएं) स्थल कार्य
28.	इराक में मंत्री परिषद भवन परियोजना संशोधन कार्य ।

कलकत्ता में नए टेलीफोन कनेक्शन

6378. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से 31 मार्च, 1985 तक कलकत्ता टेलीफोन्स में कितने लोगों ने टेलीफोन के लिए अवेदन दिया;

(ख) उनमें से कितने लोगों को कनेक्शन मिल गया है, और

(ग) कितनी विद्यमान लाइनें तीन वर्षों के दौरान पूर्ण बन्द की गईं तथा कितने अभिदाताओं द्वारा कनेक्शन वापस किए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता टेलीफोन में 1-4-82 से 31-3-85 के बीच 21652 अवेदकों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।

(ख) 1-4-82 से 31-3-85 की अवधि के बीच 37357 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) इन वर्षों के दौरान 31772 टेलीफोन या तो काट दिए गए हैं अथवा उपभोक्ताओं ने लौटा दिए हैं।

औषधियों के फार्मूलेशन का प्रतिशत सम्बन्धी अनुमान

6379. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार में उपलब्ध उन औषधियों के फार्मूलेशनों के प्रतिशत के बारे में कोई अनुमान लगाया है जो बड़ी राष्ट्रीय तथा अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं;

(ख) क्या सरकार औषध उद्योग पर दबाव कम करने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उरर्वक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने 1978 की औषध नीति की पुनरीक्षा प्रारम्भ कर दी गई है।

ईंधन दक्षता के लिए नया उपकरण

6380. **श्री मुरलीधर जाने** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक तेल कम्पनी ने ईंधन दक्षता की प्राप्ति हेतु सफलता पूर्वक एक नया उपकरण बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) क्या यह उपकरण अन्य तेल कम्पनियों को भी दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) ईंधन में क्षमता प्राप्त करने के लिए, इंडियन आयल कारपोरेशन तथा अन्य तेल कम्पनियों ने अपनी रिफाइनरियों में संरक्षण परियोजनाएं आरम्भ की हैं जिसमें कम क्षमता वाले फर्नेस को बदल कर उच्च क्षमता वाले फर्नेस लगाना, एयर प्रिहीटरों की स्थापना करके फर्नेसों का नवीकरण करना तथा अतिरिक्त हीटर एक्सचेंजर लगाना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शांतिनगर, कानपुर के आसपास प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन व्यवस्था प्रणाली का प्रावधान

6381. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री शांतिनगर, कानपुर के आसपास प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन व्यवस्था प्रणाली का प्रावधान के बारे में 16 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर द्वारा वर्ष 1950 में इस क्षेत्र का विकास किया गया था और इसे बेचा गया था और तब से अब तक शुल्कदाताओं ने करों और शुल्क के रूप में बोर्ड को पर्याप्त धनराशि दी है;

(ख) क्या बोर्ड द्वारा इन सभी वर्षों के दौरान क्षेत्र के निवासियों के लिए प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन व्यवस्था और पर्याप्त जल सप्लाई का इंतजाम नहीं किया है;

(ग) इस प्रकार की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(घ) क्षेत्र के निवासियों को पर्याप्त जल सप्लाई और प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि सफाई कर्मचारियों को सिर पर मैला न उठाना पड़े और क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण का विकास हो सके ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) शांतिनगर क्षेत्र का छावनी बोर्ड ने 1950 में विकास किया था लेकिन इसे बेचा नहीं था। शांतिनगर के निवासियों से उतना ही कर वसूल किया जाता है जितना छावनी क्षेत्र में रहने वाले अन्य करदाताओं से वसूल किया जाता है।

(ख) से (घ) छावनी बोर्ड शांतिनगर क्षेत्र में फ्लस वाले शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर पाया है जिसका मुख्य कारण पानी की कमी और धन का अभाव है। मार्च, 1985 के अन्त में कानपुर छावनी को "सेवा प्रभारों" के रूप में लगभग 44,82,000 रु० की राशि दी गई है और

इसका उपयोग छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक सुविधाएं एवं सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए किया जा सकता है।

गया जिले में डाकघर

[हिन्दी]

6382. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले की प्रत्येक पंचायत में एक डाकघर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गया जिले में कुल कितने डाकघर काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक पंचायत में अभी तक डाकघर न खोले जा सकने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गया जिले में 594 डाकघर हैं।

(ग) ग्रामीण इलाकों में डाकघर दूरी, आबादी और न्यूनतम आमदनी की शर्त पर आधारित मानदंडों के अनुसार चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में निधि उपलब्ध होनी चाहिए।

विश्व बैंक की सहायता से तेल शोधक कारखानों का विस्तार

[अनुवाद]

6383. **श्री आर० एस० भोये** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने और कौन-कौन से तेल शोधक कारखाने हैं जिन्होंने विश्व बैंक ऋण की सहायता से गत तीन वर्षों के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है तथा दूसरे स्तर की प्रौद्योगिक सुविधाओं की स्थापना की है; और

(ख) इन तेल शोधक कारखानों द्वारा इस मध्य सुविधा के बटवारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों में विश्व बैंक की ऋण सहायता से रिफाइनरियां जिन्होंने अपनी क्षमता का विस्तार किया है तथा सेकेण्डरी प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित की हैं, उनके नाम हैं :

(1) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड।

(2) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड।

(3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

(4) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड।

(ख) विश्व बैंक ऋण की कुल राशि 200,000,000 अमरीकी डालर है। इस ऋण में रिफाइनरीज का हिस्सा इस प्रकार है :—

	अमरीकी डालर
(1) बी० पी० सी० एल०	45,000,000
(2) सी० आर० एल०	35,000,000
(3) एच० पी० सी० एल०	45,000,000
(4) एम० आर० एल०	45,000,000
	170,000,000

200,000,000 अमरीकी डालरों में से 30,000,000 अमरीकी डालर की धनराशि उपर्युक्त कम्पनियों को अतिरिक्त ऊर्जा बचत तथा प्रदूषण नियंत्रण निवेष के लिए आबंटित की गई है।

भारत को कच्चे तेल की पूर्ति के लिए समझौता

6384. **श्री एम० डेनिस** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कच्चे तेल की अतिरिक्त पूर्ति हेतु हाल ही में किन-किन देशों के साथ नए समझौते किए गए हैं;

(ख) समझौतों की शर्तों सहित उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन देशों से कुल कितनी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1985 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित देशों से कच्चे तेल की सप्लाई के लिए संविदाओं को पूरा कर लिया गया है। परस्पर बातचीत की जा रही है :—

	मि० मी० टन
इराक	2.5
ईरान	2.0
साउदी अरब	2.0
यू० एस० एस० आर०	3.5
यू० ए० ई०	0.5
नाइजेरिया	0.125
उमान	0.5

उपर्युक्त सारी मात्रा के वर्ष 1985 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है।

संविदाओं की शर्तों के बारे में और अधिक बताना देश के वाणिज्यक हित में न होगा।

उड़ीसा में आयातित वल्क औषधियों के वितरण के लिए डिपुओं का खोला जाना

6385. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित वल्क औषधियों के वितरण के लिए उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों में कुछ डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरे मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मेरे मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात

6386. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) औद्योगिक अल्कोहल का किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है और कितने रुपये प्रति लिटर मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) विदेशों/विदेशी कम्पनियों द्वारा किस प्रयोजन से औद्योगिक अल्कोहल का आयात किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) चालू अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर 1984 नवम्बर 1985) के दौरान अल्कोहल का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के वित्तीय वर्षों के दौरान अल्कोहल का कोई निर्यात नहीं किया गया। तथापि वर्ष 1983-84 के दौरान उनके द्वारा किये गये निर्यात के विवरण निम्न प्रकार हैं :

मात्रा (मी0 टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	जिन देशों को निर्यात किया गया
7,000	182.61	संयुक्त राज्य अमरीका एवं फ्रांस

रेलवे द्वारा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स कम्पनी को एयर ब्रेकों हेतु आर्डर

6387. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस कम्पनी लिमिटेड को रेलवे से बड़ी संख्या में एयर ब्रेकों का आर्डर मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रबन्धकों को इनके समय पर निर्माण और सप्लाई करने तथा मितव्ययता के लिए कहने हेतु क्या कार्यवाही करेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) जी, हां। भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड को रेलवे से एअर ब्रेकों के 725 सेटों के लिए एक क्रयादेश मिला है।

(ख) कम्पनी ने बताया है कि क्रयादेश में दिए गये कार्यक्रम के अनुसार एयर ब्रेक्स बनाए जाएंगे।

एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को "कैमिकल केटालिस्ट" मैन्युफैक्चरिंग प्लांट" का आबंटन

6388. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमिकल केटालिस्ट मैन्युफैक्चरिंग संयत्र के लिए एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की पेशकश सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम जिसके अपने उत्पादनसंयत्र हैं, केटालिस्ट तकनीकी क्षेत्र में एक अग्रणी संथान समझा जाता है, और

(ग) यदि हां, तो एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को यह कार्य सौंपने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य मै० हाल्डर टोपसे ए/एस डेनमार्क द्वारा 200 टन प्रतिवर्ष मद्र प्रवर्तक कैटालिस्ट स्टीम हाइड्रोकार्बन रिफार्मिंग के लिए निकल कैटालिस्ट तथा मेथानेशन के लिए 1000 टन प्रतिवर्ष निकल कैटालिस्ट तथा 600 टन प्रतिवर्ष अमोनिया सिन्थेसिस केटालिस्ट के उत्पादन हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाईसेंस जारी करने हेतु हाल ही में प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मै० प्रोजेक्ट एण्ड डवलमैंट (इन्डिया) (लि०) (पी० डी० आई० एल०) जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है, कैटालिस्ट प्रौद्योगिकी में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। तथापि रसायनकि कैटालिस्ट उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी प्रस्ताव पर उसकी व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर ही विचार किया जा सकता है।

सिन्दरी संयंत्र को आधुनिक बनाना

[हिन्दी]

8389. श्री एस० डी० सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी में आधुनिक संयत्र (अमोनिया और यूरिया संयंत्र) की स्थापना पर कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) उक्त संयन्त्र की दैनिक उत्पादत क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उक्त संयन्त्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मार्च 1983 तक सिन्दरी आधुनीकरण संयन्त्र पर कुल 280.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था ।

(ख) अमोनिया और यूरिया संयन्त्रों की दैनिक उत्पादन क्षमता क्रमशः 900 टन और 1000 टन है ।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान संयंत्र का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :

वर्ष	प्रतिशत क्षमता उपयोग (एन 2)
1982-83	59.9
1983-84	59.2
1984-85	62.2

(ङ) संयन्त्र के वायु पृथकीकरण संयन्त्र, सिन गैस कम्प्रैशर और को-कनवर्सन खण्डों में समस्याओं के कारण उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं किया जा सका ।

ये कार्य अगस्त, 1985 में वार्षिक मरम्मत अवधि के दौरान किए जायेंगे ।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन के पास सहायक एककों की स्थापना

[अनुवाद]

6390. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन क्षेत्र के पास सहायक एकक शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन पर आधारित एककों को स्थापित करने के बारे में उपयुक्त समय पर तब विचार किया जायेगा जब इस बेसिन में वाणिज्यक रूप से हाइड्रोकार्बन के भण्डारों का पता लग जायेगा ।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होना

6391. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के बजट में खोज कार्य के लिए बाम्बे हाई और असम के लिए अधिक धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में और खोज कार्य के लिए इतनी ही धनराशि आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रवक्ता ने समाचार पत्रों को यह संकेत दिया है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो वाणिज्यिक उत्पादन किस तारीख तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीनवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) बेसिन के लिए वार्षिक बजट आबंटन कार्य के वास्तविक कार्यक्रम जैसे अन्वेषी सर्वेक्षण, अन्वेषी खुदाई आदि जो वर्ष के दौरान की जानी है से सम्बद्ध होता है।

(ग) और (घ) कृष्णा-गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल और गैस का उत्पादन शुरू किये जाने की सही तिथि इस समय नहीं बताई जा सकती है ।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

6392. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्षवार ऐसे कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ग) उपर्युक्त योजनावधि में उड़ीसा के क्योंझर जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) छठी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य के क्योंझर जिले में निम्नलिखित पांच शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया :

1. कुन्ती पाल
2. बसुदुरपाल
3. धनुर्जयपुर
4. धनानजयपुर
5. मछागढ़।

मैसर्स ई० मर्क (आई) लिमिटेड की यूनिट में आवश्यक औषधियों के उत्पादन में कमी

6393. **श्री देबी घोसाल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ई० मर्क० (आई) लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों में कुछ आवश्यक औषधियों के उत्पादन से गत दो वर्षों के दौरान कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कम्पनी की आवश्यक औषधियों के उत्पादन में कमी आने के क्या कारण है;

(घ) क्या औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत इस प्रकार की औषधियों के मूल्य निर्धारण का उत्पादन में कमी के साथ कोई सम्बन्ध है; और

(ङ.) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जैसा कि मैं०ई० मर्क ने सूचित किया है, अनिवार्य शुल्क औषधों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है, जिसे निम्नलिखित उत्पादन ब्यौरों से देखा जा सकता है :—

वर्ष	उत्पादन
1682	20.3 टन
1983	38.0 टन
1984	55.1 टन

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य एजेंसियों के माध्यम से उद्योगों में केन्द्रीय पूंजी निवेश

6394. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में लघु/ बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य एजेंसियों के माध्यम से किये गये केन्द्रीय पूंजी निवेश का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे उद्योगों की संख्या का ब्यौरा क्या है; जिनमें उत्पादन आरम्भ हो चुका है, और रोजगार क्षमता का सृजन हुआ है; और

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान, केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को 19,133 औद्योगिक एककों के लिए 85.00 करोड़ रुपये राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रदान किए गये रोजगार के अवसरों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की समग्रता में समीक्षा करने के लिये एक अन्तर मंत्रालयीय समिति का गठन किया जा रहा है जिसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

विवरण

राज्य का नाम	कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई	प्रतिपूर्ति की सीमा					
		1000 रु० से कम (एककों की संख्या)	1001 रु० से 10,000 रु० तक(एककों की संख्या)	10,001 से 1,00,000 रु० (एककों की संख्या)	1,00.001 रु० से 10,00,000 रु० (एककों की संख्या)	10,00,001 रु० से 25,00,000 रु० (एककों की संख्या)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	7,14,31,288	5	380	667	160	—	1212
2. असम	4,38,63,536	3	184	252	91	1	494
3. बिहार	80,81,338	2	38	8	4	4	56
4. गुजरात	3,37,68,111	3	128	249	101	—	481
5. हरियाणा	2,04,78,013	—	25	98	64	1	188
6. हिमाचल प्रदेश	7,64,77,128	151	704	404	185	8	1452
7. जम्मू तथा काश्मीर	4,22,72,827	9	231	479	80	3	802

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कर्नाटक	3,87,45,438	4	133	268	65	7	477
9.	महाराष्ट्र	3,64,62,747	7	163	258	82	5	515
10.	केरल	4,33,55,724	136	1449	672	63	1	2521
11.	मध्य प्रदेश	5,26,58,186	77	395	322	109	4	907
12.	मणिपुर	39,25,851	13	215	74	2	—	304
13.	मेघालय	41,85,079	—	8	6	5	1	20
14.	नागालैंड	1,65,05,924	52	2252	142	9	—	2455
15.	उड़ीसा	2,58,35,540	2	127	80	1	3	213
15.	पंजाब	3,48,65,543	2	189	406	62	4	663
17.	राजस्थान	7,97,99,174	253	1649	882	117	5	1906
18.	सिक्किम	42,33,815	—	11	824	10	—	45
19.	तमिलनाडु	9,26,21,376	24	516	797	206	4	1547
20.	त्रिपुरा	15,29,298	11	36	15	3	—	65

1 2	3	4	5	6	7	8	9
21. उत्तर प्रदेश	3,19,89,006	19	261	194	37	2	513
22. पश्चिम बंगाल	1,21,81,673	—	4	9	9	4	26
23. अंडमान व निकोबार	40,68,032	1	4	5	8	—	18
24. दादर व नगर हवेली	33,04,515	—	6	9	7	—	22
25. अरुणाचल प्रदेश	62,60,792	2	14	12	16	—	44
26. गोवा	4,06,07,725	18	185	312	62	2	579
27. मिजोरम	67,42,193	40	453	155	8	—	656
28. पांडिचेरी	1,37,50,126	9	47	67	27	1	151
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग :	85,00,00,000	843	9121	6866	1593	60	19133

गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

6395. **श्री आनन्द सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) असम तेल क्षेत्र और प्रतिष्ठानों (दो) गुजरात तेल क्षेत्र और प्रतिष्ठानों (तीन) बाम्बे हाई और (चार) देश के अन्य तेल क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन गैस की कितनी मात्रा जलाई जती है;

(ख) छटी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ऐसी गैस का अधिकतम उपयोग करने के लिए योजनाओं और परियोजाओं अर्थात् गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों के स्थापित संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1984-85 में जलायी जाने वाली प्राकृतिक गैस का अनुमानित दैनिक औसत निम्न प्रकार है :-

	(मि० घन मी०)
पूर्वी क्षेत्र जिनमें असम तेल क्षेत्र शामिल है	0.2
पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात तेल क्षेत्र शामिल है ।	2.9
बाम्बे हाई अपतट	4.9

(ख) प्राकृतिक गैस के उपयोग के अनेक प्रस्ताव जैसे हजीरा, गुपा; अनोला जगदीशपुर में गैस पर आधारित उर्वरक यूनिटें, नागथाणे पर महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्प्लेक्स जैसे पेट्रो-रसायन उद्योग समूह, केवास, सवाई माधोपुर तथा औरिया में गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन यूनिटें और विभिन्न स्थानों पर एल०पी० जी० निकालने वाली यूनिटें सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं ।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कार्य कर रहे कर्मचारी

6396. **श्री गंगा राम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में श्रणीवार और पदवार कार्य कर रहे कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के लिए चयन और गैर चयन पदों पर पदोन्नति पर विचार करने के लिए अपनाई जाने वाली पात्रता क्षेत्र कसौटी और विचार क्या है और क्या पदोन्नति नीति और भर्ती नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न भरे आरक्षित पदों के लिए 20 सूत्री रोस्टर के प्रत्यधान और आगे ले जाने के सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और अलग-अलग कितने आरक्षित पद को आगे ले जाया गया ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के रिकार्ड के अनुसार अपेक्षित सूचना विवरण I और II में दी गई है।

(ख)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए इंजीनियर्स इंडिया की पदोन्नति नीति कम्पनी के चयन द्वारा पदोन्नति की ओवर आल प्रणाली के अन्तर्गत योग्यता और वरीयता पर आधारित है। इस संबंध में कम्पनी समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों/अनुदेशों का पालन करती है जो कि ई० आई० एल० की कार्य प्रणाली पर लागू होता है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी नीति की मुख्य बातें निम्न लिखित हैं :

1. पदोन्नति के उद्देश्य से ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की चयन सूची बनाई जाती है जो योग्यता और वरीयता के आधार पर विचार करने के लिए जोन में आते हैं।

2. योग्यता के बिन्दुओं के आधार पर आरक्षित पद भरने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं मिलते तो वरीयता के आधार पर विचार करने के जोन में जो कर्मचारी आते हैं उनके मामले में योग्यता में अतेक्षित में ढील देकर पदोन्नति के लिए इस शर्त पर विचार किया जाता है कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य न हों।

3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के लिए ग्रुप "ए" के निम्नतम वर्ग तक के लिए अपेक्षित 40 प्वाइंट रोस्टर कम्पनी द्वारा रखा जा रहा है।

लोक सभा के 3 अप्रैल.1984 के प्रश्न संख्या 6265 में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए 22 जनवरी, 1985 को लोक सभा के सभा पटल पर पदोन्नति नियमों सहित ई० आई० एल० के भर्ती नियमों की प्रतियां रख दी गयी हैं।

(ग) 40 प्वाइंट रोस्टर रखा जा रहा है, ई० आई० एल० ने कैरी फारवर्ड प्रणाली की पद्धति अभी तक नहीं अपनायी है।

(घ) ई० आई० एल० ने कैरी फारवर्ड नियम अभी तक नहीं अपनाया है यह पदोन्नति पर

लागू होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पदों के विभिन्न ग्रुपों में पदोन्नत एस० सी०/एस० टी० अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण विवरण III में दिया गया है।

विवरण-I

31-3-1985 को लेबलवाइज कर्मचारियों की कुल संख्या (वेतनमान के अनुसार) तथा उन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व।

लेवल	वेतनमान	कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 3 में से अ० जा० तथा अनु० ज० जाति एस० सी०	एस० टी०
1	2	3	4	5
1.	390—10—450—12—510—15—585 —20—625	36) (89	32) (38	1) (2
2.	420—10—450—12—510—15—585 —20—685	53)	6)	1)
3.	474—12—510—15—585—20—685 —25—810	49	11	2
4.	540—15—585—20—685—25—810 —30—960	150	41	—
5.	585—20—685—25—810—30—960 —40—1080	60	9	2
6.	685—25—810—30—960—40 —1160—50—1310	428	54	2
7.	840—30—960—40—1160—50 —1410—55—1575	258	38	—
8.	1040—40—1160—50—1410 —55—1685	179	10	—

1	2	3	4	5
9.	650—45—920	199	24	1
10.	800—50—1350	688	29	3
11.	1100—50—1600	569	40	4
12.	1300—50—1500—60—1800	558	25	2
13.	1500—60—1800—100—2000	251	3	1
14.	1800—100—2500	136	—	—
15.	2000—100—2800	74	—	—
16.	2500—100—3000	22	—	—
		3710	322	19

विवरण II

31-3-1985 को पदों की कटेगरी के हिसाब से कर्मचारियों की कुल संख्या (ग्रुप क, ख, ग और घ) तथा उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व ।

पदों का ग्रुप	कर्मचारियों की कुल सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रुप "ए" (लेवल 12 और ऊपर)	2298	97	10
ग्रुप "बी" (लेवल 7, 8 और 10)	636	72	1
ग्रुप "सी"(लेवल 3, 4, 5 और 6)	687	115	6
ग्रुप "डी" (लेवल 1 और 2) (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	71	20	2
	3692	304	19
ग्रुप "डी" (लेवल 1 और 2) सफाई कर्मचारी	18	18	—
कुल कर्मचारी	3710	322	19

विवरण-III

पदों का ग्रुप	पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सं०		
	1984	1983	1982
ग्रुप "ए" निम्नतम रैंक से ऊपर	17	16	8
ग्रुप "ए" का निम्नतम रैंक	—	—	2
ग्रुप "बी"	15	7	6
ग्रुप "सी"	5	10	4
ग्रुप "सी" (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	3	2	1
सफाई कर्मचारी	2	1	3

पेट्रोल, डीजल और अशोधित तेल का उत्पादन और खपत

6397. **श्री एम० महालिंगम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेण्डर वर्ष 1982 से 1984 के दौरान भारत में पेट्रोल, डीजल और संशोधित तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विदेशों से इन उत्पादों की कितनी मात्रा का आयात किया गया और तत्संबन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और राज्यों को राज्य-वार वितरित की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में इनकी वार्षिक खपत कितनी है;

(घ) आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना उत्पादन होना चाहिए; और

(ङ) आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। आयातित उत्पादों का अलग से राज्यवार वितरण नहीं किया जाता क्योंकि वे उत्पादों के सामान्य पूल में आते हैं जिनका इष्टतम वितरण किया जायेगा।

(ग) उपभोग के आंकड़े भी संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपभोग और उत्पादन के बीच का अन्तर वह मात्रा है जो आत्मनिर्भरता के लिए प्राप्त करनी है।

(ङ) कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि तथा पर्याप्त शोधन क्षमता में वृद्धि करके आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

1982 से 1984 के बीच पेट्रोल, डीजल तथा कच्चे तेल के उत्पादन की राज्यवार स्थिति

(मात्रा 1000 मीट्रिक टन में)

	1982			1983			1984		
	पेट्रोल	डीजल	कच्चा तेल	पेट्रोल	डीजल	कच्चा तेल	पेट्रोल	डीजल	कच्चा तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) राज्य व (ख) उत्पादन									
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	—	25	—	—	42
आन्ध्र प्रदेश	111	454	—	182	471	—	220	498	—
असम	159	549	5124	142	578	4901	128	617	4939
बिहार	186	1243	—	137	1062	—	155	1092	—
गुजरात	346	1546	3142	370	1819	3479	441	1998	3802
केरल	154	960	—	141	957	—	61	308	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	397	2268	—	431	2921	—	516	3090	—
बम्बई हाई	—	—	11467	—	—	16753	—	—	19150
तमिल नाडु	130	700	—	93	596	—	102	698	—
उत्तर प्रदेश	131	885	—	256	1410	—	325	1977	—
पश्चिमी बंगाल	136	760	—	128	777	—	114	676	—
कुल उत्पादन	1750	9365	19734	1880	10591	25148	2062	10958	27933
सकल आयात									
(मात्रा : मि०टन)	—	2.40	17.33	—	1.91	15.55	—	2.52	14.56
मूल्य (करोड़ रुपये)	—	722	4167	—	518	3472	—	728	3495
(ग) वार्षिक खपत									
(मात्रा मि०टन)	1.69	11.64	32.11*	1.83	12.46	34.33*	2.04	13.31	35.23*

*अनिन्तम।

**वास्तविक रिफायनरी क्रूड थ्रपुट को दर्शाती है।

सिंथेटिक एककों के लिए आशय पत्र

*6398. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1984-85 के बीच की अवधि में सिंथेटिक यूनिटों के लिए औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्रों हेतु कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि में कितने औद्योगिक लाइसेंस आशय-पत्र जारी किए गए;

(ग) उक्त अवधि में पटशन के सामान और सिंथेटिक की लाइसेंसकृत क्षमता और वास्तविक उत्पादन में कितना अन्तर है; और

(घ) उक्त मांग (क) और (ग) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना सभापटल पर रख दी जायेगी।

अल्पावधि (शार्ट ड्यूटी) महिला टेलीफोन आपरेटरों की मांगें

6399. **श्री एच०जी० रामुलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पावधि महिला टेलीफोन आपरेटरों ने महा-प्रबन्ध को नोटिस दिया है, कि उन्हें नियमित करने की मांग नहीं मानी गई, तो वे धरना देंगी;

(ख) इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अल्पावधि आपरेटरों को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) धरने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। तथापि डाकतार अल्प-कालिक टेलीफोन आपरेटर वेल्फेयर एसोसिएशन (गैर मान्यता प्राप्त) से 15-4-85 को अनिश्चत कालीन हड़ताल के लिऐ नोटिस प्राप्त हुआ था। किन्तु 15-4-85 को ही अधिकतर कर्मचारी अनुपस्थित रहे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नए पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के कारण अल्पकालिक टेलीफोन आपरेटरों को नियमित नहीं किया जा सका।

उड़ीसा के टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सूक्ष्मतरंग सुविधा

6400. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना में टेलीफोन एक्चेंजों के लिये और अधिक सूक्ष्मतरंग प्रणाली टेलीफोन शुरू करने का कोइ प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और सर्किल-वार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या कलकत्ता से मद्रास और कलकत्ता से बम्बई की वर्तमान सूक्ष्मतरंग प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा के बहुत से भाग आ जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कलकत्ता-बम्बई और कलकत्ता-मद्रास सूक्ष्मतरंग प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले उड़ीसा के एक्सचेंजों के लिए सूक्ष्मतरग सुविधा का विस्तार किया जायेगा और उन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) लम्बी दूरी के संचार के लिये माइक्रोवेव जाल कार्य के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पर योजना आयोग के साथ विचार किया जा रहा है।

(ग) कलकत्ता से मद्रास के लिए माइक्रोवेव प्रणाली कटक से होकर जाती है और कलकत्ता बम्बई माइक्रोवेव प्रणाली उड़ीसा के सम्बलपुर से होकर जाती है।

(घ) कलकत्ता-बम्बई मार्ग पर माइक्रोवेव सुविधा पहले से ही सम्बलपुर में उपलब्ध कर दी गई है और मद्रास-कलकत्ता मार्ग पर इसका कटक तक विस्तार किया जायेगा।

विजयवाड़ा में इलैक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

6401. **श्री बी० सोमनाद्रीसबरा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके चालू होने की संभावित तारीख क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत गैस कनेक्शनों को नियमित करना

[हिन्दी]

6402. **श्री जगदीस अवस्थी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में अनेक अनधिकृत गैस कनेक्शन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कनेक्शनों को नियमित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। यह सूचना मिली है कि दिल्ली में तथा देश के अन्य शहरों में कई अनधिकृत गैस कनेक्शन हैं ।

(ख) और (ग) केवल उन्हीं गैस कनेक्शनों को अन्तरितकों के नाम में नियमित किया गया है जो किसी तेल कम्पनी द्वारा जारी किए गए हैं तथा मूल आबंटन द्वारा अनधिकृत रूप से स्थानान्तरित किए गये हैं ।

"कनसर्न ओवर एफ-16 नो हाऊ फार चाइना" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

6403 **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 अप्रैल, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में कनसर्न ओवर एफ-16 नो हाऊ फार चाइना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और सदैव पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाती है । इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

पश्चिमी दिनाजपुर (पश्चिमी बंगाल) के बलूरघाट में अति उच्च फ्रिक्वेंसी सिस्टम स्थापित करना

6404. **डा० गोलाम याजदानी**
श्री पलास बर्मन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी जिला मुख्यालयों में स्टेबल मीडिया सिस्टेम स्थापित करने के लिए डाक और तार बोर्ड कोई मंजूर शुदा परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजना कब मंजुर की गई;

(ग) पश्चिमी दिनाजपुर जिले के बलूरघाट में मंजूर किया जा चुका अति उच्च फ्रिक्वेंसी सिस्टम स्थापित करने में 8-9 वर्ष के विलम्ब के क्या कारण है;

(घ) क्या इसमें और अधिक विलम्ब होने की सम्भावना है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(च) इस परियोजना के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं सभी जिला मुख्यालयों के लिए किसी एकल परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, छठी योजना अवधि के दौरान, विभिन्न जिला मुख्यालयों के लिए हमने अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) दिसम्बर, 82 में बालूरघाट-गोविन्दपुर-मालदा यू० एच० एफ० प्रणाली के परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी दी गई थी। टावर एम० यू० एक्स तथा अन्य संबंद्ध सामग्री के लिए आर्डर दे दिया गया था। परियोजनाओं में एनालाग किस्मी के स्थान पर डिजिटल अपनाने के कारण रेडियो उपस्कर का आर्डर नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने बालूरघाट और गोबिन्दपुर में भूमि अधिग्रहण करके दूरसंचार विभाग को नहीं सौंपी है।

(घ) और (ङ) जी हां भूमि अधिग्रहण में विलंब के साथ-साथ इस परियोजना को अनालाग किस्म से डिजिटल किस्म में बदला जाना है और उपयुक्त किस्म के उपस्कर प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना है।

(च) सातवीं योजना अवधि के दौरान परियोजना पूरी होने की संभावना है बशर्ते कि भूमि और उपस्कर उपलब्ध हों।

मध्य प्रदेश में सतना आदि स्थानों पर सीमेंन्ट कारखानों द्वारा सुरक्षा-उपायों की व्यवस्था करना

6405. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना संसदीय चुनाव क्षेत्र में सतना, मायहर और कीमोर में सीमेंट कारखानों को प्रबंधकों ने अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं की है; और

(ख) क्या अब किसी सीमेंट कारखानों को लाइसेंस दिया जाता है तो इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई जाती है;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सतना और मेहार स्थित सीमेंन्ट कारखानों के प्रबन्धकों ने बताया है कि

उनके कारखाने किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। यह सूचना मिली है कि इन दोनों कारखानों और केमोर स्थित कारखानों ने इन कारखानों से उड़ने वाली धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं। इन कारखानों द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि उनके अपने-अपने कारखानों और कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) जारी किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस में इस बारे में एक शर्त रखी गई कि लाइसेंस धारी सरकार की संतुष्टि के लिए वायु जल और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त: उपाय करेगा और लगाए जाने वाले प्रदूषणशेधी उपकरण उस राज्य द्वारा निर्धारित निस्त्राव और उत्सर्जन के मानकों के अनुरूप होने चाहिए जिसमें कि उसका कारखाना स्थित है।

राजस्थान में मानव चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

6406. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने मानव-चालित एक्सचेंज काम कर रहे हैं और उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें इस प्रसार के एक्सचेंज हैं;

(ख) राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन एक्चेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदला गया है तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान जिन मानव-चालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने की संभावना है उनके नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन एक्सचेंज अर्थात जोधपुर जिले में भंडोर, नागौर, जिले में नागौर तथा चुरू जिले में चुरू स्वचल एक्सचेंज में परिवर्तन किए गए थे।

(ग) जानकारी विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

राजस्थान में 134 मैनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। जिलों में स्थित मैनुअल एक्सचेंजों का नाम इस प्रकार हैं :-

1	2
1. अजमेर	3. बांसवाड़ा
2. अलवर	4. बाड़मेर

1	2
5. भरतपुर	17. झुंझुनु
6. भीलवाड़ा	18. जोधपुर
7. बीकानेर	19. कोटा
8. बुन्दी	20. नागौर
9. चित्तौड़गढ़	21. पाली
10. चुरु	22. सवाई माधोपुर
11. धोलपुर	23. सीकर
12. डूंगरपुर	24. सिरोही
13. जयपुर	25. श्री गंगानगर
14. जैसलमेर	26. टोंक
15. जालौर	27. उदयपुर
16. झालावाड़	

विवरण-II

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर एवं भंडार उपलब्ध हो सकें:

1	2
1. मदन गंज	8. चित्तोड़गढ़
2. एम आई ए अलवर	9. डूंगरपुर
3. भिवाड़ी	10. जैसलमेर
4. बांसवाड़ा	11. जालौर
5. बाड़मेर	12. झालवाड़
6. बालोतरा	13. झुंझुनु
7. बुन्दी	14. बारान

1	2
15. मकराना	33. सुजानगढ़
16. सौजात सिटी	34. दौसा
17. सुमेरपुर	35. भीनमाल
18. सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन	36. चिरवा
19. सवाई माधोपुर सिटी	37. पिलानी
20. गंगापुर	38. फालौदी
21. हिंडोन	39. रामगंज मंडी
22. फतेहपुर	40. मेड़ता सिटी
23. सीकर	41. फालना
24. सिरोही	42. रानी खुर्द
25. माउंट आबू	43. श्री माधोपुर
26. हनुमानगढ़ जंक्शन	44. आबू रोड
27. सूरतगढ़	45. नौहर
28. टोंक	46. संगारिया
29. काकरोली	47. रायसिंहनगर
30. कैकेरी	48. श्रीगंगानगर
31. निम्बाहेरा	49. नागद्वारा
32. सरदार शहर	

सिहोर जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

6407. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायसेन जिले के दीवानगंज, उदयपुरा और देवरी के उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गयी ट्रंक कालें, सिहोर जिले के बघुनी, नसरुल्ला और रेहली टेलीफोन

एक्सचेंजों में, लाइन में खराबी के कारण तथा वहां असंतोषजनक रख-रखाव के कारण, कभी नहीं मिलती हैं,

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को ऐसी असंतोषजनक सेवायें देने के क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथापि, इन एक्सचेंजों से ट्रंक सेवाओं में और अधिक सुधार की दृष्टि से सुधारात्मक उपाय जैसे—ट्रंक लाइनों का अनुरक्षण और एक्सचेंजों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा अग्नि दरवाजों (फायर डोर्ज) उपकरणों का आयात

6408. **डा० सी० एस० वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता निर्माणाधीन और मरम्मत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोतों के लिए विभिन्न उपकरणों और अग्नि दरवाजों (फायर डोर्ज) का आयात करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के अग्नि दरवाजों तथा अन्य उपकरणों का आयात किया गया;

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी में कुछ औद्योगिक एककों ने पोतों के लिए अग्नि दरवाजों के निर्माण की प्रौद्योगिकी में अग्रता प्राप्त कर ली है और इस प्रकार उक्त कंपनी को इसकी जानकारी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के निर्माणाधीन पोतों में प्रयोग के लिए विश्व की केवल सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का ही आयात करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नर सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आयातित अग्नि दरवाजों (फायर डोअर्स) एवं अन्य उपकरणों की कीमत इस प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अग्नि दरवाजे	अन्य उपकरण	जोड़
1982	2.12	440.00	442.12
1983	3.20	640.00	643.20
1984	शून्य	85.00	85.00

(ग) और (घ) पश्चिम जर्मनी की मैसर्स श्ल्यूमेन बोस कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो अग्नि दरवाजों का विकास एवं निर्माण करती है। अन्तर्राष्ट्रीय ठेके मांगे जाने के बाद ही अग्नि दरवाजे और संबंधित उपकरण खरीदे जाते हैं। और प्रतिस्पर्धात्मक भाव प्राप्त किए जाते हैं। सभी मामलों में मालिकों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। दरवाजों एवं उपकरणों को पोत वर्गीकरण संस्थाओं के बड़े कठोर नियमों के अनुरूप करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोत निर्माण के लिए अच्छे उपलब्ध उपकरण उपयोग में लाए जाएं, इसके निर्माण के लिए पूरे रक्षोपाय किए जाते हैं।

औषध नीति में परिवर्तन

6409. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ दल के सदस्य राष्ट्रीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स परिषद के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुए हैं और उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष वास्तविक अध्ययन पर आधारित नहीं है;

(ख) क्या लागत मूल्यांकन (मार्क-अप) व्यापार का कमीशन परिवर्तन लागत के मानदण्ड आदि के संबंध में कोई अध्ययन किए बिना 1978 की औषध नीति में परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए हैं और यदि हां, तो न्यायोचित और निष्पक्ष नीति निर्धारण के मामले में इस पुनरीक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विशेषज्ञ दल की दूसरी बैठक बुलाने से पहले इन पहलुओं पर अध्ययन करने का विचार है; और

(घ) क्या कुछ विशेषज्ञों ने उनके मंत्रालय को सही निर्णय लेने में सहायता देने हेतु कतिपय आंकड़ें और आधारभूत ब्यौरा मांगा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) (घ) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद (एन० डी० पी० डी० सी०) की रिपोर्ट पर

29 नवम्बर, 1984 को एक विशेषज्ञ दल द्वारा इस दृष्टि से विचार-विमर्श किया गया था ताकि उनकी व्यवसायिक प्रतिक्रिया का पता चल सके। केवल एक सदस्य को छोड़ कर अन्य विशेषज्ञ एन० डी० पी० डी० सी० के दृष्टिकोण से सहमत थे। एन० डी० पी० डी० सी०, जो एक प्रतिनिधि निकाय है, ने 1978 की औषधि नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया। विद्यमान औषध नीति की पुनरीक्षा करते समय सरकार द्वारा सभी विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड

6410. **श्री राम भरत पासवान** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज को बहु-विटामिन उत्पादों के मामले में अधिक "मार्क-अप" की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पटिल) : (क) मै० ग्लैक्सो लैब्स सहित बहु-विटामिन फार्मूलेशनों के सभी निर्माताओं को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के प्रावधाकों के अनुसार कारखाने से बाहर लागत पर केवल 60 प्रतिशत के मार्क-अप की अनुमति दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती

6411. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्रकृतिक गैस आयोग में भर्ती के लिए कोई सामक पद्धति है;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में इस समय कितने महाप्रबंधक हैं; और

(ग) जब प्रमुख कार्य प्रणालियां इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर द्वारा नियन्त्रित हैं तो इन्हीं परिस्थितियों में अन्य विभागों की तुलना में इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि यहां कर्मचारियों की संख्या कम हो ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नयल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यरत ग्रुप महा प्रबंधकों /महाप्रबंधकों की वर्तमान संख्या 40 है।

(ग) आयोग ने मानव शक्ति स्रोतों के बजट और मानव शक्ति योजना के लिए एक कार्य प्रणाली का निर्माण किया है जिससे यह निश्चित होता है कि मानव शक्ति आयोग की अपनी जरूरतों के अनुरूप है ।

अतिरिक्त क्षमता का उपयोग

6412. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र में एम्पीसलीन ट्रिमेथोप्रिया और इथाम्बूटोल हाल के लिए कितनी क्षमता की मंजूरी दी गई, अतिरिक्त क्षमता विनियमित की गई अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) क्या अतिरिक्त क्षमता विनियमित करते समय सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह मानिटरिंग प्रणाली, इन मदों के लघु क्षेत्र में उत्पादन को दर्शाने में सर्वथा असफल रही हैं;

(ग) क्या संगठित क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करने की सरकार की इस कार्रवाई से लघु क्षेत्र के कई एकक प्रभावित हुए हैं, और

(घ) यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कम्पनियों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इम्पिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम और इथम्बूटोल की क्षमता का पुनः पृष्ठांकन सरकार द्वारा अप्रैल, 1982 और अप्रैल 1983 में घोषित की गई नीतियों के अधीन दिया जाना था जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं ।

(ख) से (घ) पुनः पृष्ठांकन, समकार द्वारा घोषित पुनः पृष्ठांकन की योजना के मानदन्डों के अनुसार प्रदान किया गया था । योजना में विशेषरूप से लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदें शामिल नहीं हैं । एम्पिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम और इथमबूटोल एच० सी० एल० लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित नहीं हैं ।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	मद का नाम	पृष्ठांकित क्षमता
	1	2	3
	आर० ई० सी० (1982) नीति के अधीन		
1.	मै० थेमिस कैमिकल्स	इथमबूटोल एच० सी० एल०	45 टन
2.	मै० सिपला	ट्रीमेथोप्रिम बी० पी०	4820 कि०ग्रा०
	आर० ई० सी० (1983) नीति के अधीन		
1.	मै० रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि०	एम्पीसिलिन ट्रीहाइड्रेट	55.5 टन

पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की भारत जर्मन उर्वरक शैक्षणिक परियोजना का बन्द होना

6413. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड की भारत-जर्मन उर्वरक शैक्षणिक परियोजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उदत्त परियोजना को किन कारणों से बन्द कर रही है,

(ग) उक्त परियोजना वर्ष 1974 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी और यह उद्देश्य वहां तक पूरा हो गया है;

(घ) सितम्बर, 1985 के बाद आगे के लिए उक्त परियोजना को जारी न रख सकने के क्या कारण हैं, और

(ङ) उक्त परियोजना के बन्द होने से कितने कर्मचारियों के कुप्रभावित होने की आशंका है और उक्त कर्मचारियों के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) परियोजना की समाप्ति तब होगी जब शिक्षण परियोजना के कार्यान्वयन के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध निधियों 1985-86 में समाप्त हो जायेंगी ।

(ग) यह परियोजनाओं निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ पचश्मि जर्मनी सरकार की सहायता से वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू की गई थी :—

1. किसानों को सही कार्यप्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित करना ।

2. उनको निवेशों विशेषकर उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग के बारे परिचित करना ।

3. कृषि योग्य भूमि की उच्च उत्पादकता के बारे में जानकारी देना ।

4. अधिक कृषिय उत्पादन की प्राप्ति ।

नेशनल काऊंसिल आफ सप्लाइड इक्नोमिक रिसर्च (एन० सी० ए० आर०) ने परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु एक विस्तृत सर्वेक्षण किया था और उनके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

किसानों में इण्डो-जर्मन उर्वरक शिक्षण परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित कार्यक्रमों में परिलक्षित होता है :—

1. फसल की अधिकता ।

2. अधिक क्षेत्रों में सिचाई और उर्वरकों का प्रयोग ।

3. अधिक उत्पादकता बाले बीजों का व्यापक प्रयोग ।

4. उर्वरकों की खपत में वृद्धि।

5. बेहतर न्यूट्रिएंट सन्तुलन ।

6. सुधरा हुआ उत्पादन ।

(घ) परियोजना के लिये इस समय उपलब्ध निधियों से परियोजना सितम्बर 1985 तक चालू रहने की आशा है ।

(ङ) इस परियोजना के समाप्त होने के कारण लगभग 201 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । इन कर्मचारियों का भविष्य, उपयुक्त समय पर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० की स्टाफ आवश्यकता पर निर्भर करेगा ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस की सप्लाई के लिए अलग अलग दरें वसूल की जाना

6414. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार को अलग-अलग दर पर गैस की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सारे देश में इस का बिक्री मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) गैस का मूल्य इसके द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले वैकल्पिक ईंधन/फीड स्टॉक के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) सरकार इस पर विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि

6415. **श्री सुरेश कुरुप्प** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से सेवा निवृत कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी राहत देने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है प्रस्ताव के मुख्य विवरण संक्षेप में निचे दिए गए हैं :—

(1) सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को लागू फार्मूला पर आधारित पेंशन संबंधी राहत।

(2) राहत अप्रैल, 1983 से प्रभावी होनी चाहिए।

उद्योपतियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चीन का दौरा

[हिन्दी]

6416. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल में कितने सदस्य हैं और इस प्रतिनिधिमंडल को वहां भेजने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त प्रतिनिधिमंडल चीन में कितने दिन रहेगा और उसके द्वारा किन मामलों का अध्ययन किया जायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) फैडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय गैर-सरकारी शिष्टमंडल ने चाइना काउंसिल फार प्रोमोशन आफ इन्टरनेशनल ट्रेड के निमंत्रण पर 1 मई से 12 मई, 1984 तक चीन का दौरा किया था।

यह समझा जाता है कि इस शिष्टमंडल का मुख्य उद्देश्य चीन के साथ व्यापार बढ़ाने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा प्रौद्योगिकी-अन्तरण में भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाना तथा चीन को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनेक परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल करना था।

पोटाशियम फैरो का उत्पादन करने के लिए आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र

[अनुवाद]

6417. **श्री एम० वेंकट रत्नम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने आन्ध्र प्रदेश के किसी भी पिछड़े क्षेत्र में पोटाशियम फैरो साइनाइड, सोडियम फैरो साइनाइड और कैलशियम फैरो साइनाइड के उत्पादन के लिए आशय-पत्र हेतु आवेदन किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण देने हेतु इसे वापस भेज दिया था;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने सविस्तार परियोजना से बचत और लाभ बताते हुए इसे केन्द्रीय सरकार को पुनः प्रस्तुत किया था; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का शीघ्र आशय-पत्र मंजूर करने हेतु उनके प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) मैं० आन्ध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, राज्य सरकार का उपक्रम, ने पोटाशियम फैरो-साइनाइड, सोडियम फैरा-साइनाइड और कैल्शियम साइनाड के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश के जिला खामयू में एक नये उपक्रम की स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव को प्रारम्भिक तौर पर इस आधार पर रद्द कर दिया

गया है कि वह कच्चे माल के निरन्तर आयात पर आधारित है और निर्माण की प्रस्तावित प्रतिक्रिया अप्रचलित है तथा आगे चलकर परियोजना आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं होगी। कम्पनी ने अपना मामला आगे बढ़ाने में सरकार की सहायता करने की दृष्टि से कुछ सहायक ब्यौरे भेजते हुए प्रारम्भिक तौर पर रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

राजस्थान में औद्योगिक पूंजी निवेश में वृद्धि

[हिन्दी]

6418. **श्री विष्णु मोदी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उस राज्य में औद्योगिक पूंजी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया हो; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राजस्थान के बाड़मेर और चूरू जिले जो पहले क्रमशः "ग" और "ख" श्रेणी में सम्मिलित थे तथा 10% व 15% केन्द्रीय राजसहायता (अधिकतम 10 लाख रुपये व 15 लाख रुपये की शर्त के साथ) के पात्र थे अब राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 1-4-1985 से "उद्योग रहित" जिले के रूप में घोषित कर दिए गए हैं तथा 25 लाख रुपये की अधिक सीमा की शर्त पर 25% केन्द्रीय राजसहायता के पात्र श्रेणी "क" में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

"हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०" में हानियां

[अनुवाद]

6419. **श्री असलम शेर खां :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० को उनके मन्त्रालय द्वारा ब्याज में पांच करोड़ रुपये की राज सहायता दिए जाने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान दस करोड़ रुपये से अधिक की हानि होने की सम्भावना है;

(ख) इस उपक्रम के सरकारी निर्देशकों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम में कुप्रबन्ध की तुलना में सरकारी निदेशकों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने कुछ उन औषधियों के उत्पादन के लिए जिनका पहले आधारभूत चरणों से उत्पादन होता था, नई मध्यस्थ उत्पादों और उपान्तिम उत्पादों के आयात की मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो आयात के स्रोत तथा प्रति किल्गो सी०आई०एफ० मूल्य सहित पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन उपान्तिम उत्पादों/मध्यस्थ उत्पादों के आयात की मंजूरी दी गई और कितनी मात्रा में, और

(च) क्या इन उत्पादों का विदेशों से अत्यधिक ऊंचे मूल्यों पर आयात किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच०ए०एल०) ने अनुमानतः 1·44 करोड़ रुपये की हानि उठाई ।

(ख) दिनांक 1-5-1985 को सरकारी निदेशकों के नाम और पदनाम निम्न प्रकार है :—

1. डा० आर. वी. वैद्यानाथा अय्यर,
   संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (औषध),
   रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।

2. श्री के. पी. गीताकृष्णन,
   अतिरिक्त सचिव,
   वित्त मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।

3. श्री ए. के. मण्डल,
   औद्योगिक सलाहकार,
   तकनीकी विकास महानिदेशालय,
   नई दिल्ली ।

4. डा० एस० एस० गोथोस्कर,
   औषध नियंत्रक (भारत),
   स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय,
   नई दिल्ली ।

(ग) निदेशक मण्डल (जिसमें सरकारी निदेशक भी शामिल हैं) के कार्यकलापों में संयुक्त नीतियां तैयार करना, प्रबन्धक नियंत्रण लागू करना, निचले स्तर तक अधिकारों के हस्तांतरण को अनुकूल बनाना, उद्यम के विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय आदि शामिल हैं।

(घ) से (च) 1984-85 में केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के कुछ भाग को छोड़कर बल्क औषधों का समस्त उत्पादन केवल मल अवस्था से किया गया था। उत्पादन समस्याओं के कारण 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 15 टन और 34.3 टन स्ट्रेप्टोमाइसिन सी० सी० का आयात किया गया था। सी० आई० एफ० मूल्य, जो अलग-अलग होता है, 262/- रुपए से 303 रुपये तक था। आयात, तत्कालीन आयात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रावधानों के अधीन कियागया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रस्तावित मूल्य उचित और निर्माण लागत के अनुकूल हों।

राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुपों को वित्तीय सहायता

6420. **डा० के० जी० अदिमोडी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा उन राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुपों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी जाती है जो विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के किसी भी कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर मुठभेड़

6421. **श्री अजय बिश्वास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कितनी मुठभेड़ें हुई; और

(ख) क्या सीमा क्षेत्र को संवेदनशील बनाने के पीछे पाकिस्तान का कोई उद्देश्य है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (क) गत एक वर्ष के दौरान हमारे और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सीमा पर ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। फिर भी, जम्मू और कश्मीर की नियंत्रण रेखा में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं।

ऐसी घटनाएं सामान्यतः होती रहती हैं।

असम में निर्वाचन

6422. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि : क्या निर्वाचन आयोग ने असम में निर्वाचन कराने के लिए किसी अनंतिम तारीख का सुझाव दिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि असम राज्य में निर्वाचन कराए जाने संबंधी विषय पर तभी विचार किया जाएगा जब 1-1-1985 को अर्हता की तारीख मानकर, निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो जायेगा । नामावलियों का कार्य अभी चल रहा है ।

दानापुर छावनी बोर्ड में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित करना

[हिन्दी]

6423. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** . क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक मजूरी पर काम करने वाले उन मजदूरों, जो दानापुर छावनी बोर्ड में 1978 से 1985 तक काम करते रहे हैं में से किसी की भी सेवा नियमित नहीं की गई है, जबकि डेढ़ साल से काम कर रहे मजदूरों को नियमित किया गया है;

(ख) क्या दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर जल तथा बिजली विभागों में 4 से 8 वर्ष की सेवा कर चुके हैं और यदि हां, तो उन्हें नियमित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले उन नए मजदूरों की संख्या और विवरण क्या है, जो 1980 से मार्च, 1985 तक की अवधि में नियोजित थे;

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों को प्रतिफल लेकर नियुक्त किया गया था और क्या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) क्या सरकार का इन सभी मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के आदेश देने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) और (ङ) महानिदेशक रक्षा भूमि एवं छावनी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है ।

बस बड़े गृहों की आस्तियां

[अनुवाद]

6424. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को हमारे देश में दस बड़े गृहों की कुल आस्तियां कितनी थीं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 31-3-1985 तक देश में बड़े औद्योगिक घरानों के नामों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्यों कि 31-3-1985 तक के तुलन पत्र अभी प्रस्तुत करना देय नहीं है। इसी कारण से 31 मार्च, 1985 तक परिसम्पत्तियों के निबन्धनों के अनुसार, देश में 10 बड़े घरानों के नाम भी उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश

6425. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार में अन्य देशों द्वारा कुल कितनी धनराशि (विदेशी मुद्रा में) का पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार का भारत में विदेशी फर्मों की भागीदारी को उदार बनाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1980-84 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी निवेश के वर्ष वार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) देश के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के लिए पूंजी भागीदारी एक साधन है। 40 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी भागीदारी की वर्तमान नीति लचीली है और इसे उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों के मामले में बढ़ाया जा सकता है।

विवरण

1980-84 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी निवेश का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	लाख रु० में
1980	892.36
1981	1087.10
1982	6280.57
1983	6187.30
1984	11300.22

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

6426. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में क्या भारत में छावनी बोर्डों के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को बोनस देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या भारत में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों ने केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्वशासन के कर्मचारियों के अनुरूप बोनस की अदायगी करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) सरकार ने देश में 62 छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के लिए 18 दिन का तदर्थ बोनस देने के बारे में 15-2-1985 को मंजूरी दे दी है ।

रक्षा सेवा कार्मिकों को बढ़ी हुई दरों पर गृह निर्माण अग्रिम

6427. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना/थल सेना/नौसेना के अधिकारियों को दिए जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में इस अग्रिम में की गई वृद्धि को सैन्य बलों के लिए लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सैन्य बलों के लिए इस सीमा में कब तक वृद्धि की जाएगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): सेना अफसर गृह निर्माण अग्रिम के लिए 70,000 रुपये या 75 महीने का वेतन, जो भी कम हो, पाने के हकदार हैं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए 1-4-84 से गृह-निर्माण अग्रिम की अधिकतम राशि 70,000 रु० से बढ़ाकर 1.25 लाख रु० कर दी गई । यह अतिरिक्त रकम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना से पूरी की जानी है । सेना कार्मिकों की अपनी बीमा योजनाएं हैं इसलिए सेना मुख्यालयों से कहा गया है कि वे उन

प्रयोजन के लिए अपनी बीमा योजनाओं से धन देने की व्यवस्था करने की संभावना की जांच करें।

जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) की टांडा तहसील में केन्द्रीय राज्य सहायता योजना

[हिन्दी]

6428. **श्री आर० पी० सुमन**
श्री निर्मल खत्री } : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला केन्द्रीय राज सहायता योजना के अन्तर्गत आताहै;

(ख) क्या जिले की टांडा तहसील को उक्त योजना से हटाने के कोई आदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस तहसील को केन्द्रीय राज सहायता योजना में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करने का है ताकि यह इस योजना का फायदा उठा सकें ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग टां)डा ब्लाक को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना और रियायती वित्त योजना से निकाल दिया गया है क्योंकि 31-3-1983 को इस ब्लाक का निवेश 30.00 करोड़ रु० से अधिक हो गया है। तथापि इस ब्लाक के लघु औद्योगिक एकक रियायती वित्त के पात्र रहेंगे। 1-4-1983 को या उससे पूर्व आशय-पत्र/पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति/विदेशी सहयोग/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण आदि के अनुसार जिन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है वे केन्द्रीय निवेश राज सहायता की पात्र रहेंगी।

(घ) जी, नहीं।

बंगलौर में मारुति कारों के लिए पंजीकरण और आबंटन

[अनुवाद]

6429. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्मित मारुति कारों के आबंटन के लिए बंगलौर शहर में कितने प्रार्थियों ने पंजीकरण कराया था; और

(ख) उनमें से कितने प्राथियों को कोटे आबंटित किए जा चुके हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्म खां) : (क) मारुति-800 और मारुति डीलक्स कारों के लिए बंगलौर में पंजीकृत आवेदकों की संख्या क्रमश: 4834 और 292 थी।

(ख) 3-5-1985 तक 738 स्टैंडर्ड और 214 डीलक्स कारें दी गई थीं।

फैजाबाद जिला मुख्यालय को एस० टी० डी० से जोड़ना

[हिन्दी]

6430. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिला मुख्यालय को एस० टी० डी० के माध्यम से जोड़ने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार का विचार अयोध्या के प्रयोक्ताओं को भी फैजाबाद एक्सचेंज के अन्तर्गत लाने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फैजाबाद कानपुर टी० ए० एक्स० के साथ एस० टी० डी० सेवाओं के लिए पहले से ही जुड़ा हुआ है और 45 अन्य स्थानों के लिए यहां से एस० टी० डी० टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, टी० ए० एक्स० नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है और देश के 1200 स्थानों को एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने के पश्चात ही उन स्थानों के नाम और संख्या का पता चल सकता है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फैजाबाद के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ा जाना है।

(ख) जी नहीं। अयोध्या को फैजाबाद टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बसाई टेलीफोन एक्सचेंज से सीधी डायल सेवा प्रणाली

[अनुवाद]

6431. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसाई टेलीफोन एक्सचेंज को सीधी डायल सेवा प्रणाली में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, बसाई के टेलीफोन एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) आवश्यक उपस्कर आबंटित कर दिया गया है और 900 लाइनों के एक एम० ए० एक्स-11 का संस्थापन कार्य 1985-86 के दौरान आरंभ कर दिया जाएगा।

(ग) 1986-87 में इस सुविधा के प्रदान किए जाने की आशा है।

विदेशी कम्पनियों के साथ औद्योगिक सहयोग करार

6432. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान विदेशी कम्पनियों के साथ कितने औद्योगिक करार किये गये तथा विदेशी सहयोगकर्ता किन-किन देशों के हैं और उनमें कितना परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) सहयोगी प्रौद्योगिकी आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी तथा ऐसे सहयोगों के परिणामस्वरूप देश की कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जायेगी; और

(ग) इन सहयोगों से भारत के कितने एकाधिकार गृह सम्बद्ध हैं तथा सम्बन्धित औद्योगिक गृहों का पूंजी परिव्यय क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सांख्यिकी सूचना कैलेण्डर वर्ष के हिसाब से रखी जाती है। 1981-84 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों और स्वीकृत विदेशी निवेश का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। भारतीय और विदेशी फार्मों के नाम, निर्माण की वस्तु, स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के सहयोग का स्वरूप सम्बन्धी ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लेटर" में तिमाही आधार पर परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) 1981-82 और 1982-83 के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। वर्ष 1984-85 की यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन सहयोगों से सम्बद्ध भारत में एकाधिपत्य गृहों की संख्या और इसके साथ-साथ इनमें लगी पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में सूचना औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

1981 से 1984 के दौरान स्वीकृति किए गए विदेशी सहयोगों और उनके साथ साथ इनमें निहित विदेशी सहयोग का वर्षवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत किए गए सहयोग	वित्तीय सहयोग	निहित निवेश
1981	389	57	1087.10
1982	5 0	113	(280.57
1933	673	129	6187.30
1984	752	151	11300.22

विवरण-II

1981-82 और 1982-1983 के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी गई राशि

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लाभ	लाभांश	रायल्टी	तकनीकी जानकारी	ब्याज	कुल
1981-82	12.16	58.92	15.99	270 70	41.08	398.85
1982-83	16.12	70.31	39.72	258.58	80.23	467.96

नन्दी कोटकुर जिला कुर्नूल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

6433. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दी कोटकुर, जिला कुर्नूल में दो वर्ष पूर्व टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण किया गया था;

(क) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एक्सचेंज चालू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज और कार्यालय कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुर्नूल जिले के नांदि कोटकुर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 83 में पूरा हो चुका था।

(ख) और (ग) जी नहीं। भूमिगत केबिलों और सहायक संचारण उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन एक्सचेंज को विभागीय इमारत में स्थानांतरित करने में विलम्ब हुआ।

(घ) जून 1985 के अंत तक टेलीफोन एक्सचेंज को विभागीय भवन में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस की अनियमित पूर्ति

6434. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा दुलियाजान से उड़ीसा को खाना पकाने की गैस की वर्तमान पूर्ति नियमित नहीं है और वहां के लिए किया गया आबंटन अधिकांशत: व्ययगत हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा में खाना पकाने की गैस का समय पर पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) उड़ीसा में कटक स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बाटलिंग प्लांट को भारी मात्रा में एल०पी० जी० की पूर्ति विशाख स्थित उसकी रिफाइनरी से प्राप्त होती है विशाख में उत्पादन की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए कभी-कभी दुलियाजान से एल० पी० जी० जहाजों में भेजी जाती थी। दुलियाजान से कटक को नियमित रूप से भारी मात्रा में एल० पी० जी० का आबंटन नहीं किया जाता। इस समय कटक बाटलिंग प्लांट को नियमित रूप से पूर्ति की जा रही है और उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा रही है।

जनजाति क्षेत्रों में डाक और टेलीफोन सुविधाएं

6435. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डाक और दूरसंचार सेवाओं में पिछड़े जनजाति क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों और क्षेत्रों के मंडलवार क्या नाम हैं;

(ग) जनजाति क्षेत्रों में डाक और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छठी योजना के दौरान मंडल वार क्या प्रगति हुई;

(घ) क्या छठी योजना के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा जनजाति क्षेत्रों में डाक और दूर संचार सेवाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी और केवल इन्हीं क्षेत्रों में खर्च करने के लिए मंडलों को दी गयी थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जायगी, और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण गृह मन्त्रालय द्वारा किया जाता है।

(ख) देश के जनजातीय क्षेत्र की अनुसूची विवरण-I में दे दी गयी है।

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में सर्किलवार खोले गए डाकघरों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है :

(एक) स्विचिंग उपस्कर क्षमता	32 000
(दो) टेलीफोन एक्सचेंज	381
(तीन) एस० टी० डी० रुट (प्वाइंट टू प्वाइंट)	12
(चार) यू० एच० एफ० योजनायें	1017
(पांच) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर	1677
(छः) टेलेक्स क्षमता	220

(घ) जी, हां। लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं, बशर्ते कि पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	
अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, लक्षदीप नागालैंड, मेघालय, मिजोरम	: संपूर्ण राज्य/संघ शासित प्रदेश
आन्ध्र प्रदेश :	अदीलाबाद, वारंगल, खम्माम, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, विशाखापत्तनम, विजयनगर एवं श्रीकाकुलम जिलों में जनजातीय के रूप में अधिसूचित गांव/ब्लाक ।
आसाम :	गांलपाड़ा, कामरूप, नौगांव, दारांग, तेजपुर, शिवसागर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर एवं कछार जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित ग्राम पंचायतें ।
बिहार :	रांची एवं सिंहभूमि जिले और पालामाऊ और संथाल परगानों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित उप मंडल ।
गुजरात :	डांग्स जिला एवं सूरत, भड़ौच, वलसाद, पंचमहल, बदोदरा और सावरकंठा जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित ताल्लुका ।
हिमाचल प्रदेश :	किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति जिलों और चम्बा जिले में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित तहसील/उप तहसील ।
कर्नाटक :	दक्षिण कनारा, कर्ग, मैसूर, चिकमगलूर और बेलगांव जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधि सूचित ताल्लुकों के भाग ।
केरल :	कन्नानौर, कोजीकोड़, मालापुरम, पालघाट, इदिक्की, क्विलोन और त्रिवेद्रम जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जंगली इलाके ।
मध्य प्रदेश :	झाबुआ, मांडला, सरगूजा और बस्तर जिलों और धार, खरगांव, खंडला इतलाम, बेतूल, सिचोनी, बालाघाट, होशगाबाद, शहटोल, सिद्दी, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, मुरैना और छिंदवाड़ा जिलों में, जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित तहसील/ब्लाक/गांव ।
महाराष्ट्र :	ठाणे, नासिक, धुले, जलगगांव, अहमदनगर, पुणों, नादेड़, अमरावती, यवतमाल और चन्दपुर जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित तहसील/ब्लाक ।
मणिपुर :	उत्तर मणिपुर, पश्चिम मणिपुर, दक्षिण मणिपुर, पूर्व मणिपुर, और तेंगनोनपाल जिले ।

उड़ीसा : मयूरभंज, सुन्दरगढ़, कोरापुट और सम्भलपुर, क्योंझर, बुद्धखोंडवाल, खांजम, कालाहांडी और बालासोर जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित ब्लाक/तहसील ।

राजस्थान : बांसवाड़ा और डूगरपुर जिले और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित तहसील ।

तमिलनाडु : सेलम, दक्षिण अर्काट, उत्तर अर्काट, तिरुचिरापल्ली और धर्मपुरी जिलों में जनजातीय विकास खण्ड/जनजातीय पाकेट ।

त्रिपुरा : उत्तर त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित उप मण्डलों के भाग ।

उत्तर प्रदेश : लखीमपुर खीरी एवं गोंडा जिलों में जनजातीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित गांव/ब्लाक ।

पश्चिमी बंगाल : पुरुलिया, बांकुरा, जलपाईगुड़ी, बीरभूमि, मालदा, दार्जिलिंग, पश्चिमी दिनाजपुर, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, 24 परगना, और हुगली जिलों में जनजातीय के रूप मे अधिसूचित ब्लाक/ब्लाकों के भाग ।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह : निकोबार जिले ।

गोआ, दमन एवं दिप : दमन ।

विवरण-II

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों की संख्या

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	135
2.	बिहार	170
3.	दिल्ली	—
4.	गुजरात	9
5.	जम्मू कश्मीर	—

1	2	3
6.	कर्नाटक	[32
7.	केरल	15
8.	मध्य प्रदेश	254
9.	महाराष्ट्र	97
10.	उत्तर-पूर्व	299
11.	उत्तर पश्चिम	31
12.	उड़ीसा	220
13.	राजस्थान	91
14	तमिल नाडु	26
15.	उत्तर प्रदेश	21
16.	पश्चिमी बंगाल	82
		1570

दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड

6436. **श्री एम०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारी दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के बराबर चयन ग्रेड स्वीकृत करने हेतु अभ्यावेदन देते आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनका मामला दिल्ली प्रशासन को उसकी मंजूरी हेतु भेजा है;

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) क्या सरकार का दिल्ली प्रशासन को यह मामला शीघ्र निपटाने हेतु कहने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) छावनी बोर्ड कार्मिकों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित आदेश सम्बन्धित कमान के जनरल अफसर कमान इन चीफ की स्वीकृत से जारी किए जाते हैं। अतः दिल्ली प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है।

केरल में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की सम्भावनायें

6437. **श्री के० मोहनदास** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की काफी गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में कृषि पर आधारित-उद्योगों का जाल बिछाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों से जिनमें राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया केरल का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण, लीड बैंक सर्वेक्षण भी शामिल है तथा जिला उद्योग केन्द्रों की कार्रवाई योजनाओं से बहां नारियल, रबड़, चाय, मसालों आदि की नकद फसलों की अनेक किस्में और बागान विद्यमान होने के परिप्रेक्ष्य में कृषि पर आधारित उद्योगों सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने की पर्याप्त गुंजाइश होने का पता चला है। कयर, रबड़ आदि जैसे परम्परागत उद्योगों के अलावा, इनमें सुखाया हुआ नारियल, नारियल के छिलकों से सक्रियकृत तारकोल, काऊ रोपर, नोइडल फैल्ट, रबड़युक्त रेशा, स्ट्राबोर्ड, सूखा-केला, ट्रापिकल फ्लोर स्टार्च जैसे कुछ नये संभाव्य उद्योग और कृषि उपकरणों जैसे कृषि से सम्बद्ध उद्योग शामिल हैं।

विशिष्ट केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत केरल सहित पता लगाए गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन और रियासतें प्रदान की गई हैं। इनमें केन्द्रीय निर्देश राजसहायता, सावधि ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त, अवस्थापना विकास आदि शामिल हैं।

केरल के इदुक्की जिले में डाकघरों का दर्जा घटाया जाना

6438. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने केरल के इदुक्की जिले में तेरह डाकघरों का दर्जा घटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विभाग से उक्त डाकघरों का दर्जा घटाने का अनुरोध किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी हां। वास्तव में केवल 11. अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों का दर्जा घटाया गया।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनघर की सुविधा वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का एक साथ दर्जा बढ़ाकर उन्हें अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर बनाया गया था संशोधित नीति के अनुसार केवल उन शाखा डाकघरों को दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर बनाया जाता है जिनमें 4 घन्टे का कार्यभार होता है। इन डाकघरों के कार्य की दो बार पुनरीक्षा की गई तथा केवल उन डाकघरों का दर्जा घटाया गया जिनमें 4 घन्टे से कम का कार्य था।

(ग) जी हां। कुछ मामलों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) कार्यभार की दृष्टि से जिन डाकघरों का औचित्य पाया गया, उन्हें अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई।

सीमेंट उद्योग के लिए लाइसेंस जारी करना

6439 : **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान सीमेंट उद्योग की कुल कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) क्या कोयला विभाग ने उनके मन्त्रालय से सीमेंट उद्योग के लिये और लाइसेंस न देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग के लिए और लाइसेंस न देने के लिए कोयला विभाग द्वारा क्या कारण बताये गये हैं; और

(घ) उस पर उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 69.60 लाख मी. टन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के प्रस्ताव

6440. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने (एक) सिने कलर पोजीटिव फिल्म का निर्माण और ग्राफिक आर्टस और औद्योगिक एक्स-रे फिल्म का समेकित निर्माण और व्यवसायिक किस्मों के मेग्नेटिक टेप के निर्माण के लिए संयन्त्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कितने अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी और इन परियोजनाओं के लिए किस प्रकार वित्त की व्यवस्था की जायेगी और क्या इन परियोजनाओं की आर्थिक क्षमता की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या इसके लिए किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी यदि हां, तो क्या सरकार/कम्पनी द्वारा उपलब्ध औद्योगिकियों पर विचार किया गया है और किस प्रोद्योगिकी का चयन किया गया है और उसका चयन किन बातों के आधार पर किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड नामक एक सरकारी उपक्रम ने सिने कलर पोजीटिव फिल्मों व रंगीन कागज, एक्स-रे व ग्राफिक आर्ट फिल्मों और मैग्नेटिक टेपों के एकीकृत उत्पादन हेतु क्रमशः 190 करोड़ रुपये, 64 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एककों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे।

इन परियोजनाओं की स्थापना के विषय में सरकार द्वारा अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

रिमाउंट और वेटेरिनरी कोर में महिलाओं की अधिकारी पदों पर नियुक्ति

6441. **श्री अजय मुशारान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के कुछ विभागों में महिलाओं की नियुक्ति का प्रावधान है;

(ख) यदि हां तो रिमाउंट और वेटेरिनरी कोर में महिलाओं की अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसा करने का सरकार का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है ?

रक्षा मन्त्री (पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। सशस्त्र सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर एवं सैन्य परिचर्या सेवा में महिलाएं भी नियुक्त की जाती हैं।

(ख) सेना अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रिमाउन्ट और पशुचिकित्सा कोर में भरती करने या नियुक्त करने के लिए महिलाएं पात्र नहीं है।

(ग) जी नहीं।

असैनिक रक्षा कर्मचारियों के संबन्ध में विषमता समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

6442. **डा० वी० वेंकटश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक रक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में विषमता समिति की रिपोर्ट को उनके मन्त्रालय ने दिनांक 14 अक्तूबर, 1984 को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिए जाने के कारण अपनी आम हड़ताल वापिस ले ली है;

(ग) यदि हां, तो विषमता समिति रिपोर्ट में बताये गये अनुसार इस रिपोर्ट को 15 अक्तूबर, 1981 से कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दोनों मान्यता प्राप्त महासंघों ने इस मामले को फरवरी, 1985 को विभागीय परिषद की बैठक में उठाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्वीकृत रिपोर्ट को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) औद्योगिक रक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में विषमता समिति की रिपोर्ट को सरकार ने 14 अक्तूबर, 1984 को इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है कि सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार यह रिपोर्ट 15 अक्तूबर, 1984 से लागू की जायेगी। इसलिए आल इण्डिया डिफेंस इम्पलाईज फेडरेशन ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली।

(घ) और (ङ.) मामला विचाराधीन है।

तेल का आयात

[हिन्दी]

6443. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान भारत द्वारा देश-वार तेल की कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह पता लगाया है कि इन देशों के अलावा भी बहुत से देश हैं जो भारत को सस्ती दरों पर तेल सप्लाई करने के इच्छुक हैं;

(ग) क्या सरकार का इन देशों से तेल खरीदने के लिए इनसे बात चीत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कच्चे तेल का आयात जैसा कि नीचे दर्शाया गया है के लिए 1985 के ठेके किए गये हैं । बातचीत की जा रही है —

देश	मि०मि० टन
इराक	2.5
ईरान	2.0
साउदी अरब	2.0
यू० एम० एम० आर	3.5
यू० ए० ई०	0.5
नाइजेरिया	0.125
उथान	0.5

(ख) सरकार को किसी ऐसे देश की जानकारी नहीं है जो अधिकृत विक्रय मूल्यों से कम मूल्यों पर तेल की सप्लाई करने का इच्छुक हो ।

(ग) और (घ) ऐसे प्रस्तावों पर तभी विचार किया जायेगा, अगर कच्चा तेल हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और अन्य शर्तें हमारे लिए लाभाकारी हों ।

एफ०ए०सी०टी० उद्योग मण्डल, केरल द्वारा संचालित स्कूलों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ

[अनुवाद]

6444. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ० ए० सी० टी० उद्योग मण्डल, केरल द्वारा संचालित स्कूलों

के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की वही सुविधायें नहीं दी जाती हैं जो इस समय एफ०ए०सी०टी० द्वारा संचालित अस्पतालों के कर्मचारियों को दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इन स्कूलों के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायनिक और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने सूचना दी है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में स्टाफ को छोड़कर, जिनके लिए कम्पनी को केरल शिक्षा सेवा नियमों का पालन करना पड़ता है, स्कूल के स्टाफ एवं कम्पनी के अन्य कर्मचारियों के सेवा निवृत लाभों में कोई अन्तर नहीं है। जबकि अस्पताल के कर्मचारियों पर कम्पनी के साथ उनके संघ के द्वारा किए गए वेतन समझौते के नियम लागू होते हैं, स्कूलों के स्टाफ पर प्रशासनिक निर्देश लागू होते हैं। केरल शिक्षण नियमों का पालन करते हुए फेक्ट ने प्रावधान रखा है कि शिक्षक स्टाफ की सेवा निवृति की आयु 55 वर्ष होगी (जो वार्षिक आधार पर 58 वर्ष तक पढ़ाई जायेगी) तथा गैर-शिक्षक स्टाफ के लिए 58 वर्ष होगी जबकि अस्पताल के कर्मचारियों के मामले में, जो कर्मचारी 23-1-78 को कम्पनी में नियुक्त थे, उनकी सेवा निवृति की आयु 60 साल है जो इसके बाद नौकरी में आये, उनके लिए आयुसीमा 58 वर्ष है।

(ग) फैक्ट के स्कूल कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सेवा-निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 साल तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(घ) चूंकि कम्पनी की सामान्य नीति सेवा निवृति की आयु 58 साल तक रखने की है, उक्त मांग स्वीकार्य नहीं है।

काल्पी रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के आयुध कारखानों में आग लगना

6445. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अप्रैल, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "मेजर फाइर इन आर्डनेंस फैक्टरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया जिसमें कहा गया है कि कानपुर में काल्सी रोड स्थिति आयुध कारखाने में आग लगने से मैगनेसियम का भारी भंडार तबाह हो गया और कुछ महत्वपूर्ण मशीनों को नुकसान पहुंचा;

(ख) क्या एक वर्ष के भीतर इन कारखानों में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है;

(ग) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) 15 अप्रैल, 1985 को कानपुर स्थित आयुध कारखाने में मामूली सी आग लगी थी और उस पर तुरन्त काबू पा लिया गया था । इसमें कोई भी व्यक्ति न तो हताहत हुआ और न कोई घायल ही हुआ । 8 किलोग्राम मैगनीशियम की चद्दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । दो मशीनें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुईं । कुल नुकसान लगभ 30,000 रु० का हुआ ।

(ख) कारखानों में पिछले एक वर्ष में आग लगने की यह दूसरी घटना थी ।

(ग) और (घ) आग लगने की घटना के बारे में कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा गठित जांच बोर्ड का मत था कि आग लगना एक अकस्मात घटना थी और इसके लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी या जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता ।

काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में डाकतार क्वाटरों के आबंटियों को पेय जल की सुविधा

[हिन्दी]

6446. **श्री रामकुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी क्वाइंट क्वार्टरों के आबंटियों को काली बाड़ी मार्ग, में डाक-तार विभाग द्वारा बनाए गए टाइप-I क्वार्टरों को, इन क्वार्टरों में पेय जल की सुविधा न होने के बावजूद भी आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें अब तक पेय जल सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें नियमित जल सप्लाई कब तक की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं । क्वार्टरों के आबंटन के समय पीने का पानी उपलब्ध था ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में बागेश्वर डाक घर का दर्जा बढ़ाया जाना

6447. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बागेश्वर (अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस डाकघर का दर्जा बढ़ाकर इसे प्रधान डाकघर कब तक बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नए प्रधान डाकघर कुछ विभागीय मानदण्डों के अधीन मौजूदा प्रधान डाकघरों का द्विभाजन करके बनाए जाते हैं। बागेश्वर उपडाकघर प्रधान डाकघर अल्मोड़ा के अन्तर्गत आता है तथा विभागीय मानदण्डों के अनुसार अल्मोड़ा प्रधान डाकघर का द्विभाजन करने का औचित्य नहीं बनता ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कलकत्ता द्वारा विदेश भेजे गए व्यक्ति

[अनुवाद]

6448. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कलकत्ता द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुछ व्यक्तियों को विदेशी दौरों पर भेजा गया था;

(ख) यदि हा, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कलकत्ता द्वारा उक्त अवधि के दौरान विदेश भेजे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम द्वारा इन दौरों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान किसी भी अधिकारी को विदेशी दौरे पर नहीं भेजा गया था ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते

मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के और अधिक संयंत्र स्थापित करना

6449. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं;

(ख) यह मिलें कहां कहां पर स्थापित हैं;

(ग) क्या सरकार का 1985-86 के दौरान अतिरिक्त एकक स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज के कितने अतिरिक्त कारखाने लगाने का विचार है; और

(ङ) कारखाने स्थापित करने के काम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र का एक अखबारी कागज संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य के नेपा नगर में उत्पादन कर रहा है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 1.99 लाख मी० टन की क्षमता के अखबारी कागज के 3 नये एकक स्थापित करने हेतु आशय पत्रों की मंजूरी दे दी गई है। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कुदाल आयोग की जांच की प्रगति

6450. **श्री हुसैन दलवई** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के संबंध में कुदाल जांच आयोग द्वारा किए जा रहे जांच की क्या प्रगति है;

(ख) इसके द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की जांच के लिए कोई और समिति भी नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति द्वारा जांच के मामले में अभी तक क्या प्रगति प्राप्त की गई है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कुदाल जांच आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के बारे में कोई जांच नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की नीतियों और कार्यक्रमों और इसकी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए श्री एम० रामकृष्णाय्या की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की अभी तक दो बार बैठक हुई है और इसने सभी संबंधितों को जारी की जाने वाली प्रश्नावली को अंतिम रूप दे दिया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित मेगनेट हाइड्रो डायनामिक प्लांट

6451. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुचिरापल्टनी में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के संयंत्र ने अभी हाल ही में मैगनेट हाइड्रो डायनामिक प्लांट सफलता पूर्वक चालू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स (एम० एच० डी०) रिसर्च प्रोजेक्ट को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचि के परिसर में संयुक्त रूप से निष्पादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्मा से एम० एच० डी० विद्युत जनित्रण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्लास्मा जनरेशन प्राप्त करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने की परिकल्पना की गई थी। इसे 27 मार्च, 1985 को पूरा कर दिया गया है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

6452. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के तेल शोधक कारखाने में खाना पकाने की गैस की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां,तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि का आबंटन किया गया है और विस्तार कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्षमता में वृद्धि किए जाने के पश्चात् कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां

(ख) और (ग) एल० पी० जी० के उत्पादन के 18,000 मी० टन प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 167,000 मी० टन प्रति वर्ष रिफाइनरी विस्तार तथा गौण संसाधन सुविधाओं का एक अंग है जिन्हें 132.59 करोड़ रुपये की कुल लागत पर स्थापित किया जा रहा है। मई, 1985 में गौण संसाधन सुविधाओं के आरम्भ हो जाने पर; पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली जायगी।

महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड के शेयर होल्डरों को स्कूटरों का आवंटन

6453. **डा० गौरीशंकर राज हंस** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड के शेयर होल्डरों को प्राथमिकता के आधार पर ड्रा निकाल कर स्कूटर आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन असफल शेयर होल्डरों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिन्होंने 35, 50, 75, 100 और अधिक शेयर ले रखे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्कूटरों का आवंटन नहीं किया गया है;

(ग) उन शेयर होल्डरों की संख्या कितनी है जिन्होंने, आज तक स्कूटरों की डिलीवरी नहीं ली है;

(घ) उन असफल शेयर होल्डरों की संख्या कितनी है जिन्होंने मार्च 1985 तक अपने शेयर बेच दिए थे;

(ङ) 31 मार्च 1985 तक श्रेणीवार असफल शेयर होल्डर/कर्मचारी, सामान्य लोगों को जारी किए गए प्राथमिकता पत्रों की संख्या कितनी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० के प्रारम्भिक शेयर होल्डरों को प्राथमिकता के आधार पर लाटरी का ड्रा निकाकर स्कूटरों का आवंटन किया गया था।

(ख) असफल पात्र शेयर होल्डरों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :

शेयरों की संख्या	असफल शेयर होल्डरों की संख्या
35	284
50	34
75 तथा अधिक	कुछ नहीं
	योग 318

(ग) 38 शेयर होल्डरों ने स्कूटरों की डिलीवरी नहीं ली थी।

(घ) मार्च, 1985 तक 97 असफल शेयर होल्डरों ने अपने शेयरों को बेच दिया है।

(ङ) निगमन अर्थात् अगस्त 1976 से 31 मार्च, 1985 तक प्राथमिकता के आधार पर जारी किए गए पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(1) असफल शेयर होल्डर		कुछ नहीं
(2) कर्मचारी		63
(3) सामान्य श्रेणी		146
	योग	209

बम्बई हाई और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल भण्डारों का समाप्त होना

6454. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र स्थित बम्बई हाई तेल क्षेत्रों तथा तट पर स्थिति अंकलेश्वर तेल-क्षेत्रों में तेल में तेल का प्रवाह कम होना शुरू हो गया है;

(ख) क्या इस आशय का पर्याप्त संकेत है कि तेल भण्डार लगभग समाप्त होने को है;

(ग) क्या ऐसा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कार्य के लिए अपनाई गई दोषपूर्ण तकनीक के कारण नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त दोनों तेल क्षेत्रों में तेल-भण्डारों के कब तक उपलब्ध रहने की सम्भावना है; और

(ङ) दोषपूर्ण तकनीक को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) उत्पादन आरम्भ होने के बाद तेल/गैस क्षेत्रों के भण्डार के दबाव में कमी एक सामान्य घटना है। इन क्षेत्रों के भण्डार के दबाव को उपयुक्त डिजाइन की अनुरक्षण तकनीकों द्वारा तकनीकी आवश्यकता तक बनाए रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। स्थापित भण्डार प्रक्रियाओं से हाइड्रोकार्बन को निकालने का काम चलाया जाता है।

(घ) यह क्षेत्र से निकालने की दर पर निर्भर करता है जो कि समय-समय पर भण्डार के कार्य निष्पादन द्वारा नियन्त्रित होता है तथा क्षेत्र के कार्यक्रम के दौरान अपनायी गई तेल निकालने की तकनीकों में वृद्धि पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के वैशाली जिले में गंज स्थित शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

6455. **श्री रामबहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के वैशाली जिले में गंज स्थित शाखा डाक-घर जिसमें तार तथा दूरभाषा की सुविधा उपलब्ध है; अपना दर्जा बढ़वाकर शाखा डाकघर से उप-डाकघर बनाए जाने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शाखा डाक-घर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप-डाकघर कब तक कर दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वैशाली जिले में गंज नाम का कोई डाकघर नहीं है। वैशाली जिले में महानगर उप डाकघर के अधीन पी०सी० ओ० सुविधा सहित एक नयागंज नाम का डाकघर है जिसका दर्जा बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

केरल के साथ सीधी डायल सेवा को जोड़े जाने वाले स्थान

[अनुवाद]

6456. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल में सीधी डायल सेवा से किसी स्थान को जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केरल के निम्नलिखित 39 स्थानों में पहले ही एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है :

अलेप्पी, अल्वै, एगामलई, एटींगल, अदूर, बड़ागारा, कन्नानोर, चेंगान्नूर, चलाकुड़ी, चौघाट, चिंगावनम, एर्णाकुलम, गूरुवायूर, इरिन्जबाकुड़ी, इदुक्की, कालपेट्टा, कोट्टायाम, कोचीकोड़े, कुन्नाम्कुलम, कोट्टारक्कारा, कुडारा, काथामंगलम, मावेल्लकारा, मालाम्पुरम, मंजेरी, मुवत्पुआ, नराक्काल, नेयय्त्तिकारा, पालघाट, पलई, पुनालूर, पेरुम्बूर, क्यूलॉन, शेरतल्लै, त्रिरुवल्ला, त्रिचूर; त्रिवेन्द्रम, तलीपरम्बा, वैकोम ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नए स्थान को एस०टी०डी० से जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है ।

मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० द्वारा उत्पादित (विक्स) का गलत वर्गीकरण

6457. **श्री के० प्रधानी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिलेड के सुविख्यात विक्स उत्पाद ग्रुप को अब इस कम्पनी ने आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है;

(ख) क्या सरकार कम्पनी की इस कार्यवाही को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्पूर्ण छूट का लाभ देने से प्रेरित कार्यवाही मानती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सम्बन्धित कानून में कमियों को दूर करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) औषधों एवं भेषजों के विपणन के लिए अनुमोदन औषध एवं प्रसाधन अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं जो राज्य सरकारों एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन हैं । महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, विक्स का आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में वर्गीकरण औषध एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं ।

पोलिस्टर फिलामेंट रेशे का उत्पादन

[हिन्दी]

6458. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलिस्टर फिलामेंट रेशे की राज्य-वार लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है तथा इस बारे में अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ख) देश में इस रेशे की राज्य-वार उत्पादन और मांग कितनी है;

(ग) यदि इसकी मांग इसके उत्पादन से अधिक है, तो इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस रेशे का उत्पादन करने वाली कम्पनियों और जिलों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क), (ख), (ग) व (घ) 1984-85 के दौरान विभिन्न युनिटों के नाम फिलामेंट यार्न के निर्माण की अनुमोदित क्षमता, स्थान और लगभग उत्पादन निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	यूनिट का नाम	अनमोदित क्षमता (मी०टन/ पतिवर्ष)	स्थान	1984-85 के दौरान लगभग उत्पादन (मी० टन)
1.	मैसर्स बड़ौदा रेयन कार्पो०लि०बम्बई	1777	गुजरात	1440
2.	मैसर्स पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०बड़ौदा	9000	गुजरात	8150
3.	मैसर्स सेन्चुरी ऐंका लि० पुना	6540	महाराष्ट्र	5790
4.	मैसर्स गारवारे नायलन लि० बम्बई	1710	महाराष्ट्र	2060
5.	मैसर्स निरलान सिथेटिक फाइबर एण्ड कैमिकल्स लि० बम्बई	2655	महाराष्ट्र	2780
6.	मैसर्स आरके सिल्क लि० बम्बई	6000	महाराष्ट्र	6120
7.	मैसर्स रिलायन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	25125	महाराष्ट्र	20430
8.	मैसर्स स्ट्रेच फाइबर लिमिटेड, नागपुर	135	महाराष्ट्र	—
9.	मैसर्स श्री सिथेटिक लिमिटेड, उज्जैन	576	मध्य प्रदेश	2020
10.	मैसर्स जे० के० सिथेटिक्स लिमिटेड नई दिल्ली	7960	राजस्थान	3180
11.	मैसर्स मोदीपान लिमिटेड, मोदीनगर	1723	उत्तर प्रदेश	3720
12.	मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि० बम्बई	3500	तमिल नाडु	—
	योग	65701		55690

वर्ष 1989-90 तक पालिएस्टर फिलामेंट यार्न की मांग का अनुमान प्रतिवर्ष 90,000 मी० टन लगाया गया है। इस मद के लिए राज्य-वार मांग का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन पर सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

टेलीफोन सेवा में गिरावट

[अनुवाद]

6459. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी 1985 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित "डेड फोन इन इन्ड्स्ट्रियल हब" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा, क्या है;

(ग) टेलीफोन सेवाओं में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

संसार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार फरीदाबाद और बल्लभगढ़ कांप्लेक्स के लिए प्रदान की गई टेलीफोन सेवा में असंतोषजनक कार्यकरण तथा दिल्ली की कालें न मिलने के बारे में है। इसमें दिल्ली फरीदाबाद कोएक्सियल दूरसंचार प्रणाली और अन्य सम्बन्ध समस्याओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान टेलीफोन सेवाओं में गिरावट नहीं आई है। तथापि विभाग को उपभोक्ताओं की कठिनाइयों की जानकारी है और सेवा में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) जनवरी, 1985 में फरीदाबाद में एक "डिमांड ट्रंक एक्सचेंज" खोला गया है।

(2) प्रणाली का स्तर ऊंचा रखने के लिए विशेष अनुरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) जनपथ-नई दिल्ली से फरीदाबाद के बीच एक कोएक्सियल लाइन चालू की गई है, और लगभग 40 उपभोक्ताओं को हाट लाइनें प्रदान की गई हैं।

(4) कनाट प्लेस के पुराने टेंडर के स्थान पर जून 1985 में जनपथ में एक नए टेंडस एक्सचेंज के चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

सैनिक स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में एकरूपता

6460. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के सम्बद्ध सैनिक स्कूलों में दाखिल बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उनके अभिभावकों की आय सीमा में एकरूपता लाने का आग्रह करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) अध्ययन की शर्तें, छात्रवृत्ति की दर, अभिभावकों की आय सीमा आदि में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि अपवाद-स्वरूप मामलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण सुविधाजनक हो सके ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे सैनिक स्कूलों में पढ़ सकें और पब्लिक स्कूलों की शिक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति केवल सम्बन्धित राज्य के मूल निवासियों को मिलती है। ये छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों की होती हैं इसलिए छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों के अभिभावकों की वेतन सीमा अथवा अन्य शर्तों का निर्धारण अलग-अलग राज्य सरकारें अपनी स्वेक्षा से करती हैं।

सभी सैनिक स्कूलों पर एक जैसे नियम लागू होते हैं जो सैनिक स्कूल सोसाइटी नियम और विनियम कहलाते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से सम्बन्धित देय फीस की दर यही सोसाइटी निर्धारित करती है। एक से दूसरे सैनिक स्कूल में प्रव्रजन/स्थानान्तरण की अनुमति ठोस अनुकम्पा के आधार पर ही मिलती है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और प्रव्रजन के मामले में अभिभावकों की आय अड़चन नहीं बनती।

अद्यतन छावनी अधिनियम, 1924 के प्रकाशन में विलम्ब

6461. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी अधिनियम, 1924 में बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आज तक किए गए संशोधनों का समावेश करके अद्यतन संशोधित

अभी तक प्रकाशित नहीं किया है जिसके कारण सारे देश में संबंधित व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) अद्यतन छावनी अधिनियम के प्रकाशन में विलंब होने का क्या कारण है; और

(घ) भारत सरकार के प्रकाशन बिक्री काउंटरों पर अद्यतन अधिनियम कब तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अधिनियम के संशोधित संस्करण की छपाई का काम पूरा होने वाला है और अगले कुछ महीनों में उपलब्ध हो जाएगा ।

भारतीय टेलीफोन प्रयोक्ता मार्गदर्शन समिति कलकत्ता द्वारा ज्ञापन

6462. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय टेलीफोन प्रयोक्ता मार्गदर्शन समिति, कलकत्ता से टेलीफोन प्रभारों के बारे में मार्च, 1985 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) ज्ञापन में क्या सुझाव दिये गए हैं; और

(ग) उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में दिए गए मुख्य सुझाव संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :—

(1) 1985-86 के बजट में प्रभारों में वृद्धि न करने का अनुरोध ।

(2) ओ० वाई० टी० जमा राशि को 8000 रु० से कम करके 5000 रु० करना ।

(3) स्थाई कनेक्शनों के लिए संस्थापन शुल्क को 300 रु० से कम करके 150 रु० करना तथा कैजुअल कनेक्शन के लिए 150 रु० से कम करके 75 रु० करना ।

(4) टेलीफोन उपभोक्ताओं को घरेलू "और" वाणिज्यिक श्रेणियों में रखा जाए और उनके लिए क्रमश : 150 रु० और 200 रु० तिमाही प्रभार निर्धारित किया जाए ।

(5) टेलीफोन अंतरण प्रभार को 150 रु० से कम करके 100 रु० करना ।

(6) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 5000 कालों तक स्थानीय कालों की दर 40 पैसे

प्रतिकाल तथा 5000 से ऊपर कालों के लिए 50 पैसे प्रति काल की दर निर्धारित की जाए तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3000 कालों तक 30 पैसे तथा 3000 से ऊगर कालों के लिए 40 पैसे प्रति काल की दर से वसूली की जाए।

(7) निशुल्क काल की सुविधा समाप्त की जाए।

(8) दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा न्यूनतम काल की गारंटी दी जाए।

(ग) मद संख्या (1) 1985-86 के बजट में प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

मद (2) से (8) विभाग ने अन्य कोई सुझाव स्वीकार करने योग्य नहीं माना है।

समान रोग के लिए आवश्यक दवाओं के मूल्यों में अंतर

6463. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समान रोग के लिए आवश्यक दवाओं के मूल्यों में लाभ की विभिन्न दरें उपलब्ध कराने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि चिकित्सा पेशे वालों द्वारा गरीब उपभोक्ताओं का शोषण न किया जा सके क्योंकि उनकी गैर-नियंत्रण वाली औषधियों निर्धारित करने की प्रवृति होती है।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) श्रेणी 1 और 2 फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिये अपेक्षित बल्क औषधों पर कर के पश्चात शुद्ध मूल्य पर 14 प्रतिशत लाभ की अनुमति है जबकि श्रेणी 3 फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित बल्क औषधों पर कर के पश्चात शुद्ध मूल्य पर 12 प्रतिशत लाभ की अनुमति है। श्रेणी 1 और 2 फार्मूलेशनों के लिये अपेक्षित बल्क औषधों पर लाभ की उच्च दर की अनुमति, ऐसी औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उनकी प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से दी गई है।

उपभोक्ता को अनिवार्य दवाइयां सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रेणी 1 और 2 फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में कारखाने से बाहर लागत पर क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के मार्क अप की अनुमति है। श्रेणी 3 फार्मूलेशनों पर कारखाने से बाहर लागत पर 100 प्रतिशत तक के मार्क-अप की अनुमति है जबकि शेष फार्मूलेशनों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं हैं। 70 प्रतिशत से ज्यादा दवाइयां मूल्य नियंत्रित हैं।

आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों के लिए ऋण लाईसेंस

6464. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए फार्मूलेशनों के लिए प्राप्त किए गए ऋणलाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन उत्पादों का उत्पादन कराया गया और प्रति पैकिट कितनी दर का भुगतान किया गया;

(ग) आई० डी० पी० एल० ने इस संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान अपने लागत मानदण्डों के समक्ष वर्षवार कितनी बचत की; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

क्षय रोग, दमा के उपचार के लिए औषधियों की उपलब्धता

6465. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री देवी घोसाल } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं कि कंपनियों द्वारा आवश्यक औषधियों के उत्पादन में कटौती की जा रही है और उससे क्षय रोग, दमा, मिरगी आदि जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अनेक ड्रग फार्मूलेशन बाजार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा आम जनता की पहुंच से बाहर हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन आवश्यक औषधियों को बाजार में उचित दामों पर उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मेरा मंत्रालय, राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों और जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनिवार्य और जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता पर

निगरानी रखता है। टी० बी० निरोधी और अष्ठमा-निरोधी फार्मूलेशनों की कमी की कोई सूचना इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मिरगी-निरोधी डिलेन्टिन फार्मूलेशन की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है। ऐसी कमियां स्थानीय प्रकृति की है और निर्माता इस मंत्रालय की सलाह पर कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र सप्लाई भेजते रहे है।

उर्वरकों का उत्पादन

6466. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के कितने रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन होता है और प्रत्येक प्रकार के उर्वरक की विद्यमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने केवल दो ग्रेडों के उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) दो मुख्य रासायनिक उर्वरकों अर्थात नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक का उत्पादन देश में किया जाता है। 1-4-84 को उनकी क्षमता निम्न प्रकार थी :

	क्षमता (न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में)
1. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकें	51.98 लाख टन नाइट्रोजन
2. फास्फेटिक उर्वरकें	13.38 लाख टन P_2O_5

(क) और (ख) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों में यूरिया और फास्फटिक उर्वरकों में डाइ-अमोनियम फास्फेट, अपने उच्च पौष्टिक अंशों के कारण ज्यादा पसद की जाती है। तथापि, विशिष्ट भूमि और फसल आवश्यकताओं, कच्चे मालों की उपलब्धता, किसानों की पसंद, परिवहन की लागत आदि जैसे पहलुओं पर निर्भर करते हुये अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रो-फास्फेटस, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि और सिंगल सुपर फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जैसे अन्य उत्पादों जो एन, पी और के के सम्मिश्रण हैं, की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

1985-86 में उर्वरकों का उत्पादन

6468. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई उर्वरक यूनिट बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) इन यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है, और

(घ) देश में उर्वरकों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, बहुत अल्प क्षमता उपयोगिता के कारण सिन्दरी रेशनाइजेशन एककों में फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन बंद कर दिया गया है।

(घ) सरकार की नीति सक्षम उत्पादन तथा कम लागत से देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाना है।

कागज का वार्षिक उत्पादन, उसकी मांग और आयात

6469. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज की वार्षिक मांग लगभग कितनी है;

(ख) देश में कागज का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ग) मांग की पूर्ति हेतु वार्षिक आयात कितना किया जाता है;

(घ) क्या देश में कागज के उत्पादन के लिए कच्चे माल का पर्याप्त भंडार है और यदि हां, तो क्या सरकार का देश में लघु पेपर मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) योजना आयोग ने 1984-85 के अन्त तक कागज और गत्ते की मांग 15.40 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया था।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान कागज का उत्पादन 14 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया।

(ग) कागज और गत्ते का आयात नगण्य है और कुछ विशिष्ट किस्मों के कागज का ही आयात किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) यद्यपि कागज और गत्ता बनाने के लिए विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 1989-90 तक की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है, अतः खोई (बगा से), चावल/गेहूं की भूसी आदि जैसी गैर परम्परागत कच्ची सामग्री पर आधारित कागज मिलों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कागज और गत्ता का उत्पादन के लिए गैर परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने पर अनेक वित्तीय रियायतें भी प्रदान की गई हैं। कृषि अवशेषों, रद्दी कागज और खोई से लिखाई, छपाई एवं लपेटने का कागज बनाने के लिए हाल ही में क्षमता स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

गैर सरकारी क्षेत्र के अनुबंध एककों और फैरा कम्पनियों में उत्पादन में गिरावट आना

6470. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े औषध एककों तथा बल्क ड्रग्स और लीडर पैक्स, जिनके लिए सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य निर्धारित किए गये हैं, का उत्पादन करने वाली फेरा कम्पनियों के उत्पादन में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 से बचने हेतु छोटे एककों द्वारा जिनके इन बड़ी भारतीय फर्मों तथा फेरा कम्पनियों के साथ सम्बन्ध हैं, इस प्रकार की बल्क ड्रग्स और लीडर पैक्स बाजार में बेचे जा रहे हैं, और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ लघु एककों द्वारा अन्य लघु एककों के उत्पादनों का विपणन करने और संगठित क्षेत्रीय एककों द्वारा लघु एककों के उत्पादनों का विपणन करने की घटना सरकार के ध्यान में आई है। कुछ निर्माताओं द्वारा 50 लाख रु० की बिक्री की सीमा पार करने के पश्चात भी मूल्य अनुमोदन के बिना अपने उत्पादनों का विपणन चालू रखने की घटनाएं भी सरकार के ध्यान में आई हैं। ऐसे निर्माताओं ने इस तर्क का सहारा लिया कि डी पी सी ओ 1979 के प्रावधान उन उत्पादों के मूल्यों पर लागू नहीं होते जिनका विपणन उन्होंने छूट की अवधि के

दौरान प्रारम्भ किया था। इस तर्क को कानूनन उपयुक्त नहीं पाया गया और उद्योग संघों तथा सम्बन्धित रकमों को शीघ्र मूल्य अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

कलकत्ता टेलीफोन के अन्तर्गत मरम्मत न हो सकने वाले टेलीफोन केन्द्रों को बदलना

6471. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन के कुछ टेलीफोन केन्द्र अपनी कार्य करने की सामान्य अवधि से भी अधिक पुराने हो गए हैं और उनको मरम्मत के लिए दिया जाना अब आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के टेलीफोन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको बदल कर इनके स्थान पर नए एक्सचेंज लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है, और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित एक्सचेंजों में पर्याप्त मात्रा में उपस्कर के बदलने की आवश्यकता है :

(1) जोरांसको
(2) एवेन्यू
(3) बैंक
(4) सिटी
(5) अलीपुर
(6) सर्कस
(7) बागबाजार
(8) कालीघाट
(9) दम दम
(10) शिवपुर
(11) रुसा
(12) ईस्ट
(13) सालकिया

(ग) खराब उपस्करों को बदलने की योजना तैयार कर ली है।

(घ) चार एक्सचेंजों अर्थात बैंक, जोरासंकों, एवेन्यू, एवं सिटी में उपस्करों को बदलने का कार्य चल रहा है।

स्वरोजगार हेतु भूतपूर्ण सैनिकों को तैयार करने के कार्यक्रम की प्रगति

6472. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वरोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने के कार्यक्रम में इसके शुरू किए जाने के बाद से कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रगति क्या है;

(ग) क्या सम्बद्ध राज्यों के अन्य जिलों में भी इस योजना का विस्तार करने हेतु कोई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) स्वरोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों को तैयार करने के कार्यक्रम ने 1983 में अपनी स्थापना से एक मुख्य (पायटल) परियोजना के रूप में कुछ प्रगति की है । उपलब्ध सूचना के अनुसार 889 भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कार्मिकों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जा चुका है जब कि लक्ष्य 1500 का था । इन 889 प्रशिक्षार्थियों में से 122 स्वरोजगार में लग गए हैं । 22 ने वैतनिक रोजगार प्राप्त कर लिया है और 312 प्रशिक्षार्थी अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण की प्रतीक्षा में हैं ।

(ग) और (घ) भिवानी और हमीरपुर जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए केवल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों से ही ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है । इन अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और ऊना में और पंजाब में होशियारपुर में छावनियां

6473. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों में और पंजाब के होशियारपुर जिले में छावनियां स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो छावनी परियोजनाओं के वास्तविक स्थान और संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और अनुमानित कितने क्षेत्र का अर्जन किया जाएगा और प्रत्येक मामले में इस उद्देश्य हेतु कितने गांवों को हटाना पड़ेगा;

(ग) छावनियां स्थापित करने का कार्य किस तारीख तक प्रारम्भ किए जाने और पूरा होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय लिया जाएगा ताकि लोगों के मन मे अनिश्चितता की भावना दूर की जा सके; और

(ङ) क्या हटाए जाने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और उनका समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पंजाब में होशियारपुर में एक मिलिटरी स्टेशन खोलने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हमीरपुर और ऊना के बारे में मामला विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से विचार विमर्श किया गया और होशियारपुर में मिलिटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए कई स्थान देखे गए हैं। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते समय स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान और इससे प्रभावित होने वाली जनता सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। हमीरपुर और ऊना के मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

चाय बागानों में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

6474. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बागानों में राज्यवार कितनी और कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी के पास कुल कितने एकड़ क्षेत्र में चाय बागान है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी की अद्यतन प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा विदेशों को कितनी धनराशि भेजी गयी ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) कोई भी कम्पनी, जो भारत से बाहर विनियमित है, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 के अन्तर्गत भारत में व्यापारिक स्थान संस्थापित करने पर पंजीकृत हैं, चाय बागानों का संचालन नहीं करती हैं। चाय मंडल द्वारा प्रकाशित 1982 की चाय निर्देशिका में दर्शाई गई 31 कम्पनियां, जो चाय सम्पदा की मालिक हैं, वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारक अधिनियम 1869 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। इन कम्पनियों के नामों, वे राज्य जिसमें ये पंजीकृत है, नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्रों के अनुसार उनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित, और पिछले तीन वर्षों की अवधि में इन कम्पनियों द्वारा भेजे गये लाभांश को दर्शाता हुआ विवरणपत्र संलग्न किया जाता है। बागानों के अधीन क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सूचना को तुलनापत्र में दिखाया जाना अपेक्षित नहीं है इस लिए इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	राज्य जिसमें पंजीकृत	वर्ष समाप्ति के लिए ब्यौरा	प्रदत्त पूंजी	आरक्षित और अधिशेष	लाभांश भेजा गया		
						1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम क० (इण्डिया) लि०	असम	30-6-84	350.00	680.66	38.85	कुछ नहीं	62.16
2.	हुम हुमा इण्डिया लि०	असम	31-12-83	175.00	535.22	18.45	1843	38.85
3.	गुडरिक ग्रुप लि०	पश्चिमी बंगाल	30-6-84	360.00	784.34	33.30	कुछ नहीं	33.36
4.	जार्ज विलियमसन (असम) लि०	असम	30-6-84	350.00	793.71	41.14	कुछ नहीं	73.50
5.	माजूली टी कम्पनी (इण्डिया) लि०	असम	30-6-84	45.00	112.05	4.37	कुछ नहीं	0.74
6.	माकुम टी क० (इण्डिया) लि०	असम	30-6-84	106.00	155.64	10.10	11.50	11.29**
7.	मोरन टी क० (इण्डिया) लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-83	70.00	38.43	—	—	—
8.	नामडांग टी क० (इण्डिया) लि०	असम	30-6-84	119.56	224.86	16.58	22.08	15.06**
9.	बारेन टी लिमिटेड	असम	31-3-84	325.00	204.00	कुछ नहीं	26.93	26.93***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मैक लियोड रसल (इण्डिया) लि०	पश्चिम बंग ल	30-6-84	544.82	227.45	22.20	47.18	27.75**
11.	मलायालम प्लान्टेजन्श (ई०) लि०	केरल	31-3-83	300.00	316.43	कुछ नहीं	102.60*	18 00
12.	टी एस्टेट्स (ई०) लि०	तमिलनाडु	30-6-84	220.00	1095.96	112.56	18.32	18.32
13.	असम ब्रूक लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-83	105.00	177.98	0.02	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14.	डनकन एग्रो इन्डस्ट्रीज लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-84	251.81	3062.70	—	—	—
15.	बिशनौथ टी कम्पनी लि०	पश्चिमी बंगाल	30-6-84	82.48	1080.23	0.01	0.01	0.17**
16.	दीमाकुशी टी क० लि०	पश्चिमी बंगाल	30-6-84	58.26	714.52	0.12	0.11	0.10**
17.	गिल्लीडरी टी क० लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-83	8.00	14.85	—	—	—
18.	गिलेण्डर्स अर्बुथनाट एण्ड क०लि.	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	151.84	322.04	2.87	2.87	3.44
19.	जारडाइन हेण्डरसन लि०	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	250.00	312.96	कुछ नहीं	0 01	0.01
20.	जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	410.00	4010.67	0.07	0.06	0.06
21.	जुनकटोली टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-83	30.36	24.13	—	—	—
22.	जुटलीबारी टी कम्पनी लि०	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	40.50	43.23	—	—	—
23.	मैकनील एण्ड मैगर लि०	पश्चिमी बंगाल	30-6-84	398.91	2961.60	2.45	3.14	कुछ नहीं*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	रेडाक सिन्डीकेट लि०	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	215.65	150.30	—	—	—
25.	टाटा टी लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-83	800.00	1652.48	—	—	—
26.	तेंगपानी टी कम्पनी लि०	पश्चिमी बंगाल	31-3-84	30.00	28.05	—	—	—
27.	तेजपुर टी कम्पनी लि०	पश्चिमी बंगाल	31-12-82	97.23	406.26		—	—
28.	बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि०	महाराष्ट्र	30-9-84	946.95	766.71	9.04	5.04	7.05
29.	कोवरी (मद्रास) लि०	तमिलनाडु	30-6-83	554.50	2510.53	—	—	—
30.	स्टेन्स अमाल्गामेटिड स्टेट्स लि०	तमिलनाडु	30-6-84	50.62	100.38	—	—	—
31.	यूनाइटेड नीलगिरी टी स्टेट्स क. लि.	तमिलनाडु	31-3-84	74.02	149.79	—	--	—

*1-4-1979 से 31-3-1982 की अवधि के लिए।

**1-1-1983 से 30-6-1984 की अवधि के लिए लेखा।

***15 माह के लिए लेखा।

शराब की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश

6475. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में बनी विदेशी शराब और देशी शराब की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणवत्ता नियंत्रण निर्धारण के लिए कोई दिशा निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से निर्माता भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुसार भारतीय विदेशी शराब और देशी शराब बनाते हैं;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब और देशी शराब पर गुण नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। इंडियन स्टेण्डर्ड इन्शटिट्यूशन (आई० एस० आई०) द्वारा लाइसेंस प्रदत्त एककों के सम्बन्ध में गुण नियंत्रण भी आई०एस०आई० द्वारा ही रखा जाता है। आई० एस० आई० ने एम, व्हास्की, टेबल वाइन, जिन, ब्राण्डी वोदका, टोडी, देसी स्प्रिट और बीयर के लिए विशेष विवरण प्रकाशित किए हैं। आई०एस०आई० द्वारा लाइसेंस प्रदत्त एककों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

आई० एस० आई० प्रमाणन चिन्ह धारक निर्माताओं की सूची
आई० एस० : 3811--1976 रम (प्रथम संशोधन)

1. अमरुत डिस्टलरीज प्रा० लि० बंगलौर।
2. खेड़ी डिस्टलरीज प्रा० लि० बंगलौर।
3. खेड़ी आर० सी० ए० इन्डस्ट्रीज, बंगलौर।
4. दि मैसूर सूगर कंपनी, लि०, बंगलौर।
5. पम्पासर डिस्टलरीज लि०, बरेली।
6. दि सिमोहाली इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० गाजियाबाद।
7. तिलक नगर डिस्टलरीज एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई।
8. यजदी डिस्टलरीज, मैसूर।

आई० एस० : 3865 —1978 बीयर (प्रथम संशोधन)

1. अरलम ब्रेवरीज लि०, गोवा ।
2. खेडी ब्रीविंग एण्ड डिस्टलरीज, बंगलौर ।
3. स्कोल ब्रिवरीज, लि०, बम्बई ।

आई० एस० : 4100—1967 जिन

1. खेड़ी आर० सी० ए० इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ।
2. दि मैसूर सूगर कम्पनी, लि०, बंगलौर ।
3. तिलक नगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई ।
4. यजदी डिस्टलरीज, मैसूर ।

आई० एस० : 4449—1980 व्हीस्की (द्वितीय संशोधन)

1. खेड़ी डिस्टलरीज प्रा० लि०, बंगलौर ।
2. खेडी आर० सी० ए० इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ।
3. मैसूर सूगर कम्पनी, लि०, बंगलौर ।
4. पम्पासर डिस्टलरीज लि०, बरेली ।
5. दि सिम्बोली इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० गाजियाबाद ।
6. तिलक नगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०,बम्बई ।
7. यजदी डिस्टलरीज, मैसूर ।

आई० एस० : 4450—1978 ब्राण्डी (प्रथम संशोधन)

1. खेड़ी डिस्टलरीज प्रा० लि०, बंगलौर ।
2. खेड़ी आर० सी० ए० इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ।
3. दि मैसूर सूगर कम्पनी लि०, बंगलौर ।
4. पम्पासर डिस्टलरीज लि०, बरेली ।
5. तिलक नगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई ।
6. यजदी डिस्टलरीज; मैसूर ।

आई० एस० : 5287 — 1978 देशी स्प्रिट (परिशोधित) (प्रथम संशोधन)

1. पम्पासर डिस्टलरीज लि०, बरेली ।

महाराष्ट्र गैस क्रैकर कम्पलैक्स द्वारा वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण उपस्करों पर व्यय

6476. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र गैस क्रैकर कम्पलैक्स द्वारा वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण उपस्करों पर अनुमानित व्यय कितना किया जायेगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : 7वीं योजना अवधि में महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्प्लेक्स द्वारा वायु और जल प्रदूषण नियन्त्रण उपस्कर पर होने वाला अनुमानित व्यय करीब 18.79 करोड़ रुपये का होगा ।

औद्योगिक स्थिति की समीक्षा

6477. **श्री मुरली धर माने** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औद्योगिक स्थिति की पुनरीक्षा की गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार देश की औद्योगिक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है । सरकार ने औद्योगिक, लाइसेंसीकरण तथा आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा साथ ही वित्तीय और राजकोषीय उपाय करके एवं अवस्थापना—सुविधाओं में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

दो पहियों वाले वाहनों हेतु प्रौद्योगिकी का आयात

6478. **श्री राम समुझावन**
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर से चलने वाले दो पहियों वाले वाहनों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की सीमा 100 सी० सी० से बढ़ा कर 150 सी० सी० करने का निर्णय किया है;

(ख यदि हां; तो 100 सी० सी० क्षमता के इंजन वाले दो पहिया वाहनों के निर्माण के लिए जिन विदेशी सहयोगों को मंजूरी दी जा चुकी है उन सहयोगकर्त्ताओं के नाम क्या हैं, और

(ग) भारतीय बाजार में लाए गए 50 सी० सी० मोपेड या 100 सी०सी० मोटर साईकिल और स्कूटर रैंज के नए माडलों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) जी; हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र०सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की जाने वाली वस्तु
1.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड, हैदराबाद	मैसर्स पियागो, इटली	स्कूटर्स 100 सीसी रेन्ज
2.	बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	मैसर्स कावासाकी हैवी इण्डस्ट्रीज, लि० जापान	मोटर साइकिल्स 100 सीसी रेंज
3.	इनफील्ड इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	मैसर्स जुन्डेप वेर्के, पश्चिमी जर्मन	मोटर साइकिल्स 100 सीसी एवं 50 सी सी रेंज
4.	एस्कोर्टस लिमिटेड, फरीदाबाद	मैसर्स यमाहा मोटर कम्पनी, जापान	मोटर साइकिल्स 100 सीसी रेंज
5.	किनेटिक होन्डा मोटर्स लिमिटेड, इन्दौर	मैसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	स्कूटर्स 100 सीसी रेन्ज
6.	हीरो होन्डा मोटर्स लिमिटेड लिमिटेड, नई दिल्ली	मैसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	मोटर साइकिल्स 100 सीसी रेंज
7.	लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर	मैसर्स पियागो, इटली	स्कूटर्स 100 सीसी रेंज
8.	चामुण्डी मोपेड्स, बंगलौर	मैसर्स साइकल्स पेजीआट, फ्रांस	मोपेड्स 50 सीसी रेंज
9.	इण्ड-सुजुकी मोटर साइकिल्स लिमिटेड, मद्रास	मैसर्स सुजुकी मोटर्स कम्पनी, जापान	मोटर साइकिल्स 100 सीसी रेंज
10.	केलविनेटर आफ इण्डिया, फरीदाबाद	मैसर्स आग्रति गरेली, इटली	मोपेड्स 500 सीसी रेंज
11.	बलराज अग्रवाल, करनाल	मैसर्स ट्रांसगोर्ट मासचीनेन इक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जी डी आर	मोपेड्स 100 सीसी रेंज

सातवीं योजना में सीमेंट की मांग और उत्पादन

6479. **श्री राम सनुजावन** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सीमेंट की मांग और उत्पादन के संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या देश में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए और लाइसेंस न देने के लिए निर्णय किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजनावधि के दौरान देश सीमेंट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सीमेंट उद्योग संबंधी कार्य दल (1985-90) ने पूर्वानुमान लगाया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में मांग 490 लाख मी० टन होगी और उत्पादन का लक्ष्य 507.7 लाख मी० टन दिखाया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सीमेंट उद्योग संबंधी कार्यदल के अनुसार संभावना है कि देश सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के मध्य तक आत्मनिर्भर हो जाएगा।

जीवन रक्षक औषधियों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि

6480. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन लाने और ऐसी औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए छठी योजना अवधि में क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है,और

(ग) सरकारी क्षेत्र के औषध एककों और गैर-सरकारी क्षेत्र की पूर्णतः भारतीय फर्मों और औषध क्षेत्र में कार्यरत फेरा कंपनियों के स्वामित्व वाले एककों में ऐसे आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी

योजना अवधि के दौरान, सरकार द्वारा आवश्यक तथा जीवन रक्षक आषयों की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए तथा ऐसी औषधों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है।

1. डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं।

2. सरकारी क्षेत्र में प्रयुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की क्षमता में विस्तार का कार्य आरम्भ किया गया है।

3. उन्नत प्रौधोगिकी के प्रारम्भण द्वारा उत्पादन में होने वाले अवरोधों को हटाने, वर्तमान औषध एककों के संबंध में कच्चे माल की प्राप्ति तथा उपयोगिताओं की आपूर्ति में सहायता दी जाती है।

4. औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के कार्यान्वयन पर निगरानी की जाती है और ऐसे एककों के संबंध में कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों, यदि हो, की जांच की जाती है।

5. स्वत: वृद्धि संबंधी योजना को औषध उद्योग पर भी लागू किया गया है।

6. स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने संबंधी योजना उच्चतर क्षमता को पुन: पृष्ठांकित करने संबंधी योजना को कुछ शर्तों के अध्यधीन औषध उद्योग पर विस्तारित किया गया है।

7. क्षमताओं की पूर्ण उपयोगिता के लिए (क) आयात नीति में कमियों को दूर किया गया (ख) सभव सीमा तक प्रयुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की मूल्य निर्धारण पद्धति को सुप्रवाही बनाने के लिए कार्यवाही की गई है, (ग) उन्नत प्रोद्योगिक को चालू करने के लिए अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं, और (घ) चुने हुए मामलों में मध्यवर्वर्तियों पर सीमा शुल्क में परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रयुंज औषध का उत्पादन 1979-80 में 225 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983-84 में 355 करोड़ रुपये का हो गया है। इसी प्रकार, फार्मूलेशनों का उत्पादन, 1979-80 में 1150 करोड़ रुपये से बढ़कर 1983-84 में 1700 करोड़ रुपये का हो गया है। इसके अतिरिक्त गत वर्षों के दौरान आयात और निर्यात के बीच अन्तर काफी कम हो गया है।

औषधियों और फार्मास्युटिकल्स के आयात में कटौती

6481. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि औषधियों और फार्मास्युटिकल्स के अधिक आयात का भारत में औषध एककों के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स का आयात किया गया और इस अवधि के दौरान कौन-कौन सी प्रमुख वस्तुओं का आयात किया गया, और

(घ) इसके आयात में कटौती करने और इन औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) जिन औषधों और भेषजों का देश में उत्पादन नहीं किया जाता अथवा जिनका स्वदेशी उत्पादन देश में मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं होता सामान्यत: केवल उन्हीं का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

सरकार साधारणतय प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर देशी उत्पादन को बढावा देती है विशेषकर यदि अतिरिक्त क्षमताएं और विदेशी सहयोग उपलब्ध कर देने से वह आयात को प्रतिस्थापित करता है। वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान यांत्रिक निरोधकों, मध्यवर्तियों, रसायनों एवं घोलकों सहित प्रपुंज औषधी एवं तैयार फार्मूलेशनों के मूल्य निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मूल्य
1981-82	136.77 करोड़ रु०
1982-83	148.48 करोड़ रु०
1983-84	163.34 करोड़ रु०

गत तीन वर्षों के दौरान जिन मुख्य औषध मदों के आयात का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक था वे हैं रिफैम्पीसीज, एल-बेस, विटामिन बी-6 एम्पीसिलीप सोडियम एवं पाइराजिनामाईड।

कलकत्ता में टेलीफोन की ट्रंक काल की प्रभावी दर

6482. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की राजधानियों में टेलीफोन व्यवस्था की प्रभावी दरों की तुलना में कलकत्ता में टेलीफोनों की ट्रंक काल्स की प्रभावी दर क्या हैं;

(ख) कलकत्ता में ट्रंक काल्स के प्रभावी दर कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कलकत्ता में टेलीफोनों की प्रभावी दर को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता टेलीफोन में पिछले 6 महीनों में औसत प्रभावी ट्रंक कालों की प्रतिशतता 52.9 है। यह देश में अन्य राज्य की राजधानियों की तुलना में कम है।

(ख) कलकत्ता में प्रभावी ट्रंक कालों की दर में कमी के कारण इस प्रकार हैं—

(1) एक्सचेंज में पुराना उपस्कर होने और भूमिगत केबिलों में निरन्तर खराबी आ जाने के कारण कालिंग नंबरों के मिलने में कठिनाई।

(2) केवल एक मार्ग वाली ओपन वायर लाइन पर कार्य कर रहे ट्रंक सर्किटों का असंतोषजनक कार्यकरण।

(3) महानगरों तथा कुछ अन्य बड़े शहरों में कॉल्ड उपभोक्ता के टेलीफोन नंबर मिलने में कठिनाई।

(4) 25 प्रतिशत प्रचालन स्टाफ का अनुपस्थित रहना।

(5) एस टी डी से कालें मिल जाने से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी बुक की गई ट्रंक कालों को रद्द करना।

(ग) कलकत्ता टेलीफोन में प्रभावी ट्रंक कालों की दूर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदल उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है :

(1) एक्सचेंज में ट्रंक बेन की विस्तृत जांच तथा जंक्शनों का निरन्तर निरीक्षण करना।

(2) अतिरिक्त आपरेटर डायलिंग ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था करना तथा नए सी धे मार्ग चालू करना। 15 अतिरिक्त ट्रंक बोर्डों की स्थापना करने का कार्य चल रहा है। ट्रंक बोर्डों के लिए अतिरिक्त जंक्शन भी प्रदान किए जाएंगे।

औषधि और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का आयात

6483. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान औषधि और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात के प्रस्तावों को मंजुरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों में कौन-कौन से सहयोगकर्ता शामिल हैं ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सम्बद्ध ब्यौरे संलग्न विवरणपत्र में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	औषध आदि का नाम जिसके लिए 1983 और 1984 के दौरान प्रौद्योगिकी के आयात को अनुमोदन दिया गया था	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम
1	2	3
1.	सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एस्पिरिन आदि सहित	इन्ड. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, रूमानिया
2.	स्वीट एनलो स्वीटनर	कम्बरलैण्ड पैकिंग कार्पो० यू एस ए
3.	6-ए पी ए	1. आस्ट्रा फार्मा. स्वीडन 2. टोया जोजो कं. लि. जापान 3. डोवफार एस पी ए, इटली
4.	इकोनाजोल निट्रेट और इसके फार्मू.	सिलग कैमि. लि. स्विटजरलैंड
5.	इब्युप्रोफिन	ए सी आई सी लि., कनाडा

1	2	3
6.	डी एल-2 अमिनोबुटानोल	इन्टरनेशनल मानिरल्स और कैमि. कार्पो. यू एस ए
7.	सेलिसाइलिक एसिड, सोडियम सेलिसाइलेट और एस्पिरिन	इन्टरनेशनल व्यापार स्टर्लिंग ड्रूआ एसो. आई एन सी. यू एस ए
8.	नेलिडिक्सिक एसिड पेन्टाजोसाइन फिनाइल-फिराइन एच सी एल विनोरिलेट	स्टर्लिंग ड्रग इन्सी, यू एस ए
9.	इम्पटी हार्ड जिलेटिन कैप. (100 प्रति. एक्सपोर्ट)	केपसुल टेकनालाजी इन्टरनेशनल लि., कनाडा
10.	सिमिटिडाइत, इकोनाजोल निट्रेट इन्डापामाइड	वेक्सेन्स इनवेस्टमेंट सा एवेनिडाजस्टो यकाले
11.	डी-पिनाइलग्लाइसिन/पारा-हाइड्रोक्सी-फिनाइलिन	मेडीमेक्स हंगेरियन ट्रेडिंग कंपनी, आफ फार्मा. प्रोडक्टस हंगरी
12.	इथोक्सी मिथाइलिन मेलोनिक ईस्टर (ई एम एम ई)	डाइनेमिट नोबल, वे. जर्मनी
13.	रिफाम्पिसिन	1. टेक्नो एक्सपोर्ट (फार्माचिम) 2. चौंग कुम कार्पो. साउथ कोरिया
14.	एल. सिस्टीन (100 प्रति. निर्यात)	वर्ल्ड कैमि. लि. जापान
15.	टाइमड रिलीज, फार्मा. फार्मूलेशन	सिडमेक लेबो. आई एन सी, यू एस ए
16.	एब्रोसिव टेप्स एण्ड सर्जिकल ड्रेसिंग	एस. ए. इसोप्लास्ट, स्विटजरलैण्ड
17.	सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन (एसटाइल सैलिसिलिक एसिड) सोडिय सेलिसिलेट	ए.बी. बोफोरस नोबल चीमातुर स्वीडन
18.	विटामिन सी	फोस्टर हवीलर इटली
19.	डी-नेप्रोक्सन	स्पेसीफार्मा एस पी ए इटली
20.	एमोक्सिसिलिन के लिए डिजाइन और ड्राविंग	डेवून फार्मा, कंपनी लि. साउथ कोरिया

1	2	3
21.	डी-नोरगेस्ट्रोल और इसके गोलि. आदि	जी डि ओन रिचर लि. हंगरी
22.	प्लास्टर आफ पेरिस वंडागीज	आई वी एफ मेसचीन के ब्रिक शाफहें-न्सेबसूसेन, स्विटजरलैंड
23.	पेन्टाजोकाइन	फेब्रिका इटालिना साइनटिकी, इटली ।

तेल की खोज के कार्यक्रम

6484. **श्री आर० एम० भोये :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कहां-कहां किन-किन क्षेत्रों में इस समय तेल की खोज के कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) निकट भविष्य में और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में किन-किन नए क्षेत्रों में गवेषण कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे; और

(ग) तेल गवेषणा कार्य में कौन-कौन से देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं और तेल गवेषणा के लिए वे देश किन-कन शर्तों पर सहमत हुए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय निम्नलिखित क्षेत्रों/बेसिनों में तेल की खोज का कार्य किया जा रहा है :—

क्षेत्र/बेसिन	स्थान
1	2
काम्बे	तटीय
ऊपरी असम	,,
असम-अकरान फोल्ड	,,
बेल्ट	,,
पश्चिम बंगाल	,,
कृष्णा-गोदावरी	,,
कावेरी	,,
राजस्थान	,,
हिमाचल प्रदेश	,,
उत्तर प्रदेश	,,

1	2
बिहार	तटीय
मध्य प्रदेश	,,
कछ और सौराष्ट्र	,,
बेसिन (केवल सर्वेक्षण)	,,
अरुणाचल प्रदेश	,,
आर-7, सी-2, एच ई-ई, आर-9, डब्ल्यू आई-10, बी-174	पश्चिमी तट पर समुद्रों में
ए एन-32	
महानदी बेसिन उत्तर पूर्वी तट	पूर्वी तट पर समुद्र में

(ख) वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित नये क्षेत्रों में तेल की खोज करने का प्रस्ताव है :

तटीय क्षेत्र	अपतटीय क्षेत्र
गुजरात	पूर्वी तट
राजस्थान	पश्चिमी तट
हिमाचल प्रदेश	अंडमान
जम्मू और कश्मीर	
पश्चिमी बंगाल	
असम	
नागालैंड	
त्रिपुरा	
आन्ध्र प्रदेश	
तमिलनाडु	
उड़ीसा	

(ग) सोवियत संघ की गई सेवाओं के लिए भुगतान के आधार पर राणाघाट-जगुली—कृष्णनगर क्षेत्र में तेल की खोज तथा पश्चिमी बंगाल में बोदरा-2 में कूद के व्यधन में भारत को सहयोग दे रहा है।

रुग्ण पेट्रोलियम कुओं को पुनः आरम्भ करना

6485. **श्री एन० डेनिस :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्ण हो रहे पेट्रोलियम कुंओं के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में कई रुग्ण पेट्रोलियम कुंओं को पुनः चालू करने हेतु भारत ने तकनीकी जानकारी तथा मशीनरी का उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो रुग्ण कुंओं की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने रुग्ण कुंओं को पुनः चालू करने हेतु किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता किया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड उपचार उपायों के तौर पर रुग्ण कुंओं की निरन्तर देख-रेख करते हैं। इस प्रयोजन के लिए उनके पास पर्याप्त तकनीकी जानकारी और उपकरण हैं। कभी-कभी वे अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं।

(ग) 1-4-1985 को 395 रुग्ण कुएं थे।

रुग्ण कुओं को पुनः चलाने के लिए एक ठेका दिया गया है जिसमें उपकरणों के आयात और सोवियत विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने की परिकल्पना है। इस समय दो सोवियत दल गुजरात में रुग्ण कुंओं पर काम कर रहे हैं।

तेल, गैस की खोज तथा ड्रिलिंग के क्षेत्र में सोवियत संघ द्वारा सहायता

6486. **श्री एन० डेनिस :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और गैस की गवेषणा तथा ड्रिलिंग के क्षेत्र में सोवियत संघ द्वारा प्रदत्त सहायता का अनुपात क्या है; और

(ख) सोवियत संघ और अन्य बहराष्ट्रीय कंपनियों के बीच समान ठेकों के नियम और शर्तों में क्या बुनियादी मूल अंतर है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : सोवियत सुविज्ञता, सामग्री, उपस्कर तथा कार्मिकों के रूप में सोवियत संघ से सहायता प्राप्त होती है जिसमें से सारी परिमाणन के अधीन नहीं होती। इसलिए अनुपात का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(ख) प्रत्येक संविदा की शर्तें अलग होती हैं इसलिए दोनों में कोई निश्चित अन्तर नहीं है

सोवियत संघ के साथ संविदा भारत-सोवियत द्विपक्षी करार के अन्तर्गत होती है तथा अधिकतर इसकी अदायगी भारतीय रुपयों में की जाती है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों के कार्यकरण के बारे में किया गया परीक्षण

6487. **श्री गुरुदास कामत :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिनी सीमेंट संयंत्रों के कार्यकरण के बारे में कोई परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण सफल रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) चूना-पत्थर के बहुत छोटे भंडारों की खुदाई करने, सीमेंट की उत्पादन क्षमता का देश भर में छितराव करने, रेल परिवहन पर भार कम करने, पूंजीगत लागतें कम करने तथा शीघ्रता से मशीनें लगाने एवं विशेषकर ग्रामीण, पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में अधिक रोजगार देने की दृष्टि से मिनी सीमेंट संयंत्रों (200 मी. टन दैनिक या 66,000 मी. टन वार्षिक सीमित क्षमता) की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी, 1979 में एक नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अनुसार मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कई स्वीकृतियां दी गई हैं। 31 मार्च, 1985 को मिनी सीमेंट क्षेत्र में 11.8 लाख मी. टन क्षमता स्थापित हो जाने का अनुमान है। इन संयंत्रों में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। चूंकि अधिकांश मिनी सीमेंट संयंत्रों ने हाल ही में उत्पादन करना शुरू किया है और उत्पादन करते हुए उन्हें काफी समय नहीं हुआ है इसलिए इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना का कार्यक्रम सफल हुआ है या नहीं।

बड़े उद्योगों द्वारा लघु क्षेत्र की वस्तुओं का उत्पादन

[हिन्दी]

6489. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, उनका बड़े उद्योगों द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी वस्तुएं हैं तथा कब से उनका इस प्रकार उत्पादन हो रहा है; और

(ख) क्या कोई ऐसा प्रभावी केन्द्रीय कानून है जो बड़े उद्योगों को ऐसा करने पर रोक लगाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन बड़े उद्योगों को ऐसा करने से तथा कब रोका गया और दोषी पाए जाने पर क्या दण्ड दिया गया ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए उपायों में से एक उपाय कुछ वस्तुएं लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित करना है। इस समय 873 वस्तुएं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। लाइसेंस देने की विद्यमान नीति के अनुसार लघु एकक के अलावा कोई नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए या विद्यमान औद्योगिक एकक का पर्याप्त विस्तार करने के लिए कम से कम 75% उत्पादन के निर्यात के उत्तरदायित्व को छोड़कर, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया नहीं जाता है।

फिर भी कई औद्योगिक उपक्रम ऐसे हैं जो आरक्षण की तारीख से पहले से आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। ऐसे एककों की क्षमता, आरक्षण की तारीख से तत्काल पहले, उनके सर्वाधिक उत्पादन के आधार पर स्थिर कर दी गई है। किन्तु ऐसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा, जो लघु एकक नहीं है, निर्माण की जा रही वस्तुओं की सूची बता सकना संभव नहीं है क्योंकि औद्योगिक विकास विभाग में ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

ऐसे मतदान केन्द्र जहां उम्मीदवार को 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मत प्राप्त हुए

6490. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने राज्य विधान सभाओं के पिछले चुनावों के दौरान प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित आदेश दिए थे कि मतगणना के पश्चात् ऐसे चुनावों के परिणाम, परिणाम शीट पर रिकार्ड नहीं किए जाएं जहां कोई उम्मीदवार किसी भी मतदान केन्द्र पर कुल डाले गए मतों का 90 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है; और

(ख) क्या किसी उम्मीदवार को 5 मार्च, 1985 को 246 स्थानों के लिए हुए विधान सभा चुनावों में किसी मतदान केन्द्र पर 90 प्रतिशत या उसके अधिक मत प्राप्त हुए और यदि हाँ, तो ऐसे मतदान केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग ने, मतदान केन्द्र पर कब्जा करने को रोकने के लिए रिटर्निंग आफिसरों द्वारा किए जाने

वाले विशेष उपायों की बाबत अनुदेश जारी किए थे और 6 नवम्बर, 1984 को आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से सुसंगत उद्धरण की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 5 मार्च, 1985 को हुए सभा निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र पर 90 प्रतिशत या अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों के बारे में सूचना, और ऐसे मतदान केन्द्रों के नाम एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

गणना के समय रिटर्निंग आफिसर को मतदान केन्द्रों में मतदान की समाप्ति के समय तैयार किए गए प्रत्येक मतदान केन्द्र के मतपत्र लेखा और गणना सारणी में यथा अभिलिखित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की भी जांच करनी चाहिए। यदि वह यह पाता है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य मतदान केन्द्रों की तुलना में किसी मतदान केन्द्र में मतदान की प्रतिशतता असाधारण है या इतने मत प्राप्त हुए हैं कि वह विश्वास करने के योग्य नहीं है और यह पाता है कि किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए मतों की संख्या, सामान्य मानक से अधिक है और अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए मतों की संख्या, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी के पक्ष में नगण्य, न्यूनतम या संख्या में अत्यधिक कम हैं (उदाहरणार्थ किसी मतदान केन्द्र की समनुदेशित कुल मतों की संख्या 900 है और मत पत्र हिसाब यह दर्शित करता है कि इनमें से 850 मत या अधिक उस मतदान केन्द्र में दिए गए हैं और इन 850 मतों में से 840 या 845 किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में हैं) ऐसी घटना उस निर्वाचन क्षेत्र के अनेक मतदान केन्द्रों में देखी जाती है, तो रिटर्निंग आफिसर को उस विशेष मतदान केन्द्र या केन्द्रों के मतपत्रों और मतपत्र लेखा को गणना अधिकारी या अभ्यर्थी की उपस्थिति में एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर परिणाम पत्र में हिसाब में लिए बिना अलग रखना चाहिए।

यदि निर्वाचन का परिणाम इन मतों को गणना में लिए बिना प्रभावित नहीं होता है तो, रिटर्निंग आफिसर परिणाम घोषित कर सकेगा। दूसरी ओर यदि प्रथम दो अभ्यर्थियों के बीच मार्जिन में अंतर अलग रखे गये कुल मतों से कम है तो रिटर्निंग आफिसर को परिणाम घोषित नहीं करना चाहिए किन्तु उसे आयोग के आदेश प्राप्त करने चाहिए और आयोग के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को गोताखोर उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

6491. **श्री भोलानाथ सेन :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आयोग द्वारा समुद्र के अंदर उपयोग किए

जाने वाले उपकरणों और साज-सामान के निरीक्षण और मरम्मत के लिए गोताखोरों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गोताखोरों की सेवाओं के लिए भारतीय नौसेना पर निर्भर न रह सकने के क्या कारण है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को खोताखोरों की सेवाएं किन शर्तों पर उपलब्ध कराने पर सहमत हुई; और

(ङ) आयोग के गवेषणा कार्यों के संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गोताखोरों की सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जिन पार्टियों से एम एस बी/एन डी टी जलपोत किराये पर लिये जाते हैं, उन्हीं को दिये गये ठेके के एक भाग के रूप में गोतागार सेवाओं का प्रावधान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खुदाई रिगों के लिए विदेशी गोतामार फर्मों की सेवाएं ली जाती हैं। जो विदेशी फर्में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को गोतामार सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

1. स्वायर पेसीफिक-आफशोर, हांग-कांग।

2. टायलोर इक्यूपमेंट (सी) प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर।

3. डाईविंग इक्यूपमेंट (सी) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर।

(ग) भारतीय नौसेना के गोताखोरों को इस प्रकार का अनुभव नहीं होता है जैसाकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए वांछित है।

(घ) गोताखोर आमतौर पर दैनिक दर के आधार पर उपलब्ध होते हैं।

(ङ) दोनों ही प्रकार की सरकारी और निजी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय कई भारतीय कम्पनियां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को ऐसी सेवाएं दे रही हैं। इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम कम्पनियों के सृजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बेसिक कैमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स का निर्यात बढ़ाना

6492. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेसिक केमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स का निर्यात बढ़ाने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई दीर्घावधि निर्यात योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 तक उक्त पदार्थों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औषधों और भेषजों पर कार्यदल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वर्ष 1989-90 हेतु फाइटोकेमिकल्स सहित, 150 करोड़ रुपये के तैयार कार्मूलेशनों और बल्क औषधें के निर्यात का अनुमान लगाया था।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच औद्योगिक संबंध

6493. **श्री बी. वी. देशाई :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया औद्योगिक संबंध को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों से प्रतिनिधि मण्डलों ने एक दूसरे देश का दौरा किया है और किसी अंतिम सहमति पर पहुंचे हैं;

(ग) यदि हां, तो किए गये समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं; और

(ङ) दक्षिण कोरिया औद्योगिक क्षेत्र में भारत की किस सीमा तक सहायता करने पर सहमत हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) दि एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री (ए०आई० ई० आई०) और फेडरेशन आफ कोरियन इण्डस्ट्रीज (एफ०के०आई०) आफ साउथ कोरिया ने दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए अभिरुचि वाले अनेक प्रमुख क्षेत्रों में अक्तूबर 1984 में एक आठ सूत्री करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ए०आई०ई०आई० और एफ के०आई० के बीच विशेष रूप से इंजीनियरी उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों पक्ष भी व्यापार हेतु एक दूसरे को अत्यधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने के लिए अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने पर सहमत हो गए हैं।

सहयोग करार में सम्मिलित विशिष्ट मसलों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है जो ए० आई० ई० आई० और एफ० के० आई० के विचाराधीन है।

अब तक दो भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलों ने दक्षिण कोरिया का दौरा कर चुके हैं और इसके बदले दक्षिण कोरिया के तीन प्रतिनिधि मण्डलों ने हमारे देश का दौरा किया है।

इसके अतिरिक्त, एक इण्डोकोरियन ज्वाइंट बिजिनेस काउन्सिल 1976 से कार्य कर रही है। अब तक परिषद की 6 बैठकें हो चुकी हैं। एफ कोरियाई प्रतिनिधि मण्डल भारत में पांचवीं बैठक में सम्मिलित होने के लिए मई, 1983 में आया था और जून, 1985 में उनके पुनः किसी समय आने की आशा है।

भारतीय औषध उद्योग के योजना तथा विकास संबंधी कार्यकारी दल के प्रस्ताव

6494. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औषध उद्योग के योजना और विकास संबंधी कार्यकारी दल द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां; तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए औषध विकास के लिए परिपेक्ष्य योजनाएं तैयार करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद ने योजना एवं विकास पर कार्यकारी दल की सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं। परिषद ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1984 में

प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने योजना एवं विकास संबंधी सिफारिशों सहित परिषद की किसी सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित संवैधानिक मामले

6495. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में 6 न्यायाधीशों की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पिछले 12 वर्षों से सुनवाई के लिए कितने संवैधानिक मामले लंबित हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : उच्चतम न्यायालयी की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 12 वर्ष से अधिक के 110 संवैधानिक मामले लंबित हैं।

उद्योगों को विकेन्द्रित करने की नीति

6496. **श्री डी. बी. पाटिल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों को विकेन्द्रित करना सरकार की नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1984-85 में अक्तूबर, 1984 तक संघशासित प्रदेश दिल्ली में 546 उद्योगों को स्थायी आधार पर और 1991 इकाइयों को अस्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन 2537 इकाइयों द्वारा कितनी सम्भावित क्षमता उत्पन्न की जाएगी और कब तक ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख अथवा इस से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की शहरी क्षेत्र की सीमाओं में या 5 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की नगर सीमाओं के अन्दर नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने या विद्यमान उपक्रमों के विस्तार को प्रोत्साहन न देना सरकार की नीति है।

(ख) और (ग) जी हां। दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना है जिनके लिए कम भूमि की

आवश्यकता है, जिनमें न्यूनतम बिजली की खपत निहित है, जो उच्च प्रौद्योगिकी पर निर्भर करें जो आधुनिक हैं। अधिक महत्व के हैं, प्रदूषण और जोखिम रहित हैं, कुशल अथवा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को नियोजित करते हैं और जिनकी पनपने की अवधि थोड़ी है।

(घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार पंजीकृत 2537 इकाइयाँ यथा समय निम्नलिखित क्षमताओं का सृजन कर सकती हैं :

स्थायी	546 एकक
रोजगार	3812 व्यक्ति
उत्पादन	30.03 करोड़ रुपये वार्षिक
अंनतिम	1991 एकक
रोजगार	13937 व्यक्ति
उत्पादन	109.50 करोड़ रुपये वार्षिक

मेकेनिकल और इलैक्ट्रिकल टाइपराइटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस

6497. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मेकेनिकल और इलैक्ट्रिकल टाइपराइटरों के निर्माण के लिए और अधिक लाइसेंस न देने का निर्णय किया है क्योंकि अब यह प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई हैं;

(ख) क्या इलैक्ट्रिकल टाइपराइटरों के निर्माण को तरजीह दी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार तीन किस्म के टाइपराइटरों से होने वाले तुलनात्मक फायदों और लागत लाभ पर विचार करेगी और इन टाइपराइटरों के निर्माण की भावी प्रद्धति के बारे में कोई निर्णय करेगी; और

(घ) इन तीन किस्म के टाइपराइटरों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) इस समय इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो मानव चालित/विद्युत राइटरों की तुलना में प्रोद्योगिकीय सुधार होने का प्रतीक हैं। अतएव मानवचालित/विद्युत टाइपराइटरों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों की मांग होने

लगी है। टाइपराइटरों के विद्यमान उत्पादकों के अनुरोध पर, सरकार ने मानवचालित टाइपराइटरों की विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर से ही उन्हें इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने के लिए नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। चूंकि, इस समय देश में सभी प्रकार के टाइपराइटर बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है/स्वीकृत कर दी गई है, अतः अतिरिक्त क्षमता के नये आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) इनके तुलनात्मक मूल्य निम्न प्रकार है :—

(1) मानवचालित टाइपराइटर	5,000 रु० (लगभग)
(2) विद्युतचालित टाइपराइटर	20,000 रु० (लगभग)
(3) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर	प्रत्येक माडल का मूल्य भिन्न-भिन्न है जो प्रत्येक माडल की स्मृति की सीमा, अतिरिक्त विशेषता, जटिलता आदि पर निर्भर करते हैं। फिर भी, मूल माडल का मूल्य 20,000 रु० से 25,000 रु० तक है।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा विदेशी ट्रेड मार्क लगाकर अधिक धन वसूल किया जाना

6498. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया मशीन लिमिटेड कम्पनी अपने 100 सी० सी० स्कूटरों पर बजाज के 150 सी० सी० के स्कूटरों की तुलना में 3000 रुपए अधिक वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह विदेशी ट्रेड मार्क का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है;

(ग) क्या स्कूटरों में नवीनतम टैक्नोलोजी के प्रयोग तथा इसमें लगाए गए छोटे इंजिन के कारण इसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए; और

(घ) उपरोक्त विदेशी सहयोग यहां के उपभोक्ताओं और/अथवा देश के लिए कहां तक लाभकारी सिद्ध हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि दिशा सूचकों, इलैक्ट्रानिक इग्नीशन आदि जैसी कुछ अतिरिक्त बातों की व्यवस्था और कुछ आयातित हिस्से पुर्जों जिनकी लागत में मुद्रा दरों में घट-बढ़ होने से वृद्धि हो गई है के प्रयोग के कारण इनके स्कूटर की कीमत अधिक है।

(घ) बाजार में ईंधनक्षम दुपहियों की उपलब्धता में वृद्धि करने के अलावा दुपहियों के विद्यमान निर्माताओं द्वारा डिजाइनों का उन्नयन करने के लिए इस सहयोग से प्रोत्साहन मिला है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून द्वारा यूनिफार्म के सामान की खरीद

6499. **डी० सी० एस० वर्मा**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने संगठित श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए यूमिनार्म का सामान खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इसकी सप्लाई के लिए टेंडर आमंत्रित करने से पहले इस सामग्री का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह सामग्री खरीदने का इच्छुक नहीं था जबकि सरकारी संगठन इन एककों/उपक्रमों से "एकल टेंडर-आधार" पर यह माल खरीद रहे हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बंदियों की विभिन्न मदों की दर बताने के लिए सभी पात्र पार्टियों से अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा संविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(घ) और (ङ) आयोग की भंडारण प्रक्रिया के अनुसार, एकल संविदा आधार पर ऊंचे दामों की सामान्य उपलब्ध मदों की प्राप्ति का प्रबन्ध यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों से भी नहीं किया गया। इसलिए यह निश्चित किया गया कि इन मदों की प्रतियोगी दरों पर प्राप्त करने के लिए सभी को अवसर देते हुए खुली संविदाएं जारी की जाएं।

इन संविदाओं के प्रति प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर, यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हों, वर्तमान आदेशों के अनुसार उनकी वरीयता के आधार पर विचार किया जायेगा।

आई डी पी एल को पशु चिकित्सा उत्पादों में घाटा

6500. **श्री असलम शेर खां :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लि. (आईडीपीएल) के पास तीन करोड़ मूल्य के पशु चिकित्सा उत्पादों का भण्डार जमा पड़ा है और उसने इस उत्पाद का निर्माण विदेशी पार्टियों से ऋण लाइसेंस के आधार पर कराया था;

(ख) यदि हां, तो इस उत्पाद का नाम क्या है तथा उस एकक का नाम क्या है जहां से इसका निर्माण कराया गया था;

(ग) इस उत्पाद के कारण आई डी पी एल को कितना घाटा उठाना पड़ा;

(घ) क्या आई डी पी एल द्वारा इस उत्पाद का निर्माण कराने के आदेश सरकारी निदेशकों की जानकारी में दिए गए थे;

(ङ) इस उत्पाद का कुल कितनी मात्रा में निर्माण कराया गया और उस पर क्या लागत आई और उसमें से कितना बेचा गया और उसमें से कितने उत्पाद का मूल्य वसूल हुआ तथा इस समय इसका कितना भण्डार जमा है और इसकी कितनी कीमत है तथा यह भण्डार कब से बिन बिका पड़ा है;

(च) क्या इस मामले की जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि. (आई.डी.पी. एल.) के पास 1.35 करोड़ रु.

का पशु चिकित्सा फार्मूलेशन, ट्राइवेक्सिन है। प्रपुंज औषध, मै. धारडा कैमिकल्स लि. से प्राप्त किया गया था। आई.डी.पी.एल. ने इस फार्मूलेशन का उत्पादन मै. इण्ट्रेक फार्मेस्यूटिकल्स लि., मद्रास से ऋण लाइसेंस पर करवाया था।

(ग) और (ङ) कम्पनी ने 11.17 रु. प्रति वायल की लागत पर ट्राईबेक्सिन की 11.57 लाख वायल्स की कुल मात्रा निर्मित करवायी। इन वायल्स का भण्डार आई.डी.पी.एल. को मई से अगस्त, 1983 तक उपलब्ध कराया गया।

अब तक बिक्री निम्न प्रकार थी :

वर्ष	मात्रा वायल्स/लाख	मूल्य (रु. लाखों में)
1983-84	1.96	34.94
1984-85	2.05	34.23

आई.डी.पी.एल. के पास इन वायल्स का वर्तमान भंडार 7.5 लाख है, जिनका बिक्री मूल्य 1.35 करोड़ रु. तथा लागत मूल्य 81 लाख रु. है। इस उत्पाद की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है और भंडार के समाप्त होने तक यह कहना कठिन है कि हानि हुई है।

(घ) उत्पाद को ऋण लाइसेंस के आधार पर निर्मित करने का निर्णय प्रबन्ध द्वारा किया गया था और कम्पनी ने इस सम्बन्ध में निदेशक बोर्ड का अनुमोदन करना आवश्यक नहीं समझा।

(च) और (छ) जी नहीं।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना सम्मेलन

6501. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अगस्त, 1984 से 20 अगस्त, 1984 तक वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो-4) का एक सम्मेलन हुआ था और उसका प्रयोजन क्या था;

(ख) भारत द्वारा 77 देशों के समूह के अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये; और

(ग) सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां । सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की औद्योगीकरण सम्बन्धी प्रगति और अड़चनों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूनिडो के योगदान सहित अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक सहयोग के उपायों का पता लगाना तथा औद्योगिक विकास पर यू. एन. प्रणाली में यूनिडो की समन्वयकारी भूमिका की समीक्षा करना था ।

(ख) और (ग) सम्मेलन (यूनिडो-4) में 77 देशों के ग्रुप ने महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध संकल्प घोषित किये थे जिनमें औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाना, विश्वस्तरीय औद्योगिक पुनर्गठन और पुनर्विनियोजन, विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना तथा विकासशील देशों में औद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना शामिल है । सम्मेलन में इन विषयों पर आपसी विचार-विमर्श और सहमति से संकल्प पारित किए गए जिनमें औद्योगिक विकास के लिए मानव-साधनों का तेजी से विकास करना, विकासशील देशों में औद्योगिक विकास के लिये वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, ऊर्जा और औद्योगिकीकरण, स्वदेशी औद्योगिक प्रक्रिया और कच्चे माल के लिए नीतियां बनाना और उपाय करना तथा विकासशील देशों के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल हैं । औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय साधन सुलभ बनाने और विश्व-स्तरीय औद्योगिक पुनर्गठन तथा पुनर्वियोजन के बारे में, यूनिडो-4 से कोई समझौता नहीं हो सका था ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, ऋषिकेश का गेस्ट हाउस

6502. **श्री एन. वेंकट रत्नम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि., ऋषिकेश ने अभी हाल ही में एक गेस्ट हाउस बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और इसके निर्माण का प्रयोजन क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पालिस्टर फिलामेंट यार्न के लिए आशयपत्र हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

6503. **श्री एन. वेंकट रत्नम :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा उद्योग में ब्लैंडिंग के लिए किये जाने वाले पालिस्टर फिलामेंट के निर्माण हेतु आशय-पत्र के लिए आवेदन किया था; और

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार को आशय-पत्र मंजूर करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) नवम्बर, 1984 में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट और रेगुलेशनस) एक्ट, 1951 के अधीन 6,000 टन क्षमता वाले पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण हेतु एक नए उपक्रम की स्थापना के लिए आवेदन किया है।

मांग के सम्बन्ध में लाइसेन्स क्षमता, विचाराधीन/लंबित आवेदन पत्रों की तिथियां और सम्बन्धित तथ्यों के प्रस्ताव के विचार-विमर्श के बाद अस्वीकृत कर दिया गया था।

जालौर (राजस्थान) में मार्बल के लिये पालिशिंग यूनिट

6504. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर जिले में अच्छी किस्म का मार्बल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या समूचा मार्बल पालिशिंग के लिये और अन्य वस्तुएं बनाने तथा निर्यात के प्रयोजनों के लिये जोधपुर तथा अन्य स्थानों में ले जाया जाता है;

(ग) क्या पालिश किये हुय मार्बल से भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पालिश करने के प्रयोजनों हेतु जालौर जिले में अपना यूनिट खोलने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अ फ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते;

गैस सिलेंडरों की खरीद के लिये निविदा पद्धति को समाप्त करना

6505. **श्री यशवंतराव के० गडाख पाटिल**
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने गैस सिलेंडरों की खरीद के लिए निविदा पद्धति को समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) देश में एल. पी. जी. सिलिंडरों की स्थापित अत्यधिक उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने तेल कम्पनियों द्वारा इस मद की खरीद किये जाने के लिए एक नीति तैयार की है। इसमें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्य के निर्धारण के अलावा निर्माताओं की अनुमोदित सूचियों, मूल्यांकित क्षमता, आपूर्ति क्षमता तथा यूनिटों के विगत के कार्य-निष्पादन के आधार पर खरीद का प्रस्ताव है।

टेलीफोन की बकाया देनदारियों की वसूली

6506. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** . क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से दिल्ली में मार्च, 1986 को टेलीफोन उपयोगकर्ताओं और टेलीफोन समितियों की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) संसद के भूतपूर्व सदस्यों की ओर कुल कितनी राशि के बकाया है;

(ग) दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, सरकारी अधिकारियों, व्यक्ति विशेषों और फर्मों के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है; और

(घ) सरकार ने उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं के लेखे दूर संचार सर्किल और जिलेवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। फिर भी, उपलब्ध जानकारी यथा संभव राज्यवार रखी गई है और यह नीचे दी गई है। बकाया राशि अनेक वर्षों तथा 28-2-85 तक जारी बिलों की संचयी राशि है और यह 1-3-85 तक की बकाया राशि है :—

क्र० सं०	राज्य	राशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.83
2.	बिहार	332.19
3.	गुजरात	318.43
4.	जम्मू एवं कश्मीर	128.80
5.	केरल	192.53
6.	कर्नाटक	253.34
7.	मध्य प्रदेश	216.92
8.	महाराष्ट्र (बांबे गोवा सहित)	1495.63
9.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरजम सहित)	315.43
10.	उत्तर पश्चिम (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं चण्डीगढ़)	216.63
11.	उड़ीसा	94.86
12.	राजस्थान	143.05
13.	तमिलनाडु (पांडीचेरी सहित)	374.34
14.	उत्तर प्रदेश	545.10
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्कम और अंडमान एवं निकोबारा सहित)	1240.07
16.	दिल्ली	1242.53
		योग : 7310.58

(ख) जानकारी यूनिटों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं के लेखे व्यक्तिगत या फर्मों के लिए अलग से नहीं रखे जाते हैं। फिर भी 1-3-85 को दिल्ली टेलीफोन्स में मौजूदा श्रेणियों की बकाया राशि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1. केन्द्र सरकार के उपभोक्ता	48.51
2. राज्य सरकार के उपभोक्ता	92.28
3. रक्षा विभाग के उपभोक्ता	37.57
5. प्राइवेट उपभोक्ता	1064.17
	योग : 1242.53

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिए विभागीय नियमों में निर्धारित नियमित प्रक्रिया अपनाई जाती है अर्थात् भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर आग्रह करना, यदि भुगतान न किया जाए तो कनेक्शन काटना, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उपभोक्ता से भुगतान करने के लिए आग्रह करना तथा जहां कहीं संभव एवं आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई की जाती है। सरकार बकाया राशि के सम्बन्ध में केन्द्र, एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उचित स्तरों पर संपर्क किया जाता है।

डाक बांटने, तार भेजने और टेलीफोन काल बुक करने के संबंध में परीक्षण जांच

6507. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विलम्ब से मिलती है, तारों के पहुंचने में देरी होती और टेलीफोन कालें बहुत देर से जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने यदा-कदा स्वयं पत्र भेज कर और टेलीग्राम और ट्रंक काल बुक कराकर नमूना परीक्षण जांच के माध्यम से उक्त विभाग के कार्य निष्पादन की सही स्थिति जानने के लिए कार्यवाही की है;

(घ) क्या विभाग के नियमों में परीक्षण की जांच करने की व्यवस्था है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष के दौरान ऐसे कितनी बार परीक्षण जांच कराई गई और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार कुशल कार्य निष्पादन के लिए इस योजना को शुरु करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सामान्य परिस्थितियों में डाक में विलंब नहीं होता है । किन्हीं विशेष अवसरों पर कुछ तारों में विलंब हो जाता है । ट्रंक कालों के मिलाने में बहुत देर नहीं लगती ।

(ख) डाक के बारे में उपर्युक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी जिन स्थानों में डाक में विलंब होता है, उनका पता लगाने तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है ।

सरकार ने तारों के प्रेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) पारगमन में होने वाले विलंब को रोकने के लिए माइक्रोप्रासेसर टेक्नालाजी पर आधारित स्टोर एण्ड फारवर्ड प्रणाली प्रारंभ करना ।

(2) उन विभागीय तारघरों में चरणबद्ध रूप से स्टैंड-बाई पावर सप्लाई करना जहां निरंतर बिजली फेल हो जाती है ।

(3) स्टाफ के अनुपस्थित हो जाने तथा परियात के अनायास बढ़ जाने की स्थिति से निपटने के लिए आरक्षित प्रशिक्षित पूल में शार्ट ड्यूटी कर्मचारियों की नियुक्ति करना; टेलीफोनों के संबंध में ट्रंक सेवाओं के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है । विभिन्न मार्गों पर, जहां औचित्य पाया गया हो, प्रचालन स्टाफ, ट्रंक बोर्डों तथा ट्रंक सर्किटों को समय-समय पर बढ़ाया जाता है । विभिन्न महत्वपूर्ण भागों पर स्थायी और विश्वसनीय मीडिया भी प्रदान किए गए हैं ।

(ग) डाक के प्रेषण और विलंब का पता लगाने के लिए डाक की मानीटरिंग के उद्देश्य से देश भर में परीक्षण पत्र भेजे जाते हैं । इसके अलावा, विभाग द्वारा नियमित रूप से नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है । तारों के लिए नमूना जांच की व्यवस्था की गई है । सभी महानगरों और बड़े टेलीफोन जिलों में ट्रंक काल लगाने के लिए निरंतर मानीटरिंग की जाती है । तथापि, ट्रंक कालों की बुकिंग करके कोई परीक्षण नहीं किया जाता है ।

(घ) डाक मार्गों और वितरण के समय की जांच करने के लिए नियमों में जांच कार्ड और परीक्षण कार्ड पोस्ट करने की व्यवस्था है।

ट्रंक कालों के लिए जांच करने का कोई नियम नहीं है।

(ङ) 1984 के दौरान देशभर में 1,44,880 परीक्षण पत्र पोस्ट किए गए तथा विलंब की प्रतिशतता 7.4 थी। तारों के प्रेषण और वितरण की गति के संबंध में 1984 में निर्धारिता-दैनिक आधार पर परीक्षण किया गया तथा इससे संतोषजनक परिणाम निकले। ट्रंक कालों के संबंध में उपर्युक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए डाक और तारों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ट्रंक कालों का जहां तक संबंध है, ट्रंक सेवाओं के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए परीक्षण अनिवार्य नहीं है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल गवेषणा

6508. **श्री मूल चंद डागा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेल गवेषणा कार्य के लिए अधिक संभावनाओं वाले कुछ क्षेत्र विदेशी कंपनियों के लिए खुले छोड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त निर्णय सरकार की उस योजना के विरुद्ध नहीं है जब विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीकरण किया गया था; और

(घ) इस मामले में कितने अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया है और भावी दौरों की योजनाएं क्या हैं तथा दौरों आदि पर कितनी राशि व्यय की गई है और की जा रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ग) भारत में तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को दिये जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नीति की अभी समीक्षा की जा रही है। अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही इसके ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

(घ) चार सदस्यों का एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल जो ऑफशोर टैक्नालॉजी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गया है, इस अवसर पर लीजिंग प्रबन्धों के बारे में ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका में विदेशी कम्पनियों के साथ बातचीत करेगा। इस स्थिति में यात्रा इत्यादि पर होने वाले व्यय के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

गिरिडीह (बिहार) से सीधी डायल सेवा प्रणाली

[हिन्दी]

6509. **श्री सरफराज अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिडीह (बिहार) जो कि अभरक उत्पादन का मुख्य केन्द्र है, में टेलीफोन के लिए मानवचालित प्रणाली है;

(ख) क्या सीधी डायल सेवा प्रणाली की व्यवस्था के लिए भवन निर्माण आदि का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) सीधी डायल सेवा प्रणाली शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह प्रणाली कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी हां, गिरडीह (बिहार) में 600 लाइनों का मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 551 कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भवन निर्माण कार्य 1975 में पूरा कर लिया गया था।

(घ) स्टोर प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ। हाल ही में उपस्कर का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

(ङ) 7वीं योजना के मध्य तक।

खाना पकाने की गैस के स्टोवों की बाजार में बिक्री

[अनुवाद]

6510. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस की विभिन्न डिजायनों के बड़ी संख्या में स्टोव बाजार में बेचे जा रहे हैं;

(ख) क्या खाना पकाने की गैस सप्लाई करने वाली इंडियन ऑयल कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों ने इन डिजाइनों की स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत डिजाइन कौन-कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या प्रयोक्ताओं को इनमें से किसी डिजायन के स्टोव का प्रयोग करने में किसी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार केवल उन्हीं स्टोवों का तेल कम्पनियों के एल पी जी

डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा विपणन किया जाता है जो आई एस आई द्वारा प्रमाणित होते हैं। वितरक द्वारा एल पी जी कनेक्शन तभी जारी किया जाता है जब वह यह सुनिश्चित कर लेता है कि उपभोक्ता के पास आई एस आई प्रमाणित स्टोव है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन तार का प्रयोग करके वीडियो परीक्षण ट्रांसमीशन सुविधाएं

6511. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन का तार प्रयोग करके वीडियो परीक्षण ट्रांसमीशन सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो यह उपकरण कहां से प्राप्त किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं योजना के अंतिम वर्षों या आठवीं योजना के दौरान संसाधन उपलब्ध हो जाने पर वीडियो टेक्स (वीडियो टेक्स नहीं) स्थापित करने की शुरुआत की योजनाएं हैं।

(ख) यह सेवा जनता को सामान्य लाइनों के माध्यम से तथा घरों में लगाए गए टी.वी. सेटों से सूचना प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर सुलभ कराके जनता को सामान्य हित की सूचना सेवा देने के प्रयोजन से स्थापित किए गए कम्प्यूटरों से सूचना प्राप्त करने के लिए है। संभरकों द्वारा कम्प्यूटरों में सूचना सीधे दी जाती है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की किसी सेवा को प्रदान करने के लिए वीडियो टेक्स सेवा, अंकीय की-बोर्ड आदि के लिए सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क और डेडीकेटेड डाटा नेटवर्क, जिसे स्थापित किया जाना है, के माध्यम से वीडियो टेक्स स्थापित करने के अलावा घरों में लगे टी. वी. सेटों के सम्बन्ध में मानकीकरण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए अपेक्षित उपस्कर आंशिक रूप से अपने देश से तथा आंशिक रूप से आयात करके प्राप्त किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर तेल की आवश्यकता

6512. **श्री के० राममूर्ति :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में ट्रांसफार्मर तेल की आवश्यकता को अब किस तरह पूरा किया जा रहा है ?

(ख) क्या निजी क्षेत्र की कम्पनी पेट्रो कैमीकल्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास द्वारा अतिरिक्त उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर तेल का उत्पादन किया जा रहा है जिसका प्रबन्ध गत तीन दशकों के दौरान अलग-अलग प्रबन्धकों के पास रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस यूनिट का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या कठिनाईयां आड़े आ रही हैं, विशेषकर जबकि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशालय की नियुक्ति भारतीय तेल निगम द्वारा की जाती है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में ट्रांसफार्मर तेल के कई निर्माता हैं जो इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये जा रहे बेस स्टाक से ट्रांसफार्मर तेल का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नहीं की जाती है। ट्रांसफार्मर तेल, विशिष्ट तेल इत्यादि का निर्माण करने वाली डाउन यूनिटों के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार नहीं है।

डी०बी०सी० के लिए धरोहर राशि पर ब्याज

6514. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरा गैस सिलेंडर लगाने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को एक छोटा सा उपकरण दिया जाता है जिसके लिए 130 रुपये वसूल किए जाते हैं;

(ख) क्या नए 'विलक आन" टाइप के सिलेंडर की सप्लाई के साथ इस उपकरण को हटा कर वापस ले लिया जाता है क्योंकि उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है;

(ग) क्या उसभोक्ता को 130 रुपये की राशि वापस नहीं की जाती और इस राशि पर उपभोक्ता कों ब्याज भी नहीं दिया जाता; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सुरक्षा की दृष्टि से "एफ" टाइप के उपस्कर में दूसरे सिलण्डर को जोड़ने के लिए एक टी कनेक्टर की आवश्यकता होती है ताकि दूसरा सिलण्डर उपभोक्ता के घर में अलग से न रखा जा सके। टी कनेक्टर की कीमत सामान्यतः 80 रुपये से 110 रुपये के बीच होती है।

(ख) से (घ) चूंकि टी कनेक्टर उपभोक्ता की सम्पति है इसलिए "एफ" टाइप वाले उपस्कर के बदले "एससी" टाइप के वाल्व वाले सिलण्डर लौटाते समय पहली बार दी गई कीमत लौटाई नहीं जाती।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पेट्रोल पम्प

[हिन्दी]

6515. **श्री बुद्धि चंद्र जैन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पट्रोल पम्प की अत्याधिक कमी के कारण लोगों को विशेषत: किसानों को, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनको बहुत दूर के स्थानों मे पेट्रोल और डीजल प्राप्त करना पड़ता है; और

(ख) सरकार का लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त जिलों में वर्ष 1985-86 और 1986-87 में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष के आधार पर तेल उद्योग अपनी विपणन योजनाएं तैयार करता है जो इसके द्वारा किए गए मांग सर्वेक्षण पर आधारित होती है । तेल उद्योग ने अपनी 1985-86 के लिए विपणन योजना अब प्रस्तुत कर दी है जिसमें बारमेड़, जैसलमेर तथा जोधपुर जिले के निम्नलिखित स्थानों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य खुदरा विक्रय केन्द्रों को खोलना शामिल किया गया है । इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इनमें से प्रत्येक कब तक काम करना शुरु कर देंगे ।

क्रमांक	जिला	स्थान
1.	जैसलमेर	रामगढ़
		मोहनगढ़
		नछाना
2.	जोधपुर	मानकलन
		चन्मू
		नई कृष्णामंडी

इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के खुलने से इन जिलों में बेहतर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाना

[अनुवाद]

6516. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई समय सीमा निश्चित करने का निर्णय किया है जिसकी भारतीय कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई हो कि वे आयातित प्रौद्योगिकियों को खपायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रौद्योगिकियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी औषध कम्पनियां कई वर्षों से प्रौद्योकियों का आयात करती आ रही हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विदेशी सहयोग करार एक विशेष अवधि के लिए स्वीकृति किये जाते हैं जिसके भीतर भारतीय कम्पनियों से आयातित प्रौद्योगिकियों को आत्मसात् करने की आशा की जाती है।

(ख) किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि एकदम ऐसी ही प्रौद्योगिकी का पहले आयात तो नहीं किया गया है।

(ग) औषध सहित सभी क्षेत्रों में उन मामलों में प्रौद्योगिकियों के आयात की अनुमति दी जाती है जहां स्वदेशी वाणिज्यिक जोय्य प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा संयंत्रों का बदला जाना

6517. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स ने अपने पुराने यूरिया और अमोनिया संयंत्रों को बेकार घोषित करने और उनके स्थान पर आधुनिक यूनिटें स्थापित करने का निर्णय लिया है जैसा कि 22 अप्रैल, 1985 के इकानामिक टाइम्स में ससाचार प्रकाशित हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य उर्वरक संयंत्र भी समान कदम उठाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) आर० सी० एफ० ने प्रस्ताव किया है कि उनके पुराने अमोनिया और यूरिया संयंत्रों का या तो पुनर्वासित किया जाए या प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) और (ग) प्रत्येक संयंत्र का प्रबन्ध अपना-अपना निर्णय लेगा जो उनकी विशिष्टि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

सातवीं योजना में सीमेंट उत्पादन

6518. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट के उत्पादन में काफी वृद्धि की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षमता विस्तार में मिनी सीमेंट संयंत्रों को क्या भूमिका सौंपी जा रही है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान 301 लाख मी. टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था। योजना आयोग द्वारा गठित सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्य दल (1985-90) ने सातवीं योजनावधि के अन्त तक 507.7 लाख मी० टन के उत्पादन लक्ष्य का अनुमान लगाया है।

(ग) मिनी सीमेंट संयंत्रों ने देश के विकासात्मक कार्यक्रम में विशिष्ट भूमिका अदा की है। इससे अधिकाधिक मात्रा में छोटे से छोटे निक्षेपों का विदोहन किया गया, समग्र देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता को छितराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ, सीमेंट को लाने ले जाने के लिए रेलवे पर भार कम हुआ है तथा विशेष रूप से ग्रामीण, पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने के बारे में शिवारामन समिति की सिफारिशें

6519. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने के बारे में शिवारामन समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के उद्योग विहीन जिलों में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितने उद्योग स्थापित करने का विचार है और उन उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन पर कितना धन-खर्च होगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय निवेश योजना की समीक्षा करने और संशोधित योजना तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की जा रही है। इस समिति द्वारा शिवरामन् समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कोई उद्योग-रहित जिला नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में डाक और दूर संचार उपडिवीजनों और डिवीजनों का बनाया जाना

6520. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक जिलावार कुल कितने डाक और दूर संचार उपडिवीजन और डिवीजन बनाये गये हैं;

(ख) इस समय कितने नये डाक और दूरसंचार उप-डिवीजन और डिवीजन बनाने के प्रस्ताव है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) यदि उप-डिवीजन और डिवीजन का लक्ष्य डाक और दूर-संचार सुविधाओं का विकास करना तथा बेहतर प्रशासन और समन्वय है, तो अविकसित और जनजाति जिलों में जबकि इनका कार्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा विस्तृत है, उप-डिवीजन तथा डिवीजनों जैसी सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय का जनजाति क्षेत्रों के लिए नये मानदण्ड तैयार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कालाहांडी में डाक मंडल बापुदेवपुर और सोनपुर राज में डाक उप मंडल तथा पुरी जिले के भुवनेश्वर में एक फोन मंडल और एक फोन उप मंडल के सृजन का प्रस्ताव है।

(ग) वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सलाह से तैयार किए गए विभागीय मानदंडों के आधार पर डाक तथा दूर संचार उप मंडलों और मंडलों का सृजन किया जाता है। दूरसंचार सर्किलों के मानदंडों में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को उचित महत्व दिया गया है। फिलहाल पदों के सृजन पर लगी रोक को ध्यान में रखते हुए ऐसे नए मंडलों/उप मंडलों का सृजन नहीं किया जाता है जिनमें नए पदों की आवश्यकता होती है।

(घ) अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उड़ीसा में जिलेवार डाक मण्डलों और उप मण्डलों की कुल संख्या

जिले का नाम	मंडल	उपमंडलों की संख्या
1	2	3
1. बालासौर	2	8
2. बोलनगीर	1	4
3. कटक	3	12
4. धेनकनाल	1	5
5. कालाहांडी	—	4
6. कोरापुट	1	
7. क्योंझर	1	5
8. मयूरभंज	1	8
9. फूलबनी	1	4
10. पुरी	2	3
11. सम्बलपुर	1	6
12. सुन्दरगढ़	1	5
13. गंजम	2	9

उड़ीसा में जिलेवार द्रुत संचार मण्डलों/उपमण्डलों की कुल संख्या

1. बालासौर	1	1
2. बोलनगीर	—	2
3. कटक	2	-
4. धेनकलाल	—	1
5. गंजम	1	2
6. कालाहांडी	—	—

1	2	3
7. क्योंझर	—	1
8. कोरापुट	—	1
9. मयूरभंज	—	1
10. फूलबनी	—	.
11. पुरी	;	:
12. सम्बलपुर	1	3
13. सुन्दरगढ़	1	3

उड़ीसा में उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

6521. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मण्डल में उप-डाकघरों औद मुख्य डाकघरों के लिए भवनों और वहां अब तक कितने स्टाफ क्वार्टरों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरसंचार मण्डल, उड़ीसा में सब-डिवीजन-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज भवन हैं और अब तक कितने स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध किए गए हैं;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में डाक-भवन और टेलीफोन एक्सचेंज भवन और स्टाफ क्वार्टर सुविधाएं अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगामी वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों के बीच इस विशाल अन्तराल को कम करने के लिए मण्डलों और उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : डाक(क) उड़ीसा डाक सर्किल में उप डाकघरों और प्रमुख डाकघरों की कुल संख्या 1174 है जिसमें से 98 विभागीय इमारतों में हैं और 1076 किराए की इमारतों में। उड़ीसा डाक सर्किल में प्रदान किए गए कुल स्टाफ क्वार्टरों की जिलेवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। अन्य इलाकों की तुलना में जनजातीय इलाकों में डाकभवनों और स्टाफ क्वार्टरों की सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं।

(घ) परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप में मंजूरी दी जा रही है बशर्ते कि निधि और स्थान उपलब्ध हों ।

(ङ) 1985-86 के दौरान जनजातीय इलाकों में 8 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है !

दूरसंचार

(क) और (ख) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में प्रत्येक उप मंडल में टेलीफोन एक्सचेंज भवनों और स्टाफ क्वार्टर की संख्या विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जनजातीय इलाकों में टेलीफोन की पर्याप्त मांग दर्ज नहीं है और इसके परिणाम-स्वरूप स्टाफ की संख्या भी कम है ।

(ङ) जनजातीय इलाकों में घाटे के आधार पर भी लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की व्यवस्था है टेलीफोन एक्सचेंजों और स्टाफ क्वार्टर को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है । टेलीफोन की मांग के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना बनाई जाती है और स्टाफ क्वार्टर निधि और भूमि की उपलब्धता के आधार पर बनाए जाते हैं ।

विवरण-1

जिला	डाक स्टाफ क्वार्टरों की संख्या
1	2
पुरी	227
कटक	55
दीनकनाला	11
बोलंगीर	2
सम्बलपुर	72
बालासोर	28
गुंजमाल	2
फुलबानी	5
कोरापुट	4

1	2
सुन्दरगढ़	95
कालाहांडी	2
क्योंझर	शून्य
मयूरभंज	शून्य
	504

विवरण-2

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में उप मण्डल वार टेलीफोन एक्सचेंज/स्टाफ क्वार्टरों की संख्या के बारे में स्थिति

क्र.सं.	उप मंडल	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	स्टाफ क्वार्टरों की संख्या
	1	2	3
1.	बड़ीपाड़ा	1	शून्य
2.	बालासोर	2	21
3.	धेनकनाल	2	2
4.	कटक	1	49
5.	पाड़ाद्वीप	2	2
6.	क्योंझारगढ़	1	शून्य
7.	भुवनेश्वर	1	193
8.	जेतमी	1	5
9.	पुरी	1	18
10.	फूलबनी	1	शून्य
11.	बेराहामपुर	2	9

1	2	3
12.	जैपोर	1 शून्य
13.	तितलागढ़	1 शून्य
14.	बोलंगीर	1 शून्य
15.	सम्बलपुर	2 88
16.	छारसगुडा	1 24
17.	राउरकेला	2 107

उड़ीसा में शाखा डाकघर खोलने और सुविधाएं प्रदान करने सम्बंधी नीति और मानदंड

6522. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने और टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में नीति और मानदंड होने के बावजूद ये सुविधाएं प्रदान करने में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है तथा अन्य क्षेत्रों के स्तर के बराबर प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां; तो उड़ीसा सर्किल द्वारा नीति का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) यदि नीति का क्रियान्वयन हुआ है तो छठी योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में, जिलेवार कितना विकास हुआ है;

(घ) क्या विलम्ब तथा धनराशि का अन्यत्र खर्च किया जाना रोकने हेतु आदिवासी क्षेत्रों के लिए धनराशि और उपकरणों का नियतन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जनजातीय क्षेत्रों में हुई प्रगति की तुलना अन्य क्षेत्रों से की जा सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) डाक विकास का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है और टेलीफोन सुविधाओं का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

(घ) जी हां। अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और ये लक्ष्य पूरे किए जाते हैं बशर्ते कि पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। परंतु जनजातीय इलाकों में टेलीफोन उपकरण के लिए अलग से निधि का आबंटन नहीं किया जाता है।

(ङ) टेलीफोन उपस्कर का आबंटन अपेक्षित मांग और वित्तीय व्यवहार्यता आदि पर निभर करता है।

विवरण-I

छठी योजना में जनजातीय इलाकों तथा अन्य इलाकों में जिलेवार किया गया डाक विकास

जिले का नाम	सामान्य क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों की संख्या	पिछड़े इलाकों में खोले गए डाकघरों की संख्या	जनजातीय इलाकों में खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1. बोलनगिर	4	4	×
2. बालासोर	22	2	6
3. कटक	41	×	×
4. धेनकनाल	6	15	×
5. गंजम	22	3	8
6. क्योंझर	×	4	26
7. कोरापुट	×	4	53
8. कालाहांडी	×	18	5
9. मयूरभंज	×	×	36
10. फूलबनी	×	8	26
11. पुरी	17	5	×

1	2	3	4
12. संबलपुर	7	×	5
13. सुन्ररगढ़	×	×	34
	119	59	199

विवरण-2

उड़ीसा राज्य में जनजातीय तथा अन्य डाकघरों में उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण

जिले का नाम	पी. सी. ओ		एक्सचेंज	
	जनजातीय इलाके	अन्य इलाके	जनजातीय इलाके	अन्य इलाके
1	2	3	4	5
1. बालासोर	4	39	1	4
2. बोलनगिर	—	16	—	4
3. धेनकनाल	—	35	—	7
4. गंजम	10	17	2	11
5. कलाहंडी	5	14	1	3
6. क्योंझर	35	1	7	3
7. कोरापुट	37	—	9	—
8. मयूरभंजन	40	—	13	—
9. फुलबनी	17	1	5	—
10. पुरी	—	12	—	13
11. कटक	—	35	—	18
12. संबलपुर	6	19	—	4
13. सुन्दरगढ़	34	—	5	—
	188	189	43	67

दुपहिया स्कूटरों के लिए 2 टी तेल की बिक्री की योजना

6523. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम विशेष रूप से दुपहिया वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 टीन तेल को छानकर फिल्टर प्रूफ पोलीथीन पैकेटों में बेचने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये पैकिंग तेल उद्योग, जो स्नेहक पदार्थों (लूबरीकेन्ट्स) में मिलावट की समस्या के हल के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहा है, की लम्बे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या तेल के उक्त नए पैकिंग से विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बचत होगी तथा केन्द्रीय सरकार का इस प्रस्तावित योजना को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) (क) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली और पूणे में प्रायोगिक तौर पर 2 टी ऑयल के लिए फिल्टर-प्रूफ थैलियां देना आरम्भ किया गया है।

(ख) जी, हां। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य दो पहिए/तिपहिए स्कूटरों के लिए क्वालिटी उत्पादों की पूर्ति को सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ) टिन प्लेट तथा स्टील शीटों से बने डिब्बों के स्थान पर फिल्टर प्रूफ थैलियों का प्रयोग होगा। जब कभी कुल मांग के प्रति देसी प्लेटों तथा शीटों की उपलब्धता में कमी होती है तब शेष का आयात किया जाता है। चूंकि ये थैलियां देसी सामग्री से बनते हैं इसलिए टिन प्लेटों के आयात के लिए अक्सर आवश्यक विदशी मुद्रा बचायी जा सकेगी।

उपर्युक्त दो क्षेत्रों में थैलियों में उत्पादों की बाजार में स्वीकार्यता का जायजा लेने के बाद अन्य क्षेत्रों में इस स्कीम का विस्तार करने के बारे में विचार किया जाएगा।

तट पर ड्रिलिंग के ठेके के लिए बोली।

6524. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट पर ड्रिलिंग के ठेके के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के नियंत्रण के प्रति भारतीय कम्पनियों की प्रतिक्रिया प्रत्याशित स्तर से काफी कम रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन 30 से अधिक भारतीय कम्पनियों ने निविदा पत्र खरीदे थे उनमें से केवल 15 ने ही अपनी निविदाएं प्रस्तुत की हैं;

उड़ीसा में दूरसंचार का विकास

6528. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1984-85 में राज्य में दूरसंचार के विकास हेतु क्या सुझाव दिए हैं;

(ख) उपर्युक्त वर्ष में सरकार ने दूरसंचार विकास हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) राज्य में वर्ष 1984-85 के दौरान दूरसंचार सेवाओं के विकास के विषय में उड़ीसा सरकार से अभी कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) दूरसंचार सेवाओं का निम्न प्रकार से विस्तार करने के लिए कार्रवाई की गई है :

(1) नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना ।

(2) टेलेक्स नेटवर्क का विस्तार एवं अधिक टेप्रक्स कनेक्शन प्रदान करना ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन एवं संयुक्त डाक तारघर खोलकर दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना ।

(ग) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में वर्ष 1984-85 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण दूरसंचार सेवाएं प्रदान की गई : —

(1) एम. ए. एक्स-III किस्म की 26 नए छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलना ।

(2) उपस्कर क्षमता में 3285 लाइनों का विस्तार ।

(3) 3918 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी० ई० एल०) का प्रावधान ।

(4) टेलेक्स नेटवर्क में 50 लाइनों का विस्तार ।

(5) 55 टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करना ।

(6) लम्बी दूरी के 139 सार्वजनिक टेलीफोन एवं 40 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन खोलना ।

(7) 135 संयुक्त डाक तारघर खोलना ।

विवरण

विभागीय उप डाकघर में बदले गए डाकघर

1. चेंगारूर	तिरुवल्ला मंडल
2. थिरुमुलापुरम	
3. पुरुस्सैरी सार्थ	
4. थुरुथिवीड	
5. चाथांकरा	
6. अजहीहीदायुचिरा	
7. पैरुमपट्टी	

अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों में बदले गए डाकघर

1. नूरमोम्मादु	तिरुवल्ला मंडल
2. अनीकाड-अल्लैपी	
3. थैल्लीयूर	
4. कारावकल	
5. नालकालीक्कल	
6. अंजीलीथानाम	
7. अरतुपुजुहा-चैंगानूर	
8. कुरुंगाजबहागोम	
9. कदप्रा-कुमबाद	
10. पुन्थाला	मंवीलीकारा मडल
11. कीरुखुजै	
12. उल्लानूर	
13. अगाडीकल दक्षिण	पाथानामथीट्टा मंडल
14. आनन्दपल्ली	
15. चन्दनपल्ली	
16. कीकोझुर	
17. नैल्लीकाला	
18. पराकोनम	
19. चिट्ठुर कुम्बजहा	
20. उत्तीमोदु	
21. वैनचैम्बु	
22. वयाला पराकोडे	

केरल में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

6526. **श्री के० मोहनदास** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के सभी जिलों में भारी संख्या में खाना पकाने की गैस कनेक्शन देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मांग को पूरा किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1985-86 में देश के 17.50 लाख के लक्ष्य में केरल में भी नए एल पी जी कनेक्शन देना जारी रहेगा।

(ख) और (ग) कोचीन रिफाइनरी जो केरल के लिए एल पी जी का मुख्य साधन है, मार्च 1984 में रिफाइनरी में लगी आग से इसकी पूर्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वैकल्पिक साधनों से राहत के लिए पूर्ति का प्रबन्ध किया गया तथा उपभोक्ताओं की 70 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा सका। इन प्रबन्धों को जारी रखा जा रहा है तथा कोचीन रिफाइनरी में उत्पादन में स्थिरता आने पर उपभोक्ताओं की पूरी मांग को पूरा करने की सम्भावना है।

केरल के पठानाथिट्टा जिले में डाकघरों को वर्गोन्नत करना

6527. **प्रो पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पठानाथिट्टा जिले के बनाये जाने से अब तक इस जिले में कितने डाकघरों को वर्गोन्नत किया गया है और वे कौन-कौन से स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या कडम्मानिथा डाकघर सहित वर्गोन्नत किये गये इन बहुत से डाकघरों में तार और अन्य सुविधायें अब भी उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इन डाकघरों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 30 डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है। उन स्थानों का ब्यौरा जहां पर ये स्थित हैं संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है उनमें से कुछ में तार सुविधा प्रदान नहीं की गई है जिसमें कदम्मानिता भी शामिल है। कदम्मानिता में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ग) इसमें से किसी भी डाकघर में दूरसंचार सुविधा का औचित्य नहीं बनता है।

(ग) यदि हां, तो भारतीय कम्पनियों की कम रूचि के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या निविदा शर्तों और आवेदन में ढांचे संबंधी त्रुटियां, भारतीय फर्मों द्वारा कम रुचि दिखाए जाने के प्रमुख कारण हैं; और

(ङ) विदेशी फर्मों को चुनने के बजाए भारतीय कम्पनियों को मौका देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। यह एक विशिष्ट कार्य है और पहली बार भारतीय ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि प्रयुत्तर को पर्याप्त समझना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) निविदाएं भारतीय उद्यमियों तक के लिए ही सीमित थीं और विदेशी कम्पनियों के लिए विकल्प का प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल क्षेत्रों के प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग समझौते

6525. **श्री दी० वी० देशाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि केवल उपयोग करने वाली कम्पनियों के परामर्श के पश्चात् ही तेल क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग समझौतों को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड जो ऐसे उपकरण के प्रमुख क्रेता हैं को इन समझौतों के अंतिम रूप दिए जाते समय आनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित उपकरण तेल कम्पनियों की विशिष्टिताओं को पूरा करेंगे ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) यह सुझाव ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दिया है।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक घरानों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति

6529. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर के जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य-वार जिन बड़े औद्योगिक घरानों को अनुमति दी गई है उनके नाम क्या है; और

(ख) इन जिलों के नाम क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत विभिन्न उपक्रमों को निम्नलिखित आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

वर्ष	स्वीकृत किए गए आशयपत्रों की संख्या	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1982	163	113
1983	124	114
1984	135	112

जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में ब्यौरा जैसे उपक्रम का नाम और पता, क्षमता तथा स्थापना स्थल (जिला/राज्य के नाम की जानकारी देते हुए) आदि को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके 'मन्थली न्यूज लेटर' में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि

6530. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 को पेट्रोल का प्रति लिटर मूल्य क्या था;

(ख) इस समय पेट्रोल का प्रति लिटर मूल्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1980 से अब तक पेट्रोल के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है; और

(घ) पेट्रोल के मूल्य में इस प्रकार वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) दिनांक 1 जनवरी, 1980 तथा 1 अप्रैल, 1985 को मुख्य शहरों में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य इस प्रकार था :

(रुपये प्रति लिटर में)

	1-1-1980 को	1-4-1985 को
बम्बई	4.43	7.34
दिल्ली	4.41	7.01
कलकत्ता	4.42	7 16
मद्रास	4.25	7.39

(ग) 1 जनवरी, 1980 से पेट्रोल के मूल मूल्यों में पांच बार वृद्धि की गई है।

(घ) पेट्रोल के मूल्य में कई कारणों से वृद्धि की गई अर्थात् स्वदेशी तथा आयातित क्रूड तेल के मूल्यों में वृद्धि, डालर के मूल्य में वृद्धि, पेट्रोल की किस्म में सुधार, पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण, शोधन तथा विपणन की उच्च लागत, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम रखने की आवश्यकता आदि।

राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड राजस्थान द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात

6531. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में स्थापित की जाने वाले कुछ नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) के अधिकारियों की अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी के साथ हाल ही में हुई बात-चीत की जानकारी है;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकार ने इस प्रौद्योगिकी को देश में ही उपलब्धता के बारे में केन्द्र सरकार से पूछा था; और

(ग) क्या राज्य सरकारें अथवा राज्य सरकारों के उपक्रम औद्योगिकी के आयात के लिये केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग के माध्यम के बिना विदेशी सरकार विदेशी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर सकते हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय को ऐसी किसी पहल (बातचीत) की जानकारी नहीं है;

(ग) प्रौद्योगिकी के चयन का काम मुख्य रूप से निजी और सरकारी क्षेत्र के भारतीय उद्यमियों/पार्टियों पर ही छोड़ दिया जाता है जो प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने और तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण करने के बाद एक का चयन करते हैं जो उन सबके लिए सर्वाधिकी उपयुक्त होती है। इसके उपरान्त वे सरकार की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं इस प्रकार प्राप्त सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जाती है।

कांच प्रौद्योगिकी संस्थान फिरोजाबाद के लिए प्रस्ताव

6532. **श्री गंगा राम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा जिले में कांच उद्योग के शहर फिरोजाबाद में एक कांच प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु फिरोजाबाद में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप देने देने में कितना समय लगेगा; और

(घ) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) इस समय फिरोजाबाद में कांच प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं है। फिर भी, फिरोजाबाद में पहले से ही एक लघु उद्योग सेवा संस्थान विस्तार केन्द्र है जो कि फिरोजाबाद में और उसके चारों और स्थित लघु कांच एवम् कांच के सामान के उत्पादक एककों को आवश्यक तकनीकी सहायता देने के साथ-साथ कांच के खिलौनों के उत्पादन, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि द्वारा कांच के सामान पर सजावट के लिए स्थानीय शिल्पियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।

आगरा में बजाज स्कूटर बनाना

6533. **श्री गंगा राम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में बजाज स्कूटर कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से खतरों की आशंका को ध्यान में रखते हुए इसे ठीक-ठीक किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आगरा जिले के प्रमुख पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर औद्योगिक विकास से वंचित किया जा रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) आगरा में स्कूटरों की असेम्बली करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के बजाज आटो लि० के प्रस्ताव की मंजूरी पर्यावरण की दृष्टि से नहीं दी जा सकी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि प्रस्तावित कारखाने से पर्यावरण और प्रदूषित होगा तथा ताजमहल के संरक्षण में कठिनाई आयेगी।

चूंकि यह प्रतिबन्ध केवल ऐसे कारखानों के लिए है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है इसलिए गैर-प्रदूषण वाले उद्योगों को स्थापित करके औद्योगीकरण किया जा सकता है।

मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

6534. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1983-84 और 1984-85 के दौरान राज्यवार कितने नए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर उड़ीसा द्वारा, अपने राज्यों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने और कौन-कौन से स्थानों के मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है; और

(ङ) मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य सरकार ने 24 स्थानों में आटो टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव भेजे थे। इनके ब्यौरा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 24 स्थानों में से 4 स्थानों में पहले से ही एम ए एक्स III किस्म के एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जबकि शेष स्थानों में अपेक्षित मांग न होने के कारण एक्सचेंज खोले नहीं जा सके।

(घ) जानकारी विवरण III में दी गई है।

(ङ) इस नीति में जिला मुख्यालयों के एक्सचेंजों तथा लंबी प्रतीक्षा सूची वाले उच्च क्षमता के एक्सचेंजों को प्राथमिकता दी गई है।

विवरण-I

1983-84 और 1984-85 के दौरान खोले गए आटो टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या

	1983-84	1984-85
1. आंध्र	82	107
2. बिहार	21	20
3. गुजरात	33	31
4. जम्मू व कश्मीर	6	4
5. कर्नाटक	117	90
6. केरल	32	13
7. मध्य प्रदेश	57	79
8. महाराष्ट्र	77	86
9. उत्तर पूर्व	10	4
10. उत्तर पश्चिम	59	61
11. उड़ीसा	26	26
12. राजस्थान	35	58
13. तमिलनाडु	56	61
14. उत्तर प्रदेश	50	74
15. पश्चिम बंगाल	24	16
16. संघ आसित प्रदेश	5	—
	690	730

विवरण-II

उड़ीसा के उन स्थानों के नाम जिनके लिए राज्य सरकार ने ऑटो टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं।

1. बादापोखरी	
2. फतेपुर	
3. शान्तारगढ़ी	
4. कोंशा	
5. क्षतरपुर	
6. बलंदापाड़ा	
7. गुरचापाड़ा	
8. नऊपाड़ा	
9. शमालबैरेज	
10. कनीहा	
11. अथामलिक	पहले ही उपलब्ध
12. शामाकोई दाम	
13. सानासादा	
14. खामार कालेज	
15. भुभान	पहले ही उपलब्ध
16. चण्डीपाड़ा	पहले ही उपलब्ध
17. गुरपाड़	
18. काशीबाहाल	
19. बामेरा	पहले ही उपलब्ध
20. राशगोविन्दपुर	
21. बैंसिगा	
22. तारांकुटा	
23. शान्तारा	
24. गघुली	

विवरण-III

1985-86 के दौरान सभी साक्ष्य सामग्री प्राप्त हो जाने पर ऑटो एक्सचेंजों में बदले जाने वाले मैनुअल एक्सचेंजों के नाम

१. सम्बलपुर

2. बालासोर

3. जैयपोर

4. कैन्दरापोरा

जी ई (आर एंड डी), बालासोर, उड़ीसा में असैनिक कर्मचारियों के पेन्शन के मामलों के निपटाने में देरी

6535. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बालासोर स्थित जी ई (आर एंड डी) के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद काफी समय तक उनकी पेन्शन उपदान नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उसके क्या कारण है;

(ग) उनके मामले निपटान के लिए कब से लंबित पड़े हैं और उन्हें निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि पेन्शन मामलों के निपटाए जाने से पूर्व ही कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई; और

(ङ) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है और उनके निकट सम्बन्धियों को पेन्शन और उपदान देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) से (ग) : जी, नहीं। समूह "ग" और समूह "घ" के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेन्शन और उपदान के भुगतान में सामान्यतः ऐसी कोई देरी नहीं होती। फिर भी, 1984 के दौरान सेवानिवृत्त हुए समूह "ग" और समूह "घ" के तीन कर्मचारियों के मामलों में 6 से 10 महीने की देरी हुई है। इनमें से 2 मामले सेवापंजिका उपलब्ध न होने से अनिर्णीत पड़े हुए हैं जबकि तीसरे मामले में, सेवापंजिका में पूरे विवरण न होने से दिक्कतें आईं।

इन तीनों मामलों में मौजूदा नियमों के अनुसार अनंतिम पेन्शन और अनंतिम उपदान की राशि मंजूर की जा रही है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया ।

पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन

6536. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कितनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन हुआ है;

(ख) देश की मांग को पूरा करने के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(घ) क्या भारत द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है,

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(च) देश में मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) संलग्न विवरण पत्र के अनुसार ।

(घ) और (ङ) ऐसा निर्यातित मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद नैफथा है और कभी कभी एफ ओ/एल.एस.एच.एस. और अन्य छोटे-मोटे उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है । निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

1982-83	134 करोड़
1983-84	310 करोड़
1984-85	201 करोड़

आगे और ब्यौरे देना देश के व्यापारिक हित में नहीं है ।

(च) मांग को पूरा करने के लिए देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) मौजूदा शोधनशालाओं का विस्तार;

(2) नई ग्रास रूट शोधनशालाओं की स्थापना ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित/आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और इसमें निहित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन	(मि.मी. टन) आयातित पेट्रोलियम उत्पाद	निहित विदेशी मुद्रा
1982-83	31.07	5.03	1554
1983-84	32.93	4.33	1271
1984-85*	33.23	5.96	1865

*अस्थायी।

विवाह-विच्छेद विधि को उदार बनाना

6537. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विवाह-विच्छेद विधि को इस दृष्टि से और अधिक उदार बनाने की कोई योजना है कि यदि पति और पत्नी कोई संबंध या पत्र व्यवहार रखे बिना, दस वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं तो यह स्वतः मान लिया जाएगा कि उनके बीच विवाह-विच्छेद हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो विवाह-विच्छेद विधि को और अधिक उदार बनाने के लिए सरकार का विचार कौन से नए उपबंध करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में सीधे टेलीफोन डायल सेवा

[हिन्दी]

6538. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का इस वर्ष के दौरान राजस्थान के किन-किन शहरों को सीधे टेलीफोन सेवा से जोड़ने का विचार है; और

(ख) सीधी टेलीफोन डायलिंग सेवा की पात्रता के लिए किसी शहर से क्या पूर्वापेक्षाएं की जाती हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में पहले ही एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गई है :—

अलवर, अजमेर, ब्यावर, भरतपुर, धोलपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर ।

1985-86 के दौरान राजस्थान में किसी भी नए शहर में एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) किसी शहर से सीधी डायलिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना आवश्यक है :—

(१) उस स्थान पर उपयुक्त किस्म के स्वचालित एक्सचेंज की संस्थापना ।

(2) उस स्थान को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए अपेक्षित मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण को शामिल करके विश्वसनीय संचारण माध्यम की संस्थापना ।

(3) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज में उपयुक्त टर्मिनेशनों की संस्थापना जिससे कि स्थान को जोड़ना है ।

(4) उस स्थान पर स्थानीय एक्सचेंज में अपेक्षित टर्मिनेटिंग उपकरण की संस्थापना ।

अधिक संख्या में एस. टी. डी. सुविधाओं की मांग को दृष्टिगत करते हुए निम्नलिखित प्राथमिकताएं अपनाई जाती हैं :—

(क) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना ।

(ख) सम्बन्धित राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना । ऐसे जिला मुख्यालयों के बारे में जहां स्वचालित एक्सचेंज नहीं हैं वहां राज्य मुख्यालय में 'नो डिले सर्विस' प्रदान करना ।

(ग) दिल्ली के 300 किलोमीटर के क्षेत्र में तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में जिल मुख्यालयों को सम्बन्धित महानगरीय केन्द्रों से जोड़ना ।

(घ) एक स्वचालित स्थानीय एक्सचेंज और उपयुक्त संचारण माध्यम उपलब्ध होने पर परियात के आधार पर औचित्यपूर्ण अन्य मार्ग (प्रतिदिन प्रति मार्ग न्यूनतम एक सौ मैनुअल कालें ली जाती हैं) ।

उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए लम्बित आवेदन पत्र

6539. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखानों की स्थापना के बारे में सरकार के पास कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) कोयले पर आधारित, गैस पर आधारित और नेप्था आदि पर आधारित उद्योगों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना करने हेतु सरकार के पास विचारार्थ सात आवेदन पत्र उम्बित हैं। इन आवेदनपत्रों के कच्चे माल वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

कोयले पर आधारित	शून्य
गैस पर आधारित	3
नैप्था पर आधारित	4

लघु उद्योग विकास समिति

6540 : **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए श्री ए. आर. भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार का कोई कानून बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योगों को कुछ कानूनी संरक्षण प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पालघाट टेलीफोन एक्सचेंज, केरल का विस्तार

[अनुवाद]

6541. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस जिले में टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है और कितने टेलीफोन कनैक्शनों की कितनी मांग बकाया है; और

(ग) कनैक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदक उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) पालघाट जिले में एक्सचेंजों की कुल क्षमता 31-3-85 को 7220 लाइनों की थी और 31.3-85 को इस जिले में टेलीफोन कनेक्शनों का पिछला बकाया 2184 था ।

(ग) इस जिले के विभिन्न एक्सचेन्जों के विस्तार के लिए 3900 अतिरिक्त लाइनों के उपस्कर आबंटित किए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ये उपस्कर पुराने कनेक्शनों की मांग निपटाने के लिए उत्तरोत्तर लगाए और चालू किए जाएंगे ।

केरल में पालघाट जिले के अलाथुर और चित्तूर तालुकों में सीधी टेलीफोन डायल सुविधा शुरू करना

6542. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट जिले के अलाथुर और चित्तूर तालुकों में सीधे टेलीफोन डायल सुविधाएं सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव है;

(ग) यह सुविधा कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, केरल राज्य के पालघाट जिले अल्थूर और चित्तूड़ में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन स्थानों पर सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है ।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा देने का प्रस्ताव

6543. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं देने का प्रस्ताव पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को यह सुविधा देने के लिए वित्तीय प्रभावों का पता लगा रही है, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, हां । छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को अपने मूल निवास-स्थान तक जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा देने की मंजूरी जुलाई, 1983 में दी जा चुकी है और उन्हें भारत में किसी भी जगह जाने के लिए छट्ठी यात्रा रियायत देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना

6544. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में छावनी बोर्डों के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) क्या आवश्यक आंकड़ों के संबंध में एकत्र की जा रही जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

टेलीफोन सुविधा रहित जिला मुख्यालय

6545. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक प्रणाली वाली एक्सचेंजों में बदला गया है; और

(ख) देश में कौन-कौन से जिला मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में अब तक चालू किए गए इक्ट्रानिक एक्सचेंजों के नाम निम्न प्रकार है :—

1.	बम्बई में कूपरेज-IV	10,000 लाइनें
2.	बम्बई में मजगांव-III	10,000 लाइनें
3.	बम्बई में बांद्रा-I	10,000 लाइनें
4.	बम्बई में वर्ली-III	10,000 लाइनें
5.	दिल्ली में ईदगाह-IV	10,000 लाइनें
6.	दिल्ली में तीस हजारी-IV	10,000 लाइनें
7.	दिल्ली में सेना भवन	10,000 लाइनें
8.	दिल्ली में किदवई भवन	10,000 लाइनें
9.	कलकत्ता में साल्टलेक	5,000 लाइनें
10.	मद्रास में नुंकाबाक्कम	10,000 लाइनें
11.	उत्तर पश्चिम सर्किल में सिरसा	2,000 लाइनें
12.	गुजरात में वेरावल	2,000 लाइनें
13.	गुजरात में गांधीधाम	2,000 लाइनें
14.	असम में डिब्रूगढ़	2,000 लाइनें
15.	आंध्र प्रदेश में कुर्नूल	2,000 लाइनें
16.	मणिपुर में इंफाल	2,000 लाइनें

(ख) निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं नहीं है :—

(एक) हिमाचल प्रदेश में केलांग (दो) अरुणाचल प्रदेश में अन्नीनी (तीन) असम में चन्द्रपुर।

टेलीफोन विभाग के दिल्ली सर्किल में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवास

[हिन्दी]

6546. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार विभाग के नई दिल्ली सर्किल में पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अभी भी सरकारी आवास नहीं दिए गए हैं यद्यपि उन्हें चौबीसों घंटे अपनी ड्यूटी पर कार्य निष्पादन करना होता है;

(ख) इस प्रकार के कार्मचारियों को शीघ्र आवास न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के कार्मचारियों को आवास देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों का वरिष्ठता के अनुसार कार्मचारियों की पात्रता के अनुसार किया जाता है और चौबीसों घंटे रोटेशनल ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को क्वाटर आबंटन करने की कोई अलग श्रेणी नही है।

(ख) इस समय उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या 2152 है जो 26,737 कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त है।

(ग) जिस सीमा तक निधि उपलब्ध होगी क्वाटरों का निर्माण किया जाएगा। इस समय 564 क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है।

तट से दूर तथा तट पर तेल की खोज में संलग्न विदेशी फर्में

[अनुवाद]

6547. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 31 मार्च, 1985 को तट से दूर तथा तट पर तेल की खोज के काम में कितनी और किन-किन विदेशी ड्रिलिंग फर्मों को लगाया गया था; और

(ख) तत्संबंधी शर्तों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भवल किशोर शर्मा) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के गांवों में डाक और तार की सुविधाएं

[हिन्दी]

6548. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश मण्डल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जो शाखा डाकघर और उप-डाकघर से 10-15 किलो मीटर की दूरी पर हैं और वहां डाक बड़े विलम्ब से वितरित होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन गांवों को 5 किलो मीटर के भीतर डाक और तार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कोई भी गांव मौजूदा डाक घर से 10-15 किलो मीटर की दूरी पर स्थित नहीं है। सभी गांवों में दैनिक वितरण प्रणाली लागू है।

(ख) और (ग) 5 कि० मी० की अरीय दूरी में अधिकांश गांवों में 1990 तक उत्तरोत्तर दूर संचार सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ऐसे गांवों की संख्या क्रमशः 110 और 81 है। जहां तक डाकघर खोलने का संबंध है, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए अलग मानदण्ड हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुविधाएं

6549. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए किराया

खरीद विपणन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। अपनी किराया खरीद योजना के अन्तर्गत निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। काशीपुर, जिला नैनीताल में इस क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आदर्श विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला का एक उप-केन्द्र स्थापित किया गया है।

"मल्टी एक्सेस" ग्रामीण रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

6550. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी, टिहरी और पौड़ी जिलों में "मल्टी एक्सेस" ग्रामीण रेडियो प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में वर्ष 1985-86 में उपर्युक्त प्रणाली पर आधारित कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985-86 में मल्टी-एक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक इनमें से किसी भी जिले में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले गये हैं अथवा खोले जाने की संभावना है।

प्लास्टिक उद्योग के लिए कच्चा माल

[हिन्दी]

6551. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) वर्ष 1984-85 के दौरान प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग किए जा रहे कच्चे माल की आवश्यकता पूरी कर सका है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कच्चे माल का आयात किया गया; और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा का और किन-किन देशों में इसका आयात किया गया ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सबल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) आई० पी० सी० एल० कुछ प्लास्टिक रेजिनों में केवल एल० डी० पी० ई० पोलीप्रोपीलीन और पी० वी०

सी० का उत्पादन करती है। एल० डी० पी० ई० और पी० वी० सी० का उत्पादन कई अन्य यूनिटों द्वारा भी किया जाता है, आई० पी० सी० एल० अधिक घनत्व वाली पोलीइथायलीन और पोलिस्टाइरीन का उत्पादन नहीं करती है क्योंकि प्लास्टिक रेजिनों का मौजूदा देशी उत्पादन डाउन-स्ट्रीम प्रोसेसिंग उद्योग की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसकी कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। चालू आयात नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ता ओ० जी० एल० के अन्तर्गत प्लास्टिक रेजिनों का आयात कर सकते हैं।

1984-85 के दौरान आई० पी० सी० एल० ने वास्तविक उपभोक्ता को सप्लाई करने के लिए निम्नलिखित प्लास्टिक रेजिनों का आयात किया :

उत्पाद	मात्रा	स्रोत
कम घनत्व वाली पोलीइथायलीन	20,000 मी० टन	कतार, स्पेन
पोलिप्रोपाइलीन (होमो पोलिमर)	1,000 मी० टन	यूगोस्लाविया
पोलिप्रोपाइलीन (कोपोलाइमेर)	135 मी० टन	आस्ट्रेलिया
पाली विनायल क्लोराइड	3,350 मी० टन	यूगोस्लाविया

शेष मांग वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात के द्वारा पूरी की गई थी।

बस्ती में प्लास्टिक एककों को कच्चे माल की सप्लाई

6552. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, बस्ती स्थित प्लास्टिक एककों को आयातित कच्चा माल उनको आवश्यकतानुआर सप्लाई करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन एककों को कच्चा-माल सप्लाई करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह कच्चा माल निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों को सप्लाई किया गया जबकि बस्ती में बहुत से एककों को कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था;

(घ) यदि हां तो, क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम और इंडो पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री मदन किशोर शर्मा) (क) : से (ग) यू०पी०एस०आई० सी० बस्ती में आई० पी० सी० एल० का वितरक है, बस्ती स्थिर प्लास्टिक एककों को एल० डी० पी० ई० मुहैया करता है। आई० पी० सी० एल० की नीति के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त ये हैं :

(I) घरेलु उत्पादन की पूर्ति को मुख्यतः अपने पुराने ग्राहकों तक सीमित रखना, जिसके आबंटन का आधार संबंधित एककों द्वारा 1982-83 या 1983-84 में अधिकतम माल की उठान है।

इस प्रबन्ध के अधीन 6 पुराने ग्राहकों को माल दिया गया। इसके अतिरिक्त बस्ती में या उसके आसपास के 9 और एककों को जिन्होंने पहले आई० पी० सी० एल० से माल नहीं लिया था विशेष मामले के रूप में प्रत्येक को एक मीट्रिक टन प्रति माह की दर से एल० डी० पी० ई० सप्लाई की गई।

(II) विशिष्ट आवेदनों के लिए आयातित एल० डी० पी० ई० की पूर्ति को सीमित किया गया।

इस प्रबन्ध के अधीन बस्ती के ऐसे एक पात्र एकक को माल दिया गया जो इस प्रकार के आबंटन के लिए ही आवेदक था। यू०पी० एस० आई० सी० के पास बाकी बची आयातित एल० डी० पी० ई० की मात्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश के पात्र ग्राहकों को दे दिया गया।

यू० पी० एस० आई० सी० देसी और आयातित दोनों प्रकार के पोलिमेर उत्पादों को आई० पी० सी० एल० के सूची मूल्य पर बेचता है, जो पूरे देश में एक ही है।

(घ) और (ङ.) प्रश्न ही नहीं उठते

नये टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

6553. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1983 के अंत में देश में टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों के नाम दर्ज थे;

(ख) 1984 के अंत तक कितने नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए, और

(ग) वर्ष 1985 के अंत तक कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिसम्बर, 1983 के अंत में देश में 7. 49 लाख आवेदक प्रतीक्षा-सूची में थे।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान 2.15 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) 1985 के दौरान 2.25 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

रिगों की सहायता से तेल निकालना

6554. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन किन क्षेत्रों में इस समय रिगों की सहायता से तेल निकालने का कार्य हो रहा है;

(ख) तेल निकालने के कार्य में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारी स्थानीय एजेंसियों अथवा कुछ विदेशी एजेंसियों को यह कार्य ठेके पर दिया जाता है;

(घ) तेलकी खोज के इस कार्यक्रम में कितनी विदेशी मुद्रा लगी है;

(ङ) क्या इस प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वदेशी मशीनरी का विकास करने हेतु हमारे तकनीकीविदों द्वारा कुछ सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्वेषी खुदाई चल रही है :—

तटीय

काम्बे

उपरी असम

असम-अरकन

बंगाल

कृष्णा-गोदावरी

कावेरी

कच्छ और सौराष्ट्र

गंगा बेली

अरुणाचल प्रदेश

उड़ीसा

अपतटीय

पश्चिमी तट

पूर्वी तट

(ख) और (ग) प्रचुर अन्वेषी कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किये जाते हैं। कुछ विदेशी एजेन्सियां भी ठेके के आधार पर काम कर रही हैं।

(घ) लगभग 1100 करोड़ रुपये।

(ङ) और (च) जी, हां। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, अनेक मदों का देश में विकास किया गया है। कुछ मुख्य मदों में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा विकसित खुदाई रिग, एम० डी० एल० और एच० एस० एल० द्वारा विकसित किये जा रहे जैक अप रिग और ड्रिलशिप आटीय सप्लाई वेसल, प्लेटफार्म आदि हैं।

बम्बई हाई के "आफ-शोर" पर कार्य कर रही रिगें

6555. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई हाई के आफ-शोर पर कितनी रिगें कार्य कर रही हैं;

(ख) इन रिगों के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ है।

(ग) इस तेल खोज की लागत-लाभ अनुपात क्या है;

(घ) बम्बई हाई में तेल निकालने पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) इन खोजों से निकाले गए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कितनी शुद्ध आय हुई है?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 11।

(ख) इस क्षेत्र से कुल 73,58 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। व्यधनाधीन कूपों से होने वाले उत्पादन का पता उनके व्यधन के पूरा हो जाने के बाद ही चल सकेगा।

(ग) और (घ) इन क्षेत्रों में उत्पादन के आरम्भ होने की तिथि से 31 मार्च, 1984 तक कच्चे तेल, गैस तथा उत्पादों की बिक्री से कुल 6008 करोड़ रुपये की आय हुई। इस अवधि के दौरान 3455 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(ङ) 31 मार्च, 1984 तक लगभग 2553 करोड रुपये।

गैस के रिसाव को रोकने के लिये उपाय

6556. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बम्बई हाई से उत्तरी भारत तक गैस की पाइप लाइन बिछाने की बड़ी परियोजना को कार्यान्वित किया जाने का विचार किया गया है;

(ख) गैस रिसने की भीषण दुर्घटनाओं से जैसा कि हाल ही में भोपाल में हुई है, बचने के लिए क्या निवारक कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह गैस जहरीली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भोपाल जैसी भीषण दुर्घटनाओं से बचने के लिए त्रुटिरहित सुरक्षात्मक उपाय ढूंढे जाने तक समूची परियोजना के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस पाइपलाइन के लिए डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर परस्वीकृत मानकों को प्रस्तावित किया जा रहा है। रिसाव का पता लगाने के लिए और कम समय में रिपोर्ट कंट्रोल द्वारा दोषपूर्ण अंश को अलग करने के लिए दूरसंचार और दूर-पर्यवेक्षणनियंत्रण तथा आंकड़ा संगणन प्रणाली में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा गैस टरबाइनों का निर्माण

6557. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्टीकल लिमिटेड ने सभी प्रकार की गैस टरबाइनों का निर्माण करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० की योजना विद्युत जनित्रण और यांत्रिक संचालनों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारी भार वाली औद्योगिक किस्म की गैस टर्बाइनें बनाने की है ।

तेल और खाना पकाने की गैस का उत्पादन लक्ष्य

6558. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने अगले कुछ वर्षों के लिए अन्वेषण और उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तेल और खाना पकाने की गैस का उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1985-86 के लक्ष्य नीचे दिए गये हैं :

क्रूड तेल : 3.03 मि० मी० टन

एलपीजी : 55,000 मी० टन

सातवीं योजना के शेष वर्षों के लक्ष्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

अलजीरिया में संयुक्त उद्यमों के रूप में पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना

6559. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अल्जीरिया में संयुक्त रूप में कई पेट्रो-रसायन संयंत्र लगाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्तमान में कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं की गतिविधियां

6560. **श्री पी० डी० जदेजा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे समुद्र में विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या हमारे तटीय जल क्षेत्र प्रयोग करने हेतु विदेशी चार्टर मत्स्य नौकायें लाने के लिए कम्पनियों को स्वीकृति देने से पूर्व कृषि मंत्रालय से कोई परामर्श किया जाता है;

(ग) नौसैनिक अड्डों और तट दूर तेल प्रतिष्ठानों के निकट संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी विदेशी नौकाओं को मछली पकड़ने की अनुमति देने में क्या खतरे हैं; और

(घ) इन खतरों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ करने से पूर्व मछली पकड़ने वाली सभी विदेशी नौकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से तट रक्षक संगठन द्वारा अनुमति दी जाती है। इसके बाद गश्त लगाने वाले तट रक्षक पोत और विमान उनके कार्य-कलापों और गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

(ख) विदेशी मत्स्य नौकाओं को मछली मारने के लिए प्राधिकार देने के अनुरोधों को एक जांच समिति मंजूर करती है जिसमें सचिव, कृषि मंत्रालय, अध्यक्ष के रूप में, और कृषि, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नौवहन एवं परिवहन, रक्षा और वाणिज्य मत्रालयों तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं।

(ग) और (घ) विदेशी भाटकीकृत मत्स्य नौकाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मछली मारने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनके कार्यकलापों एवं गति विधियों पर नियमित रूप से गश्त लगा रहे तटरक्षक पोत और चौकसी कर रहे विमान पूरी तरह से नजर रखते हैं।

विदेशी चार्टर मत्स्य ट्रालर/नौका

6561. **श्री डी०पी० जडेजा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक यह सुनिश्चत करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं कि मछली पकड़ने की विदेशी चार्टरट्रालर/नौकाएं हमारे समुद्र में 40 फेथम की सीमा के भीतर मछली न पकड़ें;

(ख) क्या तट रक्षकों ने कृषि मन्त्रालय से कोई कठिनाई व्यक्त की कि वे मापक उपकरणों आदि की कमी के कारण फेथम 40 की सीमा को लागू नहीं कर सकते;

(ग) मछली पकड़ने के विदेशी चार्टर्ड ट्रालर्स के लिए 40 फेथम की सीमा लागू करने में वस्तुत: तट रक्षकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा;

(घ) क्या तट रक्षकों द्वारा गहराई मापने की प्रणाली को बदल कर मीटर से फेथम में करना ही एकमात्र कठिनाई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो ठीक-ठीक समस्याएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी०नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) तट रक्षक संगठन को 40 फेथम की सीमा निर्धारित करने और उसे लागू करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। प्रतिबंधित सीमा का उल्लंघन करने पर इस संगठन ने वास्तव में मछली पकड़ने की 10 भाटकीकृत (चार्टर्ड) नौकाएं पकड़ी थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मछली पकड़ने की भाटकीकृत (चार्टर्ड) नौकाओं के चालकों ने सरकार के ध्यान में लाया था कि जल 40 फैथम या 73 मीटर के बराबर थे तो नवीनतम जल सर्वेक्षण चार्ट सामान्यतया 50 मीटर और 100 मीटर गहराई दर्शाते थे। फिर गहराई नापने का उपस्कर मीटरों में अंशांकित किया गया। अंत में, 40 फैथम सीमा का सावधानी से अनुपालन होने से उसमें समय-समय पर निरंतर सुधार किए गये। अब कृषि मंत्रालय तट से एक निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगा कर और पानी की गहराई नापने के बजाए अक्षांतर और देशांतर रेखांश निर्धारित करके यह समस्या हल कर ली है।

मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स

6562. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के बारे में 3 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 352, 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 और 15 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के संबंध में शिकायतें और उनकी जांच के पश्चात क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) दोनों ही मामलों में की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इन दोनों कम्पनियों के निरीक्षण के निष्कर्षों से उद्भूत, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दोनों ही कम्पनियों और स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के संबंध में धारा 58क के उल्लंघन के लिए अभियोग चलाए गए थे। अधिनियम की धारा 58क के उल्लंघन के लिए अभियोग अनिर्णीत हैं और अधिनियम की धारा 295 के उल्लंघन के अभियोजन मामलों में न्यायालय द्वारा कम्पनियों के पक्ष में निर्णय दे दिया है। निरीक्षण रिपोर्ट में प्रकट सभी अन्य कमियां या तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के किन्हीं विशेष उपबन्धों के उल्लंघन से संबंधित नहीं थी या तकनीकी और/या सूक्ष्म प्रकृति की थीं, जिनमें कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

जहां तक कम्पनी विधि बोर्ड के निष्कर्षों का संबंध है, यह परिकल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य प्रश्न संख्या 2767 (दिनांक 15-3-1983 को उत्तरित) के भाग (iii) में दिए गए उत्तर में निर्दिष्ट मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 की याचना के संबंध में

वर्तमान स्थिति को जानना चाहते हैं। क्योंकि मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के औद्योगिक उपक्रम औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 की धारा 18क के अन्तर्गत यथावत प्रबन्धित किए जा रहे हैं इसलिए इस संबंध में कम्पनी विधि बोर्ड ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

50 पैसे के सिक्कों की कमी के कारण टेलीफोन विभाग को राजस्व की हानि

6563. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 50 पैसे के सिक्कों की कमी के कारण टेलीफोन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है क्योंकि टेलीफोन काल 50 पैसे का सिक्का डालकर करने की बजाय नए चालाकीपूर्ण तरीकों से की जाती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं : 50 पैसे के सिक्कों की कमी के कारण सार्वजनिक टेलीफोन घर के राजस्व में कमी की प्रकृति की जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र में सीमेंट के मंजूर किये गये नये कारखानों द्वारा उत्पादन

6564. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सरकार ने महाराष्ट्र में कितने सीमेंट कारखानों को मंजूरी दी है;

(ख) तत्संबंधी प्रगति क्या है;

(ग) अब तक कितने कारखानों ने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(घ) इन नए कारखानों में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन होगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ख) महाराष्ट्र में पहले से स्थापित चार सीमेंट कारखानों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में विस्तार/नये एककों की स्थापना के लिए सात पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) 1984 में चार कारखानों का कुल सीमेंट का उत्पादन 15 लाख मी० टन था।

तेल की चोरी संबंधी घोटाला

6565. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, गुजरात तेल शोधक कारखाने में तेल पहुंचाने से पहले ही तेल क्षेत्रों से गुजरने वाली पाइप लाइनों से, विभिन्न पटों पर तेल की चोरी संबंधी घोटाला चल रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च घोटालों में चोरी के तेल के कितने टैंकर और उनसे कितना तेल पकड़ा गया और इसमें कितने व्यक्ति शामिल पाए गए;

(ग) गुजरात में तेल क्षेत्रों और तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उसकी सुरक्षा का दायित्व तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा कर्मचारियों की बजाय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सौंपने का है;

(ङ) क्या तेल की चोरी संबंधी घोटाले की जांच के लिए लगभग चार वर्ष पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाई गयी थी, और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में गुजरात में क्रूड पाइप लाइन में छेद करके तेल की चोरी करने के 12 मामलों की रिपोर्ट मिली है, 1983 में वडौंच के पास 15000 लिटर क्रूड तेल भरा हुआ एक टैंकर तथा एक खाली ट्रक जब्त किया गया, इस कार्य में आठ व्यक्तियों का हाथ था।

(ग) गुजरात में तेल क्षेत्रों तथा प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस का सुरक्षा स्टाफ व उसकी सहायता के लिए स्थानीय पुलिस, राज्य आरक्षित पुलिस, तथा ग्राम रक्षक दल लगाए गए है।

(घ) जी नहीं। इस प्रयोजन के लिए सी० आई० एस० एफ० को तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) 1982 में दवका में एक तेल कूप में चोरी तथा आग लगने की घटना की जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। मामला न्यायाधीन है।

केरल के पालघाट जिले में मल्टी-एक्सेस फरल रेडियो सिस्टम की स्थापना

6566. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालघाट जिले के सभी गांवों में मल्टी एक्सेस रेडियो प्रसारण प्रणाली प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पालघाट जिले में ग्रामीण संचार के लिए मल्टी-एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम के प्रस्ताव का अध्ययन किया गया था लेकिन अधिकांश आबाद षटकोणीय ग्रामों में दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

दो पहिए वाले स्कूटरों की बिक्री/खरीद पर से नियंत्रण हटाना

6567. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस समय विभिन्न प्रकार और ब्रांड नामों के स्कूटरों के बड़े पैमाने पर निर्माण को ध्यान में रखते हुए दो पहियों वाले स्कूटरों की बिक्री/खरीद पर से नियंत्रण हटाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी समय उपयुक्त नहीं है क्योंकि मांग अभी भी उत्पादन और उपलब्धता से अधिक है।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बढ़ाने के लिए विधि में परिवर्तन

6568. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल न्यायालयों की अधिकारिता आज भी वही है जो 25-30 साल पहले थी;

(ख) क्या सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए सिविल न्यायालयों की अधिकारता बढ़ाने के लिए विधि में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सिविल न्यायालय अधिनियमों में जो भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रवृत्त है, सिविल न्यायालयों के भिन्न-भिन्न वर्गों की धनीय अधिकारिता का उपबंध है। ठीक-ठीक जानकारी राज्यों से एकत्र करनी होगी और उसके प्राप्त होने ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

6569. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल में खाना पकाने की गैस की कोई नई एजेंसियां खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में उन स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्हें वर्ष 1985-86 में तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजना में नई एल०पी०जी० वितरणशिप प्रारम्भिक रूप से खोलने के लिए शामिल किया गया है। ये कब तक अपना काम शुरू कर देंगे इस समय यह कहना सम्भव नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	क्र०सं०	स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	प्रामन्ना	7.	अरानमुला
2.	थमारसेरी	8.	एरुमली
3.	पायोली	9.	मातनपुर
4.	मनारघाट	10.	कताकड़ा
5.	परपनानगड़ी	11.	त्रिचौर
6.	पामपड़ी	12.	किलीकोलूर

1	2	3	4
13.	फरोक	32.	मनानथवेाडी
14.	थीकरनगडी	33.	मनालुर
15.	कुन्नामनगलम	34.	मनार
16.	पलघाट/पुडुमेरी	35.	चिरेइनकिल
17.	कोल्लेनकोड	36.	क्यूलोन
18.	नीलामबुर	37.	थी रूवेला
19.	अरूर	38.	बलरामपुरम
20.	चथान्नुर	39.	पीरमेड
21.	पुधापाल्ली	40.	पीरीथलमन्ना
22.	त्रिवेन्द्रम (दो स्थान)	41.	कलपिता
23.	वदाक्कनचेरी	42.	अल्लेपी (2 स्थान)
24.	नेमोन	43.	थोडुपूझा
25.	कोन्नी	44.	इदुक्की
26.	कराकुलम	45.	मुनार
27.	माल्लापाल्ली	46.	पीनानी
28.	सुरन्द नाथ	47.	कालीकल
29.	कोचीन (3 स्थान)	48.	ताली परम्बा
30.	प्रासला	49.	कोदीयेरी
31.	अंचल		

नरसापुर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

6570 **श्री विजय कुमार राजू** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राजामुन्दरी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने राजामुन्दरी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से पूर्व यह कार्यालय बरसापुर अथवा भीमावरम में खोलने पर विचार किया था;

(ग) यह अन्तिम निर्णय किन कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है; और

(घ) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नरसापुर अथवा भीमावरम (आन्ध्र प्रदेश) में भी खोलने के पूर्व प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का राजामुद्री में अपने परियोजना कार्यालय का स्तर फारवर्ड बेस के रूप में उठाने का प्रस्ताव है जो कृष्णा-गोदावरी थाले में तटीय और अपतटीय दोनों में कार्य चालनों पर नियंत्रण रखेगा।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने कार्य चालकों के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए किसी व्यवहार्य स्थल के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। आयोग ने नरसापुर/भीमवरम को संभावित वैकल्पिक स्थानों के रूप में विचाराधीन रखा था।

(ग) राजामुंद्री के इन्फास्ट्रावचर अच्छे हैं, जिनकी रेल और सड़क से पहुंच सुविधाजनक हो सकती है और विशाखापतनम से सीधा जुड़ा हुआ भी है; यह हवाई सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा उत्पादों का निर्यात

6571. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्रवाही की जा रही है; और

(ग) किन-किन मदों का भारी मात्रा में निर्यात किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) भारत हथियारों का निर्यात नहीं करता है। रक्षा उत्पादन यूनिटें हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही मुख्यतः सामान/प्रकरणों का उत्पादन करती हैं। फिर भी, कुछ यूनिटों के अतिरिक्त निर्माण क्षमता उपलब्ध होने के कारण कुछ मदों का निर्यात किया जाता है।

सहकारिता के क्षेत्र में चीनी के कारखानों के लिए लाइसेंस देने की नीति

6572. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए कोई मामल लम्बित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) चीनी उद्योग में लाइसेंसीकरण के बारे में विद्यमान नीति के अनुसार सहकारी क्षेत्र को अधिमानता के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ख) से (ग) तालुक चिपलम, जिला रत्नगिरि में परशुराम सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड नामक एक नया कारखाना लगाने के लिए केवल एक प्रस्ताव इस कारण लम्बित पड़ा है क्योंकि गन्ने की उपलब्धता और परियोजना की तकनीकी—आर्थिक संभाव्यता पर अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है।

पोलियस्टर फिलामेंट यार्न की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

6573. **श्री देवी घोसाल** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पोलियस्टर फिलामेंट यार्न की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केवल रिलायंस टेक्सटाइल्स जैसी कम्पनियों को, जिनका इस उत्पाद पर वस्तुतः एकाधिकार है, अतिरिक्त है, अतिरिक्त सुविधाएं देने की सरकार की नीति है, अथवा क्या पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य उत्पादों में प्रमाणित सफलता वाली अन्य कम्पनियों को लाइसेंस देने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का बड़ी क्षमताओं के लिए लाइसेंस देने अथवा नए उद्यमियों को लघु क्षमताओं की अनुमति देने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्तमान में पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए कुल अनुमोदित क्षमता लगभग 65,700 मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ख) और (ग) एकक के व्यवहार्य आकार सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर उनके गुणावगुणों के आधार पर पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

निजी उद्यमियों के लिये रुग्ण इकाइयां

6574. **श्री देवी घोसाल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुग्ण और बंद औद्योगिक इकाइयों को निजी उद्यमियों को सौंपने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो निजी उद्यमियों को रुग्ण और बंद इकाइयां लेने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार उन्हें क्या प्रोत्साहन और/या रियायतें देगी; और

(ग) इस मामले में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) गैर-सरकारी उद्यमी रुग्ण या बन्द उपक्रम को स्वस्थ एककों में विलय करके या विद्यमान मालिकों से खरीदकर अथवा यदि परिसमापन कार्रवाई शुरु कर दी गई हो, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक से परिसम्पत्तियां खरीद कर अपने हाथ में ले सकता है। उन मामलों में, जिनमें रुग्ण एककों का बैंकों द्वारा तैयार की गई पुनः स्थापना संबंधी योजनाओं के एक अंग रूप में अधिग्रहण किया जाता है तो पुनःस्थापना योजनाओं के लिए पूंजी की पुन-संरचना ब्याज सम्बन्धी देयताओं के लिये धन की व्यवस्था करना, आसान शर्तों पर पूंजीगत और कार्यशील पूंजी का ऋण, ऋण अदायगी सम्बन्धी देयताओं में राहत या ऋण की वापसी के लिए दोबारा कार्यक्रम बनाना आदि जैसी विभिन्ना राहतें और सहायता प्रदान की जाती हैं। इनके अलावा, स्वस्थ एककों को विलय करके रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने की दशा में आयकर सम्बन्धी राहत देकर प्रोत्साहन दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

6575. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने बड़े मध्यम तथा छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक हैं, जो गत तीन महीनों के दौरान रुग्ण हो गए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में कुल कितने औद्योगिक एकक हैं और उनमें से से कितने औद्योगिक एकक जिला-वार रुग्ण एककों की श्रेणी में आते हैं;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इन रुग्ण एककों की सहायता के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार इकट्ठे किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम, आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1983 के अंत तक उत्तर प्रदेश में 54 बड़े रुग्ण एकक थे। मझौले और लघु एककों के बारे में उपर्युक्त अवधि के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण एककों के जिलेवार आंकड़े नहीं दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1981 में रुग्ण उद्योगों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थान उन एककों के बारे में, जिन्हें वे संभावित रूप से जीव्य समझते हैं निदानपरक अध्ययनों के आधार पर उनके पुनः स्थापित किये जाने की योजनाएं बनाते हैं। सरकार भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किए गए पुनः स्थापना संबंधी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में इस प्रकार की रियायतें और राहतें प्रदान करती हैं जो सम्भाव्य और आवश्यक हों। जीव्यक्षम रुग्ण एककों को पुनः स्थापित करने के लिए अपेक्षित सहायता का स्वरूप और उसकी सीमा प्रत्येक एकक के लिए भिन्न-भिन्न होती है जो प्रत्येक एकक की रुग्णता के प्रकार और उसकी सीमा पर निर्भर करती है।

विकास आयुक्त (औषधि) के कृत्य और दायित्व

[अनुवाद]

6576. **श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय में विकास आयुक्त औषधि का पद बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस पद के कृत्य और दायित्व क्या हैं;

(ग) विकास आयुक्त ने लघु क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन वाले औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ङ) इस मामले में इस समय क्या प्रगति है और आगामी दो वर्षों के दौरान क्या प्रगति होने का अनुमान है; और

(च) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है कि लघु क्षेत्र के एकक बल्क औषधियों के उत्पादन और विपणन में संगठित क्षेत्र के एककों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विकास आयुक्त (औषधि) के कार्यकलापों में मूल्य निर्धारण की योजना, कमी पर निगरानी रखना, बल्क औषधियों के आयात की सप्लाई की सिफारिश करना तथा औषध उद्योग को परामर्श/सहायता देना शामिल है।

(ग) ऐसी कोई सिफारिशें नहीं थीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) राज्य और कन्द्र सरकारों द्वारा लघु उद्योगों को अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उनको केन्द्र सरकार से कोई औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उनको 1978 की औषध नीति के मानदण्डों से भी छूट प्राप्त है। हाल ही के वर्षों में बल्क औषधों के उत्पादन में लघु एककों ने तीव्र प्रगति की है।

अल्पकालिक ड्यूटी वाले टेलीफोन आपरेटरों को नियमित करना

6577. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पकालिक ड्यूटी वाली महिला टेलीफोन आपरेटरों का एक प्रतिनिधि मण्डल 15 अप्रैल, 1985 को नई दिल्ली में उनसे मिला था;

(ख) क्या प्रतिनिधि मण्डल ने उन अल्पकालिक ड्यूटी वाले टेलीफोन आपरेटरों की सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया है जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है;

(ग) क्या उनके द्वारा उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है; यदि हां, तो क्या है, और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) अल्पकालिक टेलीफोन आपरेटरों को भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर नियमित करने पर विचार किया जाएगा ।

रायगंज में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

6578. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगंज में 600 लाइनों वाला एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई परियोजना मंजूर की गयी है;

(ख) क्या अधिग्रहित भूमि खण्ड पर उपर्युक्त कार्य के लिए भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ग) नये भवन निर्माण की उपलब्धता में विलम्ब की स्थिति में विभाग द्वारा कन्टेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक उपकरण जिसका आयात करने के संबंध में कार्यवाही चल रही है लगाने पर विचार न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सेवा में सुधार हेतु प्रस्तावित स्थान पर स्वचालित प्रणाली लगाने के लिए कार्यवाही का अन्मि कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां । रायगंज में 600 लाइनों के एम० ए० एक्स- II एक्सचेंज के संस्थापन संबंधी परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी अगस्त, 83 में दी गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 7वीं योजना में भवन उपलब्ध होने की संभावना है । रायगंज में कन्टेनराइज्ड एक्सचेंज संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस स्थान के लिए इसका आबंटन नहीं किया गया है ।

(घ) 7वीं योजना के अंत तक आटो एक्सचेंज चालू होने की संभावना है ।

रुग्ण उद्योग और उनके वित्तीय दायित्व

6579. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 और 1984 के अंतिम दिनों की स्थिति के अनुसार बड़े मध्यम और छोटे रुग्ण एककों की संख्या कितनी थी; और

(ख) उपरोक्त तारीखों के अनुसार इन एककों में वित्तीय दायित्व की स्थिति क्या थी;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1981 से दिसम्बर, 1983 तक बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या तथा बकाया ऋण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रु० में)

के अन्त में	रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या	बकाया धनराशि
दिसम्बर, 1981	26,758	2,026
दिसम्बर, 1982	60,173	2,585
दिसम्बर, 1983	80,110	3,101

आई० डी० पी० एल० के अधिकारियों द्वारा कम कीमतों पर बल्क औषधियों की बिक्री

6580 **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के बिक्री प्रभागों के मुख्य अधिकारियों द्वारा बल्क औषधियों, औषध (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित कीमतों से बहुत कम कीमत पर गैर-सरकारी लोगों को दे दिए जाने के मामले हुये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि ऐसे मामलों का पता लग गया था परन्तु फिर भी कम्पनी के कुछ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस प्रकार के कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समय पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मांडला जिले (मध्य प्रदेश) के दोभी गांव में विलायक संयंत्र (साल्वेट) प्लांट

[हिन्दी]

6581. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में दोभी गांव में विलायक संयंत्र किन कारणों से पिछले 8-10 वर्षों से अधूरा पड़ा है;

(ख) क्या सरकार इसे चालू करना चाहती है और यदि हां, तो कितने समय तक यह स्थापित हो जायेगा; और

(ग) इस संयंत्र पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है और किसने यह राशि खर्च की तथा इस पर और कितना खर्च आयेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

असम में मतदाता निर्वाचक नामावलियां

[अनुवाद]

6582. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार असम में निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं; और

(ख) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के वास्तविक निदेश अथवा संप्रेक्षण क्या हैं और संघ सरकार की उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रतिबद्धता क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए निदेश, यदि कोई हों, जारी करना, विधी के अनुसार, निर्वाचन आयोग का कार्य है । निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि नामावलियों का पुनरीक्षण करते समय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षणों को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) असम के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के, विधि और नियमों के अनुसार गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वयं निर्वाचन आयोग ने ली

है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा करना संभव न हो तो वहां संक्षिप्त या विशेष पुनरीक्षण किया जा सकता है। आयोग ने यह बताया है कि घर-घर जा कर प्रगणना करने के लिये प्रयुक्त निर्वाचन कार्ड में 'मतदाता" शब्द के स्थान पर "नागरिक" शब्द रखा जाएगा। इंद्रजीत बारू और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश से एक उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी०-1115/85**]

पर्वतीय और दूरवराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

6383. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दस उपभोक्ताओं के वर्तमान नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के लिए दूरसंचार सुविधाओं को कल्याण सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए;

(घ) क्या सरकार का विचार बेतार और अन्य आधुनिक साधनों के उपयोग के माध्यम से, जो कि इतने खर्चीले भी नहीं हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। छोटा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए 10 उपभोक्ताओं के वर्तमान नियम को सरकार ने पर्याप्त रूप से उदारीकृत बना दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रेडियो माध्यम तथा अन्य आधुनिक माध्यम का सहारा लिया जाएगा।

(ङ) सातवीं योजना के दौरान इस संबंध में सरकार की योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

(एक) एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत 9,000 एस० डी० पी० टी० खोलना, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(दो) देश के पहाड़ी और दूरवर्ती इलाकों में अनुमानतः 3,000 लाइनें जोड़ना।

निर्वाचन कार्य पर तैनात पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

6584. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** . क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों के दौरान और निर्वाचन के दिन पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग अथवा राज्य सरकार, जहां निर्वाचन होते हैं, के अधीन अपना कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है जिसने निर्वाचन आयोग के परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार निष्पक्ष कार्य नहीं किया;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के किसी जिले के पर्यवेक्षक से इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) पुलिस अधिकारी अपने क्रियाकलाप विधि के उपबंधों के अनुसार और अपने उन प्राधिकृत वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में करते हैं जिनके प्रति वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं ।

(ख) जब निर्वाचन आयोग को यह पता चलता है कि किसी अधिकारी ने ऐसी रीति से कार्य किया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो आयोग संबद्ध राज्य सरकार को वह मामला निर्देशित करके ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करता है ।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि पश्चिमी बंगाल में आयोग द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी पर्यवेक्षक से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

रिलायंस टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज और इसके साथ सहयोगकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश

6585. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग में विदेशी सहयोग वाली किसी परियोजना को मंजूरी देने हेतु मूल दिशानिर्देश क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1984 के दौरान बम्बई की रिलायन्स टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज के विदेशी सहयोगकर्ताओं की स्वीकृति के समय इन दिशानिर्देशों का पालन किया गया था; और

(ग) ये सहयोगकर्ता कौन थे और उनका क्या ब्यौरा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पार्टियों की तकनीकी कुशलता, संचालनों के परिणाम, परियोजनाओं की आर्थिक जीव्यता और देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की जांच की जाती है और अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का विवरण, अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी विनिर्माण की वस्तु, सहयोग करार की किस्म को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा इसके मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय में भेजी जाती हैं।

बड़ी और मध्यम सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का नमूना सर्वेक्षण और कार्य निष्पादन

6586. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े और मध्यम दर्जे की सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का कोई नमूना सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों (नाम-वार) के वर्ष 1984-85 में कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक जिन विभिन्न सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का सर्वेक्षण किया है उनकी विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रमुख कारण क्या हैं जिनकी वजह से कुछ सरकारी कम्पनियों को घाटा उठाना पड़ा है;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवम्बर, 1984 के अंक में वर्ष 1983-84 के लिए 500 बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित किए हैं। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के जुलाई, 1983 के अंक में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें 1980-81 के लिए 1720 मझौली और बड़ी सरकारी कंपनियों के सर्वेक्षण के परिणाम शामिल थे।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1983-84 के लिए 500 चुनी हुई बड़ी सरकारी लिमिटेड कंपनियों के लाभ का अनुपात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि अध्ययन के निष्कर्ष बृहत् औसत (मेको एग्रिगेट्स) के सम्बन्ध में हैं इसलिए अलग-अलग सरकारी लिमिटेड कंपनियों की एकक वार समस्याएं प्रकाशित नहीं की गई हैं। वर्ष 1982-83 की अपेक्षा 1983-84 में सकल लाभ की मात्रा में 0.4 प्रतिशत की कमी के कारणों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण यह प्रकट करता है कि यद्यपि निर्माणकारी खर्चे पिछले वर्ष की अपेक्षा 5.7 प्रतिशत के अनुपात से कम बढ़े हैं परन्तु कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक, भवनों और मशीनों की मरम्मत, अन्य व्यय, मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान आदि जैसे घटकों में काफी वृद्धि दिखाई गई है। निर्माणकारी व्ययों के अलावा घटकों में अनुपात से अधिक वृद्धि से निर्माणकारी व्ययों में वृद्धि कम हुई है और सकल लाभ में कमी हुई है।

विवरण

1983-84 के लिए 500 चुनी हुई बड़ी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के लाभ अनुपात

लाभ का अनुपात	1983-84
1. कुल निलंब परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ	8.9
2. बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ	8.7
3. निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर के बाद लाभ	8.6
4. कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में बनाए रखा गया लाभ	49.7
5. कुल चुकता पूंजी में चालू लाभांश	12.6

आयातित और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए आंकड़ा बैंक

6587. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए आंकड़ा बैंक स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए अध्ययन करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यदल स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) तकनोलोजी आंकड़ा बैंक स्थापित करने हेतु ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अन्तर-विभागीय कार्य-दल गठित कर लिया गया है। यह कार्य-दल प्राप्त किए जाने वाले, संकलित किए जाने वाले और प्रचारित किए जाने वाले आंकड़ों की किस्म व उनके स्रोतों तथा उन्हें अंततः प्रयोग करने वाले उपयोक्ताओं की श्रेणियों का पता लगाएगा और आंकड़े प्रक्रियान्वित करने, रखने तथा पुनः प्राप्त करने हेतु तरीकों आदि का सुझाव देगा।

निर्वाचनों में नामनिर्देशन के लिए निक्षेप की राशि बढ़ाना

6588. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, विधान सभा और लोक सभा निर्वाचनों के लिए खड़े होने वाले अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन की राशि बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग द्वारा 20-4-1985 को भेजे गए प्रस्तावों में यह सुझाव दिया गया है कि प्रतिभूति निक्षेप की राशि दस गुनी कर दी जाए, अर्थात्, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के मामले में 5,000 (पांच हजार रुपए) और सभा परिषद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के मामले में 2,500 रु० (दो हजार पांच सौ रुपए) कर दी जाए। प्रस्ताव विचाराधीन है।

विभिन्न राज्यों में सिविल न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए धनराशि

6589. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना में विभिन्न राज्यों में सिविल न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना-अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) सिविल न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 1985-86 में विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों से सम्बद्ध था। अतिरिक्त न्यायालय (सिविल/दांडिक) स्थापित करने, न्यायालय/ग्रामीण न्यायालय भवनों का निर्माण करने और इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के निवास गृहों का निर्माण करने के लिए राजस्व और पूंजी के अधीन 31-3-85 तक विभिन्न राज्यों को जो रकम दी गई है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्याय प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान का दिया जाना

(लाख रु० में)

राज्य का नाम	31-3-1985 तक दी गई रकम
1	2
1. आंध्र प्रदेश	83.97
2. असम	165.23
3. बिहार	487.88
4. हिमाचल प्रदेश	6.02
5. जम्मू-कश्मीर	2.50
6. केरल	1.95
7. मध्य प्रदेश	27.83
8. मणिपुर	27.37
9. नागालैंड	70.00
10. उड़ीसा	92.88

1	2
11. राजस्थान	209.46
12. तमिलनाडु	15.64
13. त्रिपुरा	30.68
14. उत्तर प्रदेश	470.43
15. पश्चिमी बंगाल	123-87
	योग : 1815.41

विवरण-II

न्याय प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाना—आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1985-86 के दौरान राज्य सरकारों को संदेय अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	न्यायालय भवनों की संख्या	1985-86 के लिए पुनः चरणबद्ध परिव्यय
1. आंध्र प्रदेश	10	98.00
2. असम	7	71.40
3. बिहार	2	20.40
4. हिमाचल प्रदेश	1	10.66
5. जम्मू-कश्मीर	2	25.22
6. केरल	4	39.80
7. मध्य प्रदेश	1	12.20
8. मणिपुर	—	1.30
9. उड़ीसा	1	11.20
10. राजस्थान	4	40.80
11. पश्चिमी बंगाल	4	35.80
योग :	36	366.78

कोठारी का "जनरल फूड" के साथ सहयोग

6590. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठारी ने "जनरल फूड" के साथ सहयोग किया है;

(ख) क्या उनके द्वारा वनस्पति प्रोटीन बनाये जाने का विचार है;

(ग) क्या "पाउडर साफ्ट ड्रिंक" और "इंसटेंट काफी" उच्च प्रोद्योगिकी समझे जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सहयोग की अनुमति के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) मै० कोठारी जनरल फूड्स कारपोरेशन लि०, मद्रास को निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक लाइसेंस मंजूर किया गया था :

(1) विलेय काफी (फ्रीज ड्राइड)।

(2) वनस्पति पर आधारित प्रोटीन उत्पाद तथा पाउडर युक्त खाद्य पेय पदार्थ।

उपर्युक्त उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उन्हें यू०एस०ए० के मे० जनरल फूड्स कारपोरेशन के साथ विदेशी सहयोग करार करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। उत्पादित किए जाने वाले वनस्पति पर आधारित प्रस्तावित प्रोटीन उत्पादों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :

(1) वेजीटेरियन करी और उबले हुए मांस, वेजीटेरियन सौस, पावरोटी अथवा (चन्क) टुकड़ों के आकारों में वेजीटेरियन उत्पादों जैसे डिब्बा बंद मांस उत्पादों में प्रयोग करने के लिए विभिन्न मांस उत्पादों की वनस्पति पर आधारित सोया/मूंगफली जैसी वस्तुएं सूखे और भंडारण योग्य मांस के टुकड़े, जिन्हें रिहाइड्रेटेड करके चिकन जैसा बनाया जा सके, हैम, सूअर का मांस, आदि।

(2) खाद्यानों पर आधारित प्रोटीन युक्त विभिन्न उत्पादन जैसे सोया अथवा मूंगफली प्रोटीन से संतुष्ट मिश्रित पदार्थ, अधिक प्रोटीन वाला आटा, अधिक प्रोटीन तत्वों के चावल अथवा गेहूं जैसी वस्तुएं परम्परागत पात्रों में उपयोग किया जा सकता हो।

(3) विटामिन "ए" विटामिन "सी" लोहा और कैल्सियम से समन्वय पाउडर युक्त पेय पदार्थ।

उपर्युक्त वस्तुओं का उत्पादन में निहित प्रौद्योगिकी जटिल प्रकार की होती है। इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय होने की परिकल्पना की गई है।

फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में सोडा ऐश के कारखाने की स्थापना

6591. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में इफको द्वारा सोडा ऐश का कोई कारखाना स्थापित किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या सोडा ऐश कारखाना स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यह कारखाना कब स्थापित किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य की फूलपुर तहसील में सोडा ऐश का कारखाना स्थापित करने के लिए मै० इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिव लि० (इफको) को एक आशयपत्र प्रदान किया गया है।

(ग) कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा पुनरीक्षण के समय सूची निर्धारित की जाएगी।

भोपाल दुर्घटना के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पुनर्विलोकन

[हिन्दी]

6592. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मामलों का पुनर्विलोकन किया जाएगा;

(ख) क्या भारत में कारखाने खोलने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मंजूरी देते समय नई सुरक्षा शर्तें लागू की जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए विदेशी सहयोग के अनुमोदनों की सामान्य समीक्षा करने का सरकार का कोई विचार नहीं है । किन्तु स्वीकृति देने से पूर्व स्थापना स्थल और प्रदूषण नियंत्रण आदि सम्बन्धी बातों को सदैव ही ध्यान में रखा जाता है ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के हल्दिया एकक को बेचना

[अनुवाद]

6593. श्री एस०एम० भट्टम
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के हल्दिया एकक को गैर सरकारी निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उक्त एकक घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इसे बेचने के प्रस्तावों के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) संयंत्र ने वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है और अभी प्रारम्भ अवस्था में है । इस लिए, लाभ और हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स रिलाएन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज को दिए गए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

6594. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिलाएन्स टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज, बम्बई को 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र मंजूर किये गये;

(ख) क्या उनकी नई परियोजनाओं में कोई विदेशी सहयोगकर्ता है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि वे विदेशी सहयोगी वास्तविक थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, मैसर्स रेलियांस टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान तीन आशय पत्र स्वीकृत किए गए थे।

(ख) से (घ) वर्ष 1983-84 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा मैसर्स रेलियांस टेक्सटाईल इन्डस्ट्रीज के विदेश सहयोग सम्बन्धी पांच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों की मोटे तौर पर पार्टियों की तकनीकी सक्षमता, कार्य संचालन के परिमाण, परियोजनाओं की आर्थिक जीव्यता, विदेशी सहयोगकर्ता की ख्याति और स्वदेशी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है।

विवाह विधि

6595. श्री दिग्विजय सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 नवम्बर, 1983 को सदन में उपस्थापित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 के बारे में संसद की संयुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट में की गई शिफारिशों पर कोई कार्यवाही आरम्भ की है या आरम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का, उक्त रिपोर्ट के अनुसार अब कोई उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि "जब तक कुटुम्ब न्यायालय प्रणाली सम्पूर्ण देश में आरम्भ नहीं कर दी जाती और उपयुक्त प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत विवाह मंत्रणा सेवाएं, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक व्यवहार, आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा मामलों पर विचार किए जाने के लिए उपबन्ध भी हैं) बना नहीं ली जाती है, तब तक विवाह-विच्छेद के उक्त प्रस्तावित नए आधार को (अर्थात, विवाह का उसमाध्येय अंग) विधि का अंग बनाना उचित नहीं होगा।" कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिए विधान, अर्थात, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, संसद ने अधिनियमित कर दिया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ

साथ, विवाह सम्बन्धी मंत्रणा देने वालों और मनोरोग-विज्ञान, सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में विशेषज्ञों को सहयोजित करने की प्रक्रिया दी गई है। सरकार का यह मत है कि अभी वह समय नहीं आया है जब विवाह के असमाधेय भंग को विवाह-विच्छेद का आधार बनाने के लिए विधान लाने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

एन० सी० सी० कैडिटों के लिए नई बीमा योजना

6596. **श्री एस०एम० भट्टम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन सी सी कैडिटों के लिए नई बीमा योजना अप्रैल, 1985 से प्रभावी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडिटों के लिए कोई बीमा योजना नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकलापों में भाग लेते समय मरने वालों एवं स्थाई रूप से निशक्त होने वाले कैडेटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी की जांच के लिए विधान

6597. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने उपभोक्ता वस्तुओं की क्वालिटी की जांच के लिए संसद द्वारा कोई विधि अधिनियमित किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। विधि आयोग की "उपभोक्ता वस्तु क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण" के सम्बन्ध में 105 वीं रिपोर्ट (एक सौ पांचवीं रिपोर्ट) में आयोग ने ऐसी विधि अधिनियमित की जाने की सिफारिश की है जिसमें वस्तुओं की निश्चित न्यूनतम क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र की बाबत उपबंध किया गया हो।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय के लिए, जिसमें एक उपयुक्त विधान के अधिनियमन का प्रश्न भी सम्मिलित है, भेजी गई हैं।

संचार के लिए राष्ट्रीय नीति

6597-क प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संचार वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संचार मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न सेमिनारों की सिफारिशों के फलस्वरूप संचार के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तारीख तक ऐसी नीति तैयार की जाएगी तथा इसके विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। तथापि, नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस नीति के वर्ष के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है। मुख्य रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन की अनिश्चितता के कारण विलम्ब हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव

6597-ख. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के पिछले सम्मेलन की कार्यवाही और उस में पारित किये गये प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या भारत सरकार उनसे सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संकल्पों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यूनाइटेड नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (यूनिडो) के वियना में 2 से 20 अगस्त, 1984 तक हुए चौथे महासम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर 15 संकल्प पारित किए थे :

1. औद्योगिक विकास के लिए मानव-साधनों का तेजी से विकास करना ।

2. विकासशील देशों में औद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना ।

3. ऊर्जा और औद्योगिकीकरण, ऊर्जा के साधनों के विकास और उपयोग तथा उपकरणों के निर्माण पर विशेष बल देना ।

4. विकासशील देशों में कच्चे माल के स्वदेशी परिष्करण के लिए नीति और उपाय ।

5. विकासशील देशों की खाद्य-पूर्ति में ग्रामीण विकास और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति एवं उपाय ।

6. अत्यल्प विकसित देश कार्रवाई के पर्याप्त नये कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

7. विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना ।

8. अफ्रीका के लिए औद्योगिक विकास दशाब्दी प्रगति की समीक्षा और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपायों सम्बन्धी प्रस्ताव ।

9. औद्योगिक विकास में महिलाओं का एकीकरण ।

10 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास निधि ।

11. औद्योगिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में युनिडो की समन्वयकारी भूमि ।

12. लेबनान को इसके औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए तुरन्त सहायता देना ।

13. खाड़ी के देशों में लड़ाई समाप्त कराना ।

14. फिलस्तीनी लोगों को तकनीकी सहायता पहुंचाना ।

15. आर्गेनाइजेशन आफ अफ्रीकन युनिटी द्वारा मान्यता प्राप्त दक्षिणी राष्ट्रीय अफ्रीकी मुक्त आन्दोलन को तकनीकी सहायता देना ।

सम्मेलन में संकल्पों के दो मसौदों अर्थात पहला विश्वस्तरीय औद्योगिक पुनर्गठन और पुनर्नियोजन और दूसरा औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सका । सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि इन दोनों संकल्पों के मसौदे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस अनुरोध के साथ भेजे जाने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 39वें सत्र में इन संकल्पों पर विचार किया जाए ?

भारत सरकार युनिडो-4 सर्वसम्मति से पारित किए गए संकल्पों से सामान्यत: सहमत है।

सम्मेलन की सिफारिशें सदस्य-राष्ट्रों और युनाइटेड नेशन्स आफ आर्गेनाइजेशन को सम्बोधित थी, और कई सिफारिशें युनिडो को सीधे ही भेज दी गई थीं। स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाही हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए थे। हमारी वर्तमान आर्थिक, औद्योगिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीतियों में यूनिडों के चौथे महासम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संकल्पों को ध्यान में रखा गया है।

दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4854 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : 30 अप्रैल, 1985 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4854 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में पिछड़े क्षेत्रों को वर्ष 1983 और 1984 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार दर्शायी गई थी :

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1983	1055	1075
1984	1064	906

इनकी संख्या निम्न प्रकार से ठीक कर ली जाये :

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1983	664	317
1984	627	323

त्रुटि के लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री पी०वी० नरसिंह राव।

12.00 मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, केन्द्रीय कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्सकरण) की एक-एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) केन्द्रीय कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(चार) (क) केन्द्रीय कमान छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपर्युक्त (एक) से (तीन) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-905/85]

(2) (एक) दक्षिणी कमान के छावनी बोर्डों का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) दक्षिणी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 सन्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) दक्षिणी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(चार) (क) दक्षिणी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983- 84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपर्युक्त (एक) से (तीन) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा

पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-905/85]

(3) (एक) पूर्वी कमान के छावनी बोर्डों का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा आंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) (क) पूर्वी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपयुक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-907/85]

(4) (एक) उत्तरी कमान के छावनी बोर्डों का वर्ष 1984-84 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) (क) उत्तरी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-908/85]

(5) (एक) पश्चिमी कमान के छावनी बोर्डों का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) (क) पश्चिमी कमान के छावनी बोर्डों के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-909/85]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) खड़े हुए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने आपकी तरफ से शुरुआत की थी। आप यहां पर मौजूद नहीं थे।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हम लोगों को भी देखिए और हमारी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात भी सुन लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हम···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी की बातों को सुन रहा हूं अगर वह संगत हैं तो। अन्यथा ध्यान नहीं देता। मैं प्रत्येक को मौका दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आज हमने सभी अखबारों में एक अत्यन्त बेचैन कर देने वाली खबर पढ़ी है जिसमें हमारे प्रधान मंत्री जी की आगामी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें मारने के षड्यन्त्र का फेडरल ब्यूरो आफ् इन्वेस्टीगेशन अमरीकी खुफिया विभाग द्वारा पर्दाफाश किए जाने की बात कही गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनसे यही पूछने जा रहा हूं···

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही चिन्ताजनक खबर है कि अमरीका की खुफिया विभाग ने इस षड्यन्त्र का पता लगाया है। हमारा देश इस सम्बन्ध में आश्वस्त होना चाहता है कि अमरीका यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर माधव रेड्डी आए होते और पहले खड़े हो जाते तो मैं उन्हीं से पूछता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी भी सदस्य से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ एक श्री माधव रेड्डी से प्राप्त हुई है। मुझे पूर्व सूचना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। आप सभी एक साथ क्यों बोल रहे हैं? एक-एक करके बोलिए···आप लोग एक-दूसरे के बीच में क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी आप भी मेरी बात को सुनिये मैं क्या कह रहा हूं। श्री तिवारी मैं आप से ही कह रहा हूं आप मेरी बात सुनिये।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है परन्तु पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। मैं आपसे पूछता हूं। आप क्या पूछने जा रहे हैं और किस नियम के अन्तर्गत ?

प्रो० के० के० तिवारी : हमने नियम 184, के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे मालूम है कि आपने नियम 184 के अधीन सूचनाएं दी हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपने भी दी है। परन्तु मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी आप फिर बोलने लगे हैं। आप को मेरी बात सुननी चाहिए मेरे पास आप का दिया गया प्रस्ताव है। मैं इस के महत्व को अच्छी तरह समझता हूं। परन्तु पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं इस पर निर्णय दूंगा। उसको अभी चर्चा के लिए रखूंगा। बस यही तो है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है परन्तु अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका फैसला करना है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। यह सदन में इस तरह नहीं किया जा सकता। मैं कई प्रस्तावों की जटिलता को जानता हूं। मैं इसी बात पर ध्यान दूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी मांग रहा हूं। यह आज आया है और मुझे जानकारी भी प्राप्त करनी है मैं इसे इतनी जल्दी नहीं कर सकता।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी मैं इस पर आ रहा हूं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मैं आपके पास आ रहा हूं, चतुर्वेदी जी। आप, पैराशूट से मत आइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) महोदय, मुझे मालूम है कि यह चीजें आपके समक्ष हैं...

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप जो कहना चाहते हैं ? मैंने उसे कर दिया है।

श्री जी० जी० स्वैल: मुझे दो मिनट का समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह निर्णय दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा और पूरी तरह ध्यान दूंगा। इसके बारे में आप चिन्ता मत कीजिए ? यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने नियम 184 के अधीन सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं श्री स्वैल का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपके समर्थन को भी मद्देनजर रखा जायगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद की स्थिति आजकल दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती जा रही है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : वहां आल इंडिया लेवल पर आन्दोलन चलाने का निर्णय ले लिया गया है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अनुमति नहीं है। श्री पनिका मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सौज (कटवा) : कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करवाने में भारत सरकार ने प्रशंसनीय प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे इस समय क्यों उठाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? अनुमति नहीं है ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत, अनुमति नहीं है। आप अजीब बात क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पहले ही नोट कर लिया है। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सौज, आप को कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप को कुछ नियमों के बारे में जानना चाहिए। आप काहे को बेकार इस पर जोर दे रहे हैं ? अनुमति नहीं है। मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी तरह पीछे पड़े रहे तो मुझे आप को बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। आप मुझे बिना बात ही परेशान कर रहे हैं अब मैं आप को बाहर जाने के लिए कहूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपकी बात सुन चुका हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जी, मैं उन्हें बाहर जाने के लिए कहने वाला हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सौज, आप यह क्यों नहीं समझते कि कल जिस वक्त मैंने अपना निर्णय दिया आप मौजूद नहीं थे। इस विषय पर मैं अपने विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को, पूरे कन्ट्री को लगभग 10 करोड़ रुपये के फोरेन एक्सचेंज का नुकसान होने वाला है···बहुत बड़ी हैण्डलूम इंडस्ट्री बन्द हो रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने किया है मैंने उससे अधिक किया है। आप मुझे लिखित में दीजिए, इस तरह नहीं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के संबंध में एक बहुत ही चिन्ताजनक सूचना प्राप्त हुई है···

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने कर दिया है।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : मैंने आपको इस संबंध में ध्यानाकर्षण का नोटिस भी कल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं आप से कृपा करके बताना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं कि सारी रात रोई और वह भी मरा पड़ोसियों का, घरवाला नहीं गया, मैं आप को इतनी बार कह चुका हूं ···मैंने कह दिया है, आप निश्चिन्त होकर बैठिये।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्डईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : टेलीवीजन कार्यक्रम के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत मैं पूर्व सूचना दे चका हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे अगर हमारे पास समय हुआ तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आप कार्य मंत्रणा समिति में थे।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : कार्य-मंत्रणा समिति में भी आपने मुझे आश्वासन दिया था। मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नियम 377 के अधीन पहले ही स्वीकार कर चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में ..... के कारण 32 ग्राम प्रभावित हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिये। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आवश्यक रूप से कुछ ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि यदि समय हुआ तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपको समय निकालना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समय बढ़ा नहीं सकता, वह मेरे हाथ में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको सत्रावधि बढ़ानी होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह अधिकार नहीं है। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

[अनुवाद]

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983 संबंधी प्रतिवेदन—संघ सरकार वाणिज्यिक भाग सात-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983 संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—संघ सरकार (वाणिज्यक) भाग सात-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार-

पोरेशन लिमिटेड की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पंचालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-910/85**]

— — — —

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपको मेरा विशेषाधिकार संबंधी नोटिस मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय . मुझे उस पर विचार करना है।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका से यह पत्र प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप को जो पत्र मिला है वह निजी पत्र है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। यह आपकी बहुत बुरी बात है। आप ठीक से नहीं सुनते। आप मेरी बात सुनिये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : क्यों?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने आप को अनुमति नहीं दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं यह पत्र पढ़ कर सुनाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं मुझे आप से पूरी सहानुभूति है। आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव भी मेरे पास है। मैं तथ्यों का पता लगा कर आपके पास आकर आपको बताऊंगा। मैं उसे स्वीकार या अस्वीकार करूंगा और तदानुसार आपको सूचना दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने उसे अस्वीकृत नहीं किया है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करना है तथा सूचना लेनी है यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे और आप अंधाधुंध बोलते चले जायेंगे तो मैं यह कैसे कर पाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

— — — —

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत अधिसूचना, मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजन्स लिमिटेड, पूणे के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 सम्बन्धी प्रतिवेदन आदि, आदि

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 18 कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) का० आ० 257 (अ), जो 28 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इन्डिया वेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड सीरामपुर, पश्चिम बंगाल के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 272 (अ), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सोममुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानेन्डल, के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से और आगे बढाने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 273 (अ), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुडुकोटाई के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 276 (अ), जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मैसर्स प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज, पम्पोर के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 277 (अ), जो 29 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स बंगाल पोटरीज लिमटेड, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पाँच वर्षों से और आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(छः) का० आ० 326 (अ), जो 12 अप्रैल, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग

मिल्स, कोनागार के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पाँच वर्षों से अधिक बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-911-85]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत पुणे जिले में मुल्शी में ईंधन इंजेक्शन उपकरण और उसके फालतू पूर्जों तथा टाइमिंग उपकरणों के विनिर्माण के लिए नए उपक्रम की स्थापना हेतु मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजन्स लिमिटेड पूणे के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा केन्द्रीय सरकार का 16 मार्च, 1985 का आदेश और एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-912-45]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों की क्रियान्विति से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-913/85]

(4) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-89 संबंधी लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-914/85]

(6) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत डेकामेथरिन जो एक सिन्थेटिक पाइरेथाइराइड है और आइसोप्रोटुरोम —जो एक गेहूं खरपतवार नाशी है, के विनिर्माण के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना करने हेतु मैसर्स हेक्स्ट फार्मास्युटिकल्स सीमित, बम्बई, के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा केन्द्रीय सरकार का 30 मार्च 1985 का आदेश तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-915/85]

(7) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, (एक) आटोमोटिव बैटरीज रख-रखाव से लगभग मुक्त लाइटवेट, हाई क्रैकिंग पावर्ड बैटरीज (दो) ट्रैक्शन बैटरीज (रेलवेज) फोर्कलिफ्ट्स या ऐसे ही उपस्कर (तीन) स्टेशनरी सेल्स (डाक तथा तार, राडार, संस्थापन, हास्पिटल स्टैंडबाई, डिफेंस, रेलवेज, माइक्रोवेव स्टेशन्स, कम्प्यूटर सैटर्स तथा एयरपोर्ट स्टैंडबाई उपस्कर और (चार) स्मालर बैटरीज (कोई रख-रखाव नहीं) फार माइनिंग कप लैम्पस, हाई अल्टीच्यूड (डिफेंस) तथा ऐसे ही उपस्कर हेतु मैसर्स ओरियन्ट जनरल इंडस्ट्रीज सीमित, कलकत्ता के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और केन्द्रीय सरकार का 10 अप्रैल, 1985 का आदेश तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-916/85]

(8) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत (एक) आटोमोटिव बैटरीज (दो) मोटर साइकिल बैटरीज तथा (तीन) माइनर्स कैप लैम्प बैटरीज के लिए मैसर्स क्लोराइड इंडिया सीमित, कलकत्ता; के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा केन्द्रीय सरकार का 23 अप्रैल, 1985 का आदेश और व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 917/85]

भारत के निर्वाचन आयोग का वर्ष 1984 के लिए द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री एच० आर० भारद्वाज की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग के वर्ष 198- सम्बन्धी दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-918/85]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम 1985, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का वर्ष 1983-84 का प्रतिवेदन और रक्षा सेवाओं के वर्ष 1983-84 के विनियोग लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1984 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 1 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 390 (अ) में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 919/85**]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक- एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 394 (अ), जो एक मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या 76-सी० शु० को रद्द किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 398 (अ), जो 3 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो स्टाइरोम बुटाडीन रबर (एस० बी० आर०) के विनिर्माण के लिये आयातित बुटाडीन को, उस पर उदग्रहणीय 35 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 406 (अ), जो 7 मई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 42 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि चमड़ा उद्योग की मशीनरी की 87 अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत मूल्यानुसार सीमा-शुल्क की रियायती दर दी जा सके। **ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-920/85**]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 387 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति, जो 30 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 20 जनवरी, 1979 से आरम्भ होकर 8 अप्रैल, 1979 को को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कतिपय इस्पात पिण्डों और लोहे तथा इस्पात उत्पादों पर उत्पादशुल्क के भुगतान के संबंध में केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के उपबन्धों को लागू किया गया है ताकि उक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पादशुल्क का भुगतान न करना पड़े। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 921 85**]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक

के वर्ष 1983-84 संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति —संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 922/85]

(5) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी विनियोग लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 923/85]

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं। श्री यशवंत राव गडाख पाटिल।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये तो दूसरा मैटर है··· (**व्यवधान**) इसमें छपा है, ये सारी बातें, सुन तो लीजिए, कम से कम सभा को ये बातें मालूम होनी चाहिएं···

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसके अन्तर्गत मैं आपकी बात सुनूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। यह अप्रासंगिक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री पाटिल।

———

12.14 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[हिन्दी]

देश के विभिन्न भागों में बिजली की अत्यधिक कमी और उसकी सप्लाई में कटौती से उत्पन्न स्थिति

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल (अहमद नगर) : अध्यक्ष महोदय मैं अविलम्बनीय लोक

महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"देश के विभिन्न भागों में बिजली की अत्यधिक कमी और बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न स्थिति तथा इसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

[अनुवाद]

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : महोदय, देश मे विद्युत की अत्यधिक कमी के बारे में मैं माननीय सदस्यों के समान ही चिन्तित हूं। वर्ष 1984-85 के दौरान देश में विद्युत का कुल उत्पादन 156.65 बिलियन यूनिट हुआ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक था तथा यह इस वर्ष के लिए निर्धारित 154 बिलियन यूनिटों के लक्ष्य की तुलना में भी लगभग 1.7% अधिक था। वर्ष 1983-84 में 1.8% की विद्युत की समग्र कमी को 6.7 प्रतिशत तक कम करना सम्भव हो सका है। 1985-86 के चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 170 बिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान हुए उत्पादन से यह लगभग 8.5 प्रतिशत अधिक है।

छठी योजना 1980-85 के दौरान 19665 मेगावाट लक्ष्य की तुलना में कुल 14226 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू की गई।

तथा यह विद्युत उत्पादन क्षमता छठी योजना के प्रारम्भ में प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत है। वर्ष 1985-86 के दौरान 4460 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का कार्यक्रम है।

कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में ताप विद्युत उत्पादन का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है। इसलिए विद्युत की उपलब्धता काफी हद तक ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है। छठी योजना के प्रारम्भ में वर्ष 1979-80 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 44.3 प्रतिशत की तुलना में 1984 85 के दौरान बढ़कर 50 1 प्रतिशत तक पहुंच गया। पारेषण और वितरण हानियां पूरे क्षेत्र में अधिक रही हैं जो लगभग 21 प्रतिशत हैं।

उत्तरी क्षेत्र में पिछले वर्ष के दौरान कुल कमी लगभग 14 प्रतिशत थी। इससे हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुए थे विद्युत की कमी का मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों का घटिया कार्य निष्पादन और जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर नीचा होना है। पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी राज्य में अधिक कमी न होने के कारण विद्युत की उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक थी। अक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में विद्युत फालतू थी और इसने कर्नाटक और उड़ीसा को सहायता दी। केरल में विद्युत की स्थिति मोटे तौर पर

संतोषजनक थी। कर्नाटक बड़ी मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहा है और उसे बहुत औद्योगिक इकाइयों की खपत पर प्रतिबंध लगाने पड़े थे। पूर्वी क्षेत्र में 17 प्रतिशत से अधिक विद्युत की कमी थी। विद्युत की सर्वाधिक कमी बिहार में थी जो कि लगभग 39 प्रतिशत थी उसके बाद उड़ीसा में लगभग 16.5 प्रतिशत की कमी थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बनी रही। देश में विद्युत की कमी के कारण अधिकांश राज्यों को समय-समय पर भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत कटौतियां और प्रतिबन्ध लगाने पड़े थे। तथापि कृषि उपभोक्ताओं और महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत सप्लाई में प्राथमिकता देने के लिए प्रयास किए गये।

12.16 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश की वर्तमान 42440 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में लगभग 88 प्रतिशत राज्य क्षेत्र में है और 12 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र में है जबकि 1984-85 के दौरान हुए कुल 156.65 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का योगदान लगभग 1 प्रतिशत अर्थात 21.81 बिलियन यूनिट था। केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों का ताप विद्युत केन्द्रों का प्रचालन राज्य क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों की तुलना में अधिक संयंत्र भार अनुपात पर किया गया।

देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें 500 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता से ताप विद्युत केन्द्रों का नवीनकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। इस स्कीम में 36 ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया जायेगा और अगले 3-4 वर्षों में पूरा हो जाने पर लगभग 1000-1400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की आशा है। कोयले की सप्लाई में सुधार किया गया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने पर विशेष ध्यान किया जा रहा है। सरकार ऐसी स्कीमों के क्रियान्वयन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिनकी निर्माणावधि परम्परागत स्कीमों की तुलना में कम होगी जिनमें गैस टर्बाइन, डीजल इंजनों और मिनी तथा माइक्रो जल विद्युत स्कीमों की प्रतिष्ठापना शामिल है। प्रणाली में सुधार के लिए अतिरिक्त अति उच्च वोल्टता लाइनें और स्टेटिक वार कम्पनसेटरों जैसे उपस्कर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं। लम्बी दूरी तक कुशलता पूर्वक थोक मात्रा में विद्युत का पारेषण करने की दृष्टि से रिहन्द और दिल्ली के बीच एक उच्च वोल्टता डायरेक्ट करंट लिंक स्थापित किया जा रहा है। देश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ऊर्जा के संरक्षण पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है।

देश में बिजली की आवश्यकता 1985-86 में 181 बिलियन यूनिट से बढ़कर

1989-90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 269 बिलियन यूनिट तक बढ़ जाने की उम्मीद है। समूचे देश के लिए वृद्धि की यह दर अस्तंतमकालीन मांग के संदर्भ में 13.5% प्रतिवर्ष है। बिजली की खपत में औद्योगिक क्षेत्र का भाग प्रमुख बना रहेगा जो कि कुल खपत का लगभग 58.7 प्रतिशत है। बिजली की खपत का दूसरा बड़ी क्षेत्र कृषि है जिसकी खपत 15.8 प्रतिशत है। घरों के विद्युतीकरण की गति में वृद्धि होने की संभावना है तथा 1980-81 में 18.49 प्रतिशत की तुलना में 1989-90 तक देश में लगभग 35 प्रतिशत घरों के विद्युतीकृत हो जाने की आशा है। देश में विद्युत की भावी मांगों को पूरा करने के लिए हम दीर्घकालिक उपाय करेंगे बशर्ते इनमें वित्तीय कठिनाइयां न हों।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विद्युत उत्पादन में कुल मिलाकर सुधार हुआ है तथापि मुख्य रूप से राज्यों के अपने विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन अच्छा न होने और कुछ राज्यों में जल विद्युत जलाशयों का जल स्तर नीचा होने के कारण कुछ राज्य अभी भी विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। विद्युत की कमी वाले राज्यों को जब कभी संभव होता है अन्य राज्यों से सहायता दी जाती है। विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने तथा समय पर और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए हमने राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत की कमी अधिकतर देश के उत्तरी क्षेत्रों में है जो कि पिछले दो वर्षों से चली आ रही है। मंत्री महोदय ने एवरेज 14 परसेंट बतायी है, मगर हरियाणा में 28 परसेंट है, पंजाब में 20 परसेंट है और जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 12 परसेंट की कमी हो रही है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में जो 5 बड़े फायडल प्रोजेक्ट हैं, इनकी प्रस्तावित क्षमता 203 मेगावाट है जो कि लक्ष्य से काफी पीछे है। थर्मल पावर जिनकी उत्पादन क्षमता 1280 मेगावाट छठी योजना में प्रस्तावित थी वह भी लक्ष्य से दूर है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? साथ ही विद्युत की सप्लाई में जो हानि होती है, उनकी क्या मात्रा है तथा उनको रोकने के लिए सरकार किस तरह की व्यवस्था कर रही है।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमने राज्य सरकारों को

सलाह दी है कि उनके पास धनराशि की कमी है अत: नई परियोजनाएं शुरू करने के बजाय उन्हें निर्माणधीन परियोजनाओं को ही पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक योजना के साथ साथ विद्युत क्षेत्र और पिछड़ता जा रहा है। प्रत्येक योजना में निर्धारित लक्ष्य से कम विद्युत-उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप विद्युत-उत्पादन बढ़ता जा रहा है। देश के आर्थिक विकास की धीमी गति का एक महत्वपूर्ण कारण संभवत: विद्युत है। पिछले 10-15 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं बीता जब विद्युत संकट की बात नहीं हुई हो। इसी कारण हम औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और इसी कारण हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। उनका कहना है कि अगले वर्ष अर्थात् 1985-86 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 170 बिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है। जबकि मांग 181 बिलियन यूनिट है। वे ही बतायें कि स्थिति में सुधार किस तरह किया जाएगा।

यद्यपि विद्युत-उत्पादन में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है लेकिन कुछ राज्यों को विद्युत संकट का बहुत अधिक सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए पहले से ही विद्युत की कमी के कारण हरियाणा में 37.7 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 34 प्रतिशत, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में 20 प्रतिशत, उड़ीसा में 16.5 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 16.5 प्रतिशत की और वृद्धि हो गई है। इसका एक प्रमुख कारण हमारे यहां विद्युत उत्पादन संयन्त्र का उपयोग उसकी निर्धारित क्षमता से कम किया जाता है। धीरे-धीरे अब इसका उपयोग बढ़कर 50 प्रतिशत तक हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं क्योंकि विगत में यह बहुत कम था। वैसे, महोदय, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड 58 प्रतिशत है। मालूम नहीं संयन्त्र की क्षमता के उपयोग के इस स्तर तक हमें पहुंचने में कितने वर्ष लगेंगे। अगर इसका 5 प्रतिशत और उपयोग चालू कर लिया जाए तो बिजली संकट की समस्या हल हो जाए। अत: यह तो प्रबन्ध वर्ग पर निर्भर करता है। कृपया माननीय मन्त्री बतायें कि प्रबन्ध में सुधार तथा ट्रांसमिशन की हानियों को वे कैसे कम करेंगे क्योंकि इनको तो हम नियंत्रित कर सकते हैं तथा उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर आप कहें कि एक संयन्त्र स्थापित किया जाएगा तो उसकी स्थापना में तो 5-10 साल लग जाएंगे। बहुत समय लग जाएगा लेकिन प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार आदि का काम तो बहुत कम समय में किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना सम्भव है। क्या चालू वर्ष के दौरान संयन्त्र की उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि करके तथा ट्रांसमिशन हानियों को कम करके विद्युत की कमी को पूरा किया जा सकता है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, जो कुछ पूछा गया है इसका जवाब मैं अपने उत्तर में पहले ही दे ही चुका हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि बिजली की कमी के कुछ कारण हैं। जब तक उन कारणों तथा समस्याओं का पता नहीं लगा लिया जाता तब तक हल नहीं निकल सकता। विद्युत की कमी के प्रमुख कारण ये हैं : (1) बिजली की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक होना, (2) नई परि-

योजनाएं आरम्भ करने में देरी, (3) विद्युत उत्पादन संयन्त्रों में त्रुटियां, (4) गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों ही लिहाज से घटिया कोयले की सप्लाई, (5) ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन स्वीकृत मानदण्डों से घटिया कम होना, (6) ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से बिजली लेकर कम बिजली वाले क्षेत्रों में सप्लाई पूरी मात्रा में न कर पाना, (7) उच्च ट्रांसमिशन तथा रुकावटों के कारण हानियां। उक्त सभी कारणों के प्रति सरकार चिंतित है तथा उन्हें दूर करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में बहुत से उपाय किए गए हैं लेकिन प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं (1) संयन्त्र सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत केन्द्रों को सहायता देना; मात्रा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से अपेक्षित कोयले तथा देशी-विदेशी स्रोतों से अलिखित हिस्से-पुर्जों की खरीद के लिए राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत केन्द्र को सहायता देना; जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है उनका पता लगाने के लिए कार्यदलों तथा भ्रमणकारी दलों द्वारा दौरा करना तथा सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना; केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण योजनाएं शुरू करना। बहरहाल प्रत्येक विद्युत केन्द्र की निर्धारित उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों तथा विद्युत केन्द्रों को स्वयं ही बहुत कुछ करना होगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बिजली की कमी का संकट दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। 10 प्रतिशत कम बिजली का अर्थ है सालाना 6500 करोड़ रु० की हानि। यह बात नोट की जा रही है कि विद्युत की कमी एक ही क्षेत्र में नहीं है बल्कि समस्त भारत—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, में है। जब भी समाचार पत्र उठाओ, पश्चिम बंगाल का नाम इस मामले में सबसे पहले आता है। लेकिन हमारे विद्युत मन्त्री ही जानते होंगे कि···

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : यह बात सही नहीं है।

श्री नारायण चौबे : सही नहीं है। अगर आप बिहार की निराशाजनक स्थिति देखें तो यह सही नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : मेरे ख्याल से आपने तुलनात्मक चार्ट नहीं देखा।

श्री नारायण चौबे : मैंने उसे देखा है।

श्री रणबीर सिंह : आप उसे देखें।

श्री नारायण चौबे : महोदय, बंगाली में एक छोटी सी कविता है :

"सब गेपिनी रंगो करे,
"निन्दी शुदू श्री राधिकार"

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : श्री चौबे, यह कविता नहीं, कहावत है।

श्री नारायण चौबे : इसका अर्थ है : प्रेम तो सभी गोपियां करती हैं लेकिन बदनाम श्री राधिका ही होती हैं।

यह सच है कि पिछले साल विद्युत उत्पादन अधिक हुआ था लेकिन मांग अधिक होने के कारण बिजली की कमी बनी रही। 1984-85 में बिजली की कमी 11 प्रतिशत थी जबकि 198 -84 तथा 1982-83 में क्रमशः 10.8 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत थी।

विद्युत-उत्पादन संयंत्र की उत्पादन क्षमता का उपयोग भी बढ़ है। यह एक अच्छी बात है। 1984-85 में यह 50.1 प्रतिशत था जबकि 1983-84 में यह 47.9 प्रतिशत ही था।

पन बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन इस सबके बावजूद विद्युत-संकट बढ़ रहा है।

जैसा मन्त्री जी ने दावा किया है कि छठी योजना में 19666 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था। लेकिन वास्तविक उत्पादन तो उससे 25.9 प्रतिशत कम हुआ। छठी योजना में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य से करीबन 8 000 मेग वाट कम बिजली का उत्पादन हुआ। मालूम नही संयन्त्र की क्षमता का कम उपयोग क्यों जारी है। वैसे इसमें कोई संदेह नही कि इसमे सुधार हुआ है। क्योंकि 1980-81 में यह 44.6 प्रतिशत था जो कि 1982-83 में बढ़ कर 49.4 प्रतिशत हो गया। 198 -84 में यह 47.9 प्रतिशत था और इस साल यह 50.1 प्रतिशत है। वैसे इसे 58 प्रतिशत होना चाहिए।

अगर आप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को देखें तो पाएंगे कि सबकी बिजली-सप्लाई के सम्बन्ध में परेशानी भी अलग-अलग है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों को केवल 29.6 प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र अर्थात हमारे क्षेत्र को 40.8 प्रतिशत उत्तर क्षेत्र को 47.5 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश को केवल 31.6 प्रतिशत विद्युत की सप्लाई ही होती है। दक्षिण क्षेत्रों की स्थिति ठीक है उन्हें 57 प्रतिशत सप्लाई होती है। पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति भी ठीक है। उन्हें 53 प्रतिशत बिजली की सप्लाई होती है। माननीय मंत्री ने स्वयं बताया है कि स्थापित क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं। इसका कारण इन क्षेत्रों में उपकरणों की रख रखाव तथा संचालन में कमी, कोयले की घटिया किस्म तथा बड़े आकार का कोयला, जनशक्ति का प्रबन्ध तथा कुछ पुरानी अप्रचलित यूनिटों का आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन की आवश्यकता . यह कमी भी असमान है पूर्वी क्षेत्रों में 1983-84 में जो 18.6 प्रतिशत थी उसके मुकाबले में वह 20 प्रतिशत की कमी हो गई थी। उत्तरी क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत के मुकाबले यह कमी 17.4 प्रतिशत हो गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले 1.6 प्रतिशत के मुकाबले में यह 2.1 प्रतिशत हो गई। पश्चिम क्षेत्र में स्थिति में सुधार हुआ है। वहां 7.6 प्रतिशत की तुलना में अब 4.5% की कमी ही रह गई है तथा दक्षिण क्षेत्र में 12% के मुकाबले अब कमी 7.5% ही रह गई है। पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्र में स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन शेष क्षेत्रों में सुधार नहीं हो रहा है।

माननीय मन्त्री का यह भी कथन है कि ट्रांसमिशन के कारण कुल उत्पादित बिजली 21% बिजली की हानि हो जाती है। यह बहुत ज्यादा है इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं : सरकार छठी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल क्यों रही ? उसके प्रमुख कारण क्या हैं तथा सरकार का प्रस्ताव क्या कार्यवाही करने का है ? सरकार 53% क्षमता उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकी। पूर्वी क्षेत्र में इस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कौन-से विशेष कारण है ? मेरे ख्याल से यह श्री अरुण नेहरू को पूछना चाहिए कि विशेष कारण कौन-कौन से हैं। (**व्यवधान**) मेरे विचार से बहुत सालों से पूर्वी क्षेत्रों—पश्चित बंगाल की ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र—की उपेक्षा की जा रही है। माननीय मन्त्री कृपया बतायें कि इसके क्या कारण हैं तथा वे क्या उपाय करने जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की कितनी परियोजनायें योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए बिचाराधीन पड़ी हैं तथा उन्हें मंजूर कराने के लिए क्या किया जा रहा है। अपने उत्तर में आपने बताया है कि कुछ यूनिटों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ताकि इनका पुनर्गठन किया जाए और उत्पादन में 1000 से 1400 मेगावाट की वृद्धि हो। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी यूनिटें पूर्वी क्षेत्र में हैं और इस सम्बन्ध में आप क्या उपाय कर रहे है कि ट्रांसमिशन के कारण होने वाली 21% की हानि···

श्री बाई० एस० महाजन : 21 प्रतिशत।

श्री नारायण चौबे : जी हां, 21 प्रतिशत बिजली ट्रांसमिशन के कारण बेकार हो रही है। इस प्रतिशतता को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे ? इसे शून्य तो किया नहीं जा सकता। लेकिन आप इसे न्यूनतम कैसे करेंगे ? मंत्री जी का तो कहना है कि राज्य क्षेत्र के मुकाबले केन्द्र क्षेत्र का निष्पादन बढ़िया है चाहे आप 12 प्रतिशत क्षमता से 14 प्रतिशत उत्पादित क्यों नहीं कर रहे हो। आपके हिसाब से कुल मिलाकर राज्य क्षेत्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वैसे केन्द्र सरकार का काम ही राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों की आलोचना करना है। आप क्या उपाय करेंगे जिससे रख रखाव के मामले में राज्य विद्युत बोर्ड स्वयं को ठीक से चला सके ? एक कारण कोयले की कमी था। आपने बताया है कि इस कमी को कुछ सीमा तक पूरा कर लिया गया है। लेकिन विद्युत संयंत्रों तक पहुंचने वाले कोयले की किस्म तथा उसका बड़ा आकार कई बार परेशानी पैदा कर देता है। इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाएंगे ताकि आगामी वर्षों में हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इन्होंने उसका उत्तर भी स्वयं देने की चेष्टा की है।

श्री नारायण चौबे : मैं यह बात समझ नहीं पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। उन्होंने और अधिक परियोजनाओं की मांग की है।

श्री नारायण चौबे : हमारे मन्त्री महोदय का व्यवहार विद्युत मन्त्री की अपेक्षा एक दार्शनिक जैसा अधिक है।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, आपने अधिक दार्शनिकता दिखाई है।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे श्री चौबे की दार्शनिकता से कुछ लेना-देना नहीं है;

माननीय सदस्य श्री चौबे ने कुछ प्रश्न उठाये हैं और उनका उत्तर भी दिया है। इस प्रकार उन्होंने यह स्वीकार किया है कि राज्य क्षेत्र में 88 प्रतिशत बिजली का उत्पादन होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है राज्य क्षेत्र की अपेक्षा केन्द्रीय क्षेत्र का कार्य निष्पादन हतर है।

श्री नारायण चौबे : बहुत अच्छा नहीं किन्तु मैंने यह कहा था कि कुछ अच्छा है।

श्री बी० शंकरानन्द : आपने यह स्वीकार किया है कि उसका कार्य निष्पादन अधिक बेहतर है। अपने मुख्य उत्तर में मैंने भी यह कहा है कि 60 प्रतिशत विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत स्टेशनों से है। इसलिए, महोदय, वह इसी प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें यह प्रश्न अपनी राज्य सरकार से ही पूछना चाहिए था कि वह क्या कर रही है।

श्री नारायण चौबे : भारत एक राज्य से नहीं अपितु कई राज्यों से मिलकर बना है। मैं केवल पश्चिम बंगाल के लिए प्रश्न नहीं पूछता हूं। पश्चिम बंगाल से उन्हें चिढ़ है। उड़ीसा और बिहार की क्या स्थिति है ? मैं पूर्वी क्षेत्र के बारे में पूछता हूं। मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं पूछता।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि मैं केवल पश्चिम बंगाल के संयंत्र उत्पादन क्षमता के आंकड़े दूं तो वे बहुत कम हैं। सभी राज्यों में से···

श्री नारायण चौबे : आप अन्य राज्यों के भी आंकड़े दें। बिहार और उड़ीसा की क्या स्थिति है (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : पश्चिम बंगाल में 1984-85 के दौरान संयन्त्र उत्पादन क्षमता केवल 39.9 प्रतिशत रही है, जबकि अखिल भारतीय औसत 50.1 प्रतिशत है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की बिजली की स्थिति क्या है।

श्री नारायण चौबे : वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : अब, वह असमानता की बात पूछ रहे हैं। अब, उन्होंने मेरे प्रश्न का

उत्तर दे दिया है। असमानता संबंधित राज्य सरकारों और उनके राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है।

श्री नारायण चौबे : बिहार उड़ीसा से संबंधित आंकड़े क्या हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : सभी राज्य विद्युत बोर्ड एक-सा कार्य नहीं कर रहे हैं।

बिहार में 30.4 प्रतिशत है। उड़ीसा में 32.3 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 39.8 प्रतिशत है। जो भी हो, हम किसी राज्य के बारे में नहीं कहना चाहते। संयंत्र उत्पादन क्षमता से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के विद्युत केन्द्र कैसा कार्य कर रहे हैं और राज्य विद्युत बोर्ड कैसा कार्य कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : पश्चिम बंगाल की संयन्त्र उत्पादन क्षमता इस समय कितनी है।

श्री अरुण नेहरू : इसमें सुधार हुआ है। किन्तु अन्य राज्यों की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अपने माननीय साथी की इस बात से सहमत हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में उनके अपने कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है किन्तु अन्य राज्यों की तुलना में नहीं।

श्री नारायण चौबे : पारेषण में कितनी हानि हुई है। उत्तर में आपने जो 21 प्रतिशत की हानि का उल्लेख किया था, उसे किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने यही कहा है। आपने 12 प्रतिशत बताया था। मैंने 21 प्रतिशत बताया है।

श्री नारायण चौबे : मैंने 21 प्रतिशत कहा था। आपने भी 21 प्रतिशत बताया। दोनों ने एक ही बात बताई।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने यही कहा था।

श्री नारायण चौबे : मेरा प्रश्न है, कि इसे कैसे पूरा किया जाएगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : पारेषण हानि कई कारणों से होती है। केवल विद्युत उत्पादन से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या स्पष्ट नहीं होती। उत्पादित बिजली को विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न प्रणालियों द्वारा पारेषित किया जाता है। जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें— इसके अलावा भी अन्य कारण हैं— पारेषण होना निश्चित है। किन्तु निस्सन्देह ··

श्री नारायण चौबे : इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे अन्य देशों में क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पारेषण में कितनी चोरी हो रही है ? चोरी होती होगी। क्या वहां अवैध विद्युत कनेक्शन हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : जी हां। जी हां। चोरी जैसे अनेक कारण भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बृज मोहन महंती बोलेंगे।

श्री बृज मोहन महंती (पुरी) : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय उस राज्य के हैं, जहां बिजली की अत्यधिक कमी रहती है। उन्हें उस राज्य की स्थिति का कटु अनुभव है अनेक राज्यों में बिजली की अत्यधिक कमी है जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है।

वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण में मन्त्रालय ने इस बात की ओर संकेत किया है कि कुछ परियोजनायें पूरी नहीं की जा सकीं और उनको पूरा करने में अत्यधिक देरी हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की कमी है।

वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कुछ परियोजनायें समय पर पूरी नहीं की जा सकीं क्या विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जबावदेही की बात नहीं आती है ? मेरा यही प्रश्न है क्या उस देरी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कोई बात है ?

मंत्रालय ने देरी के कारण बताए हैं। पहला कारण परियोजना प्रबन्ध कमजोर होना बताया गया है। दूसरा कारण निर्माण कार्यों में देरी होना है। परियोजना प्राधिकारियों के लिए समय पर सिविल निर्माण कार्य पूरे न किए जाने के कारण उपकरण स्थल पर बेकार पड़े हैं। ऐसा अनेक बार हुआ है। सहायक उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं का आर्डर दिये जाने में भी देरी हुई है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होने के ग्यारह कारण बताए गए हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उन्हें सभी बातों की जानकारी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने सही बात बताई है अथवा नहीं। समस्या राज्य सरकार के साथ हो सकती है, उच्च स्तर पर कुप्रबन्ध हो सकता है, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर अफसरशाही हो सकती है। जो भी उत्तरदायी हो, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। आप इसके लिए समुचित दण्ड भी निर्धारित करें। जबावदेही और उत्तरदायित्व की बात होनी चाहिए और इसे निर्धारित किया जाना चाहिए।।

क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि इस प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

इस सम्बन्ध में मैं सभा के समक्ष यह तथ्य रखना चाहता हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की प्रगति

और उनकी पूरी किये जाने के कार्य की निगरानी कर रहा है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं यह कहता हूं कि मन्त्रालय को जांच करनी चाहिए कि देरी के लिए कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी है। यह सच है कि कुछ बातें सरकार के नियन्त्रण से परे होती हैं। यह एक दूसरी बात है। मान लीजिए कि भूमि अधिग्रहण का मामला विवाद के रूप में न्यायालयों में है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। किन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं किया गया है तो उत्तर-दायित्व निर्धारित किया जाए और उसे दण्ड दिया जाए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, निस्सन्देह यह एक पिछड़ा राज्य है। सभा में हमारा प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है; हम केवल 21 सदस्य हैं और स्वाभाविक है कि हमारी आवाज भी कमजोर है। किन्तु यह बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए। यह सच है कि उड़ीसा में बिजली की कटौती सबसे अधिक की गई है। लगभग सारे उद्योग ठप्प हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 20 प्रतिशत बिजली काटी गई है। स्वाभाविक है कि कृषि और उद्योग के उत्पादन को भारी नुकसान हुआ है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। बिजली की कमी के कारण गत वर्ष राउरकेला इस्पात संयन्त्र में 1,98,000 टन कम उत्पादन हुआ है। समूचे राज्य की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि उड़ीसा में उच्च तापीय विद्युत स्टेशन होने चाहिए। पर विद्युत और उच्च तापीय विद्युत के मध्य जो अन्तर होना चाहिए, वह उड़ीसा में नहीं है। यहां पन विद्युत तो बहुत है किन्तु जैसा कि आपको पता है, यह मानसून पर आश्रित है। जहां तक तापीय विद्युत स्टेशन का सम्बन्ध है, इसके बारे में यहां कुछ आरम्भिक कठिनाइयां हैं। तथापि बहुत पहले इसके बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था और यह प्रस्ताव मैंने रखा था। उस समय श्री शिवशंकर मन्त्री थे और उन्होंने उड़ीसा में दूसरा उच्च तापीय विद्युत स्टेशन बनाने का वायदा किया था। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या प्रगति है। मैं पुनः माननीय मन्त्री महोदय से उड़ीसा में एक उच्च तापीय विद्युत स्टेशन स्थापित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी राज्यों को जहां बिजली की अत्यधिक कमी है, अस्थाई रूप से 30 से 35 मेगावाट की क्षमता वाले डीजल से चलने वाले जनरेटर काफी संख्या मे दिए जा सकते हैं। समाचार पत्रों में इस बात की चर्चा की गई है कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें इस बात का आश्वाशन दिया गया है वह इस बात की मांग करें और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उनके सप्लाई करने के बारे में विचार करेगा। मेरा अनुरोध है कि कर्नाटक के साथ-साथ उड़ीसा और बिहार को भी 30 से 35 मेगावाट की क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेटों की सप्लाई बहुतायत संख्या में की जाये जिन राज्यों में बिजली की अत्याधिक कमी है, इन सभी राज्यों को उपरोक्त सेट सप्लाई किये जायें।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि उड़ीसा में संयन्त्र उत्पादन क्षमता बहुत कम है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार उड़ीसा में यह 41 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत से यह क्षमता बहुत कम है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके बारे में राज्यों को मार्ग निर्देश दिए हैं। मैं यह जानना

जाहता हूं कि न केवल उड़ीसा ने अपितु अन्य राज्यों ने भी उनका पालन किया, है अथवा नहीं। मंत्रालय इस बात की जांच करे और इसके बारे में सभा को अवगत करायें। केन्द्रीय सरकार केवल ध्यान देने के लिए नहीं है, अपितु इसके कार्य निष्पादन पहलू की ओर भी ध्यान देना होगा जिससे स्थिति में सुधार हो सके।

दूसरा मुद्दा यह है। महा नदी पर नीचे की ओर हीरा कुण्ड चरण ··· तीन का प्रस्ताव था। इससे हमारी सदस्यता बहुत हद तक सुलझ जायेगी। भारत सरकार उसे आर्थिक सहायता देने को तैयार नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए बिजली का हिस्सा चाहती। भारत सरकार का कहना है कि उसे बिजली में से हिस्सा दिया जाये जिससे कि वह धन दे सके। मेरा अनुरोध है कि जहां तक पिछड़े राज्यों का संबंध है उनकी मांगों पर उदारता-पूर्वक विचार किया जाए इसका उद्देश्य यह है कि इन राज्यों को राष्ट्रीय स्तर तक लाया जाए। इस पृष्ठ भूमि में मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा में उच्च तटीय विद्युत स्टेशन, हीराकुण्ड चरण ··· तीन की स्थापना के बारे में विचार किया जाये और 30 से 35 मेगावाट की क्षमता वाले डीजल जनरेटिंग सेटों की अधिकाधिक संख्या में सप्लाई किये जाने के बारे में भी विचार किया जाए—यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि न केवल उड़ीसा को अपितु बिहार और कर्नाटक को भी ये डीजल जनरेटिंग सेट सप्लाई किये जायें।

श्री बी शंकरानंदः- आज सभा में माननीय सदस्यों की आवाज सुनकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उड़ीसा की आवाज कमजोर है। जिस प्रकार वह प्रतिवर्ष उड़ीसा की आवश्यकताओं और मांगों को रखते रहे हैं और उनके लिए जोर देते रहे हैं तथा जैसा कि उन्हीं ने स्वयं कहा है कि इससे पूर्व उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा था, इससे यह प्रतीत होता है कि उड़ीसा कदापि कमजोर नहीं है।

माननीय सदस्य के साथ सरकार को भी उड़ीसा और अन्य पिछड़े राज्यों के बारे में उतनी ही चिंता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछड़े राज्यों को यथा शक्ति पोषित करने की आवश्यकता है किन्तु केवल पोषण से किसी राज्य का भला नहीं हो सकता जब तक की वह राज्य स्वयं ही तेजी से ऊपर उठने की चेष्टा न करें।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं उड़ीसा में समस्या उत्पादन क्षमता की है। वह क्षमता बहुत कम है किन्तु इसमें सुधार हो रहा है और उसका कार्य निष्पादन गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर है।

समूची दलील में माननीय सदस्य की मुख्य मांग और मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि हम एक उच्च तापीय विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय लें। शायद माननीय सदस्य की दलील में इसी बात पर बल दिया गया है। मैं यह पहले बता चुका हूं कि हमने राज्यों के विभिन्न विद्युत केन्द्रों में कार्य निष्पादन के सुधार करने के लिए नवीकरण और आधुनिकी-करण योजनायें शुरू की हैं 500 करोड़ रुपये में से उड़ीसा में तलचर तापीय विद्युत स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के स्टेशनों के लिए 19.60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

तलचर के बारे में मुझे यह सूचित किया गया है कि उसकी समस्या को जानने तथा उसके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक टीम पहले ही भेजी गई है।

माननीय सदस्य ने राउरकेला इस्पात संयत्र का मामला उठाया था। दुर्भाग्यवश, जब तक रामागुंडम को बिजली नहीं मिल जाती, जब तक आंध्रप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अपनी पारेषण लाइन नहीं हो जाती और जब तक रामागुंडम से सीधे उड़ीसा और कर्नाटक तक पारेषण लाइने नहीं पहुंच जाती, तक तक संभवतः यह समस्या बनी रहेगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि यद्यपि हमारे पास बिजली है किन्तु पारेषण लाइनों के कारण आंध्र प्रदेश बाधक बना हुआ है। समस्या उठती रहेगी और जब तक हमारे पास अपनी पारेषण लाइनें नहीं होंगी, तब तक समस्या बनी रहेगी। हमें आशा है कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र कर लेगें।

मैं यह नहीं कहूंगा, कि माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। मुझे नहीं पता कि कर्नाटक सरकार को दिये गये मेरे वायदे के बारे में अथवा किसी अन्य द्वारा दिये गये वायदे के बारे में यह सूचन उन्हें कहां से प्राप्त हुई है (···व्यवधान) मैं समाचार पत्रों की खबरों पर विश्वास नहीं करता। आप कहते हैं। हमने किसी राज्य में गैस टरबाइन जनरेटिंग यूनिट के बारे में किसी राज्य से कोई वायदा नहीं किया है निस्सदेह: कर्नाटक राज्य ने ऐसा प्रस्ताव रखा था किन्तु उन्होंने लिखित में कोई प्रस्ताव नहीं रखा और न कोई प्रस्ताव हमारे समक्ष है।

श्री वृज मोहन महंती: आप उस पर विचार क्यों नहीं करते ?

श्री बी० शंकरानंद प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद ही तो विचार करने का प्रश्न उठेगा।

जिम्मेदार ठहराने के बारे में, मुझे कहना चाहिए कि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। जो व्यक्ति किसी परियोजना की नेमी प्रगति में जान बूझकर देरी करते हैं अथवा हस्तक्षेप करते हैं, उन्हे उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। पूरी परियोजना में विभिन्न पदों पर काम करने वाले अनेक व्यक्ति हैं। किसी परियोजना को पूरा करने के लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता। समस्या धन की है। मुख्य समस्या धन की है न कि व्यक्ति की।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अगर देश के अन्दर पावर की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हमारे देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। अभी मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें यह लिखा है कि जो टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी है, उसमें से ६० प्रतिशत थर्मल पावर से संबंधित है। मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा पालिसी में तबदीली लाने की जरूरत है। साठ प्रतिशत थर्मल पावर पर निर्भर

करना, मैं समझता हूं यह सरकार की यह नीति ठीक नहीं है क्योंकि थर्मल पावर, कोयले, गैस टरबाइन, पैट्रोल, डीजल से चलेगा और ये जितनी भी चीजें हैं ये दस, बीस और तीस साल में खत्म होने वाली हैं। तीस,चालीस साल के बाद हमारे थर्मल पावर स्टेशन्स का क्या हाल होगा, यह मैं नहीं जानता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने महंगे हैं कि जो बिजली पैदा होती है, वह हाइडल पावर स्टेशन से कम से कम पांच-छह गुना ज्यादा महंगी है। पैसे के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदयों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि एनर्जी का जो क्राइसिस है, इसको खत्म किया जा सके। मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो अपना प्लान बनाना चाहते हैं, उसमें ज्यादा जोर थर्मल पावर स्टेशन की बजाय हाइडल पावर स्टेशन पर दें। यह ठीक है कि हाइडल पावर स्टेशन बनाने में छह-सात साल लगते हैं। लेकिन बिजली सस्ती है और उसका जो सोर्स है, वह ऐसा सोर्स नहीं है कि खत्म हो जाए। पानी ऐसी चीज नहीं है कि खत्म हो जाए। यह तो ऐसी चीज है जो पांच सौ या एक हजार साल के बाद भी जिन्दा रहेगी और हमारे सामने जो समस्या है, वह नहीं आयेगी। हमारे देश में अभी तक नेशनल ग्रीड नहीं और बना है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर सरप्लस इलेक्ट्रीसिटी, पावर एनर्जी रही। आज जरूरत इस बात की है कि नेशनल ग्रीड बने और जिस राज्य में ज्यादा बिजली हो, उसको ट्रांसफर किया जाए उस राज्य में जहां पर बिजली कम है। हमारे देश में जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन है, वह राज्यों को पैसा देती है कि गांवों के अन्दर रूरल डेवलपमेंट हो और वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचाई जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका जनरेशन नेशनल एवरेज से बहुत कम है। वे लोग अपनी नेशनल एनर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जो पैसा उनको रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए मिलता है, वह पैसा गांवों में खर्च न करके दूसरी जगह खर्च करते हैं। इस बात की जांच करना जरूरी है। यह देखा जाये कि जो पैसा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए मिलता है उस पैसे को देहातों में ही खर्च किया जाये और उन राज्यों को इस बात की इजाजत न दी जाए कि जिस काम के लिये उनको पैसा मिला है, उस काम को छोड़ दे, अपनी कमजोरी छिपाने के लिये कि हमारे लासेज उसमें कम हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि आज आज अगर पावर क्राइसिस है तो इसका सबसे बड़ा कारण पूअर मैनेजमेंट का होना है। आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखें। वहां पर 27 यूनिट हैं। उसमें से 23 यूनिट बेकार पड़े हैं।

1·00 म० प०

इसके अलावा पिछले दिनों मिर्जापुर के ओबरा यूनिट में आग भी लगी थी लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 2650 मेगावाट है परन्तु उसमें केवल 750 मेगावाट बिजली ही जैनेरेट होती है जो कि लगभग 30 प्रतिशत बैठती है। जब इन्स्टाल्ड कैपेसिटी के मुकाबले 30 प्रतिशत ही बिजली का उत्पादन होगा तो पावर क्राइसेज देश में अपने आप होगा।

आप दिल्ली के बदर पुर पावर स्टेशन को ही लीजिये, उसकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी 720

मेगावाट है लेकिन उसकी जनरेशन कभी 150 मैगावाट, कभी 100 मैगावाट और कभी 200 मेगावाट हो पाती है। इतनी कम बिजली पैदा होने का कारण मैं यह मानकर चलता हूं कि उसमें पूअर मैनेजमेंट है। वहां बैठे ब्यूरोक्रेट्स या तो सो रहे हैं अथवा पैसे बनाने में लगे हुए हैं। वे सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं। उनको वहां काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को हैंडल करना नहीं आता। जितने बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स उसके मैनेजमेंट में बैठे हुये हैं। उनकी लापरवाही की वजह से ही बदरपुर पावर स्टेशन अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर पाता, कभी 25 प्रतिशत और कभी 30 प्रतिशत बिजली पैदा कर पाता है। यह भी एक कारण है कि आज हमारे देश में बिजली का क्राइसेज आ रहा है। यहां बात की गई, मैं आपको एकाउन्टेबिलिटी के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सामने सवाल यह है कि एकाउन्टेबिलिटी किसकी हो, इसकी जवाबदेही किसकी हो। खाली केन्द्रीय सरकार को नहीं हो, यह मैं साबित करना चाहता हूं। एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक को, और पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदों को। यदि एकाउण्टेबिलिटी पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदों को होगी तो पूअर मैनेजमेंट की बजह से जो क्राइसेस होता है, वह अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं।

दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग का सिर्फ एक ही पावर स्टेशन है—आई० पी० पावर स्टेशन और उसका पूरा मैनेजमैंट दिल्ली नगर निगम के हाथों में है। प्रति दिन आई० पी० पावर स्टेशन के सम्बन्ध में पब्लिक के नुमाइन्दों के सामने चर्चा होती है कि बिजली की स्थिति क्या है। डेसू के मैनेजमैंट को उसका जवाब देना पड़ता है कि कहां कमी है क्या कमी है और क्यों है। हर समय डेसू के मैनेजमैंट के सिर पर यह जिम्मेदारी होती है कि यदि हमने ठीक तरह से काम नहीं किया तो दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए नुमाइंदे, जिनको पब्लिक ने चुनकर भेजा है, वे हमारी खाल उतार सकते हैं, इस कारण वे अपना काम ठीक करते हैं और यही वजह है कि दिल्ली के आई० पी० पावर स्टेशन की इन्सटाल्ड कैपेसिटी लगभग 280 मेगावाट है और वहां लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में आई० पी० पावर स्टेशन का जैनरेशन सबसे ज्यादा है। उसका कारण यही है कि हर दिन नगर निगम में डेसू के मैनेजमैंट से पूछताछ की जाती है, चर्चा होती है कि कमी के क्या कारण हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बदरपुर पावर स्टेशन है, जिसका मैनेजमैंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। क्या वजह है कि दिल्ली में दो पावर स्टेशन हैं, जिनमें से आई० पी० पावर स्टेशन की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 280 मेगावाट है और वहां 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और दूसरी तरफ बदरपुर पावर स्टेशन की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 720 मेगावाट है और वहां सिर्फ 150 या 200 मेगावाट ही उत्पादन हो पाता है, जब कि दोनों दिल्ली में ही हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि बदरपुर पावर स्टेशन के मैनेजमैंट की कोई एकाउन्टेबिलिटी नहीं है, उसको डायरेक्ट सैन्ट्रल गवर्नमैंट एडमिनिस्टर करती है जब कि आई० पी० की एकाउन्टेबिलिटी पब्लिक के नुमाइन्दों के हाथों में है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब बदरपुर पावर स्टेशन बना था

तो उस समय दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को उसका लाइसेंसी बनाया गया था, मंत्री जी जरा ध्यान दें, और उस समय जो फैसला हुआ था, उसकी एक क्लाज के मुताबिक बदरपुर पावर स्टेशन को डेसू के हवाले किया जाना था लेकिन आज तक वह डेसू के हवाले नहीं किया गया है और उसको सैन्ट्रल गवर्नमैंट स्वयं चला रही है और इसी वजह से बदरपुर पावर स्टेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसमें पूअर हैंडलिंग है, पूअर परफोरमैंस है और पूअर मैनेजमैंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले जैसा फैसला किया गया था, अविलम्ब इस पावर स्टेशन को डेसू के हवाले कर दिया जाए और दिल्ली कार्पोरेशन बदरपुर पावर स्टेशन का बाकायदा लाइसेंसी है इसलिए मेरी मांग है कि कार्य तुरन्त किया जाना चाहिए।

जहां तक ट्रांसमिशन की बात है, यदि ईमानदारी से देखा जाए तो इसे चोरी की संज्ञा दी जा सकती है और यह उपयुक्त भी है। क्योंकि यह तो पोलिश्ड शब्द है जिसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के आंकड़े दिए गए हैं और उनमें कहा गया है कि ट्रांसमिशन की वजह से 21 प्रतिशत नुकसान हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि जहां पर कारखाने ज्यादा हैं, वहां ट्रांसमिशन लांस ज्यादा है और जहां देहात हैं, वहां यह कम है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जहां कारखाने हैं, वहां बिजली की चोरी ज्यादा होती है और वहां ज्यादा नुकसान होता है जबकि बिजली की खपत कम है इसलिए वहां नुकसान कम होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 21 प्रतिशत ट्रांसमिशन की वजह से नुकसान नहीं है, बल्कि यह चोरी है। मैनेजमैंट में जितने बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं·· उनके साथ मिलकर जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वे बाकायदा इसकी चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं। जिससे दो नुकसान हैं, पैसे का नुकसान हैं, पैसे का नुकसान तो है ही, रेवेन्यू का नुकसान तो है ही, लेकिन इस नुकसान के अतिरिक्त दूसरा नुकसान यह है कि जो बिजली की चोरी होती है, अगर वह चोरी न हो, तो वह बिजली उस जगह पर दी जा सकती है, जहां पर बिजली की कमी है। आज दिल्ली के अन्दर ही नहीं बल्कि जहां-जहां भी बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, जहां इन्डस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां जब हमारे डेसू के कर्मचारी उनको रोकने के लिए जाते हैं, तो सारी फैक्ट्रियों के मालिक मिलकर कर्मचारियों को पीटते हैं, मारते हैं। इसके लिए डेसू का मैनेजमैंट कुछ नहीं कर पाता। दिल्ली प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि यदि ये 21 परसेन्ट की जो चोरी होती है, इसे मैं ट्रांसमिशन नहीं कहूंगा, चोरी कहूंगा, अगर इस चोरी को रोक दिया जाए तो किसी हद तक बिजली के क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसके लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि एक अलग से बाकायदा कानून बनाया जाए और जो बिजली की चोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि डेसू के कर्मचारी जब उनको पकड़ने के लिए जाएं, तो वे पिटकर न आएं, बल्कि उनको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करके आएं, जिससे कि बिजली की चोरी बन्द हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बात यह है कि मीटर उलटे चलते हैं। ये फैक्ट्रियों के मालिक कुछ लोगों से मिलकर मीटरों को उल्टा चलवा देते हैं और फिर बिजली वालों से कहते हैं कि तुमने पैसे हमसे ज्यादा ले लिए हैं, इसलिए पैसा वापिस करो। क्योंकि जब मीटर

उल्टा चलेगा तो जाहिर है कि वह पीछे जाएगा और रीडिंग कम बताएगा, तो आज इसको चैक करने की जरूरत है।

ये 21 परसेन्ट की खाली ट्रांसमिशन की बात कह कर टाल दिया जाना, मैं समझता हूं कि यह गैरजिम्मेदाराना बात है। इसलिए मेरी मांग है कि यह ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि चोरी है और इस चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और ऐसा कानून बनाया जाए जिनके अंतर्गत चोरी करने वाले के खिलाफ सख्त और कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही की जा सके।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्री मालिक हैं, वे यह काम भी करते हैं, जब स्ट्रीट लाइट जलती है, तो स्ट्रीट लाइट के तार के ऊपर एक और दूसरा तार डाल लेते हैं, जिसके कारण जब तक स्ट्रीट लाइट जलती है, तब तक उनकी फैक्ट्री की और घर की लाइट भी जलती है। तो इसको भी चैक करने की जरूरत है। ये बिजली की जो चोरियां जगह-जगह पर हो रही हैं, अगर इनको रोक दिया गया तो ये बिजली की क्राइसिस किसी हद तक खत्म की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि भरती के ऊपर बैन लगा दिया गया। आज डेसू और हिन्दुस्तान के जो दूसरे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, वे सरकार को खुश करने के लिए कहते हैं कि हम तो बहुत कम मजदूरों में काम चला रहे हैं और मजदूरों की भर्ती की कोई जरूरत नहीं है और हमने सरकार का लाखों करोड़ों रुपया बचा लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सब सरकार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। खुशी की बात यह है कि यहां पर वित्त मन्त्री जी भी मौजूद हैं, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ये जो आज इन बोर्डों में बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ये सरकार का पैसा बचा नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वे सरकार का पैसा कैसे बर्बाद कर रहे हैं इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग मजदूरों की भर्ती करने की बजाय, जो कांट्रेक्टर्स हैं, उनको काम देते हैं। इससे ऐसा होता है कि जितना पैसा मजदूरों को भर्ती करने के बाद उनकी तनख्वाहों के रूप में देना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उससे कई गुना ज्यादा पैसा इन ठेकेदारों को दिया जाता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि या तो आप यह कह दीजिए कि ये ठेकेदार मुफ्त में काम करेंगे या फिर आप मजदूरों को भर्ती कीजिए। क्योंकि मजदूरों की तनख्वाहों से कई गुना ज्यादा पैसा बाकायदा इन ठेकेदारों को दिया जाता है और ये ठेकेदार लोग इतनी बेईमानी करते हैं जिसकी वजह से आज हमारा सारा सिस्टम बड़बड़ हो रहा है। उदाहरण के लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दिल्ली के बारे में बतलाना चाहूंगा कि बिजली को यहां दो हिस्सों में बांटा जाता है—एक तो बिजली को पैदा किया जाता है और दूसरे भाग के अन्तर्गत बिजली को उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों से दिल्ली में लाया जाता है। यह बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहां पर डेसू का कर्मचारी नहीं करता बल्कि ठेकेदार का कर्मचारी करता है। यह इतना टैक्नीकल काम है कि इसके अन्दर सड़कों को खोदकर केबल्स बिछाना, दोनों तरफ ईंट लगाना और उसके बाद रेत बिछाना और फिर ट्रांसफार्मर्स को इंस्टाल करना। यह

इतना टैक्नीकल काम है और उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस महत्वपूर्ण और टैक्नीकल काम को ठेकेदार ट्रेण्ड व्यक्तियों से नहीं करवाते हैं, बल्कि सड़क पर जो सामान उठाने वाले लोग हैं, उनको पकड़ कर लाते हैं, उनसे केबल्स डलवाते हैं जिसकी वजह से आज हालत यह हो गई है कि हमारे ट्रांसफार्मर्स भी खराब होते हैं, केबल्स भी खराब होते हैं, जिससे लोडशैडिंग होती है और जनता को परेशानी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, डेसू और बिजली के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, इनको एसेंशियल सर्विस में माना जाता है। आज यहां पर वित्त मन्त्री महोदय मौजूद हैं, मैं उनके सामने यह कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसेंशियल सर्विसेस में रिक्रूटमेण्ट के ऊपर कोई बैन नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के अन्दर भर्ती के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि डेसू एक एसेंशियल सर्विस है, यह लोगों के लिए जरूरी है, तो वहां पर भर्ती के लिए पाबन्दी क्यों लगाई गई है? क्यों नहीं ठेकेदारों को हटाकर, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके स्किल्ड वर्कर्स को भर्ती किया जाए, उनसे केबल्स बिछवाये जाएं, ट्रांस्फार्मर्स लगवाए जाएं, जिससे बिजली की कमी पूरी हो।

क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ नये पावर स्टेशन्स और गैस टर्बाईन्स सरकार द्वारा लगवाए जा रहे हैं? यदि यह सच है तो यह काम कब तक पूरा होगा?

डेसू एक एसेंशियल सर्विस है और एसेंशियल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट पर कोई बैन नहीं होता, लाखों रुपया ठेकेदारों पर बर्बाद किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बात को सोचेंगे कि ठेकेदारी प्रथा को हटाकर स्किल्ड वर्कर्स को रखा जाए ताकि बिजली का काम दिल्ली में ठीक ठाक चले?

यह भी मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि परसेन्टेज आफ लोड शेडिंग कितने परसेंट केवल खराब होने की वजह से है और कितने परसेंट ट्रांसफार्मर्स खराब होने की वजह से है और डेसू का इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलेप्स करने की वजह से कितने परसेंट लोड शेडिंग होता है?

क्या सरकार अपने फैसले और वायदे के मुताबिक बदरपुर पावर स्टेशन को डेसू के हवाले करेगी या जिद पकड़कर बैठी रहेगी और डेसू के हवाले नहीं करेगी?

मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि कितने राज्य नेशनल स्वरेज से कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं?

जिस प्रकार से डेसू दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के नीचे काम कर रहा है, उसकी एकाउन्टेबिलिटी कार्पोरेशन के हाथ में है, क्या सरकार हिन्दुस्तान के जितने भी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, क्या उनकी एकाउन्टेबिलिटी वहां के चुने हुए नुमाइन्दों की बाडी के नीचे लाएगी ताकि रोज उनसे पूछा जा सके कि बिजली की क्या स्थिति है?

जिस प्रकार दिल्ली में डेसू का चेयरमैन एक पब्लिक का नुमाइन्दा है, क्या सरकार इस प्रकार हिन्दुस्तान के तमाम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अन्दर चुने हुए नुमाइन्दों के हाथ में देगी जिससे पब्लिक की आवाज वहां तक पहुंच सके और बिजली के काम को ठीक किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : लोगों की शिकायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में तथा अन्यत्र रखने के लिए माननीय सदस्य बहुत उत्साही हैं और वह चाहते है कि इस प्रकार के संस्थानों के प्रबन्ध या प्रबन्ध के प्राधिकरण को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिजली सप्लाई कम्पनियों या बोर्ड के अध्यक्ष बनकर सौंप देना चाहिए। इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है कि केवल निर्वाचित प्रतिधियों को ही बिजली सप्लाई कम्पनियों या बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे कार्यक्रम के अनुसार आज सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होना था लेकिन कार्यवाहिक सूची पर कई विषय होने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज मध्याह्न भोजन अवकाश न किया जाए और बैठक जारी रहे।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : आज सभा मध्याह्न भोजन अवकाश के बिना जारी रहेगी। मंत्री महोदय कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं और मुझे उनका जवाब देना चाहिए। मुझे उनसे सुनकर यह खुशी हुई है कि दिल्ली से निर्वाचित प्रतिनिधि विद्युत उत्पादन, विवरण और सप्लाई में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वे ही प्रबन्ध, कार्मिकों, मजदूरों या अन्य विषयों से सम्बधित मामलों में हो रही चूकों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने बिजली की सप्लाई के बारे में कानून का उल्लेख किया है। जहां तक बिजली की सप्लाई के बारे में कानून का संबंध है, मैं भी यह समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदल गई हैं इस देश के विकास के ढांचे में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी के होते हुए भी जब तक हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं होगी, हम बिजली की सप्लाई की मांग को पूरा नहीं कर पायेंगे महोदय, उन्होंने तर्क देते समय जोश में इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर पावर स्टेशन के प्रबन्ध की आलोचना की है।

श्री ललित काकन : इन्द्रप्रस्थ की नहीं। मैंने केवल बदरपुर पावर स्टेशन की आलोचना की है। मैंने इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के प्रबन्ध की प्रशंसा की है।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने एक सदस्सीय समिति नियुक्त की

है जो इस पावर स्टेशन के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार करेगी। और मैं तथ्यों से अवगत हूं। हमें ज्ञात है कि श्रमिकों की समस्यायों के बारे में जानकारी है और हमें यह भी ज्ञात है कि कभी श्रमिक प्रबन्धकों के साथ हाथापायी भी कर देते हैं। हम समस्या के दोनों पहलुओं को जानते हैं और इसीलिए हमने समिति का गठन किया है तथा मैं मामले पर निर्णय लेने के लिए समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा कर रहा हूं।

श्री ललित माकन : महोदय बदरपुर स्टेशन का प्रबन्ध 'डेसू' के देने के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य को उसका आश्वासन तब तक नहीं दे सकता जब तक कि मैं समस्या के तमाम पहलुओं की जांच न कर लूं। यह केवल प्रबन्ध की ही समस्या नहीं है जो मामले का हल करेगी। अन्यथा देश में कहीं भी कोई समस्या नहीं होती और प्रत्येक पावर स्टेशन अपना कार्य निष्पादन संतोषजनक ढंग से करता यह केवल प्रबन्ध ही नहीं है। इसके अन्य पहलू भी हैं।

श्री ललित माकन : मैंने भिन्न बात कही है। जब बदरपुर पावर स्टेशन में काम शुरू हुआ तब करार में एक खण्ड यह था कि बदरपुर पावर स्टेशन को डेसू को सौंप दिया जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मैं केवल यही जानना चाहता हूं। 'डेसू' के साथ आपके करार के अनुसार दिल्ली नगर निगम बदरपुर पावर स्टेशन का लाइसेंसधारी है अतः क्या आप उसे लागू करेंगे जो आपके मंत्रालय ने कहा था ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं जो कार्यवाही भी करूंगा उसके परिणामों को देखकर करूंगा और अन्य कोई प्रयोजन मेरे समक्ष नहीं होगा। मैं इस समय कोई निर्णय नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा है कि मैंने एक समिति नियुक्त की है और मैं समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

महोदय, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय ग्रिड का प्रश्न ठीक ही उठाया है। मुझे इसकी प्रंशसा करनी चाहिए क्योंकि कि इसे अब कम आंका जा रहा है। हमारे पास ऐसी दक्षतापूर्ण प्रणाली होनी चाहिए जिससे कि हम फालतू बिजली वाले राज्यों में से कम बिजली वाले राज्यों को बिजली की सप्लाई कर सकें और इसके लिए हमें विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड तथा उन राज्यों के विभागों जहां बिजली बोर्ड नहीं हैं और केन्द्र के सहयोग की भी आवश्यकता है। हमारे देश में पहली बार लम्बे ट्रांसमीशन लाइनों एच० डी० वी० सी० लाइनों की स्थापना और निर्माण का काम शुरू किया गया है। जब तक हमें राज्यों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक शायद राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बनाने का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। यह सब इस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें कहां तक सहयोग करती हैं मुख्यतः इसी से ही देश में बिजली की समस्या को हल किया जा सकता है।

महोदय, मैंने पहले ही खराब प्रबन्ध के बारे में उल्लेख किया है। मैंने बिजली सप्लाई के

बारे में कानून का भी उल्लेख किया है। जो शेष बात है वह यह है। माननीय सदस्य ने दिल्ली में गैस टर्बाइनों को स्थापित करने के बारे में पूछा है शायद आगामी एक या डेढ वर्ष में गैस टर्बाइन स्टेशनों के तीस मेगावाट के छः एकक स्थापित कर लिए जाएंगे।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : 15 महिनों में।

श्री बी शंकरानन्द : दिल्ली की बिजली की सप्लाई उस सीमा तक बढ़ जाएगी। इस देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली बहुत ही भाग्यशाली है जहां बिजली न्यूनतम दर पर उपलब्ध है। और लोग उसकी कीमत नहीं जानते हैं अब मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली के लोगों से सहयोग करने के लिए कहें मजदूरों के बारे में मैं उनसे अनुरोध करता हूं चाहे वे बदरपुर में हों या इन्द्रप्रस्थ में, कि वे प्रबन्धकों के साथ सहयोग करें ताकि···

श्री ललित माकन : खड़े हुए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं बैठ रहा हूं। यदि माननीय सदस्य मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र हैं। उसके लिए हमें सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मजदूरों के नेता होने के कारण वह मजदूरों की समस्याओं को हमारे सामने रख रहे हैं। मैं उनकी दिलचस्पी की सराहना करता हूं। संभवतः यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य मजदूरों की समस्यों के बारे में मुझसे चर्चा करें क्योंकि उन्हें शायद मुझसे अधिक उनकी सलाह की जरूरत है।

श्री ललित माकन : यह सामान्य प्रश्न है जो वित्त मंत्री महोदय से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते रहें हैं कि आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं वह आपको अपने चैम्बर में बुला रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे चर्चा कीजिए। कृपया बैठ जाइए। वह नहीं बैठ रहे हैं कृपया बैठ जाइए।

श्री ललित माकन : मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 'डेसू' अनिवार्य सेवा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि वह आपका प्रश्न सुनने के लिए नहीं बैठ रहे हैं।

श्री ललित माकन : अन्यथा मैं उनके पास अवश्य ही जाऊगां और उनसे चर्चा करूगा। क्योंकि वित्त मंत्री जी यहां हैं, मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप यहां कैसे जोर दे सकते हैं? वह नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनके विभाग से संबंधित नहीं है। इसलिए आप सीधे इसके लिए जोर नहीं दे सकते हैं।

श्री ललित माकन : भर्ती पर रोक के लिए कोई स्थान नहीं हैं। अतः इस ठेका प्रणाली

को समाप्त किया जाना चाहिए। कम से कम उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए वह मामले को देखेंगें।

श्री बी० शंकरानन्द : स्थिति की आवश्यकता के अनुसार भर्ती निर्भर है हमेशा के लिए भर्ती नहीं की जा सकती है···

श्री ललित माकन : हजारों मजदूर कष्ट पा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है जो सरकार के हित में नहीं है। इसलिए मैंने यह मूल प्रश्न उठाया था। कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री बी० शंकरानन्द : कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं करेगा जिसकी आवश्कता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट है···

श्री ललित माकन : मैं समझ नहीं पाया हूं। यह भी हो सकता है कि मेरे पास इसे समझने की क्षमता न हो। मेरा यह प्रश्न था कि 'डेसू' अनिवार्य सेवा होने के कारण इसमें भर्ती पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है अतः रोक को उठा लिया जाना चाहिए, ठेका प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और एक नाम···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो भर्ती की जाएगी।

श्री वाई० एस० महाजन : हमारे देश में यह एक सामान्य समस्या है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ललित माकन : मैंने मांग की थी कि बिजली की चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अवश्य। सरकार आवश्यक कार्यवाई करेगी।

श्री बी० शंकरानन्द : शायद माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझ सके। मैंने कहा, कानून में संशोधन की आवश्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की टिप्पणियों को सुनने के बाद मैं सहसूस करता हूं कि वे पन बिजली परियोजना पर जोर दे रहे हैं क्योंकि ताप बिजली पर लागत अधिक आती है। वे इसका सुझाव दे रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां पन-बिजली की क्षमता विद्यमान है वहीं उसे निकाला जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर नहीं। जहां यह क्षमता विद्यमान है। वहां इसका उपयोग किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है ? वहां···

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं स्थिति की जांच करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

1.24 म० प०

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ग्राम्य आवास के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 के लिये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन आबंटन के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त और वाणिज्य मंत्री श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : महोदय, चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने गरीबी हटाने और रोजगार जुटाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ करने और निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार की वचनबद्धता का उल्लेख किया था । इस दिशा में कदम उठाने के रूप में 1985-86 के लिए बजट अनुमानों में दिए गए 400 करोड़ रुपये के आबंटन के अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष आबंटन करने का निर्णय किया गया है । अतिरिक्त आबंटन, जो केन्द्र द्वारा पूरी तरह वहन किया जायगा, का एकमात्र उपयोग स्थानीय सामग्री का प्रयोग करते हुए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए कम लागत वाले ग्रामीण आवासों का निर्माण करने के लिए किया जाएगा । यह आशा की जाती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 200,000 मकानों और सातवीं योजना-अवधि के दौरान दस लाख मकानों का निर्माण करना सम्भव हो सकेगा । जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, इस कार्यक्रम से गरीबों के लिए न केवल शरणगाह और ठोस वास्तविक परिसम्पत्तियों का ही निर्माण होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे ।

1·25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(1) बिहार के पूर्णिया जिले में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्णिया जिले में यूनिवर्सिटी

की स्थापना के सम्बन्ध में मुझे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय से कहना है कि पूर्णिया जिला जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है।

पूर्णिया कोशी डिवीजन का सबसे पुराना जिला है और वहां की आबादी चालीस लाख के करीब पड़ती है। पूर्णिया कोशी डिवीजन के मध्य में पड़ता है। वहां यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाने पर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के अतिरिक्त टीचर्स और एग्जामिनर्स की भी सुविधा मिलेगी।

पूर्णिया जिले के छात्रों को हायर एजूकेशन के लिये बाहर दूर-दूर जाना पड़ता है। जिससे कि छात्रों को इस मंहगाई के समय में समय के साथ-साथ धन भी खर्च करना पड़ता है। चुनाव के दिनों में जब मैं प्रत्येक स्थान पर गयी तथा मुझे छात्रों और उनके माता-पिता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ तो उन लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बार-बार कहा।

कोशी बेल्ट के बहुत से छात्र मेडिकल एजूकेशन के लिए भी बाहर जाते हैं। मैडिकल कालेज की स्थापना की भी काफी डिमाण्ड है। अतः इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया में यूनिवर्सिटी की स्थापना अत्यन्त अनिवार्य है।

मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जल्द से जल्द दे देवें। जिससे पूर्णिया जिले के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी।

(2) छत्रपति शिवाजी की माता के जन्म स्थान सिंखेदराज को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सिंदराज राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजा माता का जन्म स्थान है। प्रति वर्ष जीजामाता की जन्म की वर्ष गांठ पर राज्य में हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां आते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश यह स्थान बहुत पिछड़ा है।

इसे ध्यान में रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ए० आर० अन्तुले ने "सिंदराज विकास समिति" नामक एक अन्य शक्ति समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की थी जिसमें इस ऐतिहासिक स्थान के पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए सिफारिशें दी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई है। समिति की रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें वे हैं जिनका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है जैसे रेलवे लाइन का निर्माण अर्थात सिंखेदराज को जोड़ती हुई जो रेलवे लाइन खाम गांव, एक सैनिक स्कूल; एक आयुध फैक्ट्री महिलाओं के लिये विश्वविद्यालय आदि। मैं सम्बन्धित विभागों के माननीय मन्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि सिंखेदराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के लिये पूरा सहयोग दें।

सिंखेदराज का विकास उस महान माता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसने महान देश भक्त वीर छत्रपति महाराज शिवाजी को जन्म दिया।

(3) बंगलौर और मद्रास के बीच रेल लाइन को दोहरी बनाने तथा उसका विद्युतीकरण करने की आवश्यकता

***डा० बी० वेंकटेश** (कोलार) : बंगलौर नगर न केवल कर्नाटक की राजधानी है अपितु यह एक बड़ा व्यापार केन्द्र भी है। इसी तरह मद्रास नगर भी व्यापारियों और फिल्म उद्योग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन दोनो नगरों के बीच जो रेलवे लाइन है वह भारत में सबसे पुरानी रेलवे लाइनों में से है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लोगों की यह बहुत समय से मांग रही है कि इस अधिक भीड़-भाड़ वाले इस रेल मार्ग को दोहरा किया जाए और इसका विद्युतीकरण किया जाए। तब से अब तक न तो इसका विद्युतीकरण किया गया है और न ही इसे दोहरा किया गया है। प्रतिदिन कई हजार लोग इस मार्ग पर यात्रा करते हैं।

मद्रास नगर से जोलारपेट की यात्रा थोड़ी सी आरामदायक है। जोलारपेट से बंगलौर नगर की यात्रा बहुत दुखदायी है क्योंकि पिछले कई दशकों से यह एकल लाइन है। रेलगाड़ी को प्रत्येक स्टेशन पर रुकना पड़ता है क्योंकि उसे अगले स्टेशन से स्वीकृति लेनी पड़ती है। जोलारपेट और बंगलौर नगर के बीच बांगरपेट है जो बड़ा भारी व्यावसायिक केन्द्र भी है। बांगरपेट कोलार गोल्ड फील्ड से केवल पांच कि० मी० दूर है जो उद्योगों के लिये दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र है। बी० ई० एम० एल० की एक बड़ी फैक्ट्री यहां है। इसलिये न केवल हजारों यात्री इस लाइन पर निर्भर करते हैं अपितु व्यापारी और उद्योगों में कार्यरत लोग भी इस पर निर्भर करते हैं। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से इस लाइन को दोहरा करने और इसका विद्युतीकरण करने के लिये अनुरोध करता हूं।

(4) आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों के समय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से स्थानीय भाषाओं में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, कुछ महीनों से उनके समय में बराबर कटौती की जा रही है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि सहित कई राज्यों में जहां स्थानीय भाषा हिन्दी नहीं है, चिंता उत्पन्न हो गयी है।

राष्ट्रीय एकता के लिये स्थानीय तथ्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उचित संतुलन कायम करना जरूरी है।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के समय पर पुनः विचार करें, स्थिति के बारे में सदन को सूचित करें और उचित संतुलन स्थापित करने के लिये उपाय करें।

*कन्नड़ में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(5) पर्यटकों के आवागमन और पर्यटन व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से श्रीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जम्मू और कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था अधिकतर पर्यटन व्यापार पर निर्भर करती है। कश्मीर की घाटी जिसे 'पृथ्वी पर स्वर्ग' कहा जाता है अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इसके अलावा कश्मीर की दस्तकारी की चीज जो श्रेष्ठ शिल्प का नमूना है, की विश्व के बाजार में काफी मांग है। यूरोप तथा खाड़ी के देशों का राजधानी श्री नगर से सीधा सम्पर्क न होने के कारण उनको बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और कश्मीर घाटी तक पहुंचने से पहले बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। श्रीनगर का अपना हवाई अड्डा है जो राजधानी दिल्ली के साथ सीधे जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा देश के अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर में सीधे पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास किया जाए। इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि इसे ताशकन्द, काबुल, इस्लामाबाद, बहरीन, दोहा, बगदाद, जेद्दाह आदि तथा यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और उन लोगों को जिनके पास समय सीमित है और धन पर्याप्त है वे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का उपयोग करेंगे और इस प्रकार उत्तरी राज्यों में व्यापार तथा वाणिज्य की उन्नति के लिए नये रास्ते खुलेंगे जिससे हमारे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होगी। विदेशी बाजारों में कश्मीरी दस्तकारी वस्तुओं की बहुत मांग है। श्री नगर हवाई अड्डे को यदि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप पर्यटनों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी तथा साथ-साथ फलों दस्तकारी की वस्तुएं और गलीचे का निर्यात होगा जिससे ये देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

जम्मू और कश्मीर राज्य की काफी पुरानी तथा जायज मांग पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके इस मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है।

1.34 म० प०

चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1985 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और
चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 और 9 अर्थात श्री अब्दुल रशीद काबुली द्वारा

प्रस्तावित सांविधिक संकल्प और चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक को साथ-साथ लेंगे। प्रो० कुरियन बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : कल मैं चाय बागान के बारे में बोल रहा था। इन चाय बागान के मालिक अधिकतर एकाधिकारवादी व्यक्ति हैं। बहुत वर्ष पहले सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क दी गई थी और जो इसमें पैसा लगा हुआ है वह अधिकतर लोगों का पैसा है जिसे बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया है तथा मजदूरों को भी बहुत कम मजदूरी दी जाती है। इसलिए सरकार की समूचे ढांचे पर विचार करना चाहिए। न केवल रुग्ण यूनिटों को अपितु सभी यूनिटों को सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए। प्राधिकारियों तथा बड़े बाग्गानों के मालिकों की यह प्रवृत्ति है कि वे बागानों को रुग्ण बना देते हैं जिससे कि अन्ततः सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति देकर उनका अधिग्रहण कर लेगी। फिर अधिकांश चाय बागान बहुत पुराने हैं। अतः उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितनी कि उम्मीद की जाती है। चाय के नये पौधे लगाये जाने होंगे चाय बागान के मालिकों की ओर से नए पौधे लगाये जाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। चाय बोर्ड के पास चाय बागान के नवीनकरण सम्बन्धी कुछ कार्यक्रम हैं। यद्यपि चाय बोर्ड ने छठी योजना के दौरान चाय बागान के नवीकरण के लिए कुछ राशि आबंटित की थी परन्तु योजना के अन्त तक 40% प्राप्त किये जा सके। शेष 60% मामले में या तो धन व्यय नहीं किया गया अथवा यदि धन व्यय किया गया है तो लक्ष्य नवीकरण नहीं हो पाया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। इसका अभिप्राय है कि उद्योग की चाय बागानों का नवीकरण करने अथवा कायाकल्प करने में रुचि नहीं है। वे जो भी लाभ कमा सकें वह कमाकर अन्त में उद्योग को रुग्ण बनाना चाहते हैं ताकि सरकार क्षतिपूर्ति देकर उनका अधिग्रहण कर लेगी। वे चाय बागानों को टुकड़ों में बांटने का भी का प्रयास करते हैं। इससे अन्ततः उत्पादन घटेगा तथा यह उद्योग तथा देश के हित में नहीं हैं।

श्रमिकों की स्थिति शोचनीय है। उन्हें सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। चाय बागानों के लगाए जाने के समय वर्तमान श्रमिकों के पूर्वजों को गुलाम की तरह समझा जाता था। आज उनके बच्चों पोतों को बागानों में नियुक्त किया जाता है। उनकी हालत क्या है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक चाय बागान हैं। मैंने श्रमिकों के घरों पर जाकर रहन-सहन की हालत देखी है। मनुष्य के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती हैं। उनके मकानों में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, न बिजली है, न अस्पताल न उनके बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था है। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बागान श्रमिकों विशेषकर चाय बागान श्रमिकों की हालात पर नए सिरे से ध्यान दें। यदि आवश्यक हो तो वह वहां के श्रमिकों के हालात में सुधार के लिए नया कानून बनायें। अधिकांशतः बागानों के स्वामी श्रमिक कानूनों विशेषकर बागान श्रमिक अधिनियम का पालन नहीं करते है। और अधिकारियों को वे ऐसा जताते हैं कि वे उनको लागू कर रहे हैं। परन्तु ऐसी समुचित व्यवस्था विद्यमान नहीं है जिससे पता चल सके कि श्रमिक

कानूनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो अपने अधिकारियों को या श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को श्रमिकों के आवासीय स्थलों पर भेज कर पता लगायें कि क्या चाय बागानों के मालिक वर्तमान कानूनों को, जो कि उनके हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, का भी पालन कर रहे हैं अथवा नहीं।

आप जानते हैं कि पिछले वर्ष तथा उससे पहले के वर्ष के दौरान उन्होंने भारी लाभ कमाया है, क्योंकि चाय के मूल्य बढ़ गए हैं। परन्तु लाभ का एक अंश श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्था है ? आप बोनस का उल्लेख कर सकते हैं। जब ये चाय बागान घाटे में चल रहे थे तो उन्हें न्यूनतम बोनस मिलता था। परन्तु जब वे भारी लाभ कमा रहे हैं उन्हें केवल 20% बोनस मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए कि जब भारी लाभ हो तो श्रमिकों को भी उसका थोड़ा अंश दिया जा सके। परन्तु बोनस की अधिकतम सीमा इसकी अनुमति नहीं देती। सरकार को इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, क्योंकि श्रमिकों की मेहनत तथा सार्वजनिक धन से अर्जित लाभ बढ़ गया है। प्रबन्धकों का योगदान श्रमिकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के योगदान से बहुत कम है।

चाय बोर्ड ने अपने बजट में नए क्षेत्रों में चाय बागान की स्थापना के लिए धन आवंटित किया है परन्तु उपलब्धि अत्यन्त असन्तोषजनक रही है। नये बागान लगाने के लक्ष्यों में केवल 40% से कम लक्ष्य की उपलब्धि हुई है। ऐसे बहुत से भूखण्ड हैं जो चाय बागानों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते। आप की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अपने चुनाव के बाद जब मैंने केरल के इदुक्की जिले का दौरा किया तो मुझे वहां के लोगों ने बहुत से अभ्यावेदन दिए कि उनके क्षेत्रों को चाय बागान के रूप में विकसित किया जाए। चाय बोर्ड ने क्षेत्रों का दौरा करके ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पर चाय बागान लगाये जा सकते हैं तथा जिन क्षेत्रों का अन्य या किसी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता या उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोई अन्य खेती लाभप्रद नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि कुछ क्षेत्रों का पता लगाकर भी वह नये लोगों को उसके लिए कोई सहायता नहीं दे रहा है। मेरा आरोप है कि चाय बोर्ड केवल बड़े चाय बागानों की मदद कर रहा है। छोटे किसानों को वह कोई सहायता नहीं देता। वे छोटे किसानों को इस क्षेत्र में आने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देते। मैंने 28 फरवरी 1985 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में एक लेख पढ़ा था जो कि अत्यन्त रोचक है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "चाय बोर्ड के माध्यम से चाय उद्योग को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कोई कमी नहीं है। परन्तु इसके विकास से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस सहायता का कुछ प्रभाव पड़ा है। जांच से पता चला है कि ऋण की मंजूरी तथा वितरण में काफी समय लग जाता है परन्तु जो धन दिया भी जाता है उसका उपयोग विकासोत्तर कार्यों पर

किया जाता है। वास्तव में चाय बोर्ड के कार्यकरण से लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह बड़ी कम्पनियों का, बड़ी कम्पनियों द्वारा बड़ी कम्पनियों के लिए है।"

जहां तक लेखक ने कहा है कि चाय बोर्ड बड़ी कम्पनियों का, बड़ी कम्पनियों के लिए और बड़ी कम्पनियों द्वारा है। आगे उसने बताया :

"पूंजी नियोजन तथा लक्ष्यों की उपलब्धि में भारी अन्तर हैं।"

इसका अभिप्राय है कि धन का एक बड़ा अंश इधर उधर चला जाता है या बिचौलियों की जेब में जाता है। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करता हूं वह इस बात की जांच करायें कि चाय बोर्ड द्वारा मंजूर किए गये धन का कितना अंश वास्तविक प्राप्तकर्ताओं को मिलता है तथा उस धन का कितना अंश अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया है। जिन मामलों में आपको पता चलता है कि धन का उपयोग उसके आबंटन के लक्ष्यों के लिए नहीं किया गया तो कड़ी कार्य वाही की जानी चाहिए और ऐसी कम्पनियों को भावी ऋण मंजूर करने पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

फिर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल बड़ी कम्पनियां ही चाय का उत्पादन कर सकती हैं। छोटे किसान भी चाय पैदा कर सकते हैं। केरल के इदुक्की में एक; दो; तीन अथवा पांच हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसान है। वे इस बात के लिए आगे आए हैं कि वे चाय बागान लगाने को तैयार हैं; परन्तु उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती। चाय बोर्ड को इन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। मैं उन्हें उस क्षेत्र के लोगों के बहुत से अभ्यावेदन दे सकता हूं। उन्हें इन क्षेत्रों का पता लगा करके चाय बागान लगाने को तैयार इन छोटे किसानों को सहायता देनी चाहिए। उनको बाहर के श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक दो हैक्टेयर के बाग में वह व्यक्ति उसका परिवार तथा बच्चे कार्य कर सकते हैं। वे पत्तियों को तोड़ेंगे तथा उन्हें फैक्टरी को सौंप देंगे, जिसे चाय बोर्ड द्वारा अथवा चाय बोर्ड के पर्यवेक्षण में कुछ निजी एजेंसियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। चाय बोर्ड को चाय उद्योग में छोटी जोतों को प्रोत्साहन देने के पहलू पर विचार करना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि सरकार चाय की नीलामी केन्द्र को कोचीन से हटाना चाहती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्र को कोचीन से न हटाया जाए, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे कोचीनपत्तन पर कार्य कर रहे सैकड़ों कार्मिक बेरोजगार हो जाएंगे। अतः इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय द्वारा घोषित चाय के निर्यात की नीलि का स्वागत करता हूं तथा उन्हें सुझाव देता हूं कि देश की मण्डियों में विशेषकर उन उपभोक्ताओं को जो काफी नहीं खरीद सकते

हैं। पर्याप्त मात्रा में चाय उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। देश के गरीब वर्ग काफी नहीं ले पाते, उन्हें चाय पर निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि काफी महंगी पड़ती है। मैं मानता हूं कि अच्छी किस्म की चाय का निर्यात किया जाना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आम व्यक्तियों को चाय उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। और मेरे द्वारा उठायी गयी बातों का उत्तर देंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मन्त्री महोदय ने बहुत ठीक बात कही है। अत: चार चाय बागानों को अपने हाथ में लिए जाने के बाद वहां पर पूर्ण रूपेण सुधार हुआ है। उत्पादन में, आय में तथा श्रमिक सम्बन्धों में सुधार आया है। अत: मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करें कि चाय बागानों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या रुक गये हैं। क्यों नहीं पूरे चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता। ताकि चाय क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हो।

मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने, जिन्हें मन्त्रिमण्डल में, ईमानदार समझा जाता है तथा वह बहुत योग्य है, बताया है कि वह श्रमिकों का शोषण तथा उनकी लूट नहीं होने देंगे। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, परन्तु इसे इस उक्ति का रूप नहीं लेना चाहिए।

"बचने किम दरिद्रता।"

इसे कार्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। यदि इरादे नेक हैं तो चाय उद्योग में इसे लागू किया जा सकता है। चाय अनिवार्यत: पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। उसके उत्पादन में लगे अधिकांश लोग या तो अनुसूचित जाति के हैं अथवा अनुसूचित जनजाति के हैं। मन्त्री महोदय एक विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक "टू लीवज एण्ड ए बड" पढ़ी होगी तथा ब्रिटिश राज्य से चाय बागान के कामगारों की स्थिति वह जानते हैं। मैं मानता हूं कि स्वतन्त्रता के पश्चात चाय बागान के कार्मिकों की स्थिति सुधरी है। बहुत से नियम बदले गए हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद भी 'हट्टा बाहर' का नियम पश्चिम बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इस नियम के अधीन यदि कोई कार्मिक गलत काम करता है या बागान के मालिक को अप्रसन्न करता है तो उसके पूरे परिवार को इलाका छोड़ना पड़ता है। वह शर्त इस समय नहीं है। हालात अब निश्चित रूप से सुधर गये हैं। परन्तु अभी भी बहुत सारे सुधार लागू किए जाने हैं। अत: चाय उद्योग में सुधार किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए।

1950 में चाय उद्योग में भारत के कुल रोजगार का 18% रोजगार प्राप्त था। इसके निर्यात से 14% आय अर्जित होती थी तथा यह ग्रामीण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.6% था। परन्तु चाय की औसत वृद्धि में कमी आ रही है। 1900-49 में वार्षिक औसत उत्पादन वृद्धि

3.96% थी जो कि 3.37% रह गयी है। 50 वर्ष पहले वृद्धि निर्यात 2.72% थी जो कि 1050-79 में 0.39% रह गयी है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। केवल एक बात में सुधार हुआ है। देश के बाजार में औसत वृद्धि 4 6% थी जो अब बढ़कर 12.58% हो गयी है। चाय की उपज का क्षेत्र भी घट गया है। चाय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की औसत वृद्धि 0.98% थी जो कि 0.68% रह गयी है। प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि प्रतिवर्ष 2.04% प्रतिशत थी। अब यह 2.2 प्रतिशत वार्षिक हो गयी है। हम विश्व में उत्पादित कुल चाय का 43% उत्पादन कर रहे हैं तथा हमारा विश्व में चाय का निर्यात 48.5% है। इसमें भी 1982 में कमी आई है। हमारा चाय उत्पादन विश्व में चाय उत्पादन का केवल 30% रह गया है तथा हमारा निर्यात केवल 23% रह गया है। अतः चाय उद्योग में सुधार के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। यदि हमारा चाय उद्योग में सुधार हो जाता है तो कुछ सीमा तक हमारा देश बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है। चाय क्षेत्र में अनेक संख्या में युवक बेरोजगार हैं और इस क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें नए बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा सकता है। इस वर्ष अच्छा उत्पादन हुआ है। कुल उत्पादन 65.5 करोड़ किलोग्राम रहा। देश की खपत 43.5 करोड़ किलोग्राम है तथा निर्यात का कोटा 22 करोड़ किलोग्राम है। परन्तु देखा गया है कि इन वर्षों में कम्पनियों द्वारा भारी लाभ कमाये जाने के बावजूद कभी कभी मंदी होती है परन्तु अब चाय उद्योग भारी लाभ कमा रहा है। दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने बताया है कि निजी चाय बागान मालिक लाभों को चाय बागानों में नहीं लगा रहे हैं। वे केवल धन लूट रहे हैं और उद्योग को रुग्ण बना रहे हैं तथा बैंकों से या सरकार से ऋण की उम्मीद करते हैं ताकि रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो उसका अधिग्रहण किया जाए। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करके एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएं और साहस के साथ इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें। छोटे लोग 2, 3 अथवा 5 हैक्टेयर भूमि में चाय की खेती करते हैं। परन्तु एकाधिकार गृहों तथा बड़े घरानों द्वारा नियन्त्रित बड़े बागानों के बारे में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार एक विधेयक लाकर सभी का राष्ट्रीयकरण करे। अन्यथा यह चाय उद्योग जोकि काफी लाभ कमा रहा है इस लाभ को कभी इस उद्योग में नहीं लगाया और उद्योग के पुनरुत्थान के लिए फिर इसे आप पर निर्भर रहना पड़ेगा।

चाय उद्योग का विकास करना होगा। एक योजना के अधीन आप बागान क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 55600 हैक्टेयर कर रहे है। 38,500 हैक्टेयर में भराव करना पड़ेगा तथा 44600 हैक्टेयर में पेड़ लगाये जाएंगें। इन सभी पर धन की आवश्यकता पड़ेगी तथा बागान के मालिक इसके लिए धन नहीं देंगे तथा वे पुनः आप पर वित्त विभाग पर बैंकों पर निर्भर करेंगे। आप ऐसी बातों को जारी क्यों रहने देते हैं? यदि हमारे चाय उद्योग को आज की निर्यात की 23% की सीमा को बनाए रखना है तो कम से कम हमें 2000 ई० पू० तक 180 करोड़ किलोग्राम का

उत्पादन करना होगा जिनमें से 72.1 करोड़ किलोग्राम देश में खपत के लिए तथा 36.3 करोड़ किलोग्राम निर्यात के लिए होगा।

इन चार चाय बागानों का अधिग्रहण करने से, आपने चाय उत्पादन 14 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 15 लाख किलोग्राम कर दिया है। आपने घाटों को पूरा किया है और कुछ बागानों से लाभ भी मिला है, मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आप सभी बागान का अधिग्रहण करें। आपके इस उत्तर से हम सहमत हैं और इसका समर्थन करते हैं। हमें इसका समर्थन करना ही है। इसके साथ ही, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे एकाधिकार घरानों द्वारा नियन्त्रित सभी बड़े बागानों के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में एक व्यापक विधेयक पेश करें।

इन शब्दों के साथ, मैं मन्त्री महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वह एक नया विधेयक पेश करेंगे, जिसमें वे सभी बातें सम्मिलित होंगी जो हमने यहां कही हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टी कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ सिक टी यूनिट्स) बिल, 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बिल के स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इन्होंने अपनी बात बतलाई है कि—

[अनुवाद]

"चार रुग्ण यूनिटों का प्रबन्ध, लगातार कुप्रबन्ध के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने चाय अधि नियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन ग्रहण किया था। संबंधित चाय कम्पनियों द्वारा उक्त चाय यूनिटों की उपेक्षा के साथ ही उन कम्पनियों द्वारा बिना सोचे-विचारे किए गए विनिधानों और सृजित विल्लंगमों के कारण क्षय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से उक्त चाय यूनिटों के अस्तित्व और लगभग 3,000 श्रमिकों के नियोजन पर बुरा प्रभाव पड़ा।"

[हिन्दी]

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि जिसकी वजह से जो भी यूनिट ऐसी हो, जिसमें मिस-मैनेजमेण्ट हो, उन सब का नेशनलाइजेशन हो जाए। ऐसी यूनिट्स में जिस तरह से मिस-मैनेजमेण्ट होता है और पैसे की बरबादी की जाती है, उन यूनिट्स को आप और पैसा देंगे ताकि उनको टेक-ओवर किया जा सके, मैं समझता हूं कि उन यूनिट्स को कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिए जो मिस-मैनेजमेण्ट करके पैसे का दुरुपयोग करती हैं।

आपने फाइनेन्शियल मैमोरैण्डम में इस बात को कहा है—

[अनुवाद]

"इस प्रकार जो राशि देय होगी वह लगभग 168.35 लाख रु० होगी।"

[हिन्दी]

एक करोड़ 68 लाख रुपये आप ऐसी यूनिट्स को देंगे, जिनमें मिसमैनेजमेण्ट है, उन कम्पनीज को आप टेक ओवर करने के कम्पैन्सेशन के रूप में इतना पैसा देना चाहते हैं, मेरा सुझाव है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिन यूनिट्स में मिस-मैनेजमेण्ट हो, जिन्होने पैसे का दुरुपयोग किया हो, जिन्होंने मिस-मैनेजमेण्ट की वजह से सारी यूनिट को सिक बना दिया, उन को कम्पैनसेशन के रूप में कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई कम्पैन्सेशन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो फिर दूसरी कम्पनीज भी सोचेंगी कि अगर हमने मिस मैनेजमेण्ट किया तो निश्चित तरीके से किसी प्रकार का कम्पैन्शेसन हमें नहीं मिलेगा। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने स्वयं इस बात को कहा है—

[अनुवाद]

"....वे प्रबन्ध से उसको वंचित किए जाने के लिए उस तारीख को, जिसको ऐसी रुग्ण चाय यूनिट का प्रबन्ध चाय अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गए आदेश के अनुसरण में, ग्रहण किया था, प्रारम्भ होने वाली और नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए...।"

[हिन्दी]

प्रत्येक चाय कम्पनी को अपनी सिक चाय यूनिट के प्रबन्ध से वंचित किए जाने के लिए उस तारीख को, जिसको ऐसी सिक यूनिट का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था, एक निश्चत पीरियड के लिए आप कुछ रकम भी देंगे और यह रकम 2.1 लाख रुपये होगी जो उनके भत्ते आदि के रूप में दी जायगी, इस सम्बन्ध में प्रार्थना है कि ऐसी सिक यूनिट्स, जो मिस मैनेजमेण्ट की वजह से सिक यूनिट्स बनी हैं, उनको किसी भी प्रकार का कम्पैन्सेशन या कोई पैसा देना बिल्कुल गलत है क्यों कि वह यूनिट उनके मिसमंनेजमेण्ट की वजह से सिक हुई है। इसलिए उनकी मेन्टनैन्स के लिए किसी तरह का पैसा देना उचित नहीं है। इसी तरह से तीसरी क्लाज में भी आप ने कहा है कि चाय की कम्पनियों को संदेय रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जायगा। उनको पहले तो कम्पैन्सेशन के तौर पर 168.35 लाख रुपये, उन कम्पनीज को टेक-ओवर करने के एवज में दिए जाएंगे, उपर से उस पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जाएगा जो कि लगभग 7 लाख रुपये बनता है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं :

2.00 म० प०

जब ऐसे मैनेजमेण्ट की वजह से उनको सिक बनाया गया है, तो उनको उस पीरियड का किसी प्रकार का पैसा, जो उनको काम चलाने के लिए दिया जाए या उसकी एवज में जो दिया जाता है, वह भी नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ उनको जो इंटरेस्ट में पैसा दिया जा रहा है, वह भी नहीं मिलना चाहिए। ताकि ऐसी दूसरी कम्पनियों को यह शिक्षा मिले कि इस प्रकार के मिस-मैनेजमेण्ट की वजह से हम किसी कम्पनी को कोई पैसा नहीं देंगे। ये निश्चित तरीके से आज देखने की आवश्यकता है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन यूनिट्स को वायबल बनाने के लिए आपने काफी पैसा खर्च किया है और जो पहले लास में चल रही थीं, आज वे प्राफिट में चल रही हैं और उनमें पैदावार भी बढ़ी है और सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी हुई हैं। तो ऐसी हालत में, जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने भी कहा जो टी यूनिट्स प्राफिट कमा रही हैं और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन उस हालत को भी देखना है जिस हालत में आज हमको चाय वगैरह इतनी महंगी मिल रही है, क्योंकि आज इस देश में हर देशवासी की पहली आवश्यकता सुबह उठते ही एक प्याला चाय की होती है, तो यह चाय का पैसा दिन-ब-दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? सरकार का इसके ऊपर कोई कन्ट्रोल क्यों नहीं है, इसको भी देखना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इसके पैसे इतने न बढ़ें। जैसे आपने कई व्यवस्थाएं की हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में जैसे सीमेण्ट की लेवी की व्यवस्था है, चीनी की लेवी की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से इसकी भी व्यवस्था करें। जैसे लेवी की शुगर आप ओपन मार्केट में अलग भाव पर बेचते हैं और कण्ट्रोल रेट पर अलग भाव से बेचते हैं, तो इसी प्रकार से आप चाय के सम्बन्ध में भी ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि गरीब आदमियों को चाय कम कीमत पर उपलब्ध हो सके और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, निश्चित तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी यहां बैठे हैं, ये भी बतायेंगे कि जिन कम्पनीज को आपने टेकओवर किया है, इनके द्वारा श्रमिकों का जो पैसा ई० एस० आई० और प्रोविडेण्ट फण्ड के तहत वसूल किया गया ही वह पैसा इन्होंने उनके खाते में जमा कराया है या नहीं कराया है। क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि कई बार ये कम्पनियां लेबर्स का पैसा लेबर की तनख्वाह में से तो काट लेती हैं, लेकिन उस पैसे को प्रोविडेण्ट फण्ड या ई० एस० आई० के खातों में जमा नहीं कराती हैं। इस प्रकार की हालत कई दूसरी इन्डस्ट्री, जैसे टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज में काफी तादाद में हुई है और मैनेजमैंट उस पैसे का अपने ऊपर उपयोग करके दुरुपयोग करता है। वैसे आपने इसमें सबसे पहले यह प्रावधान किया है कि मजदूर के पैसे की लायबिलिटी कम्पनी की होगी, किन्तु फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रोविडेण्ट फण्ड और ई० एस० आई० के मातहत जो पैसा जमा कराया गया है, वह सुरक्षित है या नहीं और इस सारे पैसे के ऊपर आपका नियन्त्रण ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं? इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी माकूल तरीके

से व्यवस्था करने के लिए आप ऐसे कदम उठायें कि जो ये बड़ी-बड़ी टी कम्पनियां हैं, जो बड़ी-बड़ी टी एस्टेट हैं, उनसे लोगों को सस्ते भाव पर चाय उपलब्ध हो सके और इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों को टेकओवर करने की या नैशनलाइज्ड करने की व्यवस्था सरकार करे, जिससे कि लोगों को ठीक प्रकार से ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी मानते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और इन पिछले वर्षों में तो चाय का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा है, उस हिसाब से चाय का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा चाय का एक्सपोर्ट बढ़े । इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हमारी जो लोकल नीड्स की पूर्ति करने के लिए ठीक भाव पर चाय हमारे देश में उपलब्ध हो । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके सम्बन्ध में आप अपने जवाब में बताने का कष्ट करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । मैं इस बात की समर्थक हूं कि सभी मिलें, उद्योग और लाभ कमाने वाले संस्थानों को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए । लेकिन मैं जानती हूं कि हमारे जैसे विकासशील देश में यह सम्भव नहीं है । इसलिए हमने निजी क्षेत्र की भी व्यवस्था रखी है । इसलिए हमें निजी क्षेत्र को भी अवसर देना है । यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि निजी क्षेत्र की कुछ चाय उद्योग यूनिट जानबूझ कर अपने यूनिटों को रुग्ण बनाते हैं । यह एक सर्वमान्य तथ्य है और हमारे कई मित्रों और साथियों ने इसका जिक्र किया है । इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहने जा रही । वे जितनी भी राशि इनसे निकाल सकते हैं निकालते हैं और जब पाते हैं कि और राशि नहीं ले सकते, तब वे इन्हें रुग्ण बना देते हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि सरकार को इनका अधिग्रहण करना पड़े । यह उनकी चाल है मुझे यह कहते हुए खेद होता है सभी मामलों में ऐसा न भी हो तो भी ज्यादा मामलों में ऐसा ही होता है ।

मैं यहां कहना चाहती हूं कि कानून के अनुसार उन्हें मुआवजा देना होगा । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कानून का पालन करते हुए भी उनको कम से कम मुआवजा दें । मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार न केवल इन चाय-बागान का ही अधिग्रहण करे बल्कि श्रमिकों की दशा का भी ध्यान रखे । चाय-बागान को इन श्रमिक के मकानों की दशा बहुत ही खराब है । आपमें से कई सदस्यों ने विभिन्न चाय-बागान का दौरा किया होगा । लेकिन इन में बागान के मैनेजर या क्लर्क के मकान और किसी श्रमिक के मकान की दशा में जमीन-आसमान का अन्तर होता है । यदि आप इन्हें देखें तो वास्तव में आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे ।

मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इन सभी एककों को अपने नियंत्रण में लिये जाने पर शीघ्र ही वह इन श्रमिकों की स्थिति में सुधार करे। वहां अस्पताल तथा औषधालय नहीं हैं यदि औषधालय हैं तो उनमें औषधियां नहीं हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह सुनिश्चित करे कि वहां औषधालय हों तथा उनमें सभी संभव औषधियां उपलब्ध हो तथा अस्पतालों के लिये भी प्रबन्ध किये जायें। बच्चों के लिये स्कूल उनके लिये खेलने के मैदान तथा शिशु-सदनों (क्रेश) के लिये भी प्रबन्ध किये जाने चाहिये। एक ऐसा स्थान भी हो जहां दूध पिलाने वाली मांताए जाकर बच्चे को दूध पिला सकें। ये सभी शिशु-सदन प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाये जाने चाहिये।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चहाती हूं कि परिवार नियोजन के उचित प्रबंध होने चाहिए। यह केवल कागज पर ही नहीं होना चाहिये अपितु इसके लिये उचित प्रेरण दी जानी चाहिये और परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी ईमानदारी से लागू किया जाना चहिये।

मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगी कि श्रमिक कानूनों के अनुसार कल्याण उपाय किये जाने चाहिये क्योंकि अधिकांश स्थानों में श्रमिक कानूनों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है और सभी श्रमिकों की, विशेषकर महिला श्रमिकों की, स्थिति वस्तुतः दयनीय है। अतः मेरा अनुरोध है कि न केवल सरकार इन सभी उद्योगों को नियत्रंण मे ले अपितु वह सुनिश्चित करें कि सभी के लिये, और विशेषकर महिलायों और बच्चों के लिये, समुचित कल्याण उपाय करें इन शब्दों के साथ मैं पुन इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक में प्रस्तावित इन चाय बागान के राष्ट्रीयकरण को अपना समर्थन दिया है। यह इस बात का सूचक है कि अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिये वर्तमान सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। हमारे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने के इस दायित्व को सरकार पूरा करेगी। हमारे देश में चाहे श्रमिकों का मामला था अथवा चाय अथवा प्रमुख उद्योग का मामला, इस बारे में यही निर्णय किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ विशेष मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। श्री व्यास द्वारा एक मुद्दा यह उठाया गया था कि जिन्होंने उद्योग का कुप्रबंध किया है उनके लिये कुछ सजा होनी चाहिये। सरकार इन बारे में विचार कर रही है। बजट भाषण में ही मैंने उल्लेख किया था कि हम एक प्रस्ताव ला रहे है और यह सक्रिया रूप से सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन सम्बद्ध है और कोई व्यक्ति धनराशि को निकाल लेता है। निश्चित रूप से हम ऐसे प्रबंधकों को काली सूची में रखने पर विचार कर रहे हैं और उन्हें संस्थागत वित्त और बैंक वित्त उपलब्ध नहीं होगा। निस्संदेह बिजली की कमी हो, बिजली का खराब होना आदि

कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। इस बारे में हम एक समिति का गठन करने पर विचार कर रहे हैं और उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी। मेरे विचार से यह अत्यन्त आमूल-परिवर्तन है जो सरकार उन व्यक्तियों को अनुशासित करने पर विचार कर रही है जो राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं और इन्हें बर्बाद करते हैं। हम इस बारे में अत्यन्त गहराई से विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में एक ठोस प्रस्ताव आपके समक्ष लायेगी ताकि कुप्रबंध करने वाले और अपने लिए धन को निकाल लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त और कड़ी सजा नहीं हो सकती कि उन्हें संस्थागत वित्त न दिया जाये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) कुछ कारावास भी होनी चाहिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप उन्हें कहें कि वे जेल और वित्त की मनाही के बीच चुनें तो वे जेल चले जायेंगे और वित्त ले लेंगे। यह अधिक कठोर सजा होगी।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) वे तो मृत्यु दण्ड को भी पसंद करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : धन की मनाही भी दूसरे अर्थों में मृत्यु दण्ड है।

इस आशंका के बारे में कि उन मालिकों को जिन्होंने कुप्रबंध किया है, मुआवजा दिया जा रहा है, कानून के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाना होता है। अन्यथा इसे अधिकारातीत घोषित कर दिया जायेगा। लेकिन वर्तमान विधेयक के अधीन मालिकों को क्या मिलेगा? उन्हें नहीं के बराबर मिलेगा। यहां कोई लाभ होने का प्रश्न नहीं है उन्हें मुआवजे के रूप में शून्य राशि मिलेगी। मुआवजे की राशि में से सर्वप्रथम श्रमिकों को देय राशि अदा की जायेगी और फिर भी यदि देय राशि बकाया रहती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके बाद राज्य सरकार की और इसके बाद केन्द्रीय सरकार की देय राशियां का भुगतान आता है और वे देय राशियां इतनी अधिक हैं कि तब तक मुआवजा पूरा हो जाता है। इसके बाद केन्द्रीय सरकार की कर-देय राशि है और इस दायित्व के लिये कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। तत्पश्चात सुरक्षित ऋणों के लिये कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसके बाद अन्य दायित्व हैं। अतः इस बड़े मुआवजे में से उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा।

सेवा शर्तों के बारे में श्री आनंद पाठक ने एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि सेवा की निरन्तरता के बारे में स्थिति क्या है। यदि वह खंड 11 को देखें तो पूर्णतया यह सुनिश्चित किया गया है कि इसमें निरन्तरता बनी रहे। इसमें कहा गया है :

> "प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व चाय कम्पनियों की किसी रुग्ण चाय यूनिट में नियोजित रहा है, नियत दिन से चाय व्यापार निगम का कर्मचारी हो जाएगा और उस निगम में पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा, जो उस दशा में अनुज्ञेय होते जब ऐसा निधान न हुआ होता और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक..."

अत. इस मुद्दे पर पूरी सुरक्षा है।

एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया था कि इसे बंगाल के चाय विकास निगम को क्यों न दे दिया जाये ?

एक, राज्य सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। दूसरे, चाय व्यापार निगम ने अपने कार्य में सुधार किया है और इसे अनुभव भी है। अत: यह निर्णय किया गया है कि यह बेहतर होगी कि यह चाय व्यापार निगम के पास रहें।

कुछ भ्रम था कि कौन इसका प्रबन्ध कर रहा था। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कि यह कुप्रबन्ध करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना है तथा इसी कारण राष्ट्रीयकरण की स्थिति आ गई है। ऐसा नहीं है। यह पहले वाले चाय बागान मालिकों के कुप्रबन्ध का परिणाम है न कि चाय व्यापार निगम के। चाय व्यापार निगम के बनने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है। उनमें से कई बागान ने फायदा करके दिखाया है तथा किन्ही में घाटा कम हो गया है। अत: यह चाय व्यापार निगम का कुप्रबन्ध नहीं है ?

बहुत से माननीय सदस्यों ने श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया है। यह एक श्रम प्रधान उद्योग हैं और हमारी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता के अनुसार इस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि सामान्य तौर पर श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किया गया है, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन चार बागान में से जबकि नुकसान में 1976 में दैनिक मजदूरी 7.92 रुपये थी अब वह 10.12 रुपये है। मैं यह नहीं कहता कि यह काफी है। इसमें सुधार हुआ है परन्तु हमें अभी भी इस संबंध में श्रमिकों के लिए बहुत कुछ करना है। अत: श्रमिकों के कल्याण के लिए काफी धनराशि इन बागान में खर्च की गई और मुझे तत्संबंधी आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मुख्य मुद्दा जो उठाया गया है वह रुग्ण यूनिटों के बारे में है। चाय बोर्ड कार्यवाही करता हैं तथा नोटिस दिये जाते हैं और उसके बाद रिपोर्ट समितियाँ बनाई जाती हैं ! दूसरा मुख्य मुद्दा जो उठाया गया है वह समूचे चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में है। मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि जहाँ कहीं भी प्रबन्धकों में कमी होगी सरकार आगे आकर कार्यवाही करेगी। और आर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करोगी ? परन्तु हमारे देश में विभिन्न किस्म के लगभग 1,3000 चाय बागान हैं और 1951 से अब तक उत्पादन 2850 लाख किलोग्राम से बढ़कर 6450 लाख किलोग्राम तक पहुँच गया है ! जहाँ भी गलती करने वाले यूनिट हैं अथवा जो यूनिट ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं सरकार उन के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगी। परन्तु, मेरे विचार में, इस समय हमें संसाधनों की स्थिति को भी ध्यान मे रखना होगा ! में वही संसाधन हैं, जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात, आदि, जैसे अन्य एककों से आवश्यकता होती है, और वहां इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह उपलब्ध संसाधनों के बांटने का भी प्रश्न है। परन्तु बड़ी कंपनियां भी हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को आंतर्गत आती हैं आप देखेंगे कि ब्रूक बांड तथा लिपटन जैसी सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती

हैं क्योंकि उनकी यहां पर एक शाखा है तथा उनका एव इक्विटी शेयर 40 प्रतिशत से कम है परन्तु फिर भी वे बहु-राष्ट्रीय शाखाएँ है। डिब्बा बंद चाय बाजार में उनका कुल हिस्सा 45 प्रतिशत से कम होकर 30 प्रतिशत हो गया है और कुल मिलाकर सम्पूर्ण चाय निर्माति का केवल 10 प्रतिशत निर्यात करती है। अतः चाय निर्यात के मामले में उनका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है परन्तु डिब्बा बद चाय में इनका प्रभुत्व है और उसमें भी इनका हिस्सा 4 प्रतिशत से कम होकर 30 प्रतिशत हो गया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों का धन-प्रेषण भी कम हुआ है। 1980 में यह 11.26 करोड़ रुपये था तथा 1981 में यह घ कर 7.25 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार से 1981 में उपरोक्त कंपनियों का निर्माति में कुल अंश 12.45 प्रतिशत था। यह बढ़ा नहीं है बल्कि यह थोड़ा कम होकर 11.83 प्रतिशत हो गया है। हम यह ध्यान रख रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये बहु-राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के, अ तर्गत आने वाली प्रवेश न करें या इन क्षेत्रों में इनका एकाधिकार नियंत्रणन हो।

श्री एस० एम० भट्टम ने एक प्रश्न किया था कि पांचवीं कम्पनी का क्या हुआ जबकि आप चार कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। शायद वह चारगोला बागान की बात कर रहे थे। अब चाय व्यापार निगम के अध्ययनों से तथा अन्य परामर्शदाताओं से यह पता चलता है कि चारगोला बागान अब स्थायी तौर पर अक्षम हो गया है। फिर भी, इस प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पहले हम आसाम सरकार के साथ परामर्श कर रहे हैं।

दार्जलिंग चाय के लिए हमारे पास एक विशेष कार्यक्रम है। ऋण बांटने मे कुछ धीमी गति रही थी। परन्तु इस योजना पर अब काम शुरू हो गया है और ऋण बांटने का काम भी जारी हो गया है तथा दार्जिलिंग पर अधिकतम ध्यान दिया जाता है।

श्री डागा तथा श्री डोगरा ने कल चाय बाजार में हमारे हिस्से तथा उत्पादन का मामला उठाया था। उत्पादन बढ़ा है। 1979 में उत्पादन 5550 लाख किलो ग्राम था तथा 1984 में इसके 6440 लाख किलो ग्राम होने का अनुमान है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी इस वर्ष हमें चाय के निर्यात से 735 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। हमारी विदेशी मुद्रा की आमदनी में यह बहुत बडा योगदान है। जबकि 1982-83 में यह केवल 366 करोड़ रुपये था, अब उसमें बहुत वृद्धि हुई है। उत्पादन तथा मूल्यों में भी काफी वृद्धि हुई है। यह कहा गया था कि इस संबंध में हमारा हिस्सा कम हुआ है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां पहले हम अपनी चाय का 70% निर्यात करते थे और 30% का प्रयोग देश में करते थे, अब हम 70% चाय का का प्रोयग देश में करते हैं तथा 30% का निर्यात करते हैं। इसी कारण उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद हमारी निर्यात-मात्रा स्थिर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : बहुत अधिक धन कमाया गया है कीमतों में भारी वृद्धि हुई है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, तो इसमे हमें लाभ ही हुआ है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और कम्पनियों को भी लाभ हुआ है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसका ध्यान हम अलग स्तर पर रख सकते हैं। देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में बात कही गई थी। अब निर्णय यह लिया गया है कि सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली चाय की वर्ष भर में निर्यात की कुल मात्रा 1500 लाख किलोग्राम से अधिक नहीं होगी जिससे 350 लाख किलोग्राम चाय देश में खपत के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार सी० टी० सी० चाय का निर्यात भी 700 लाख किलोग्राम तक सीमित रखा जाएगा और 4000 लाख किलोग्राम घरेलू खपत के लिए छोड़ दी जाएगी। इसी प्रकार घरेलू खपत के लिए 4350 लाख किलोग्राम चाय उपलब्ध होगी जो हमारे अनुमान के अनुसार पर्याप्त है इसके अलावा छोटे उत्पादकों का भी मुद्दा उठाया गया था। यह पूछा गया था कि छोटे उत्पादकों के लिए क्या योजना है। हमने पुनः रोपण सहायता, नवीकरण सहायता, सिंचाई और किराया-खरीद पर चाय मशीनरी लेने से संबंधित योजनाएं बनायी हैं। ये योजनाएं छोटे उत्पादकों के लिए है और उन्हें उपलब्ध हैं। जहां तक बोर्ड का संबंध है मेरे विचार में यह कहना अतिश्योक्ति होगी कि बोर्ड में केवल बड़ी कम्पनियों का ही प्रतिनिधित्व है। मैं यह बताना चाहता हूं कि बोर्ड में संसद सदस्य भी हैं और सभी वर्गों के लोग बोर्ड में शामिल किये जाते हैं।

दक्षिण भारत में इस उद्योग को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष को दक्षिण भारत में चाय उद्योग पर सीधे निगरानी रखने, उसके विकास और प्रगति के लिए नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय दक्षिण में होगा। हमने दक्षिण में चाय के विकास के लिए यह निर्णय लिया है।

केरल में इडुक्की के बारे में सातवीं योजना में नवीकरण के लिए वनरोपण और पुनःरोपण के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं और इन पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह एक विशेष कार्यक्रम है जिस पर विचार किया जा रहा है।

प्रो० पी जे० कुरियन : छोटे उत्पादकों के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक योजना है जो कार्यान्वित की जाएगी। यदि किन्हीं क्षेत्रों में कोई विशिष्ट समस्या है तो हम उन पर भी ध्यान देंगे। अब जहां तक चाय में निवेश का संबंध है, यह कहा गया है कि निवेश नहीं किया जा रहा है और पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें काफी सच्चाई है। कई बार शोषण भी अधिक होता है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। परन्तु कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निवेश हुआ है 1984-85 में 140 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार निवेश में वृद्धि हुई है। 1971-81 के दौरान अर्थात् 10 वर्षों में निवेश लगभग 300 करोड़ रुपये था। इस बारे में यह निर्धारण किया गया है। अब हो सकता है कि प्रत्येक चाय बागान में निवेश न किया जा रहा हो, और इसके लिए हमें कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, बजट में भी हमने बागान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। और इसका लाभ उनको मिलेगा जो इसमें चाय बागान के नये पौधे आदि लगायेंगे और पूंजी निवेश करेंगे। जो निवेश नहीं करेंगे उन्हें ये लाभ नहीं मिलेंगे।

इस प्रकार महोदय, मेरे विचार में मैंने इस थोड़े समय में अधिकांश मुद्दों का उत्तर दे दिया है और मैं सभी सदस्यों को उनके समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुलरशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबिल डिप्टी स्पीकर सहाब, मोहतरिम मिनिस्टर सहाब ने चाय के बारे में यह दावा किया है कि 735 करोड़ रूपये का फारन-एक्सचेन्ज इस साल कमाने जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में मुझे एक शिकायत है और पूरा हाउस भी इस बात से इत्तिफाक करता है कि जहां तक चाय बागातों में काम करने वाले लेबरर्स का ताल्लुक है उन के साथ बहुत ज्यदा एक्सप्लायटेशन हो रहा है। उन के हालात बहुत ज्यदा खराब है, खास तौर से जो औरतें और बच्चे चाय बागानों में काम करते हैं उन के लिए लेबर कानून तक इम्प्लिमैंट नहीं हो रहे हैं। उन की रिहायश की हालत बहुत खराब है। सरकार को उनके हालत को सुधारने की तरफ मुतबज्जा होना चाहिए था। इस लिये इस बात के पसे-मन्जूर 735 करोड रूपये का फारन-एक्सचेन्ज कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग उत्पादन कर रहे हैं। जो प्रोडकशन के लिये जिम्मेदार हैं—वे लोग बहुत बुरी हालत में हैं।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहूंगा—चाय की हालत इस वक्त मुल्क में इतनी ज्यादा खराबहै कि जो चाय 1983 में 27 रूपये किलो थी, वह 1984 में 35 रूपये किलो हो गई, हालांकि आप के दावे के मुताबिक मुल्क में चाय का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मुल्क की जरूरियात के मुताबिक सी०टी०सी० चाय उस तादाद में नहीं मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिये। उस का बहुत ज्यदा हिस्सा आप फारन-एक्सचेन्ज कमाने के लिये बाहर भेज रहे हैं। आप यह भी मुलाहजा करें कि इस वक्त पर-कैपिटा का चाय का जो खर्चा है उस का आधा किलो भी हिन्दुस्तानियों को नहीं मिल रहा है। हालांकि उन की जरूरत उस से बहुत ज्यादा रही है। आप ने खास तौर पर यह बात कही थी मेरे सवाल के जवाब में कि इन चार सिक यूनिट्स का मेनेजमेंट टेक ओवर किया 1976 में और 1979 में और आप ने अपने बिल में यह बता दिया है कि यह जो बिल आप ला रहे हैं, यह इसलिए ला रहे है;

[अनुवाद]

> "ऐसी चाय यूनिटों के उचित पुनर्गठन और प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे विभिन्न प्रकार की चाय के उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि करके जन साधारण का हित साधन हो सके···"

[हिन्दी]

इस में प्रोपर रीआर्गजाइजेशन और मेनेजमेंट की बात आप ने कही है। मैं आप से यह पूछना चाहूंगा कि जो पुराने मेनेजमेंट को बात आप कर रहे हैं, उस के बाद सरकार का मेनेजमेंट रहा 1976 में और 1979 में, तो उन मेनेजर्स के बारे में आप की क्या रिपोर्ट है। इस बिना पर यह बिल कुछ कांस्पीकुअस हो रहा है, कुछ मशकूक सा हो रहा है। उस वक्त मेनेजमेंट सरकार

का भी रहा है और इस आधार पर मैं इस की मुखालफत कर रहा हूं कि उस मेनेजमेंट ने अगर उस वक्त सही जायजा लिया होता और अगर उन की बांच-पड़ताल उन्होंने सही ढंग से की होती, तो उस वक्त वेहतर तौर पर बता सकते थे कि इन चाय बागानों की हालत, इन यूनिटों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि सरकार को अपने हाथ में उनको लेना चाहिए फिर इस में ताखीर क्यों की गई। 1976 और 1979 के बाद अब 1985 है और तकरीबन 9 साल हो गये हैं जबकि आप ने अपना मेनेजमेंट अपने तौर पर इन यूनिटों में लगवा लिया और अब 9 साल के बाद आप फैसला करने जा रहे हैं कि आप का तजुर्बा आप को बता रहा है कि हम नाकाम हो गये और नकुसान पर ये यूनिट जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास और कोई चार नहीं है कि हम इन का नेशनेलाइजेशन करें। मैं आप से यह पूछना चाहूंगा कि नेशनेलाइजेशन की पालिसी को आप ने 1976 में क्यों नहीं इम्पलीमेंट किया, 1979 में क्यों नहीं इम्पलीमेंट किया जबकि और यूनिट्स में आप ने ऐसा किया।

और फिर जब आप ने अपना मेनेजमेंट दिया, तो 3 करोड़ 80 लाख रुपया आप ने इवेन्स्ट किया। इस वक्त जबकि आप नेशनेलाजेशन का बिल रहे हैं और आर्डीनेन्स आप ने पास किय था, तो आप यह कह रहे हैं :

[अनुवाद]

हमें निवेश के लिए अभी एक बडी राशि की आवश्यकता है क्योंकि यह रुगणता लम्बे अर्से तक कुप्रबन्ध का परिणाम है।

[हिन्दी]

अब भी सरकार ने बहुत सारा रुपया इसमें डाल दिया हालांकि इस से पहले 3 करोड़ 80 लाख रूपये आप इस में दे चके हैं। इस बिना पर अजीब कन्फूयूजन मुझे लग रहा है। आप बेजाहिर एक बहुत बडा फीट अंजाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और नेशनेलाइजेशन की पालिसी को इन चार यूनिटों में लागू कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां पर जो आप का मेनेजमेंट था, उस ने कोई अच्छा काम नहीं किया, इस के बारे में आप के पास क्या जवाब है।

एक बात में और अर्ज करूंगा। इस के लिये में प्रेस को कोट कर सकता हूं कि जिन हालात में प्लान्टेशन आप को मिला, देट वाज अब्सोलूटली डाई और बहुत बुरी हालत में था। अब अचानक आप इस को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। असम में आप उस मेनेजमेंट को बचाना चाहते हैं जो 1976 से और 1989 से वहां काम कर रहा था। आप उन की नौकरी को बचाना चाहते हैं। मैं अनरेबिल मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक नेशनेलाइजेशन का ताल्लुक है, हम उस के खिलाफ नहीं हैं और मैं उस की हिमायत करूंगा।

मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता अगर पहले ही इन को आप ले लिए होते। अब चार यूनिट्स हों या 100 यूनिट्स हों, ये जो मल्टीनेशनल कम्पनीज हैं, इनके द्वारा मजदूरों के साथ

जुल्म हो रहा है और उनके हकूक को जाया किया जा रहा है। इसके अलावा, वहां का सारा सिलसिला बहुत ही भयानक है और हालत बहुत खराब हो चुकी है और बैंकिंग और जितनी भी सारी कार्यवाही है, वह गलत किस्म से चल रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको टेक-ओवर किया जाए।

[अनुवाद]

यह देश की जनता के हित में होगा।

[हिन्दी]

आप टेक ओवर करें तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है। आप नेशनेलाइजेशन की पालिसी पर काम कीजिए। केवल चार यूनिट लेने से काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में बहुत सी मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं जो करोड़ों रुपये का मुनाफा यहां से कमा रही हैं। उनके जितने भी यूनिट्स हैं उनमें भी मजदूरों की हालत बेहतर बनाने के लिए, मैं चाहूंगा कि उनको भी आप टेक ओवर करें। उनमें जो मजदूर और औरतें काम कर रही है, उन प्लान्टेशन के मजदूरों के बचाव का, उनके हकूक की हिफाजत का इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि आप सारी की सारी यूनिट्स को अपने हाथ में लें। मुझे इन यूनिट्स को सरकार के हाथ में लेने पर कोई एतराज नहीं है।

मुझे तो एतराज इस बिना पर है कि यह जो इन यूनिट्स को लेने के लिए आर्डिनेंस लाया गया और तब लाया गया जबकि हाउस सेशन में था। इस बिना पर मैंने मुखालफत की है। मैं समझता हूं कि इस हाउस की रेस्पेक्ट, इस हाउस की सुप्रीमेसी और इसकी इम्पार्टेंस को पेशेनजर रख कर यह मुनासिब होता कि आप यहां पर बिल लाते और इस हाउस से पास कराते। मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत आपको पेश नहीं आती। आपने ऐसा नहीं किया और आपने आर्डिनेंस इशू कर दिया जबकि हाउस चल रहा था। इसका मतलब यह है कि आप इस हाउस की खातिर में नहीं लेते हैं और आप इस हाउस को ओवर रूल करके इस तरह के आर्डिनेंस ला रहे हैं। इस तरह से आप इस हाउस के वकार को कम कर रहे हैं।

मैं नेशनेलाइजेशन की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार की पहले कभी नेशनलाइजेशन की नीयत नहीं थी। अगर नीयत होती तो 1966 में और 1979 में जब इन कम्पनीज का मैनेजमेंट हाथ में लिया तभी नेशनेलाइजेशन कर दिया होता। जब ये मैनेजमेंट लेकर खुद वहां की खराब हालत की वजह से वहां पर उलझ गये तो अब इन्होंने नेशनेलाइजेशन कर दिया। अगर नेशनेलाइजेशन की इनकी नीयत होती तो 1966 में ही नेशनेलाइजेशन कर दिया होता।

आपने केवल चार यूनिटों का नेशनेलाइजेशन किया है। मुल्क में और भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े-बड़े सरमाएदार हैं, मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं। उनका भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है और उनसे सरमाएदार फायदा उठा रहे हैं, करोड़ों रुपये का मुनाफा

कमा रहे हैं उन लाखों मजदूरों के हित में आज कोई काम नहीं हो रहा है। इस बिना पर मैं अपना रिजोल्यूशन पेश करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबली (सरहिंद) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मोहतरम मिनिस्टर साहब चाय के बारे में दावा कर रहे हैं कि 735 करोड़ रुपये का फारन एक्सचेंज इस साल कमाने जा रहे हैं लेकिन इस सिलसिले में मुझे एक शिकायत है और पूरा हाउस भी इस बात से इत्तफाक करता है कि जहां तक चाय के बागानों में काम करने वाले लेबर्स का तअल्लुक है उन के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन हो रहा है। उन के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। खास तौर से जो औरतें और बच्चे चाय के बागानों में काम करते हैं उन के लिए लेबर कानून तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। उन की रिहायश की हालात बहुत खराब है। सरकार को उन के हालात को सुधारने की तरफ मुतवज्जह होना चाहिये था। इस लिये इस बात के पस मंजर 735 करोड़ रुपये का फारन एक्सचेंज कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो लोग इतना दान कर रहे हैं जो प्रोडक्शन के लिये जिम्मेदार हैं वह लोग बहुत बुरी हालत में हैं।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहूंगा चाय की हालत इस वक्त मुल्क में इतनी ज्यादा खराब है कि जो चाय 1983 में 27 रुपये किलो थी वह 1984 में 35 रुपये किलो हो गई। हालांकि आप के दावे के मुताबिक मुल्क में चाय का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। मुल्क की जरूरियात के मुताबिक सी टी सी चाय इस तादाद में नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिये। इस का बहुत ज्यादा हिस्सा आप फारन एक्सचेंज कमाने के लिये बाहर भेज रहे हैं। आप यह भी मुलाहिजा फरमायें कि इस वक्त पर कैटा का जो खर्चा है उस का आधा किलो भी हिन्दुस्तानियों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उन की जरूरत इस से बहुत ज्यादा है। आप ने खास तौर पर यह बात कही थी मेरे सवाल के जवाब में कि उन चार सिक यूनिट्स का मैनेजमेंट टेक ओवर किया 1981, 1982 और 1983 में और आप ने अपने बिल में यह बता दिया है कि यह बिल ला रहे हैं इस लिये ला रहे हैं।

"In respect of said tea units with a view to securing proper reorganisation and management of such tea units so as to subserve the interests of the general public augmenting the production and manufacture of different varieties of tea..."

اس میں پراپر ری آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کی بات آپ نے کہی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرانے مینجمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے بعد سرکار کا مینجمنٹ رہا ۱۹۷۶ء میں اور ۱۹۷۹ء میں تو ان مینجمنٹس کے بارے میں آپ کی کیا رپورٹ ہے۔ اس بنا پر یہ بات کچھ کانفیوژن ہو رہا ہے اور اس آدھار پر میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ اس مینجمنٹ نے اگر اس وقت صحیح جائزہ لیا ہوتا اور اگر ان کی جانچ پڑتال انھوں نے صحیح ڈھنگ سے کی ہوتی تو اس وقت بہتر طور پر بتا سکتے تھے کہ ان چائے باغات کی حالت ان یونٹوں کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ سرکار کو اپنے ہاتھ میں ان کو لینا چاہیے۔ پھر اس میں تاخیر کیوں کی گئی۔ ۱۹۷۶ء اور ۱۹۷۹ء کے بعد اب ۱۹۸۵ء ہے اور تقریباً ۹ سال کے بعد آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور نقصان پر یہ یونٹ جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اور کوئی چارا نہیں ہے کہ ہم ان کا نیشنلائزیشن کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کو آپ نے ۱۹۷۶ء میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا۔ ۱۹۷۹ء میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا۔ جب کہ اوریونس میں آپ نے ایسا کیا۔

اور پھر جب آپ نے اپنا مینجمنٹ یا تو ۳ کروڑ ۸۰ لاکھ روپیہ آپ نے انویسٹ کیا۔ اس وقت جب کہ آپ نیشنلائزیشن کا بل لا رہے ہیں اور آرڈیننس آپ نے پاس کیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔

We still require large sums of money to be invested since the sickness was a result of long years of mismanagement etc.

سرکار نے بہت سا روپیہ اس میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ۳ کروڑ ۸۰ لاکھ روپے آپ اس میں دے چکے ہیں۔ اس بنا پر عجیب کنفیوژن مجھے لگ رہا ہے۔ آپ بظاہر ایک بہت بڑا فیٹ انجام دے رہے ہیں اور نیشنلائزیشن کی پالیسی کو ان چار یونٹوں میں لاگو کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں پر جو آپ کا مینجمنٹ تھا اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا جواب ہے۔

ایک بات میں اور عرض کروں گا۔ اس کے لیے میں پریس کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ جن حالات میں پلانٹیشن آپ کو ملا that was absolutely Dry اور بہت

बुरी हालत में थीं। अब अचानक आप उस को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। असल में आप उस मैनेजमेंट को बचाना चाहते हैं जो 1976 से और 1979 से वहां काम कर रहा था। आप उन की नौकरी को बचाना चाहते हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक नेशनलाईजेशन का तअल्लुक है हम उस के खिलाफ नहीं हैं और मैं उस की हमायत करूंगा। मैं बहुत ज्यादा तारीफ करता अगर पहले ही ऐसा कर लिया होता। अब चार यूनिटस हों या 10 यूनिटस हों या 20 यूनिटस हों जो मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं उन के द्वारा मजदूरों के साथ ज़ुल्म हो रहा है और उन के हुकूक को ज़ाया किया जा रहा है। इस के अलावा वहां का सारा सिलसिला बहुत ही भयानक और हालत बहुत खराब हो चुकी है और मैनेजमेंट जो भी सारी कार्रवाई कर रही है वह गलत किस्म से चल रही है। इस लिये सरकार को चाहिये कि इन को टेक ओवर किया जाये।

That will be in the best interests of public and people of this country.

आप टेक ओवर करें तो इस में मुझे कोई एतराज नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है। आप नेशनलाईजेशन की पालिसी पर काम कीजिये। केवल चार यूनिट लेने से काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में बहुत सी मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं जो करोड़ों रुपये का मुनाफा यहां से कमा रही हैं उन के जितने भी यूनिटस हैं उन में भी मजदूरों की हालत बेहतर बनाने के लिये मैं चाहूंगा कि उन को भी आप टेक ओवर करें। उन में जो मजदूर और औरतें काम कर रही हैं उन प्लांटेशन के मजदूरों को बचाओ का उन के हुकूक की हिफाजत का इस के सिवाये और कोई चारा नहीं है कि आप सारी की सारी यूनिटस को अपने हाथ में लें। मुझे इन यूनिटस को सरकार के हाथ में लेने पर कोई एतराज नहीं है।

मुझे तो एतराज इस बिना पर है कि यह जो यूनिटस को लेने के लिये आर्डीनेंस लाया गया और तब लाया गया जब कि हाउस सेशन में था। इस बिना पर मैं ने नुक्ता चीनी की है। मैं समझता हूं कि इस हाउस की रेस्पेक्ट इस हाउस की सुप्रीमेसी और इस की इम्पार्टेंस को पेश नज़र रखकर यह मुनासिब होता कि आप यहां पर बिल लाते और इस हाउस से पास कराते। मेरे ख्याल में इस में कोई दिक्कत आप को पेश नहीं आती। आप ने ऐसा नहीं किया और आप ने आर्डीनेंस इशू कर दिया जब कि हाउस चल रहा था। इस का मतलब यह है कि आप इस हाउस को खातिर में नहीं लेते हैं और आप इस हाउस को अवायड कर के इस तरह के आर्डीनेंस ला रहे हैं। इस तरह से आप इस हाउस के वकार को कम कर रहे हैं।

میں نیشنلائزیشن کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کی پہلے کبھی نیشنلائزیشن کی نیت نہیں تھی۔ اگر نیت ہوتی تو ۱۹۷۰ء میں اور ۱۹۷۹ء میں جب ان کمپنیز کا مینجمنٹ ہاتھ میں لیا تھا تبھی نیشنلائزیشن کر دیا ہوتا۔ جب یہ مینجمنٹ نے کر خود وہاں کی خراب حالت کی وجہ سے وہاں پر الجھ گئے۔ تو اب انھوں نے نیشنلائزیشن کر دیا اگر نیشنلائزیشن کی ان کی نیت ہوتی تو ۱۹۷۰ء میں ہی نیشنلائزیشن کر دیا ہوتا۔

آپ نے کیول چار یونٹوں کا نیشنلائزیشن کیا ہے۔ ملک میں اور بھی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن میں لاکھوں مزدور کام کر رہے ہیں۔ ان کا بھی ایکیوزیشن ہونا چاہیے اور ان سے سرمایہ دار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کروڑوں روپئے کا منافع کما رہے ہیں فارن ایکسچینج کما رہے ہیں۔ ان لاکھوں مزدوروں کے ہت میں آج کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس لئے میں ... (میں کہتا ہوں)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब श्री अब्दुल रशीद काबुली द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 अप्रैल, 1985 को प्रख्यापित चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा विधेयक पर विचार के लिये रखे गए प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं :

"कि रुग्ण चाय यूनिटों का उचित पुनर्गठन और प्रबंध सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे विभिन्न प्रकार की चाय के, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण है, उत्पादन और विनिर्माण की वृद्धि करके जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी चाय यूनिटों के और उक्त चाय यूनिटों की बाबत चाय कम्पनी के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड-2 परिभाषा

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—पंक्ति 4 से 6 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"(ज) 'चाय विकास निगम' से पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम सीमित, अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक निगमित और पंजीकृत कम्पनी है;"

मेरा संशोधन यह है कि 'चाय विकास निगम' के स्थान पर 'पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम सीमित: अंत: स्थापित किया जाना चाहिए। यह इसलिए कि भारतीय चाय व्यापार निगम (टी०टी०सी०आई०) मूलत: एक व्यापारिक संगठन है। चाय बागानों का प्रबन्ध इसके मूल कार्यकरण अथवा क्रियाकलाप के अनुरूप नहीं है। यह केवल व्यापार के लिये है। इसी प्रकार हमारे पास राज्य व्यापार निगम भी है। राज्य व्यापार निगम चाय सहित अनेक वस्तुओं का व्यापार करता है। उसके बाद हमारे पास बालमेर लारी कम्पनी है। यह भी चाय का व्यापार करती है किन्तु इसका अपना कोई उत्पादन नहीं है। किन्तु पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम ने 7 चाय बागान उपलब्ध कर लिए हैं और वे उनमें सुधार भी दिखा रहे हैं। अत: एक राज्य में दो पृथक संगठन—एक केन्द्र सरकार के अधीन और दूसरा राज्य सरकार के अधीन—रखना तर्कसंगत नहीं है। इसी दृष्टिकोण से मैं यह संशोधन लाया हूं। छोटी इकाइयां बड़ी इकाई में विलय हो जानी चाहिये ताकि वे और अधिक जीवनक्षम तथा मजबूत हो जाएंगी। यह केवल मेरा मत नहीं है। 1951 में, केन्द्र सरकार ने मेनन आयोग नियुक्त किया था। इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद आयोग ने भी सिफारिश की कि बड़ी इकाई में छोटी इकाइयों का विलय कर दिया जाना चाहिये जिससे कि बड़ी इकाई और अधिक जीवनक्षम तथा लाभदायक हो जाएगी इन सभी दृष्टि कोणों से, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए तथा मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी दलील पर विचार करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाय विकास निगम पर मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्वयं भी इस निगम के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है। उनकी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके बाद भारतीय चाय व्यापार निगम (टी०टी०सी०आई) के बारे में, वहां उत्पादन में सुधार हुआ है और कुछ चाय बागानों ने लाभ दिखाया है तथा इस अवधि में कुछ अन्य में घाटे में कमी आई है। श्री काबुली इसे नोट कर सकते हैं।

श्री आनन्द पाठक : सामान्यत: मूल्यों में वृद्धि हुई है। खपत भी बढ़ गई है तथा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। केवल भारतीय चाय व्यापार निगम (टी०टी०सी०आई०) में ही सुधार नहीं हुआ है। अन्य में भी सुधार हुआ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किन्तु राज्य सरकार की ओर से अपने निगम के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। हम स्वयं ही इस पर कैसे विचार कर सकते हैं ? हम कैसे दे सकते हैं ? उसके बाद विलय के बारे में···

श्री नारायण चौबे : मान लीजिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आता है, क्या आप उस पर विचार करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम यहां उपन्यास नहीं लिखते हैं। यदि यह होता है, तो

बाद क्या होगा, इत्यादि'

उसके बाद, जहां तक सहकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है, यदि सहकारी संस्था बनाई जाती हैं तो उन्हें कुछ सहायता दी जाएगी। निश्चित रूप से हम उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री आनन्द पाठक द्वारा रखे गए खंड 2 के संशोधन संख्या 6को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3

रुग्ण चाय यूनिटों के सम्बन्ध में चाय कम्पनियों के अधिकारों का अर्जन

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 में तथा विधेयक में जहां कहीं भी आते हैं—

"चाय व्यापार निगम" शब्दों, के स्थान पर "चाय विकास निगम" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। (7)

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को उन्हीं मुद्दों के लिए रखता हूं जिनका उल्लेख मैं पहले कर चका हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमन्, मेरा उत्तर भी वही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री आनन्द पाठक द्वारा रखे गए खंड 3 के संशोधन संख्या 7 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड चार के लिये कोई भी संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-5

कुछ पूर्व दायित्वों के लिये चाय कम्पनियों का उत्तरदायी होना ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5, संशोधन संख्या 1 श्री अय्यप्पु रेड्डी ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 32,—

"न कि चाय व्यापार निगम के विरुद्ध,"

शब्दों का लोप किया जाये । मेरे संशोधन का अभिप्राय है : खण्ड 5 में कहा गया है :

"इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निक्षेप दिन के पूर्व किसी अवधि के संबंध में धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न चाय कम्पनी का प्रत्येक दायित्व उस कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध, न कि चाय व्यापार निगम के विरुद्ध, प्रवर्तनीय होगा ।"

खण्ड 3 के अन्तर्गत, चाय व्यापार निगम परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का अधिग्रहण करता है। वे केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है और इसके बाद चाय व्यापार निगम को अन्तरित हो जाती है। विधिशास्त्र के अनुसार जब आप परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करते हैं तो आपको दायित्वों को भी हाथ में लेना होगा । अगर आप कहते हैं : "मैं सिर्फ परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर रहा हूं न कि दायित्वों का ।" तो यह संवैधानिक रूप में मान्य नहीं होगा । क्योंकि किसी निर्दोष तीसरे पक्ष के हक को आप बिना मुआवजा दिये खत्म नहीं कर सकते। मूल सिद्धात है, दायित्वों का अधिग्रहण भी वही व्यक्ति करेगा जिसने परिसम्पत्ति का अधिग्रहण किया है । ऐसा ही है । परन्तु खण्ड 15 के अन्तर्गत, प्रावधान है कि चाय व्यापार निगम तीसरे पक्ष को देनदारी दे सकता है, और इसके द्वारा भुगतान के बाद वह उस राशि की वसूली के लिये आयुक्त के समक्ष

अपील कर सकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खण्ड 15 (2) की ओर दिलाना चाहूंगा— जिसमें कहा गया है —मैं उद्धृत करता हूं :

> 'चाय व्यापार निगम आयुक्त के समक्ष ऐसे प्रत्येक संदाय के संबन्ध में दावा कर सकेगा जो उस निगम ने नियत दिन के पश्चात् किसी चाय कम्पनी के स्वामित्व में किसी रुग्ण चाय यूनिट के संबंध में नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत उसके दायित्वका, जो धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दायित्व नहीं है, निर्व- हन करने के लिए किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन प्राथमिकताओं के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है, जिन के संबंध में चाय व्यापार निगम ने दायित्व का निर्वहन किया है।"

इसका अर्थ है, अगर चाय व्यापार निगम किसी भी प्रकार की देनदारियों की राशि का भुगतान करता है जो कि रुग्ण इकाई ने नियत से पूर्व ली हो।, तो इस स्थिति में यह आयुक्त के समक्ष जाकर भुगतान के लिये कह सकता है। परन्तु आश्चर्य है कि खण्ड 5 में कहा गया है, कि यह चाय व्यापार निगम के प्रति प्रवर्तनीय नहीं है। दो कारणों की वजह से मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये : पहला, सरल सा कारण है कि आपने परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण किया है तो आपको देनदारियों का भी अधिग्रहण करना होगा। दूसरे, खण्ड 15 में कर्जों के भुगतान का प्रावधान है। अगर खण्ड 5 और खण्ड 15 के बीच यदि कोई मतभेद है यानि कि अगर खण्ड 5 के अनुसार यह चाय व्यापार निगम के प्रति प्रवर्तनीय नहीं है तो खण्ड 15 (2) के तहत निगम द्वारा देनदारियों के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बात अच्छी तरह कह पाया हूं या नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एकदम स्पष्ट है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अतः मेरा अनुरोध है कि यह संशोधन न कि चाय व्यापार निगम के विरुद्ध" शब्दों का लोप करने से, सही स्थिति में होगा। इससे बात एकदम साफ हो जायेगी। अन्यथा भ्रम पैदा होगा; और इस धारा की संवैधानिक वैधता पर भी लोग स्पष्टीकरण मांगा करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब हमने मुआवजे का भुगतान कर दिया, और हम परि-सम्पत्तियों के लिये मुआवजा आयुक्त के पास जाते हैं तो उस मुआवजे की रकम में से सभी देन-दारियों का भी भुगतान होना चाहिये, और मूलरूप में यह कार्य चाय व्यापार निगम का नहीं हो सकता। अगर चाय व्यापार निगम इसका भुगतान करता है तो तभी ऐसा किया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह भुगतान करेगा ही। यह उस मुआवजे की रकम में से भी लेगा और उसे भुगतान करेगा। अतः यह आवश्यक नहीं है कि चाय व्यापार निगम भुगतान करे और सिद्धांत एकदम स्पष्ट है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : इसमें कुछ विरोधाभास और अस्पष्टता है। खंड 15 (2) में कहा गया है कि चाय व्यापार निगम देनदारी की अदायगी कर सकता है और फिर आयुक्त के समक्ष इसका दावा कर सकता है। यदि खंड 5 के अन्तर्गत चाय व्यापार निगम के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय कानून नहीं है तो उसका अभिप्राय है कि चाय व्यापार निगम उसका भुगतान कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यदि यह भुगतात करता है तो इसे वह भुगतान मांगने का हक है और यदि यह भुगतान नहीं करता तो स्वाभाविक है कि तीसरा पक्ष संकट में पड़ जाता है। निर्दोष तीसरा पक्ष जिस रुग्ण इकाई को कुछ राशि दी है और उसे यह राशि रुग्ण इकाई से वसूल करने का हक है; संकट में पड़ जायेगा; अर्थात् यह बात चाय व्यापार निगम पर छोड दी गई है कि वह चाहे तो भुगतान करे चाहे तो न करे। ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है कि चाय व्यापार निगम इस स्वविवेक को क्रियान्वित कैसे करेगा; यह अनियंत्रित होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : योजना यह है कि पहले श्रमिकों की देय राशि दी जाएगी, फिर राज्य सरकार की, तत्पश्चात् केन्द्र सरकार और फिर बैंकों आदि का भुगतान किया जाएगा। जब हमने आस्तियों का अधिग्रहण कर लिया है और सारा पैसा आयुक्त को दे दिया है, सारी देयताएं वहीं से ली जानी चाहिए। जो कुछ हमने मुआवजे के रूप में दे दिया इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। उसकी जिम्मेदारी चाय व्यापार निगम को नहीं सौंपी जा सकती। यदि चाय व्यापार निगम कोई देनदारी देना चाहता तो वह मुआवजे में से उसका दावा कर सकता है और अपील करके इसे प्राप्त कर सकता है; यह पूर्णतः स्वैच्छिक है; और यदि ऐसा करता है तो उसे यह अधिकार है क्योंकि वह देनदारी उस मुआवजे की राशि में से ही देनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 6 और 7 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं दोनों खंडों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 और 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए

खंड-8

कम्पनियों के रुग्ण चाय यूनिटों प्रबंध आदि

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) ; मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5—पंक्ति संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह कि कर्मचारियों अथवा उनके श्रमिक संघ, यदि कोई हो, के एक प्रतिनिधि को रुग्ण चाय यूनिट के अधीक्षण और प्रबंध व्यवस्थ में निदेशक अथवा सलाहकार के रूप में लिया लाएगा।" (2)

ऐसा संविधान के अनुच्छेद 43(क) को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान में यह प्रावधान है कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के लिए कदम उठाएं ताकि श्रमिकों को उपक्रमों अथवा औद्योगिक यूनिटों में भागीदारी का हक मिल सके। इस विधेयक में हमने श्रमिकों को राहत देने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि इन चाय श्रमिकों का किस तरह से शोषण किया जाता है, इन चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का इन वर्षों में कितनी बुरी तरह से शोषण किया जाता रहा है। हम अब उन यूनिटों को कुशलतापूर्वक चलाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि श्रमिक संघों या श्रमिक प्रतिनिधियों के निदेशक अथवा सलाहकार के रूप में सम्बद्ध किया जाए। यह मात्र अनुच्छेद 43(क) में प्रतिपादित सरल सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है, मैंने यह संशोधन सभा पटल पर रख दिया है। मुझे आशा है यह संशोधन मंत्री महोदय को पूरी तरह से स्वीकार्य होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रमिकों के लिए ही हमने इसका राष्ट्रीयकरण करने संबंधी कदम उठाया है। यह एक सामान्य नीति है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों को यह मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं तथा सरकार चरणबद्ध रूप में इसे बढ़ावा दे रही है। मैं नहीं समझता कि इस समय सांविधिक प्रावधान की व्यवस्था करना उपयुक्त होगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मंत्री महोदय कृपया संविधान के अनुच्छेद 43(अ) को देखें जिसमें कहा गया है कि आपको श्रमिकों की भागीदारी को सांविधिक मान्यता देनी ही चाहिए। कम

से कम मंत्री महोदय को हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि प्रत्यायोजित विधान में अथवा बनाए जाने वाले नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाएगा, तब मैं अपना संशोधन वापिस ले लूंगा। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग करते समय वह यह प्रावधान रखेंगे कि इन चाय कंपनियों के प्रबंध में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की भागीदारी हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना हमारी नीति है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस नीति को बढ़ावा देंगे और हम इस संबंध में कदम उठा रहे हैं। श्रम मंत्रालय कुछ विशिष्ट नीतियां बनाता है और सभी सरकारी यूनिटों में तदानुसार काम किया जाता है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी नीति को इस क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री ई. अय्यप्पु द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

(संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 9 पर आते हैं।

श्री आनन्द पाठक संशोधन संख्या 9

खण्ड-9

रुग्ण चाय यूनिटों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों आदि को परिदत्त करने का कर्त्तव्य

श्री आनन्द पाठक : मैंने भी ऐसा ही संशोधन दिया है। यह सरकारी उपक्रमों के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री आनन्द पाठक—मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 1, पंक्ति 56 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु निगम के प्रबन्ध का पर्यवेक्षण, संचालन और मार्गदर्शन एक निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन किया जायेगा और जिसमें श्रमिकों तथा/अथवा उनके श्रमिक संघों, यदि कोई हों, प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे।" (8)

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम में निदेशक बोर्ड है। निदेशक बोर्ड में श्रमिक हैं जो श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, श्रमिकों के प्रतिनिधि, यदि उसमें नहीं हैं, तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए मुझे आशा है मंत्री महोदय द्वारा कही गई बातों को दृष्टिगत रखते हुए, यह विशेष उपबंध विधेयक में जोड़ा जाना चाहिए। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भारतीय चाय व्यापार निगम (टी० टी० सी० आई०) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आता है न कि इस विधेयक के अन्तर्गत। लेकिन मैंने यह आश्वासन दिया है कि सामान्यतः हम सामान्य नीति के रूप में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

श्री आनन्द पाठक : मैं भी यही चाहता हूं कि निदेशक बोर्ड में श्रमिकों को शामिल किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह विधेयक राष्ट्रीयकरण किये जाने के संबंध में है। टी०टी० सी० आई० का गठन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यह विधेयक कंपनी अधिनियम में नहीं आता है। लेकिन सामान्य तौर पर श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे आएगी और उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी।

श्री आनन्द पाठक : इसे ध्यान में रखते हुए, मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री आनन्द पाठक द्वारा प्रस्तावित संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 और 10 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 12 पर आते हैं। इस पर संशोधन संख्या 3 है।

3.00 म० प०

खंड-12

भविष्य निधि तथा अन्य निधियां

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 6—पंक्ति 93 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाय—

"परन्तु जो फायदे कर्मचारियों को नियत दिन को मिल रहे हैं, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" (3)

उपखंड में विशेष रूप से कहा गया है :—

"ऐसी धनराशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन चाय व्यापार निगम को अन्तरित हो गई हैं, उस निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी, जो विहित की जाए।"

इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमे दो उपबंध है। एक योजनाओं में पहले ही से देय राशियों के संबंध में है। उन सभी देय राशियों पर ध्यान दिया जाता है। खंड 11 में उनकी

विद्यमान सेवा शर्तों का ध्यान रखा गया है। अतः विधेयक में दोनों पहलुओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। मैं नहीं समझता कि यह संशोधन आवश्यक है।

श्री ई.० अय्यप्पु रेड्डी : इस समय हम यह आश्वासन चाहते हैं कि वर्तमान शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खंड 11 में यह सुनिश्चित किया गया है।

श्री ई०अय्यप्पु रेड्डी : लेकिन आपने यह अधिकार लिया है कि "ऐसी रीति से कारवाई की जाएगी, जो विहित की जाए।" खंड 11 में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। इसमें कहा गया है इनकी सेवाएं जारी रहेंगी। उनके लाभ के संबंध में मैं यह चाहता हूं कि उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और खंड 11 में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप खंड 11 पढ़ें तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही रहेंगी जो पहले थीं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपायध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

(संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड-13

संदाय आयुक्त की नियुक्ति

श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 6,—पंक्ति 31 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति संदाय आयुक्त नहीं होगा, जो जिला न्यायाधीश या जिला आयुक्त के पद से नीचे के पद का हो।" (4)

महोदय, संदाय आयुक्तों के सम्बन्ध में कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा केवल यह कहने के उद्देश्य से किया गया है कि आयुक्त का पद जिला जज अथवा जिला कलक्टर से नीचे का पद नहीं होगा क्योंकि उसे दीवानी अदालत के रूप में काम करना है। इसके पश्चात् यह कहा गया है कि उसे दीवानी अदालत के सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी न्यूनतम योग्यता जिला न्यायाधीश अथवा जिला कलक्टर की होनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि हमारे पास विकल्प हो तो हम चयन कर सकते हैं। कलक्टरों और जजों के अतिरिक्त और भी ऐसे कई लोग हैं, जो योग्य हैं। अतः हम अपना चुनाव सीमित ही क्यों रखें ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : चूंकि उसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उसे न्यायाधीश होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि न्यूनतम योग्यता जिला न्यायाधीश अथवा जिला कलक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। व्यवहारतः उसे न्यायाधीश का काम करना होता है। वह दावे सुनता है, साक्ष्य लेता है और निर्णय देता है। उसके आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने की भी व्यवस्था की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपायध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री ई० अय्यापु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपायध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्ड 14 से 25 तक कोई संशोधन नहीं है, मैं उन्हें एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 से 25 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

खण्ड 14 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खन्ड-26

संविदाओं का तब तक प्रभावी न रहना जब तक उनका चाय व्यापार निगम द्वारा अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, —पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि चाय व्यापार निगम के किसी आदेश से कुप्रभावित किसी व्यक्ति को, जिसके द्वारा उसके पक्ष में संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार किया गया है, उस आदेश की तिथि से तीन महीनों के भीतर भारत सरकार को अपील करने का अधिकार होगा ।" (5)

चाय व्यापार निगम को ठेकों का अनुसमर्थन करने का अधिकार है । यदि यह ठेके का अनुसमर्थन करने से इन्कार करता है तो तीसरे पक्ष के पास कोई उपचारी उपाय नहीं है । संभवतः नियमानुसार उसे उच्च न्यायालय में जाकर यह कहना पड़ता है कि ठेके का अनुसमर्थन अवश्य किया जाना चाहिए इसीलिये मैंने कहा कि उसे ठेके के अनुसमर्थन के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया जाये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भारतीय चाय व्यापार निगम की पूरी निगरानी केन्द्र सरकार करती है और यदि कोई शिकायत होगी तो हम उसका समाधान करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : यदि ठेके के अनुसमर्थन से इन्कार कर दिया जाता है और उन्हें अपील करने का अधिकार भी नहीं मिलता तो शेष कोई उपचारी उपाय नहीं बचाता । यदि आप ठेके के अनुसमर्थन से इन्कार कर देते हैं, तो इसका अन्य कोई उपचार नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) वह अधिकार अन्तर्निहित है ।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : उसके यहां आने और केन्द्र सरकार को शक्ति का उपयोग करने के लिए निवेदन करते ही उसे सांविधिक अधिकार प्राप्त होता है। प्रशासनिक निगरानी ही न्यायिक उपाय नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सांविधिक उपबन्ध किये जाने पर सहमत नहीं हूं लेकिन सामान्यतः ऐसी व्यवस्था होती है, जिससे काम चल सके और इससे काम चलता भी है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

(संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 27 से 34 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली तथा दूसरी अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

पहली तथा दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम

उपायक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.08 म० प०

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले पद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक को लेता हूं। इसके लिए एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं *:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया गया।

महोदय, मामला विवादास्पद नहीं है। 300 रु० भत्ता कुछ समय पहले निर्धारित किया गया था और यह महसूस किया गया कि यह 300 रुपये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये इस राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 500 रुपये करने के लिए हम यह विधेयक पेश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री अय्यप्पु रेड्डी बोलेंगे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, यह बहुत छोटा और असंगत संशोधन है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसका समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

3.09 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इस अवसर पर मैं यह कहता हूं कि हमें उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में एक असंगति की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने मकान में रहता है तो किराये के रूप में वह अपने वेतन का केवल 12 $\frac{1}{2}$% ही पाने का हकदार है। लेकिन अगर वह चाहे कि मकान दिया जाये तो राज्य सरकार को नये सुसज्जित मकान की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहां असंगति यह है कि अगर वह अपने मकान में रहना चाहता है तो उसे लगभग 450 रु० ही मिलते हैं। लेकिन अपना मकान छोड़कर अगर दूसरे मकान की मांग करे तो अपने मकान को वह 3000 या 3500 रुपये किराये पर दे सकते हैं। अतः जो न्यायाधीश मौजूदा सेवा शर्तों का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें मजबूरन अपने मकान खाली करने पड़ते हैं और फिर वे सम्बन्धित राज्य सरकार से निःशुल्क रिहायशी आवास की मांग करते हैं। कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने पर राज्य सरकारों को लगभग 4000-5000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। एक मामला मुझे मालूम है जिसमें 'क' न्यायाधीश का बंगला 'ख' न्यायाधीश को तथा 'ख' न्यायाधीश का बंगला 'ग' न्यायाधीश को दिया गया था। राज्य सरकार को इन दो बंगलों के लिये 9000 रु० देने पड़े। अगर ये न्यायाधीश अपने-अपने बंगलों में ही रहते तो 900 रु० ही व्यय होता। इन असंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। अतः न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों पर कृपया दोबारा विचार किया जाये, ताकि न्यायाधीशों को मजबूरन अपने मकान खाली न करने पड़े। यदि वे अपने ही मकानों में रहें तो मकान किराया-भत्ता के तौर पर 2000 या 2,500 रुपये दिये जा सकते हैं और कोई भी राज्य सरकार उक्त धनराशि के भुगतान से मना नहीं करेगी, क्योंकि सभी राज्यों की राजधानियों में जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं, किराये की दरें

3000 से 5000 रुपये तक अलग-अलग हैं। न्यायाधीश अपने मकानों में रहने में खुशी महसूस करेंगे क्योंकि अपने मकान से सबको लगाव होता है। यदि उन्हें 2000 रुपए मकान किराया भत्ता दिया जाए तो वे खुश होंगे। अतः इस असंगति को समाप्त किया जाना चाहिए तथा उनकी सेवा-शर्तों पर पुनर्विचार करके उन्हें सुसंगत, नियमित तथा तर्क संगत बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे कामगारों का बहुत शोषण किया जाता है। किसानों का बहुत अधिक शोषण होता है। इनके बाद सर्वाधिक शोषित लोग न्यायाधीश हैं। प्रतिष्ठा के कारण बहुत से अच्छे तथा सक्षम वकील न्यायाधीश बनने के लिए राजी हो जाते हैं। अधिकांश लोग लाभ पाने के लिए न्यायाधीश बनते हैं। लेकिन न्याय-पीठ में शामिल हो जाने के बाद उन्हें अपने निर्णय पर अफसोस होने लगता है क्योंकि अगर, वे कुछ साल और वकील बने रहते तो वे पहले की तरह खूब धन कमा लेते। और न्यायाधीश के पद पर तो उन्हें प्रतिमाह 4000 रु० के वेतन पर ही सन्तुष्ट होना पड़ता है।

मेरे माननीय मित्र श्री अय्यापु रेड्डी 'मकान किराए भत्ते में असंगति की ओर सदन का ध्यान पहले ही आकर्षित कर ही चुके हैं। उन्हें दिए जाने वाले भत्तों पर नजर डालिए। इस तथ्य की ओर सरकार इतने सालों तक आंख मूंदकर क्यों बैठी रही कि उन्हें कार के रख-रखाव के लिए प्रति माह केवल 300 रुपए ही दिए जाते हैं। क्या यह काफी है? यह बहुत कम है। यह तो हास्यास्पद हैं। अन्ततः उन लोगों की नींद खुली जिन्होंने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है अथवा जिन्होंने इस राशि को बढ़ाने की बात सोची है। क्या वे इतने उदार तथा समझदार नहीं हैं कि यह बात महसूस कर सकें कि 300 या 500 रुपए काफी नहीं हैं? 500 रुपए तो कुछ नहीं होते। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र विधि मन्त्री अपने अनुभवों से इस पर सोचें। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि नहीं होने से पूर्व वह अपनी कार के रख-रखाव पर कितना खर्च किया करते थे। मुझे विश्वास है कि विधि मन्त्री बनने से बहुत पहले भी अगर उन्हें न्यायाधीश बनने का अवसर दिया गया होता तो वह इससे सहमत नहीं होते। संभवतः उन्हें ऐसा अवसर दिया गया था पर उन्होंने स्वीर नहीं किया। एक वरिष्ठ मन्त्री श्री चटर्जी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे लेकिन कम, असंतोषजनक तथा अशोभनीय वेतन के कारण विशेष स्थान उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वहां से आ गये। इसलिए मुझे उन पर गुस्सा आया और मुझे लगा कि उन्होंने गलती की है। क्योंकि हम तो महात्मा गांधी के अनुयाई हैं और 4000 हजार रु० तो बड़ी रकम है लेकिन वास्तविकता और थी। इसलिए वे सही थे और मैं गलती पर था। इसीलिए मैं इस विधेयक में संशोधन के लिए नोटिस नहीं दे सका। अगर संभव हो तो मेरे माननीय मित्र को स्वयं इस विधेयक में अपना संशोधन लाना चाहिए। ऐसा सम्भव है। मन्त्रिमण्डल में उनका जो स्थान है उसके आधार पर वह ऐसी पहल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वह 500 रुपये की इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपए कर दें। यह एक तुच्छ राशि अपने न्यायाधीशों को हमें सम्मान देना चाहिए। एक महीने में 500 रु० देना और इस संसद में आकर यह कहना ठीक नहीं कि 300 की रकम को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। महोदय, यह सब क्या है? क्या हम यह करेंगे?

सदन की अनुमति से तो मैं अपने माननीय मन्त्री को सुझाव देना चाहता हूं कि उनके लिए इस विधेयक के खण्ड 2 और खण्ड 3 में इस रकम को बढ़ाकर 1000 रुपए करना संभव है। ऐसा करके वह न्यायाधीशों के दर्जे के प्रति न्याय करेंगे और इस सदन में हमारी न्याय भावना के साथ भी न्याय करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण यह भत्ता मोटरगाड़ी के लिए है अथवा बैलगाड़ी के लिए ?

श्री ए० के० सेन : यह मोटर गाड़ी के रख-रखाव के लिए है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, यह संशोधन सरकार के काम करने के तरीके समय-समय पर तदर्थ तथा छोटे-मोटे संशोधन करने के रवैये का परिचायक है। मूल अधिनियम में यह संशोधन काफी समय बाद लाया गया है। पिछली बार यह 1976 में लाया गया था। उसके बाद अब सरकार न्यायाधीशों को 200 रु० और देने का प्रस्ताव कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है।

अब मुद्दा यहहै कि न्यायाधीशों को कितनी परिलब्धियां दी जानी चाहिए क्या इस पर चर्चा नहीं की जा सकती ? वैसे आज, बाद में न्यायिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। मालूम नहीं कि इस चर्चा में परिलब्धियों का प्रश्न भी शामिल होगा या नहीं.....

प्रो० मधु दंडवते : मैं उस चर्चा में परिलब्धियों का प्रश्न भी उठाऊंगा ; मैं इसका सुझाव दे रहा हूं।

श्री अमल दत्त : ठीक है आज श्री दण्डवते नियम 193 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं। अत: हम इस पर चर्चा करेंगे तथा चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन प्रमुख बात यह है कि यह सरकार को सोचना चाहिए था कि न्यायाधीशों की परिलब्धियां—चाहे वह वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते अथवा मोटर गाड़ी भत्ते के रूप में हो—क्या होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें ये परिलब्धियां किस रूप में मिलती हैं। लेकिन लोकतन्त्रीय समाज के हित में यह नहीं है कि न्यायाधीश हमेशा सरकार तथा समाज के खिलाफ शिकायतें करते रहें। न्यायाधीश को आर्थिक अभावों से मुक्त होना चाहिए। उन्हें भी सरकार के विरुद्ध शिकायत नहीं करनी चाहिए (व्यवधान)। मेरे विचार से सदन के दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उनकी परिलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। अगर आजादी के वक्त संविधान के लागू होने के समय उन्हें मिलने वाली परिलब्धियों की तुलना यदि कोई करता है तो उस समय उन्हें लगभग 3500 रुपए वेतन मिलता था। यह 1950 की बात है। अगर इस पर विचार किया जाए कि उस पैसे की इस समय क्या कीमत है तो एक तरह से उन्हें वास्तव में उसकी आधी राशि भी नहीं मिल रही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि कीमतों के बढ़ने के साथ-साथ उनकी परिलब्धियों में कितु

सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। क्या उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जो कि जीवन निर्वाह व्यय, आदि के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : अगर यही सब मिलता रहा तो वास्तविक मूल्य तो अधिकाधिक घटता जाएगा।

श्री अमल दत्त : जहां तक मोटर गाड़ी भत्ते का सम्बन्ध है, निस्संदेह ठीक है। यह सवारी से तात्पर्य उनका मोटरगाड़ी से ही है। इसके लिए 500 रुपए भी कम हैं।

मेरा सुझाव है कि सेवा-शर्त यह हो सकती है कि न्यायाधीश मोटरगाड़ी-सेवा का पात्र होना अथवा सरकार द्वारा उन्हें उनके आवास से कार द्वारा अदालत तक ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है। आखिरकार यही उपाय ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। कीमतों में पेट्रोल ही नहीं बल्कि मोटरगाड़ी तथा अन्य चीजों की कीमतें भी शामिल हैं बेहतर होगा कि नकद भुगतान करने की बजाय उन्हें उसी तरह मोटरगाड़ी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए जैसे भारत सरकार में सचिव तथा अन्य उच्च सरकारी अधिकारी करते हैं। न्यायाधीश उनसे कम थोड़े हैं।

उच्च न्यायालय में अपनी वकालत के 20 वर्षों के अनुभव के दौरान मुझे उच्च न्यायालय का कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं मिला जो अपने वेतन तथा सेवा-शर्तों को लेकर असंतुष्ट न हो। इसका असर उनके द्वारा दिए निर्णयों पर भी पड़ता है। अत: सरकार को मोटरगाड़ी भत्ते में 200 रुपए की और वृद्धि करने पर ही विचार नहीं करना चाहिए बल्कि इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किस सीमा तक इस भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो सौ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव तो पिछली संसद में ही था और मेरे विचार से तब से अब तक कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन इस बात पर न तो विचार किया है और न ही सरकार विचार ही कर पाएगी।

अत: मेरा सुझाव है कि न्यायाधीशों के वेतन ढांचे पर विचार किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। जिससे मूल वेतन, जो भी हम तय करें जो कि 3,500 रु० या 4,000 रुपये भी हो सकता है, इसके अलावा उन्हें मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए जो कि कीमतों में वृद्धि की अंशत: पूर्ति कर सकेगा और या तो कार इस्तेमाल करने के लिए दी जाये या कार भत्ता दिया जाये। इन सभी समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए।

न्यायाधीशों से भी सुझाव लिए जाने चाहिए कि कितना वेतन उन्हें दिया जाये और तभी एक अच्छी न्याय पालिका हो सकेगी जो अपनी सेवा-शर्तों से खिन्न नहीं होंगे और इस बात को लेकर सरकारी कर्मचारियों से ईर्ष्या नहीं करेंगे कि उन्हें उनसे कहीं अधिक सुविधाएं मिल रही हैं।

वर्तमान विधि मन्त्री को वकालत का काफी अनुभव है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह तो वरिष्ठतम थे।

श्री अमल दत्त : वकालत का काफी अनुभव होने के कारण माननीय मन्त्री इस पर विचार कर सकते हैं, ताकि इन वर्षों में जो भी कानून बनाये गये हैं उन्हें समाप्त किया जाये और 1958 के जिस अधिनियम का हम संशोधन करने जा रहे हैं उसके स्थान पर इस संसद में साल भर में पूर्ण-तया एक नया अधिनियम बनायें। इससे न्यायपालिका संतुष्ट रहेगी और उच्च न्यायालय में न्यायायिक सेवा में बेहतर लोग आयेंगे और आगे यही लोग उच्चतम न्यायालय में भी आएंगे। कुल मिलाकर परिवर्तन लाने की जरूरत है और इस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है।

मैं इस विधेयक का इस शर्त पर समर्थन करता हूं कि आशा है माननीय मन्त्री इन बातों पर विचार करेंगे तथा एक नया विधेयक पेश करेंगे।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री पी० चिदम्बरम् (शिवगंगा) : सभापति महोदय, विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय मन्त्री ने कहा था कि यह अविवादास्पद विधेयक है। सचमुच यह अविवादास्पद है लेकिन जिस तरीके से न्यायाधीशों के साथ हम व्यवहार करते हैं उससे जरूर विवाद उत्पन्न हो सकता है।

मुझे बहुत से न्यायाधीशों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोई भी अपनी सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उनमें यह भावना घर कर गई है कि संसद सदस्य अपना वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिए स्वयं मतदान में भाग लेते हैं तथा कार्यपालिका भी अपने वेतन तथा भत्तों के संबंध में एक हद तक स्वयं निर्णय ले सकती है बशर्ते कि संसद उसके पक्ष में मतदान करे। लेकिन न्याय-पालिका की स्थिति "सिंडेला" जैसी है। और हमारे न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। उदाहरण के लिए इसी विधेयक को लें। 1974 में सवारी भत्ता 300 रुपए निर्धारित किया गया था। 1983 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में सिफारिश की गई कि 300 रुपए की इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाये और हम इस विधेयक को अब 1985 में जबकि वित्त मन्त्री पेट्रोल की कीमतें बढ़ा चुके हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अगर एक न्यायाधीश को सवारी भत्ते के रूप में 500 रुपए दिए जाएं तो वह करीब 70 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। पेट्रोल की कीमत 7.01 रुपए लीटर है इसलिए वह 70 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। 1974 में जो हुआ था उस पर विचार करने में अगर हमें 11 वर्ष लग जाते हैं और यदि विवादा-स्पद सिफारिश को भी मानने में $2\frac{1}{2}$ साल लग गये तो सवाल उठता है कि क्या हम न्यायाधीशों के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर रहे हैं ?

अब संविधान की दूसरी अनुसूची 1950 में लागू हुई थी। इससे पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियां 4000 रुपए थीं। इसी श्रेणी के लोग ऐसे हैं जिनका वेतन संविधान लागू होने के बाद कम हुआ है। अनुच्छेद 125 खण्ड 2 परन्तु तथा अनुच्छेद 221 खण्ड 2 परंतुक के अनुसार न्यायाधीशों के विशेष अधिकारों तथा भत्तों में ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए जिनसे उन्हें हानि हो। अनुच्छेद 125 खण्ड 1 तथा अनुच्छेद 122 खंड 1 के अन्तर्गत अनुसूची के अनुसार न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। अब मेरे विचार में आमतौर पर इस बात

से सहमति है कि संविधान के अन्तर्गत न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करने का उद्देश्य यही था कि उनकी नियुक्ति के बाद तथा कार्यकाल के दौरान उनका वेतन कम न किया जाये। लेकिन मुद्रा स्फीति ने उनका वेतन कम कर दिया है। कीमतों में वृद्धि के कारण उनका वेतन कम हो गया है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण उनका वेतन कम हो गया है। क्या कोई ऐसी स्थाई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसके माध्यम से उनके वेतनों का ध्यान रखा जा सके ? मैं संयुक्त राज्य अमरीका का उदाहरण दे सकता हूं। वहां एक आयोग है जिसकी बैठक हर चार वर्ष बाद होती है और उसका काम न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन पर पुनर्विचार करना है। इंग्लैंड में उच्चाधिकारियों के वेतनों के बारे में एक समिति है। इस समिति की बैठक समय-समय पर होती है और यह सरकार के उच्च सिविल कर्मचारियों तथा उच्चाधिकारियों और उच्च न्यायिक अधिकारिओं के वेतनों की पुनरीक्षा करती है। मेरे विचार से माननीय विधि मन्त्री को एक प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि न्यायाधीशों के वेतन पर पुनः विचार करने के लिए एक स्थाई सांविधिक निकाय होना चाहिए। ध्यान दीजिये, महोदय न्यायाधीशों का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। न्यायाधीशों की ओर से बोलने वाला कोई नहीं है। वे आगे आकर अपने बारे में नहीं बोल सकते।

अब हुआ क्या है ? संसद की प्रतिक्रिया देखिये। संसद ने कोई कार्यवाही नहीं की अतः एक वर्तमान न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। तथा वकालत करने वाला एक वकील भी इसमें शामिल हो गया। माननीय विधि मन्त्री को इस बारे में पूरी जानकारी होगी क्योंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय में मुकदमें में पैरवी करने के लिये नियुक्त किया गया था। यह मुकदमा इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री देवकी नन्दन ने उच्चतम न्यायालय में दायर किया था तथा इसमें एक और वकील शामिल हो गया था। सिविल अपील 1982 की 41 है। श्री अशोक सेन, वकील श्री के० के० वेणु गोपाल तथा याचिकादाता को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की डिवीजन बैंच ने 19 अप्रैल 1983 के आदेश द्वारा एक बड़ी पीठ को 4 प्रश्न भेजे। मैं चारों प्रश्न नहीं पढ़ूंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे पढ़ता हूं :—

> "क्या दूसरी अनुसूची के भाग (घ) उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों को देय राशि का उल्लेख है में उल्लिखित शब्द 'रुपयों' से आशय 1950 में खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के बराबर क्रय शक्ति से है अर्थात् क्या इस तरह निर्धारित वेतन का अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं के उस वास्तविक मूल्य से लिया जाना चाहिए, जो वे संविधान लागू होने के समय खरीद सकते थे अथवा क्या वे उनका नाममात्र मूल्य दिखाते हैं ? किसी निश्चित अवधि में संसद के इस प्रश्न का समाधान एक कानून पास करके करना चाहिए था। उसे इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि उच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर करे और उच्चतम न्यायालय मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे। हाल ही का एक और मामला लीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सेवा निवृत्त होने पर उनकी पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने, कार्यपालिका ने जो रवैया अपनाया

वह मेरे मुताबिक बहुत बड़ा ही अतर्कसंगत था । मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया। अंतत: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि "आपको न्यायाधीश द्वारा लिए गए अंतिम वेतन, जिसमें उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में की गई सेवाएं शामिल हैं, के आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित करनी होगी।"

सरकार ने इसे स्वीकार किया है। सरकार ऐसे रवैया कोक्यों अपनाना चाहती है ? यह उस तरह का रवैया है जिससे हमारी बदनामी होती है। यह रवैया उस तरह का है जो सन्देह पैदा कर रहा है कि क्या संसद और कार्यपालिका न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को तथा उच्च वर्ग को बनाये रखने में वास्तव में दिलचस्पी रखती है। महोदय, हमने अपने न्यायाधीशों से अपेक्षा करते हैं कि पूर्णरुपेण निष्ठावान और इमानदार रहें। एक प्रसिद्ध उक्ति है कि मांगो, उधार लो या चोरी करो। आज मैं समझता हूं कि न्यायाधीशों को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मांगना पड़ता है। मुझे आशा है कि उनके पास और कुछ करने को नहीं है। आज आप उन्हें 500 रुपए का सवारी भत्ता देते हैं। मैं आपसे सही मानो में पूछता हूं कि आज क्या कोई न्यायाधीश अपनी कार को बदल सकता है ? क्या कोई न्यायाधीश नया सूट ले सकता है ? क्या कोई न्यायाधीश अपने परिवार को रेस्तरां में ले जा सकता है ? क्या कोई न्यायाधीश अपने परिवार को अपने जन्मस्थान ले जा सकता है और प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है ? कहने को हम यह भी कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की कोई प्रतिष्ठा नहीं है और यह है कि यदि वे घिसे कपड़ो में और बस या रेलगाडी से प्रतिदिन न्यायालय आते हैं तो हमें कोई संकोच नहीं है। मैं बस या रेगगाड़ी में यात्रा करने के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। इंगलैण्ड में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब अपने न्यायालय से बाहर आता है तथा अपने घर वापस जाने के लिए रेलगाड़ी में सफर करने में शर्म नहीं करता है क्योंकि रेलगाडियां बहुत अच्छी हैं। 'ट्यूब' बहुत अच्छी होती है। हम अपने न्यायाधीशों से यह आशा नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा, गौरव और उच्च सम्मान बनाये रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके लिए व्यापक संशोधन लाया जाना चाहिए। यह खंडश: विधान बहुत अपर्याप्त है। चाहे यह संवैधानिक है तो यह अलग प्रश्न है। 100 रु० या 200 रु० की यह छोटी-सी मंजूरी बहुत कम है। इससे न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा उचित नहीं होती है। यह संसद की उच्च प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

मुझे एक वक्तव्य से सांत्वना मिलती है जिसे माननीय न्याय मंत्री ने अन्य अवसर पर दिया था। इन्हें तथ्यों की पूरी जानकारी है। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड में न्यायाधीश का वेतन लगभग 3600 से शुरू होता है और आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 45,000 प्राप्त करते हैं। 1950 में पश्चिम जर्मनी में वेतन 1500 डच मार्क था। इसे 1960 में संशोधित करके 2587 डच मार्क कर दिया गया था और 1970 में 4593 डच मार्क तथा 1980 में 8166 डच मार्क और आज यह 9213 डच मार्क है। माननीय विधिमंत्री इन आकड़ों को अच्छी तरह से जानते हैं।

आज का प्रश्न यह है कि इस मामले को हम किस प्रकार हल करें ? माननीय विधि मंत्री ने एक दिन हमें यह आश्वासन दिया था कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों की

एक बैठक इस महीने के अन्त में होने जा रही है और वह आशा करते हैं कि इस विषय पर चर्चा की जाएगी। हमें आशा है कि वे इसे करेंगें। लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार के लिए किसी अन्य समिति की नियुक्ति न करें। किसी भी मामले को दबाने का यह एक ढंग है कि समिति या आयोग को नियुक्त कर दो। यहां पर्याप्त रिपोर्टें हैं। पर्याप्त सिफारिशें हैं। मैं समझता हूं कि हमें काम करना चाहिए। मैं समझता हूं माननीय विधि मंत्री को 1954 और 1958 के अधिनियमों को बदलने के लिए व्यापक विधेयक के साथ आगे आना चाहिए। मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है कि पूरा सदन इस तरह के विधेयक का समर्थन करेगा और एक ऐसा कानून पास करेगा जिससे हमारे न्यायाधीशों को प्रतिष्ठा दी जाएगी जिसके लिये वे पात्र हैं।

अन्त में मुझे केवल एक बात कहनी है। मैं किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम सभी सहमत हैं। सरकार को न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, वेतन का निर्धारण आदि के बारे में एक निश्चित नीति की घोषणा करनी चाहिए। अन्य बातें भी हैं। हम न्याय का स्तर नीचे नहीं कर सकते। कई कारणों से हमारे न्याय को हल्का किया जा रहा है। हम जो उनको वेतन देते हैं, यह उसका एक कारण है। लेकिन अन्य कारणों से भी इसे हल्का किया जा रहा है। मैं इन कारणों को नहीं बताना चाहता हूं। जब वे व्यापक विधेयक के साथ आगे आएं तो आपको अन्य कारणों को ध्यान में रखना चाहिए जो न्याय के स्वरूप को हल्का कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करें कि सुयोग्य व्यक्ति नियुक्त हों। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिसकी वकालत सबसे अधिक चल रही हो उसको भर्ती किया जाये। वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन का मानदण्ड उस अधिवक्ता की आय नहीं हो सकती जिसकी वकालत सबसे अधिक चल रही हो। मैं यह भी नहीं समझता कि जिनकी वकालत ज्यादा चल रही है वही अधिवक्ता सुयोग्य न्यायाधीश बनेंगे। हमें जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि उसमें सहानुभूति, मानवता, सामान्य बुद्धि, विशाल हृदय हो और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के प्रति पूरी निष्ठा हो। यदि इस प्रकार के लोगों को नियुक्त किया जाता है। यदि इस तरह के लोगों को संतुष्ट किया जाता है। यदि इस तरह के लोगों को संतोषजनक ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने देना है तो मैं समझता हूं कि इन्हें केवल अच्छा वेतन ही नहीं बल्कि गैर-वित्तीय सेवाएं भी अच्छी मिलनी चाहिए। हमें सेवा की वित्तीय स्थिति पर अधिक दबाव नहीं देना है और सेवा की गैर-वित्तीय स्थिति को भूलना नहीं है। अतः मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि वह हमारे वरिष्ठ नेता श्री एन० जी० रंगा के सुझावों को ध्यान में रखें और अभी भी यदि हम विश्व और देश के समक्ष यह बात रखें कि हम इस बारे में जागरुक हैं तथा यदि इस 500 रुपए को 1000/- रुपए में बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इसका स्वागत होगा। लेकिन हमारे न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबन्धित उन्हें एक व्यापक विधेयक के साथ आगे आना चाहिए ताकि उनकी उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान जिसकी संविधान उनके लिए व्यवस्था करता है उन्हें वास्तविक रूप में प्रदान किया जा सके। धन्यवाद

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री ए० सी० वम्मुल (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करता हूं जिसे हमारे माननीय विधि मंत्री द्वारा लाया गया है जिसमें न्यायाधीशों के सवारी भत्ते को 300 रुपए से 500 रुपए तक बढ़ाया गया है। जैसा कि सत्ता दल के वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा द्वारा बताया गया है, मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री जी 500 रुपए की इस राशि को 1000 रुपए तक बढ़ाने के लिए दूसरा संशोधन जल्दी ही लाएंगे ताकि न्यायाधीश संतुष्ट वातावरण में कार्य कर सकें। तेलगू देशम से संबंधित सदस्य द्वारा जैसा बताया गया है कि न्यायाधीशों के लिए आवासी सुविधाओं की व्यवस्था करानी चाहिए और उनके वेतनों को भी बढ़ाना चाहिए। तमिलनाडु के माननीय सदस्य श्री चिदाम्बरम ने उत्साहवर्धक और भावपूर्ण तर्क दिया है कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तों पर हमारे विधि मंत्री जी द्वारा दुबारा से विचार किया जाना चाहिये और वह इस बारे में अधिक व्यापक विधेयक चाहते थे। सरकार का यह परम कर्तव्य है कि वह न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करे और अन्य सुविधाएं प्रदान करे ताकि प्रतिभावान अधिवक्ता भी जिनकी 50,000 रुपए से 100,000 रुपए की मासिक आय है जज बनने के लिए आकर्षित हो जाएं और लोगों को सही न्याय मिले। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री इस समस्या पर विचार करेंगे और इस मामले में अविलम्ब विधान सुनिश्चित करेंगे।

महोदय, सेवा निवृत्ति आयु के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बीच पक्षपातपूर्ण भिन्नता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है जबकि उच्च न्यायालय में उसका साथी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। इस तरह के अन्तर को समाप्त कर देना चाहिए। देश में सभी न्यायाधीशों की चाहे वह जिला न्यायाधीश हों या उच्च न्यायाधीश हों या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, सेवानिवृत्ति की आयु एक समान होनी चाहिए।

यहां यह बताना उचित है कि न्यायाधीशों को सभी प्रकारकी आवश्यक सुविधा देते समय उन्हें भी अनिर्णीत मामलों की संख्या को कम करने का प्रयास करना चाहिए। माननीय विधि मंत्री को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाये। 31-12-1984 को उच्चतम न्यायालय के पास 5,48,891 मुकदमें अनिर्णीत पड़े थे और 30-6-1984 को देश के उच्च न्यायालयों में 8 लाख मुकदमे अनिर्णीत पड़े थे। इस असाधरण विलम्ब द्वारा न्यायाधीश या वकील या सरकार को प्रभाव नहीं पड़ता है। वादी और प्रतिवादी को इससे प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु में इस तरह की अंतहीन मुकदमाबाजी में हजारों परिवार कई वर्षों से उलझे हुए हैं। 15 वर्ष तथा 20 वर्षों से मुकदमें अनिर्णीत पड़े हुए हैं। मुझे यहां यह उल्लेख करना है कि न्याय देने के लिए बार-बार विलम्ब का कारण न्याय नहीं देना है। साधारण लोगों के हित को देखते हुए सभी अनिर्णीत मुकदमों को निपटाने के लिए तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

जबकि कई दशकों से मुकदमे अनिर्णीत पड़े हुए हैं, मैं नहीं समझता कि हमें न्यायालयों के दो महीने का ग्रीष्मावकाश देने की ब्रिटिश कालीन परम्परा को चालू रखना चाहिए। महोदय, माननीय विधि मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक सभी अनिर्णीत मुकदमे न निपट

जाएं तब तक न्यायालयों के लिए केवल एक महीने का ग्रीष्मावकाश हो।

मैं यह भी चाहता हूं कि विभिन्न मुकदमों के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। दिवानी मुकदमों के लिए विशेष समय सीमा और फौजदारी मुकदमों के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उच्च न्यायालयों के सामने मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और इसी तरह उच्चतम न्यायालय के सामने भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मुकदमों को निपटाने में असाधारण विलम्ब से अपराधी को बचने में मदद मिलती है और प्रमाण को भी लोप किये जाने में मदद मिलती है। मैं माननीय विधि मंत्री से इस बारे में विधान प्रस्तावों को बनाने और इसे सदन द्वारा तुरंत अनुमोदित करने के लिए चाहता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री डा० एम० जी० आर० इस बात पर बार-बार जोर दे रहे हैं कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस व्यक्ति को होना चाहिए जो उस राज्य की भाषा जानता हो। छोटे न्यायालयों में स्थानीय भाषा में बहस की प्रणाली तथा स्थानीय भाषा में निर्णय देने की प्रणाली तमिलनाडु में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश स्थानीय लोगों के भावों को समझ सकें और निर्णय देते समय स्थानीय रिवाजों को समझने में सक्षम हो सकें। स्थानीय भाषा की जानकारी के बिना वह न्याय नहीं कर सकेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में मुख्य न्यायाधीश की बदली करके राष्ट्रीय एकता के तर्क को प्रस्तुत किया जाता है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय एकता की संकल्पना को मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह व्यापक अर्थ का संकेत करता है और सभी प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैं माननीय विधि मंत्री से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं और वह यह सुनिश्चित करें कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वही होगा जो राज्य की स्थानीय भाषा को पूरी तरह जानता हो तथा समझता हो और राज्य की स्थानीय भाषा में अपने सामने दिए गए तर्कों की परख कर सके।

न्यायाधीश भगवती ने उत्पीड़ित तथा दलित वर्गों की भलाई के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तमिलनाडु की प्रशंसा की है। निःशुल्क कानूनी सहायता के मामले में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। क्या देश के सभी राज्यों में दलित वर्गों के लाभ के लिए इसे शुरू नहीं करना चाहिए?

बकाया मामलों के बारे में बात करते समय, मैं बता दूं कि पिछले 4 वर्षों से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 7 पद रिक्त हैं। अब मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो गया है। इस समय 25 न्यायाधीशों के स्थान पर केवल 17 न्यायाधीश हैं। मुकदमों के पूरा होने के विलंब के बारे में और न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों की कठिनाई का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अन्य उच्च न्यायालयों में भी न्यायाधीशों के बहुत से पद खाली हैं। इस तरह के सभी पदों को अविलंब भरना चाहिए।

तमिलनाडु के लोग कई वर्षों से मदुरै और कोयम्बटूर में मद्रास उच्च न्यायालय की एक-एक बेंच को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जसवंत सिंह समिति की रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई है।

सभापति महोदय : आप विधेयक पर चर्चा के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं।

श्री ए० सी० षण्मुख : मद्रास उच्च न्यायालय की एक बैंच मदुरै और एक बैंच कोयम्बटूर में भी स्थापित करनी चाहिए। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की एक बैंच नागपुर में है। यदि यह व्यावहारिक है तो मद्रास उच्च न्यायालय के लिए यह व्यावहारिक क्यों नहीं है कि इसकी एक बैंच मदुरै और एक बैंच कोयम्बटूर में हो। चारों दक्षिणी राज्यों के लिए मद्रास में उच्चतम न्यायालय की एक बैंच होनी चाहिए। महोदय, केन्द्र और राज्य सरकारों को विकास गतिविधियों के लिए परियोजनाएं बनानी हैं। उनको लागू करने में बाधा डाली जाती है क्योंकि न्यायालय अंधाधुंध स्थगन आदेश जारी करते हैं। स्वभाविक रूप से इस प्रकार की समाज कल्याण योजनाओं को लागू करने में अड़चन आती है। मैं माननीय विधि मंत्री से इस समस्या पर विचार करने और कुछ कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि देश की प्रगति में बाधा डालने वाले स्थगन आदेश उबाऊ तथा प्रतिदिन की बात न हो जायें। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आसनसोल) : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों को सवारी भत्ते के रूप में 500 रु० देने के बजाय यह अच्छा होगा कि उन्हें सरकारी कार दी जाए और साथ में हर महीने के लिए सौ लीटर पेट्रोल भी दिया जाए। जब हम अच्छे कुशल वकीलों को न्यायाधीश के पद पर आकर्षित करना चाहते हैं तो उनकी सेवा शर्तों में इस प्रकार का सुधार किया जाना चाहिए जिससे उन्हें न्यायाधीश के रूप में सेवा करने की मानसिक संतुष्टि मिले और वे लोग ठीक जीवन बिता सकें। हमने यह देखा है कि कई वकीलों के समक्ष जब उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है तो वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। विधि मंत्री जी कृपया इस पहलू पर विचार करें। मेरे विचार से उन्हें वेतन के अलावा हर महीने 2000 रुपए का भत्ता दिया जाना चाहिए जो आय कर मुक्त होगा। जब इस विषय पर व्यापक विधेयक पेश किया जाए तो इस पर कृपया विचार करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अपने कई माननीय दोस्तों से इस बात पर सहमत हूं कि पैसा देने के बजाय आप उन्हें प्रतिमास कुछ लीटर पेट्रोल दे सकते हैं। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक विशेष स्थान पर एक न्यायाधीश को कितना लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है। हालांकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होगा। बम्बई जैसे स्थान में यह पर्याप्त हो सकता है लेकिन हो सकता है कि यह अन्य स्थानों पर अपर्याप्त हो। सबसे पहले, हमें यह पता लगाना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी और यह ज्यादा अच्छा है जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह हमने उन्हें पेट्रोल के रूप में सहायता में इसलिये प्रति महीने इतना पेट्रोल देने की बात कही है।

मैंने वास्तव में यह आशा की थी कि एक व्यापक विधेयक सदन के सामने लाया जाएगा

और यह न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बारे में कई पहलुओं पर विचार करेगा। हालांकि पिछले दिनों विधि मंत्री जी ने हमें बताया था कि वह विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री तथा केरल राज्य के विधि मंत्री के साथ एक बैठक कर रहे हैं और न्यायाधीशों की सेवा शर्तों आदि के बारे में एक व्यापक विधेयक सदन के सामने लाया जाएगा।

सेवा शर्तें या उन्हें पैसा अधिक देने के बारे में श्री चिदाम्बरम के साथ मैं सहमत हूं कि न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अधिक ध्यान अच्छे सुयोग्य न्यायाधीशों के नियुक्ति करने पर देना चाहिए न कि उनके वेतन और भत्तों पर जो हम उनको देते हैं।

एक अन्य बात भी है जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा नहीं किया गया है। कई मामलों में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जांच आयोग की नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, जब कभी न्यायिक जांच होती है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उस कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश के लिए उसकी कार्य की शर्तें नियत की जाती है और उसे निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उसे उचित आवास या कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं ; कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। कई मामलों में कई राज्यों में ऐसा होता है। हममें से कईयों को इसका अनुभव है। इस समय एक न्यायाधीश द्वारा भोपाल गैस काण्ड की न्यायिक जांच की जा रही है। परन्तु उसकी पहली अवधि बीत जाने पर भी आवास नहीं दिया गया था। उसका समय बढ़ा दिया गया है। यह उनकी गलती नहीं है। मैं विधिमंत्री जी से इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं। उन्हें तब तक नियुक्त न करें जब तक कि उन्हें अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय का कमरा, कर्मचारी आदि उपलब्ध न करा दिये जायें। जांच आयोग आदि के लिए नियुक्त न्यायाधीश को तुरन्त केन्द्र सरकार या संबन्धित राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्यथा क्या हो रहा है ? लाखों मामले उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हुए हैं और वहां न्यायाधीश नहीं हैं। कई पद खाली पड़े हैं। इसका कारण यह है कि इस तरह के पेशे के लिए आप मौजूदा न्यायाधीशों में से चयन कर रहे हैं और नए न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं।

इसके बाद, न्यायाधीश को उनकी सेवा शर्तों के सुधारने के अलावा उनके लिए कई सुविधाओं की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रुपये वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 4000 रुपये वेतन मिलते हैं ; तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 3500 रुपये वेतन मिलता है। कुछ दिन पूर्व हमें बताया गया था कि उन्हें महंगाई भत्ता सरकार के सचिव को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर मिलता है। मैं उसका स्वागत करता हूं परन्तु वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीश राजनीतिक नहीं होता है बल्कि वह इन सबसे ऊपर होता है। उसकी प्रतिष्ठा कायम रखनी चाहिए। वह हमारी तरह घूम नहीं

सकता। वह हमारी तरह बात नहीं कर सकता। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा के बनाए रखने के लिए आपको उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि न्यायाधीश बिना किसी दबाव या सिफारिश के यथार्थवादी और निष्पक्ष ढंग से कार्य कर सकें। हर तरीके से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बनाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस उपाय का दिल से समर्थन करता हूं।

कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि संसद इस छोटे से उपाय पर विचार क्यों कर रहा है जो केवल 200 रुपये भत्ता बढ़ायेगा। लेकिन यह शुरूआत है। हम आशा करते हैं कि विधि मंत्री जी न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को सुधारने के लिए अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक संसद में लाएंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु इस विधेयक में सवारी भत्ते के लिए केवल 200 रुपये की वृद्धि बताई गई है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री कुरियन, इस विधेयक में पेट्रोल का खर्च देने की बात भी नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सही है। यह केवल अल्पराशि है। मैं आपका ध्यान हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि न्याय का दर्जा घट रहा है क्योंकि उन्हें विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं हालांकि वे योग्य न्यायाधीश हैं परन्तु उनके पास अपेक्षित क्षेत्र की विशेषज्ञता नहीं है इसका कारण यह है कि वकीलों को न्यायाधीश बनने की अपेक्षा अधिक पैसा मिलता है। इसलिए न्यायाधीश के पद के लिए अच्छे अनुभवी अधिवक्ताओं को तैयार नहीं किया जाता है। यह हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का वक्तव्य है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि हम केवल उनके सवारी भत्ते या मंहगाई भत्ते में वृद्धि करें। न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालयों के हों या उच्चतम न्यायालय के उन्हें प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन बिताने के लिए पर्याप्त साधन सुलभ कराए जाने चाहिएं और उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के निर्णय भी देने चाहिए।

महोदय, न्यायपालिका सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से परे होनी चाहिये और यह सर्वोपरि होनी चाहिए। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे, यदि आप उन लोगों की बातें सुनेंगे, जो न्याय पाने के लिये न्यायालय जाते हैं, तो ऐसी अनेक कहानियां सुनेंगे जिससे पता चलेगा कि न्यायपालिका भी सन्देह से परे नहीं है। इसका कारण साधारण सा है। निम्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और यहां तक उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को इतना कम वेतन मिलता है कि उनका गुजारा होना मुश्किल है। हो सकता है कि उनकी आय अपेक्षाकृत अधिक हो किन्तु उनका व्यवसाय विशेष प्रकार का है, अतः वे लोग सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कितने सारे मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हजारों मामले अनिर्णीत पड़े हैं। कहावत

है—"न्याय मिलने में देरी न्याय नहीं मिल पाने के बराबर है। यदि आज किसी सरकारी कार्यक्रम की अथवा किसी विकास कार्यक्रम में अड़चन डालना चाहते हैं तो न्यायालय जाइये, रिट लगाइये और रोकादेश ले आइये। यदि आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो न्यायालय जाइये और स्थगन प्राप्त कर लीजिये। यहां तक कि कुरान के विरुद्ध भी आप रोकादेश प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह बात पता है। आपने स्वयं इसे रद्द किये जाने के प्रति रुचि ली थी।

किन्तु महोदय, इस देश में क्या हो रहा है ? हजारों मामले निपटाने के लिये अनिर्णीत पड़े हैं। उत्पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि अनिर्णीत मामलों की संख्या का पता लगाया जाये और यदि न्यायाधीशों की कमी है तो न्यायाधीश नियुक्त किये जायें जिससे कि इन मामलों का निपटारा समय पर हो जाये। यदि कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण लेता है तो कम से कम तीन या 6 महीने के भीतर उस विशेष न्यायालय से तो उसे अंतिम परिणाम मिल जाये। मामला निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक जाता है और इस प्रक्रिया में 25 वर्ष अर्थात् जीवन में कार्य करने का पूरा समय बीत जाता है, तब मामले का निर्णय हो पाता है और उस समय तक उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह सब क्या है ? हमारी घोषणा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। किन्तु व्यवहार में क्या हो रहा है ? मैं कहता हूं कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि न्यायालय में स्वीकृत किये जाने के बाद मामला एक निश्चित अवधि में निपटा दिया जाये। न्यायधीशों को हर प्रकार की सुविधायें दी जायें।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। क्या गरीब आदमी की पहुंच निम्न न्यायालय तक भी हो सकती है ? गरीब व्यक्ति न्यायालय तक भी नहीं जा सकते। वकील को फीस देनी होती है, और भी अनेक प्रकार के खर्चे हैं। यदि वह निम्न न्यायालय तक पहुंच भी जाता है और यदि निर्णय उसके हित में न हुआ हो तो उसे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ सकता है। इसमें बहुत खर्चा आता है। इसकी केवल कल्पना भर कीजिये। मान लीजिये आंध्र प्रदेश या कर्नाटक अथवा तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई मामला डालना है। क्या यह किसी साधारण व्यक्ति के लिये संभव है—चाहे वह कर्मचारी हो अथवा अन्य कोई सामान्य व्यक्ति—उस व्यक्ति के लिये दिल्ली तक आना, वकील नियुक्त करना असंभव है क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही खर्चीली है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की बैंचों के कार्य-करण पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाये। मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की और अधिक बैंच होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उच्च न्यायालय की एक बैंच लखनऊ में भी होनी चाहिये। इलाहाबाद पहुंचने के लिये किसी को भी 500 कि० मी० की यात्रा करनी पड़ सकती है। केरल

में भी यही समस्या है। सरकार उच्च न्यायालय की और अधिक बैंच स्थापित करने पर विचार करे।

उच्चतम न्यायालय की क्या स्थिति है। उच्चतम न्यायालय तक आने के लिये लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। संसद सदस्य आ सकते हैं किन्तु क्या साधारण व्यक्ति आ सकते हैं? इसलिये, सरकार उच्चतम न्यायालय की एक बैंच बंगलौर, या हैदराबाद, या मद्रास या कोचीन अथवा त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के बारे में विचार करे। स्थान के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वस्तुतः यदि त्रिवेन्द्रम में स्थापित की जाये, जो मुझे प्रसन्नता होगी।

कल ही मैंने राज्य सभा में मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य पढ़ा है जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की बैंच खोलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट आश्वासन दें। मैं दक्षिण के सभी लोगों की ओर से बात कर रहा हूं। हम लोग भी बैंच चाहते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय की एक बैंच दक्षिण में स्थापित की जाये। मुझे आशा है कि मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने तथा दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक बैंच खोलने के बारे में एक और विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

सभापति महोदय: अब श्री विजय कुमार यादव।

प्रो० पी० जे० कुरियन: मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि सारी सभा इस मांग का समर्थन कर रही है।

सभापति महोदय: दूसरी बार भाषण देने का अधिकार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते: टायफाइड की तरह भाषण का दौर भी दुबारा चल सकता है।

सभापति महोदय: श्री विजय कुमार यादव।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): सभापति महोदय, यह बात सही है कि इस बिल का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। यह बहुत खुशी की बात है कि आज ही इसकी व्यापकता पर विचार करने के लिये अलग से एक डिस्कशन है।

इस बिल के विरोध का तो सवाल पैदा नहीं होता। जुडिशियरी सर्विसेज में लगे लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। हम लोगों से जब कभी उनकी बात होती है तो वह कहते हैं कि आखिर,

हम इस आवाज को उठायें तो कैसे उठायें ? हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, एंजीटेशन नहीं कर सकते हैं और हमारी बात भी नहीं सुनी जाती है ।

3.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी एक सुझाव आया है कि इस सिलसिले में एक कन्प्रीहैंसिव बिल लाया जाये । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस सुझाव को मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये । इस विषय में उनके जवाब में इस तरह का एंश्योरेंश होना चाहिये कि इस सिलसिले में जो सवाल अभी उठे हैं, आमतौर पर सभी इस मामले में एकमत हैं कि एक कंप्रीहैंसिव बिल लाया जाये, तो इस पर उनके क्या विचार हैं ?

सवाल केवल कन्वेयेन्स एलाउन्स का नहीं है, उनकी जो फैसिलिटीज अभी उपलब्ध हैं, उसका असर न्यायपालिका के कामों पर पड़ रहा है ।

4.00 म० प०

हम जिस तरह का इंसाफ चाहते हैं या जिस तरह के इंसाफ का हमारी कांस्टीच्यूशन ने प्रावधान किया है और आम जनता जो महसूस करती है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसका पूरे हिन्दुस्तान में अभाव है । इस परिस्थिति से जो हम गुजर रहे हैं, उसमें अगर हम यह उम्मीद करें कि मुकदमों का डिस्पोजल होगा और सही तरह से अपने दिमाग को उस मामले में एप्लाई कर सकेंगे और सही न्याय दे सकेंगे तो यह कभी संभव नहीं है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शाम के चार बज चुके हैं । इसलिये अब हम लोग नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरंभ करेंगे । आप यहीं बस करें और आप वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं ।

इस चर्चा का आरम्भ प्रो० दण्डवते करेंगे । दो घंटे का समय आवंटित किया जाता है ।

4.01 म० प०

देश में न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) :—उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश में न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । आपको यह बात अच्छी तरह से पता है कि उच्च-

तम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और विभिन्न न्यायालयों में उनके स्थानान्तरण के बारे में तथा सरकार द्वारा स्वस्थ मानदण्ड स्थापित करने के बारे में कुछ टिप्पणियां की गयी थीं। जिससे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर तथा सुनिश्चित मानदण्डों के आधार पर की जा सके। समाचार पत्रों में इन टिप्पणियों के प्रकाशित हो जाने के बाद, देश में न्यायिक सुधारों की वकालत करने के लिये मुझे यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा है। मुझे आशा है कि इस चर्चा से सरकार को अपनी शिथिलता त्यागने को विवश होना पड़ेगा, तथा सरकार अवसर का सदुपयोग करके देश की न्यायिक प्रणाली को सुधारने के लिये व्यापक न्यायिक सुधार करने की चेष्टा करेगी।

देश में न्यायिक सुधार करने के लिए आधार मौजूद कोई कमी है। हमारे माननीय प्रो० रंगा यहां उपस्थित नहीं हैं। वह संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान के प्रारूप का निर्माण करते समय न्यायिक सुधार से संबंधित अनेक समस्याओं के बारे में की गई चर्चा संविधान सभा के वाद-विवाद में उपलब्ध है। उस समय संविधान सभा में कुछ सुविख्यात न्यायविदों तथा अन्य सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये थे जो तत्कालीन स्थिति के अनुरूप नहीं पाये गये थे किन्तु संविधान सभा में 1948, 1949 और 1950 में जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया था, उनमें से कुछ संशोधन आज की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। इसलिये संविधान सभा का वाद-विवाद जानकारी के एक स्रोत के रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विधि आयोग के प्रतिवेदन और उनकी सिफारिशें उपलब्ध हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध न्यायविद श्री एच. एम. सी. रवाई की सुप्रसिद्ध पुस्तक "कान्स्टीब्यूशनल ला आफ इंडिया" उपलब्ध है जिसमें सारांश रूप में उन्होंने देश में न्यायिक सुधार की आवश्यकता की बात कही है और इसके अतिरिक्त बार कौंसिल आफ इंडिया और देश की विभिन्न बार कौंसिलों और बार ऐसोसियेशनों द्वारा आयोजित विभिन सेमीनारों की अनेक सिफारिशें उपलब्ध हैं। न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य स्वयं न्यायपालिका का सुधार करना ही है।

तथा कथित प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की असत्य धारणा के बारे में मैं सभा को सचेत करना चाहता हूं। किसी को दोषी ठहराये बिना मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा का अर्थ केवल न्यायपालिका की दासता से है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वस्तुतः इसके बारे में कुछ लोग शंका कर सकते हैं। किन्तु मुझे जरा भी संदेह नहीं है।

भारत की न्यायपालिका के पुरातन इतिहास को तथा न्यायपालिका संस्थानों तथा न्यायाधीशों के प्रति भारत सरकार के रवैये तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका को दिया गया यह नाम देश की न्यायपालिका की दासता का एक सम्माननीय नाम है और मैं इस धारणा को पूर्णतः अस्वीकार करता हूं। ऐसी न्यायपालिका तत्कालीन शासन का समर्थन करने को सदा तत्पर रहेगी चाहे वह जनता की सरकार हो, या कांग्रेस की सरकार हो अथवा कम्युनिस्टों की सरकार हो। जिस समय 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की

बात की जाती है तो यह नितांत सम्भव है कि ऐसी न्यायपालिका तत्कालीन शासन का समर्थन करे और किसी भी न्यायिक प्रणाली के लिये यह एक अवांछनीय घटना होगी। मैं किसी मामले को सत्र न्यायालय को सौंपे जाने की बात को तो मान सकता हूं किन्तु न्यायपालिका के प्रतिबद्ध होने की बात मेरी समझ के परे है। इसलिये, यदि हम वास्तव में न्यायपालिका में मूलभूत सुधार करना चाहते हैं तो हमें इन धारणाओं को पूर्णतः त्याग देना होगा।

मुख्य विषय-वस्तु का संबंध न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया से संबंधित होगा। संवैधानिक उपबंध समय के अनुसार खरे नहीं उतरे हैं, उनका कुछ का कुछ अर्थ लगाया गया है और आप देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके स्थानान्तरण के संबंध में संवैधानिक उपबंधों को ध्यान से अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में कहा गया है कि—

> "उच्चतम न्यायालय के, तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनसे कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले।
>
> परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वदा परामर्श किया जायगा।"

"सर्वदा परामर्श किया जाएगा।" इस विशेष अनुच्छेद 124 (2) का वाक्य विन्यास ही कुछ इस प्रकार का है कि इसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं और इतने समय के अन्तराल में संविधान के विभिन्न आलोचकों, विभिन्न न्यायविदों, विभिन्न विधिवेत्ताओं ने इस विशेष अनुच्छेद के विभिन्न अर्थ प्रतिपादित किये हैं। पहला प्रश्न यह उठता है कि—

"क्या परामर्श किये जाने का उपबंध आदेशात्मक है।" संविधान के इस अनुच्छेद की भावना पर दृष्टिपात करते हुए कुछ न्यायविदों का यह कथन है कि इस विशेष अनुच्छेद का पूर्ण उपबंध ही आदेशात्मक है। परामर्श आदेशात्मक है। किन्तु, महोदय, पुनः इस विशेष अनुच्छेद 124 (2) को लिखित रूप देने में अन्य स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा वाक्यों का गठन किया गया है उसका कुछ अन्य प्रकार से उपयोग किया गया है। जहां तक प्रथम भाग का संबंध है, इसमें कहा गया है कि "... इस प्रयोजन के लिये यदि राष्ट्रपति परामर्श करना आवश्यक समझे।" इसलिये इसका यह भी अर्थ लिया गया है कि ऐसा करना संवैधानिक आवश्यकता नहीं है, यह आदेशात्मक नहीं है। और वास्तव में, द्वितीय भाग में जो प्रावधान किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

> "परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्ययाधीश से सदैव परामर्श किया जायगा।"

इसके अनुसार परामर्श करना वास्तव में आदेशात्मक और आवश्यक है। किन्तु केवल परामर्श करना ही है।

दूसरा संदेह यह उत्पन्न होता है कि क्या इन उपबंधों में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अन्तर है ?

एक धारणा यह है कि "किसी न्यायाधीश" में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और इसलिये, दोनों उपबंधों में एक ही बात कही गई जिसे कुछ अन्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या परामर्श करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है ? अनुच्छेद के पूर्व भाग में "परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे" शब्दों का प्रयोग किया गया है। और चूंकि शब्द विन्यास इस प्रकार का है, कोई भी यह कह सकता है कि ऐसा करना नितांत आवश्यक नहीं है। इसलिये, मेरा सुझाव है कि न केवल संक्षिप्तता के लिये अपितु स्पष्टता के लिये यह उचित होगा कि 'परामर्श' शब्द के स्थान पर 'सहमति' शब्द रखा जाय। केवल परामर्श शब्द पर्याप्त नहीं है।

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : इससे सारा अर्थ ही भिन्न हो जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : यही तो मेरा तात्पर्य है। वास्तव में मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं। कुछ सदस्य इससे व्यर्थ ही परेशान हुए होंगे किन्तु यदि संविधान सभा की कार्यवाही का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि इस विशेष मुद्दे पर बहुत लम्बा-चौड़ा वाद-विवाद हुआ है और उसमें दो बहुत ही दृढ़ मुद्दे विचारणीय हैं। जैसा कि यहां बताया गया है, उसके बाद संविधान बनाया गया था। इसलिये, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं कि आप 'सहमति' शब्द को पसंद नहीं करेंगे, अतः आप कोई और शब्द रख सकते हैं किन्तु इस विशेष अनुच्छेद 124 (2) के गठन को सुदृढ़ करने की चेष्टा करें जिससे कि यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाये कि परामर्श करना आदेशात्मक और आवश्यक है तथा परामर्श करना केवल राष्ट्रपति की इच्छा या संतुष्टि पर आधारित नहीं है। इसलिये ये सब बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये। मेरे विचार से इस विशेष खण्ड का गठन बड़ा ही ढीला-ढाला है। किन्तु गठन में उस ढीलेपन की बात मैं समझता हूं, क्योंकि इसका गठन उस समय किया गया था जब कुछ मानदण्डों और परम्पराओं तथा रीतियों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था। उस समय यह बात समझ में आती थी और डा० अम्बेडकर भी यही महसूस करते थे कि हम कहते थे कि परामर्श करना है तो उस परामर्श करने की बात को सम्मान पूर्वक लिया जायेगा। उस परामर्श के बाद कोई अधिलंघन नहीं होगा। इसी कार्यवाही की आशा की गई थी। किन्तु वास्तविकता क्या थी ?

अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अर्थात् अधिलंघन और स्थानांतरण के मामले पर आता हूं। यह एक परम्परा रही है कि वरिष्ठता और उपयुक्तता को सदा सम्मान दिया जाता रहा है। बहुत समय तक इस बात को सम्मान दिया जाता रहा है। किन्तु 25 अप्रैल, 1973 को न्यायमूर्ति श्री के० एस० हेगड़े, न्यायमूर्ति ए० एन० ग्रोवर और न्यायमूर्ति जे० एम० शेलट की वरीयता का

अधिक्रमण करके उच्चतम न्याय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए० एन० राय को बनाया गया था क्योंकि उनके पहले दिये गये निर्णय सरकार के·····**·····थे सरकार के कुछ नेताओं ने इस भेद को नहीं छुपाया। मुझे पांचवीं लोक सभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त था और कुछ लोग, जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को गुप्त नहीं रखा और यह बात स्पष्ट कर दी कि इस आधार पर·····**·····उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश होने का दावा नहीं किया था।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आपातकाल के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के सोलह न्यायाधीशों को दूरस्थ स्थानों के न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि ·····**·····क्योंकि उन्होंने उस समय की सरकार के·····**·····आदेश, या निर्णय अथवा अंतरित आदेश या निर्णय दिये थे।

यह मेरे सामने हुआ था तथा मेरे ऊपर भी यह प्रयोग किया गया था क्योंकि मैं भी उनमें से एक था जिन्होंने बंगलौर उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जब मैं आपातकालके दौरान बंगलौर केन्द्रीय जेल में राजनैतिक बंदी था। जब हम वहां पर प्रस्तुत हुए, मैं एक बहुत ही दिलचस्प घटना उद्धृत करना चाहता हूं कि प्रत्येक बार हमारे वकील न्यायमूर्ति छागला अथवा न्यायमूर्ति वे नूगोपाल जैसे अथवा अन्य वकील कुछ दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते और कुछ कमियां बतायी अथवा कोई मुद्दा जिसका पालन न किया गया हो बताने का प्रयास करते लेकिन कुछ ही दिन में इस संसद में संविधान संशोधन हो गया था। अतः कभी-कभी इसके लिए मुझे आत्मग्लानि होती है कि न सिर्फ यह सरकार आलोक-तांत्रिक संशोधनों के लिए जिम्मेदार है बल्कि हमारे जैसे लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन अलोकतांत्रिक संशोधनों के सहायक है क्योंकि जब हम कानून की अदालत में जाते हैं तो हमारे बचाव वकील वकालत करते हैं और जैसे ही उसने कमी बतायी तो उस कमी को इस सदन द्वारा संविधान संशोधन करके दूर कर दिया गया था। यद्यपि, हम यहां सदन में बोलने के लिए मौजूद नहीं थे क्योंकि हम उस समय बंगलौर केन्द्रीय जेल में थे।

अब, सोलह विशेष जजों को उनके ऐतिहासिक···**···आदेशों तथा फैसलों के लिए हटा दिया गया था। उन्हें भौगोलिक दृष्टि से असुविधाजनक स्थानों पर भेजा गया था। यह है जो आपात्काल में हुआ था। और आपातकाल समाप्ति के तुरन्त बाद ही उन सोलह जजों को अपनी-अपनी कोटों में वापस आने की स्वतंत्रता दी गई थी। उनमें से दो स्वयं उन्हीं स्थानों पर बस गए जहां उन्हें भेजा गया था तथा चौदह अपनी-अपनी मूल अदालतों में वापस आ गये। परन्तु ऐसा हुआ और हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं एक तीसरी गलती की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हो चुकी है क्योंकि जब हम न्यायिक सुधार करना चाहते हैं तो हमें उन सब गलतियों को अपने सामने रखना होगा जो गत वर्षों में हो चुकी हैं। श्री आर० दयाल जो दिल्ली के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैं और जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को छोड़ने के आदेश दिये थे उनको बाद में सिक्किम उच्च न्यायालय में दिल्ली न्यायिक सेवा के तीस वरिष्ठ जजों को छोड़कर उनकी नियुक्ति कर दी गई है। ऐसा इस लिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने आपको यह करने के लिए·····**·····

अब, मैं चौथी घटना पेश करूंगा। न्यायमूर्ति शुक्ल को इलाहाबाद का अस्थाई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 16 नियुक्तियों को स्थायी कर दिया जिसके विरुद्ध उनके पूर्ववर्ती मुख्यन्यायधीश थे और जिनका कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थान्तरण कर दिया गया था। जब न्यायमूर्ति शुक्ल ने उन नियुक्तियों को अन्तिम रूप दे दिया, जो रुकी पड़ी थीं, उन्हें तब स्थायी कर दिया गया था।

इसके बाद मैं पांचवीं गलती का उल्लेख करूंगा। इससे पहले कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, श्री जी० पी० सिंह के सेवानिवृत होने तक दस नियुक्तियों की जो रोक ली गई थीं पुष्टि कर दी गई तथा न्यायमूर्ति सी० के० ओझा मुख्यन्यायाधीश बन गए। अब उन्हें इनाम के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा रहा है! और जनवरी 1977 में, न्यायमूर्ति बेग को नियुक्त किया गया था—मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जनवरी 1977 में न्यायमूर्ति बेग को भारत का मुख्यन्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : आप उन का नाम ले रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधुदंडवते : महोदय, इसमें कुछ भी नहीं है।

श्री एडआर्डो फलीरो : (मारमागाओ) : बहुत से तथ्य हैं, परन्तु उनका उल्लेख यहां नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप उसको सुनेंगे जो हुआ? (व्यवधान) महोदय, कोई आक्षेप नहीं (व्यवधान) क्या आप सुनेंगे जो मैंने कहा?

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कल सुबह यह समाचार पत्रों में छप जाएगा। तब जजों की क्या स्थिति होगी ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत करने के बजाय, आप इस व्यवस्था के प्रश्न को निपटायेंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : स्थिति बहुत ही साधारण है। मैं इस विषय को उठाना नहीं चाहता था परन्तु मुझे अब विवश होकर इसे उठाना पड़ा है, जबकि प्रो० दंडवते ने खासतौर पर कुछ जजों का विशेष उल्लेख किया था। अब वह नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कहता है कि न्यायपालिका तथा न्यायिक अधिकारियों के आचरण तथा स्वरूप की इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। परिणाम की तरफ गौर कीजिए। प्रो० दंडवते के पास कोई प्रमाण नहीं हैं, न ही उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है। वह कुछ आरोप लगा रहे हैं। कल जब ये आरोप समाचार-पत्रों में छपेंगे तो उन न्यायिक अधिकारियों की क्या स्थिति होगी ? इस प्रकार के आरोप लगाने के लिए यह मंच नहीं है ! कोई भी एतराज नहीं करता.....

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको विनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, महोदय ! मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब आपको विनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अगर आप सामान्य बातों की सहायता से कांग्रेस दल पर आघात करते हैं.....

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, नहीं ! वह इसके भी काबिल नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : परन्तु अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायधीश यहां उपस्थित नहीं हैं ! न्यायधीशों के विरुद्ध आरदोप मत लगाइये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक पूर्व दृष्टांत दूंगा सौभाग्य से मैं ही वह व्यक्ति था जिसने इसी बैंच से पांचवीं लोक सभा में जजों के अधिलंघन पर चर्चा शुरू की थी मैंने श्री ए० एन० रे का हवाला दिया था, मैंने श्री हेगड़े का हवाला दिया था, मैंने श्री मेलात का हवाला दिया, मैंने श्री ग्रोवर का हवाला दिया था, और आप अपनी जानकारी के लिए पांचवीं लोकसभा का रिकार्ड मंगाकर देख सकते हैं कि वह प्रस्ताव था 'न्यायाधीशों के अधिलंघन' और इस सब की चर्चा तब की गई थी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उन्होंने यह कहा है कि 16 नियुक्तियों को अमुक-अमुक न्यायाधीश के समय में रोका गया था और अमुक-अमुक न्यायाधीश के पद संभालने के बाद उन्हें स्थाई कर दिया गया था। क्या यह तथ्यात्मक वक्तव्य है ? यह एक निष्कर्ष निकाला गया है। यह एक आरोप है जो वह पूर्ववर्ती मुख्यन्यायाधीश पर लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने केवल तथ्यों को बताया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं बस तथ्य बताऊंगा। माननीय सदस्य, प्रो० मधु दंडवते नियमों के लिए आग्रह कर रहे हैं और वह स्वयं ही सदैव नियम तथा अन्य बातों की तरफ ध्यान दिलाते रहते हैं। मैं नहीं चाहता इस पर कोई चर्चा हो परन्तु एक स्वीकार्य सिद्धांत है कि माननीय सदस्य अपने भाषण में किसी न्यायधीश पर आक्षेप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) उन्होंने जो कहा है, क्या इससे किसी पर आक्षेप होता है अथवा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय रिकार्ड को देखें और अगर ऐसा कोई आरोप है, तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये। ऐसा नहीं है कि उस आक्षेप के समाचार-पत्र में छपने के बाद कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाएगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : क्या एक आरोप जो लगाया गया है उसको मैं बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर यह व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं इस पर सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री ए० चार्ल्स : एक बात कही गई थी कि मुख्यन्यायाधीश का 30 न्यायाधीशों को अनदेखा

करके सिक्किम में तबादला कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक ·····**·····फैसला सरकार के पक्ष में दिया था। वह स्पष्टतः एक आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड मंगाकर इसको देखूंगा। अगर कोई आरोप या कोई ऐसी बात होगी तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं तो सरकार की कार्यवाही पर आक्षेप कर रहा हूं, जहां तक तबादलों का संबंध है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। (व्यवधान) हर बार की टोका-टोकी मुझे पसंद नहीं है। मैं कभी दूसरों के बीच खड़ा होकर टोका-टाकी नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : अगर मैं कहता हूं कि 16 न्यायाधीशों का तबादला आपात्काल के दौरान किया गया था तो यह आरोप सरकार पर है और मैंने इसकी बहुत बार निन्दा की है।

जहां तक न्यायाधीशों के अधिलंघन का प्रश्न है, श्री ऐ० एन० रे को भारत का मुख्यन्यायाधीश तीन न्यायाधीशों का अधिलंघन करके बनाये जाने पर एक पूरी चर्चा हुई थी। उस विषय पर वास्तव में एक चर्चा हुई थी और जो इसी सदन में पांच घंटे तक चली थी। परन्तु मैं आपके निर्देश को मानता हूं।

श्री एडुआर्डो फलेरो : महाभियोग पर भी इस सदन में चर्चा हो सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : कोई महाभियोग की बात नहीं थी। यह भी नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा थी। तब भी मधु दंडवते ही था। वह वहीं मधु दंडवते था जो आज बोल रहा है। मुझे यह स्पष्ट करने दिया जाए। इसलिए, महोदय, मैं आपके निर्देश को स्वीकार करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स : काफी पानी ऊपर से गुजर चुका है।

प्रो० मधु दंडवते : आप प्रत्येक वाक्य पर हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैं हर वाक्य पर हस्तक्षेप कर सकता हूं। परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

मैं आप से कह रहा हूं, मैं आपके निर्देश को समझ गया हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे भी आक्षेप होगा अगर न्यायाधीश 'क' ने न्यायाधीश 'ख' का अधिलंघन किया है तो 'क' और 'ख' का उल्लेख करने में कोई गलती नहीं है अगर किसी ने अधिलंघन किया है तो मैं केवल उसका हवाला दूंगा। (व्यवधान) महोदय, हर समय मेरे भाषण में हस्तक्षेप होता रहता है।····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कोई आक्षेप नहीं। मैं तथ्यों को बता रहा हूं। जनवरी 1977 में न्यायमूर्ति बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था—अपवाद नहीं है—अपने से वरिष्ठ

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

न्यायाधीश एच० एन० खन्ना का अभिलंघन करके। अपवाद नहीं है। यह एक तथ्य की बात है। मैं इसे किसी और चीज के साथ नहीं जोड़ूंगा। यह वही एच० एन० खन्ना है जिसने प्रसिद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले पर प्रसिद्ध निर्णय 'मिसा' बंदियों के न्यायिक पुनर्विचार के अधिकार की प्रतिरक्षा की थी। अटोर्नी जनरल ने मामले पर बहस करते हुए कहा : एक बार आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तथा मूल अधिकारों को निलंम्बित कर दिया जाता है, उस स्थिति में, किसी को जिसे 'मिसा' के तहत बंदी बनाया जाता है, जेल में उसके साथ कुछ भी होता है, न्यायिक पुनर्विचार के लिए कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है।" और तब, श्री खन्ना ने एक बहुत ही असुविधाजनक प्रश्न पूछा था। उन्होंने आटोर्नी जनरल से पूछा.....

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते : यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है? इसमें क्या आरोप है? यह बताइये, क्या ये चर्चा में बाधा डालना चाहते हैं। इसे स्पष्ट कीजिए।

श्री हरूभाई मेहता : यह स्पष्टतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के विपरीत है जिसके अन्तर्गत किसी न्यायधीश के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती।

प्रो० मधु दंडवते : मैं न्यायाधीशों को इसमें नहीं ला रहा हूं। मैं इसमें सरकार को बीच में घसीट रहा हूं। ऐसा मैं पहले भी कहता रहा हूं। मैंने हाल ही में आपको पूर्व दृष्टांत दिए हैं। मैंने पहले ही सुझाव दिया है कि आप सारी रात कानून की चर्चा के कार्यवाही-वृत्तांत को पढ़कर उसमें से कार्यवाही को दो दिन तक निकालते रहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं चर्चा को देखूंगा। मैं इसको देखूंगा!

प्रो० मधु दंडवते : संविधान का अनुच्छेद 121 कहता है कि कोई भी विधायिका का सदस्य उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपका पूरा सम्मान करते हुए, मैं कहता हूं कि 1973 में जब न्यायाधीशों के अभिलंघन पर चर्चा हुई थी, यह विशिष्ट चर्चा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में थी। यह विषय था जिस पर उस समय चर्चा हुई थी, आप मेरी बात को सही कर सकते हैं, आप सत्यापन कर सकते हैं, फैसलों की प्रक्रिया, न्यायालयों में दी गई दलीलों पर चर्चा नहीं हुई थी। जिस पर चर्चा हुई थी वह शायद दर्शन शास्त्र अथवा न्यायाधीशों की विचार धाराओं पर, हो सकता है, जैसा कि प्रोफेसर अपने शब्दों में कहते हैं, उनकी शब्दावली में वचनबद्ध अथवा बंधुआ न्यायपालिका। शायद ऐसी बातों पर चर्चा हुई हो। परन्तु कभी भी किसी न्यायाधीश का नाम लेकर हवाला नहीं दिया गया था और कहा गया था कि 'उनका अभिलंघन किया गया था क्योंकि उन्होंने ये निर्णय दिया था।" जी नहीं। इसके विपरीत, सामान्य

प्रथाओं का जिक्र किया गया था, आम विषय लिए गए थे, न्यायपालिका की आम प्रक्रिया को नोट किया गया था तथा चर्चाएं हुई थीं। तीनों कमानों के हित में, जैसाकि संविधान में कहा गया है, तथा राष्ट्र की स्थिरता एवं हित में मैं यह अनुरोध करूंगा कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाए, नाम लेकर फैसलों का जिक्र न किया जाए तथा दलीलों को चर्चा का विषय न बनाया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अवश्य ही आम जनता की आंखों से बहुत नीचे गिर जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बंद कीजिए। मैंने आपको कहा है कि मैं रिकार्ड को देखकर आपको बता दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे सूचना को ठीक करने दीजिए।

श्री हरूभाई मेहता : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं का फैसला करना है। अन्यथा, आप नहीं कर सकते.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपसे कहा है कि मैं कार्यवाही को देखकर प्रत्येक बात की जांच करूंगा। तब मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० पी० आर० कुमारमंगलम : यह राष्ट्रहित में है। यह छोटी सी बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सिर्फ श्री कुमारमंगलम को याद दिलाऊंगा कि सौभाग्य से मैं उस चर्चा के दौरान मौजूद था और उसमें केवल सैद्धांतिक बातों का ही उल्लेख नहीं किया गया था। विभिन्न निर्णय जो हेगड़े, रोलैट तथा ग्रोवर ने दिये थे, उन्हें सदन में पढ़कर सुनाया गया था, अंश पढ़कर सुनाए गये थे और एक मामला बनाया गया था कि उनके द्वारा ऐसे निर्णय देने के कारण उन्हें तंग किया जा रहा है। सत्तापक्ष के दोनों सदस्य नहीं, मैं आपको बताऊं, श्री कुमार मंगलम के पिता इस भव्य सदन में बैठे थे और उन्होंने भी इस पर हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने कहा था "हमें एक निःसंकोच एवं संगत चर्चा करनी चाहिए।" और चर्चा चलती रही। मधुलिमये ने कुछ निर्णयों को उद्धृत किया था। उन्होंने चर्चा की शुरूआत की थी। अतः मैं चाहता हूं कि व्यवस्था की मेरी जानकारी को ठीक किया जाए।

श्री हरूभाई मेहता : आप निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको आश्वासन दिया है कि अगर कोई आक्षेप होगा तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा। मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : फैसलों को उद्धृत किया गया था। हमने आरोप लगाया था चूंकि निर्णय थे ...**... इसी कारण उन्हें दंडित किया गया। यह लाइन थी तथा मधुलिमये ने उस प्रस्ताव

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को रखा था। उन्होंने ही चर्चा शुरू की थी। कुमारमंगलम ने इसमें भाग लिया था। दोनों तरफ के अन्य सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। दिए गए निर्णयों के प्रकार पर चर्चा हुई थी। किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। तब निःसंकोच तथा संगत चर्चा हुई थी और हमने अभिलंघन के प्रश्न पर जनराय तैयार करने में योगदान दिया था। यह संसद का इतिहास है। और यह उसी की भांति सजीव संसद के रूप में कार्य करती रहेगी और,इ सलिए, मैं कह रहा हूं।

श्री हरभाई मेहता : मुझे निर्णय के लिए कहने का हकहै .....

श्री ० पी० आर० कुमारमंगलम : वह फैसलों की किस्म तथा निर्णयों के दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि मैं रिकार्ड को देखूंगा। मैं इसकी जांच करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वो बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मुझे अपना भाषण जारी रखने देंगे ? आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न बताइये। क्या इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? आप मुझे बताइये, मैं अपना आसन ग्रहण कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : व्यवस्था का प्रश्न उठाने का क्या लाभ हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी बातें हो सकती हैं। मैं जांच करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा है कि मैं रिकार्ड की जांच करूंगा।

श्री हरभाई मेहता : संविधान में मनाही स्पष्ट है.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा। नामों का उल्लेख किया जा सकता है परन्तु आक्षेप नहीं लगाया जा सकता।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने न्यायमूर्ति ओझा के बारे में कहा है ; उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। यह बात वास्तव में गलत है; उनके बारे में फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : यह अच्छी बात है कि शुद्धि की गई है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह केवल उनकी कल्पना में है।

प्रो० मधु दंडवते : जो भी कुछ काल्पनिक है उसे कल्पना पर ही छोड़ दिया जाए।

मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। 1977 में न्यायमूर्ति खन्ना का अधिलंघन करके, न्यायमूर्ति बेग को नियुक्त किया गया था। उस समय इसी प्रकार का विवाद हुआ·····और सरकार के विरुद्ध एक आरोप है, न्यायाधीश के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं है। यह सरकार के विरुद्ध हमारा आरोप है। प्रसिद्ध 'मिसा' बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में 'मिसा' के बंदियों की यह धारणा थी कि आपातकाल में भी न्यायिक सुधार का अधिकार 'मिसा' बंदियों के लिए उपलब्ध है। परन्तु सरकार ने अलग ही निर्णय लिया। वाद-विवाद हुआ। और जब अटार्नी-जनरल ने कहा, "एक बार आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं, 'मिसा' बंदियों को न्यायिक सुधार का अधिकार उपलब्ध नहीं रहता है।" न्यायमूर्ति खन्ना ने एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा था : "अटार्नी-जनरल महोदय, अगर आपातकाल के दौरान जेल के अन्दर जेल अधिकारी किसी बंदी को गोली से मार देता है तो क्या बंदी के रिश्तेदार न्यायिक सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। तब अटार्नी-जनरल ने कहा था, "युअर लार्डशिप, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वर्तमान स्थिति में, न्यायिक सुधार पर रोक है।" ये कठोर लाइनें थीं जिसे उन लोगों ने महसूस किया था। मैं एक न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूं, न्यायमूर्ति बेग के विरुद्ध नहीं, न ही किसी अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध ; मैं सरकार के विरुद्ध आरोप लगा रहा हूं : आपातकाल के दौरान, इन न्यायाधीशों ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए निर्णय तथा अंतरिम आदेश देने की कोशिश की। वे नहीं थे·····**·····संस्थापन पर ; अतः उन्हें·····**····· न्यायमूर्ति खन्ना का अधिलंघन उनको दी गई यातनाओं का एक हिस्सा था। अतः हमें एक ऐसे सुधार की आवश्यकता है जिसमें इन सब बातों को पूर्णतया दूर किया जा सके।

उदाहरण के तौर पर, इस उपबन्ध को ही लीजिए कि एक-तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के होने चाहिएं। मुझे मालूम है, यहां तक वकील भी इस पर विभाजित है, सत्ताधारी पक्ष के सदस्य भी इस विषय पर विभाजित हैं। यह एक अकादमिक समस्या है। (व्यवधान) मुझे ज्ञात है, परामर्श समिति में विभिन्न मत व्यक्त किए गए थे। मुझे नाम बताने के लिए मत कहिएगा···

श्री एच० आर० भारद्वाज : जो यह कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। परामर्श समिति इस पर एकमत थी। मैं रिकार्ड दिखाने के लिए तैयार हूं।

प्रो० मधु दंडवते : इसी सदन में शून्य काल के दौरान, एक सूचना देकर, एक-तिहाई न्यायाधीशों का यह मामला उठाया गया था और हमने देखा था कि दलों में दल को ध्यान में न रखते हुए भिन्न-भिन्न मत था। वकीलों में भी, कुछ ने कहा था कि यह एक अच्छा उपबन्ध है

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

और कुछ अन्यों ने यह महसूस किया था कि इसका गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर एक-तिहाई न्यायाधीशों को अवश्य ही राज्य के बाहर से लाया जाएगा तो आप प्रशासन को अधिक कपट पूर्ण प्रबन्ध की छूट देते हैं, कपट चाल करने की अधिक क्षमता प्रदान करते हैं। मैं अपने कुछ साथियों के बारे में जानता हूं जो वकील हैं तथा इसके पक्ष में हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे कुछ साथी, जो संसद में हैं तथा मेरे दल के सदस्य हैं, इस दृष्टिकोण के हैं कि उनके वकील कार्य के अनुभव से उनका यह मत बना है कि, अगर एक-तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के हों तो कार्यपालिका के कार्य करने की दृष्टि से यह एक अच्छा प्रस्ताव होगा। मैं आपको बताऊं कि यह दल विचारधारा के अनुकूल नहीं है। परन्तु मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रावधान को भी, किसी आवश्यक सुरक्षा-वाल्व अथवा आवश्यक सुधारों के बिना अगर इसे अलगाव के साथ लिया गया, तो इसको कपटपूर्ण लीवर के तौर पर प्रयोग करने की संभावना रहेगी। इस लीवर का प्रयोग कुछ अनावश्यक न्यायाधीशों का राज्य से बाहर तबादला करने के तौर पर किया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री ने विभिन्न राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने उनसे न्यायाधीशों से मिलकर पत्र प्राप्त करने के लिए कहा था कि वे तबादले के इच्छुक हैं, मैंने इस प्रश्न को इसी सदन में उठाया था और विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री से पूछा था क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीशों से इस प्रकार के पत्र लेने पर नाराजगी व्यक्त की है जिसमें उनसे स्वयं अपनी इच्छा से यह लिखकर देने के लिए कहा गया है कि वे विभिन्न राज्यों में तबादला किए जाने के लिए तैयार हैं युवा न्यायाधीश जो तरक्की करना चाहते हैं, वे इसे लिखित में देने को तैयार हैं। किन्तु यह एक प्रकार से जोर जबरदस्ती ही है। इस प्रकार की जोर जबरदस्ती की प्रवृति त्यागनी होगी।

एक और संशोधन के बारे में मैं कहना चाहूंगा। डॉ० अम्बेडकर ने इसका उल्लेख संविधान सभा की चर्चा में किया था। प्रो० के० टी० शाह संविधान सभा के बहुत ही प्रमुख और सतर्क सदस्य थे। उन्होने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन रखा था और मुझे विश्वास है कि इस संशोधन पर दलगत नीति से ऊपर उठकर एक मत हो सकते हैं। यह संशोधन क्या था। मैं उसे श्री एच० एम० शीरवाई के शब्दों में उस विशेष संशोधन का उल्लेख करना चाहूंगा :

> "भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक तथा लोकसेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद इन पदों पर नियुक्त पदधारी संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।"

यह प्रावधान तो पहले से ही है, प्रो० के० टी० शाह ने संविधान सभा में एक संशोधन के रूप में प्रस्ताव रखा था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसी आधार पर, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये भी इस प्रकार का उपबंध प्रस्तुत

किया जाये : जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत हो जाये, तो उसे भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी पद को धारण करने या किसी पद पर नियुक्त किये जाने में वंचित रखा जाये ।

इसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार भारत के नियन्त्रण और महालेखा परीक्षक तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवा निवृत हो जाने के बाद किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त किये जाने से वंचित रखा जाता है जिससे कि जब तक वे लोग सत्ता में रहते हैं और जब वे प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तब बाद में मिलने वाले लाभ पर दृष्टि न रखें, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी वंचित रखा जाना चाहिये । यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सेवा निवृत हो जाने के बाद मिलने वाले लाभों को दृष्टिकोण में रखेंगे तो हो सकता है कि वे गलत निर्णय दे दें, इसी विचार को ध्यान में रखा गया था । उस समय डॉ० अम्बेडकर ने केवल यही तर्क दिया था कि "वह स्थिति अभी नहीं आई है कि ऐसे बहुत से मुकदमे हों, जिनसे सरकार का सम्बंध हो, इस सभा में हुई विभिन्न चर्चाओं में अध्यक्षपीठ को यह सूचित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे मुकदमे नहीं हैं जिनमें सरकार भी एक पार्टी रही हो और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में ऐसे मामले अधिक संख्या में आयें जिनमें सरकार भी एक पार्टी हो और न्यायाधीशों को सेवा निवृत होने के बाद सरकार से कुछ सहायता मिलने की आशा हो तो ऐसी स्थिति में न्याय के उद्देश्य के विफल होने की संभावना है ।" डॉ. अम्बेडकर ने उस संशोधन को एकदम ही रद्द नहीं कर दिया था, उन्होंने कहा था—"इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति अभी नहीं आई है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष जितने मुकदमे न्यायनिर्णयाधीन पड़े हैं, उनमें से अधिकांश में सरकार के साथ कोई विवाद नहीं है ।" किन्तु आज यह एक मान्य सत्य है कि 50 प्रतिशत से अधिक मामले ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी रूप में सरकार के साथ विवाद है और इसलिये, यह बेहतर है कि भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिये जो संवैधानिक उपबंध हैं । वही उपबन्ध बार के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से सम्बंधित सदस्यों पर भी लागू होना चाहिये ।

सम्भवत: केवल एक कारण से हम इसे व्यवहारिक नहीं पाते हैं । वह कारण है कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तें ऐसी हैं । मैं उन विद्वान सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने सभा के समक्ष एक बहुत ही उपयुक्त कारण और तथ्य रखा है कि अपनी न्यायपालिका के सम्मान और आदर के अनरूप, न्यायाधीशों को जो परिलब्धियां दी जा रही हैं, वे पर्याप्त नहीं है । सेवानिवृत हो जाने के बाद उन्हें पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती है । मेरे विचार में उस बात पर सारी सभा एक मत है कि न्यायपालिका को अच्छी परिलब्धियां उपलब्ध होनी चहिये, उन्हें बेहतर सुविधायें दी जायें और उन्हें बेहतर पेंशन सुविधा दी जायें । जब सेवारत रहते हुए उनकी परिलब्धियां अच्छी नहीं है, सेवानिवृत हो जाने के बाद जब उन्हें बहुत कम पेंशन दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत के बाद कोई सरकारी पद न ग्रहण करने की बात हम उनसे नहीं कह सकते हैं। एक तरफा निर्णय

नहीं लिया जा सकता है। इसलिये इस स्थिति में सुप्रसिद्ध के० टी० शाह का संशोधन स्वीकार करने तथा न्यायिक सुधार लागू करने का सुझाव देने के साथ मैं इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि न्यायपालिका को पर्याप्त परिलब्धियां और सुविधायें दी जायें और साथ ही पेंशन सुविधायें भी बेहतर बनाई जायें। मेरे मित्र ने यह ठीक ही कहा है कि अमरीका तथा इंगलैंड में सभी शीर्षस्थ पदों के अधिकारियों, जिसमें न्यायपालिका के अधिकारी भी शामिल हैं के वेतन में आवधिक वृद्धि की जाती है। मुद्रा स्फीति बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती हैं, परिलब्धियां कम पड़ जाती हैं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब भी वेतन के रूप में 3500 रुपये मिलते थे और आज भी इतनी मंहगाई बढ़ जाने के बाद भी वेतन वही 3500 रुपये है जो आज के समय में बहुत ही कम है। महोदय, यदि यही प्रशासन रहा तो मुद्रा स्फीति तो बढ़ेगी ही। उसके साथ ही तदनुरूप सुविधायें भी बढ़नी चाहिये। इसलिये, मैं चाहता हूं कि इन दोनों वस्तुओं का ताल-मेल बना रहे। सेवानिवृत के बाद सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगे और साथ ही अच्छी परिलब्धियां और अच्छी पेंशन दी जाये। (व्यवधान)

महोदय, मैं इस सभा के एकाधिपत्य के विरुद्ध असहयोग करने वाला योद्धा हूं। कृपया 6 मई, 1984 को एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा विधेयक पर दिये गये भाषण पर ध्यान दें और आप देखेंगे कि मैंने ये सब सुझाव दिये थे और इन सुझावों की मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूं। केवल सरकारी सेवा ही नहीं अपितु उन्हें परामर्शदाता के रूप में एकाधिकार घरानों के पद भी नहीं स्वीकार करना चाहिये।

इसके अनन्तर दूसरा प्रश्न द्विविभाजन का प्रश्न उठता है। जैसा कि कुरियन ने कहा, यह केवल दक्षिण और उत्तर का प्रश्न नहीं है। मैं उनके सुझाव का विरोध नहीं करता। वास्तव में, उनका कहना है कि सारा उत्तर भारत चाहता है कि उच्चतम न्यायालय दक्षिण में होना चाहिये। महोदय, इसे दक्षिण में ही ले जाया जाये क्योंकि यह जो कार्य चल रहा है, उससे वे तंग आ चुके हैं।

महोदय, मैं उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नव बीजारोपण की बात कह रहा हूं। उन लोगों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय का विभाजन किया जाये—एक शाखा संवैधानिक मामलों पर विचार करे और दूसरी शाखा गैर संवैधानिक समस्याओं केमामलों पर विचार करे। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे विश्वास है वर्तमान न्यायपालिका के सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे क्योंकि कईसेमीनारों में वे लोग कह चुके हैं यदि वर्तमान उच्च न्यायालय को संवैधानिक उच्चतम न्यायालय और गैर संवैधानिक उच्चतम न्यायालय में विभाजित किया गया है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय की एकता और अखंडता नष्ट हो जायेगी और सम्भवतः कुछ हेरा-फेरी भी फैल सकती है। यहां मैं हेरा-फेरी ही कह सकता हूं। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के अधिकारों के बारे में कुछ मतभेद था। यहां पुनः मैं अपने युवा सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि पांचवीं लोकसभा में संविधान में चौबीसवां संशोधन विधेयक लाने से पूर्व·····

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : क्या आप गैर-संवैधानिक उच्चतम न्यायालय का समर्थन करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते :मैं इस विचार से नहीं कह रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दास मुंशी नाराज नहीं हैं अपितु वह इस को मजाक में कह रहे हैं। मैंने गैर संवैधानिक उच्चतम न्यायालय की जो बात कही है उसका तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय की वह शाखा जो संविधान की समस्याओं के अतिरिक्त अन्य मामलों पर विचार करती है। क्या अब तक स्पष्ट हो गया ?

विभाजन हो जाने की स्थिति में एक खतरा और है। मैं इस सरकार को किसी प्रकार भी हेरा-फेरी करने का अवसर नहीं देना चाहता हूं। मेरी आलोचना इस बात पर केन्द्रित रहेगी कि मैं उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में कोई सुधार करने के पक्ष में क्यों नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय की सत्यनिष्ठा को बनाये रखना चाहता हूं।

संविधान के किसी भाग में संशोधन करने हेतु अनुच्छेद 368 के अधीन संसद के अधिकारों के बारे में पर्याप्त मत भेद है। कुछ विद्वानों का विचार है कि अनुच्छेद 368 के लिए अनुच्छेद 13 (2) एक नियन्त्रण रखने वाला खण्ड है, क्योंकि अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनायेगी जो संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को या तो समाप्त कर दे अथवा उसमें कोई व्यवधान डाले। सज्जन सिंह के मामले में और चन्द्रिका प्रसाद के मामले में, भाग्यवश, निर्णय उस विचार के पक्ष में दिया गया कि संवैधानिक नियम और सामान्य नियम में अन्तर है। अनुच्छेद 13 (2) में सामान्य नियम दिये गये हैं न कि संवैधानिक नियम। अनुच्छेद 368 यदि किसी मामले में अनुच्छेद 13 (2) के दायरे से बिल्कुल ही निकल गया है, तो ऐसा दुर्भाग्यवश गोलखे के मामले में हुआ है और इसी प्रकार का एक और विवादास्पद मामला है। इसी सभा में मैंने एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तावित किया था जो संसद की शक्ति को सुदृढ़ करने से संबंधित था और जिनमें मैंने यह मांग की थी कि अनुच्छेद 360 को स्वतन्त्र रखा जाए और इसे अनुच्छेद 13(2) के नियन्त्रण में न रखा जाए क्योंकि अनुच्छेद 13(2) का सम्बन्ध संवैधानिक नियम से न होकर सामान्य नियम से है। कुछ ही सप्ताह के अन्दर सरकार औपचारिक विधेयक लाई। मैं उसी विधेयक की बात कर रहा हूं। उसके संदर्भ में मैं अपना विचार स्पष्ट करना चाहता । उसके बाद आपात काल आया। उसी बीच कुछ और परिवर्तन हुए और यह स्पष्ट हो गया कि संसद की कुछ शक्तियों के बारे में नितांत कठोर रवैया नहीं अपनाया जा सकता और इसीलिये, उसके संदर्भ में केशवानन्द भारती के मामले का निर्णय लिखा गया और उस निर्णय में संसद की शक्ति को बरकरार रखा कि संसद भाग—तीन में दिये गये मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है किन्तु इन सब बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान को नष्ट करने के लिये संविधान में संशोधन करने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए यह कहा गया है कि संविधान की मूल रूप रेखा अथवा मूल संरचना को छोड़कर संविधान के किसी अंश में संशोधन करने के लिये अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पिछली लोक सभा में, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि केशवानन्द भारती के निर्णय से सरकार प्रसन्न नहीं है। मिनर्वा के मामले में केशवानन्द भारती का निर्णय रद्द करने की मांग की गई थी। और हमें पता है कि वर्तमान उच्चतम न्यायालय—यहां तक कि

उन्होंने पूरी बैंच के समक्ष मामला रखा था—उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उसे वापिस कर दिया गया था। हमें पता है कि मौजूदा उच्चतम न्यायालय केशवानन्द भारती के मामले के निर्णय को रद्द नहीं करेगा और यहां तक मूल संरचना में भी परिवर्तन करने की उन्हें उन्मुक्त स्वतंत्रता नहीं प्रदान करेगा। अब सरकार केशवानन्द भारती के मामले के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति चाही है। यदि उच्चतम न्यायालय को दो भागों में बांट दिया गया तो यह हो सकता है कि अधिसंख्यक वर्ग केशवानन्द भारती के मामले को रद्द करने में हेरा फेरी कर दें और यह भी एक कारण है कि मैं यह चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जाये जिससे कि उच्चतम न्यायालय की किसी भी बैंच का उपयोग सरकार की अपनी इच्छा के अनुसार संविधान में हेरा-फेरी करने के लिये न किया जा सके। क्षेत्राधिकार सुनिश्चित हैं। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो जनता, संसद और न्यायपालिका में टकराव चाहते हैं। किन्तु मेरे विचार से यह टकराव ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हम अपने बरेलू जीवन के विभिन्न पहलुओं की संरचना के निर्माण में पड़ने वाले प्रभाव पर एक बार फिर अनुमान लगा ल। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि सरकार की सहायता के लिये जनता सर्वशक्तिमान है, संविधान में संशोधन करने तथा कानून बनाने के लिए संसद सर्वशक्तिमान है और उच्चतम न्यायालय इस बात का निर्वचन करने के लिये सर्व शक्तिमान है कि संसद और विधान सभा में जो कानून बनाये गए हैं और संविधान में जो संशोधन किया गया है, वह सामान्य संविधान के दायरे में आता है अथवा नहीं। निर्वचन करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय इस देश का तीसरा सदन नहीं हो सकता है। मैं इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। तीनों सत्ता—जनता, संसद और न्यायापालिका का अपना-अपना एकाधिकारपूर्ण क्षेत्र है। यदि तीनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार तक सीमित रहेंगे तो टकराव की स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है और इसीलिये इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये।

लम्बित पड़े मामलों के बारे में मेरा एक सुझाव है। मैं समझता हूं इस सभा में पूर्ण मतैक्य है। अनेक मामले निर्णय के लिये लम्बित पड़े हैं। हमारे अनेक मित्र देश के विभिन्न भागों से आते हैं। वे श्रमिकों की ओर आते हैं, या राजस्व संबंधी मामलों के संबंध में आते हैं अथवा आयकर अथवा सरकारी सेवाओं से संबंधित समस्याओं के मामलों आदि के संबंध में आते हैं। हमारा सामान्य अनुभव यह है कि बहुत सारे मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। महोदय श्री वी० एन० तारकुंडे नाम के प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट ने एक बहुत ही ठोस सुझाव दिया था और मेरा विचार है कि वह इस सभा की चेतना को अभिव्यक्त करता है। उसने सुझाव दिया था कि लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के चार राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाये जायें। और वे न्यायाधिकरण इस प्रकार होंगे एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयकर के मामलों के लिये होगा दूसरा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण उत्पाद शुल्क, आयकर आदि जैसे राजस्व से संबंधित मामलों के लिये होगा। तीसरा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण श्रमिक विवादों को निपटाने के लिये होगा और चौथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण सेवा संबंधी मामलों के लिये होगा। प्रत्येक न्यायाधिकरण में 3 न्यायाधिपति होंगे जिनका पद और वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति के बराबर होगा। इस बात को निर्धारित करने के लिये संवैधनिक संशोधन किया जाय कि राष्ट्रीय न्यायाधिक के

समक्ष प्रस्तुत किये गये मामलों पर कोई तर्क या निर्णय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में नहीं लिया जाएगा। यदि ऐसा किया गया जो लम्बित सभी मामले पूर्णत: निपट जायेंगे।

सरकार से एक अनुरोरोध करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। न्यायपालिका के सुधार से संबंधित पर्याप्त सामग्री है। न्याय से संबंधित अधिकांश मामलों से संबद्ध कार्य न्याय मंत्रालय द्वारा निपटाय जाता है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। मैं चाहता हूं कि गृहमंत्री को अधिक परेशान न किया जाया न्याय मंत्रालय को गृह मंत्रालय से लेकर पूर्णत विधि मंत्रालय को दे दिया जाय।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : वह गृह मंत्रालय से पृथक ही है। केवल एक गृह सचिव न्याय सचिव का कार्य देखते हैं।

प्रो० मधु दंडवते :—गृह मंत्रालय से कोई संबंध न रखा जाय। इतना ही नहीं मैं इन दोनों के बीच के एक अन्तराल रखना चाहता हूं, आप दोनों के बीच एक गलियारा बना हुआ है। इतना ही पर्याप्त है।

यदि ऐसा ही किया गया, न्याय मंत्रालय पहले से अच्छा काम करेगा। इसलिये, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि चाहे कोई भी दल शासन में रहे, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। कुछ नियन्त्रण और संतुलन बना रहे। प्रभावशाली जनता का मत हो, निर्डर प्रेस हो, न्याय पालिका उन्मुक्त और स्वतंत्र हो और संसद सतर्क तथा गतिशील हो। नियन्त्रण और संतुलन के ये चार तत्व हैं।

लोकतंत्र में न्यायपालिका नियंत्रण रखने और संतुलन बनाये रखने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन है, मैं चाहूंगा कि सारी सभा इस पर विचार करे। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं मानूंगा जो कि ऐसे सुझावों के प्रस्ताव देगा, जो कि मुझे स्वीकार न हों। हम ऐसी परम्परा में विक सित हुए हैं, जिसमें हमारे सुझाव एक दूसरे से पूर्णत: अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं अन्त तक यही कहुंगा कि आपको भी ऐसा कहने का अधिकार है।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० मधु दंडवते को न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण चर्चा उठाने के लिये मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना है कि उन्होंने अपने आधे घंटे से अधिक के भाषण में ज्यादातर न्यायधीशों की नियुक्ति और तबादले के बारे में ही चर्चा की है। केवल यही बात नहीं है, न्यायिक सुधारों की चर्चा करते समय, शायद यह कोई बड़े प्रश्न भी नहीं हैं।

उन्होंने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह ही पर्याप्त नहीं है। नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश की रजामन्दी भी आवश्यक है। अब वह सरकार पर शक कर रहे हैं। उनके भाषण का मुख्य उद्देश्य, सरकार और सत्तादल की निन्दा करना था। इससे आज दोपहर बाद दिये गये उनके भाषण में हल्कापन आ गया है। वह चाहते हैं कि मुख्य-न्यायाधीश की रजामन्दी ली जाए। उन्हें,

सरकार और गृह-मंत्रालय पर शक है। अगर ऐसा है, तो कल वह मुख्य न्यायाधीश पर भी शक कर सकते हैं ? एक दफा शक पैदा हो जाए तो हमेशा ही शक बना रहता है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। मैं माननीय विद्वान प्रोफेसर की जानकारी के लिये मात्र इतना कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ना तो अमेरिका और न ही ब्रिटेन में मुख्य न्यायाधीश की रजामन्दी आवश्यक है। वास्तव में वहां उनसे सलाह भी नहीं की जाती—

(व्यवधान)

लेकिन आप जो भी कहें तथ्य यह है कि अधिकांश पश्चिमी देशों में मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने का प्रावधान भी नहीं है। अधिकांश पश्चिम लोकतांत्रिक देशों में यह मात्र सरकार का ही अधिकार है।

प्रो० मधु दंडवते: इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति के समय मैंने अमेरिका या ब्रिटेन का नाम भी नहीं लिया है। मैंने अपने सहयोगी की इस बात का समर्थन किया था कि उन्हें बेहतर वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चार वर्षों बाद एक आयोग या समिति की बैठक होती है और वे इसकी समीक्षा करते हैं, और मैंने इसी बात का समर्थन किया था। मैं भारतीय प्रणाली की अमरीकन प्रणाली से तुलना नहीं करता वह दोनों एक दम अलग हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : एक प्रोफेसर को यह कहना शोभा नहीं देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, न तो अमेरिका में और न ही ब्रिटेन में, मुख्य न्यायाधीश की रजामन्दी की आवश्यकता है। ब्रिटेन में तो उससे सलाह की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए, श्रीमन, मैं माननीय प्रोफेसर को बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए हम लोग भी उतने ही चिन्तित हैं.....

प्रो० मधु दंडवते : ब्रिटेन में लिखित संविधान भी नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अच्छा, आप मान गये हैं। इस प्रकार टाल-मटोल करना प्रोफेसर के लिए उचित नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वहां लिखित संविधान है या ऐसी परम्परा है। हम मात्र इतना कह रहे थे कि हमारे देश में जो सलाह की सुविधा है, वह ब्रिटेन में भी उपलब्ध नहीं है। वहां सरकार, मुख्य न्यायाधीश या पीठासीन लार्ड चांसलर या ब्रिटेन की न्याय-पालिका के पीठासीन न्यायाधीश से सलाह किये बिना, रजामन्दी की तो बात छोड़ ही दें; सीधे न्यायाधीश नियुक्त कर देती है।

जब प्रोफेसर साहब बीच में बोले, तो मैं यही बात कह रहा था। इस सभा में हम सभी— मैं समझता हूं कम से कम सभा में हम, सत्ता पक्ष के सदस्य न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए चिन्तित हैं और इस कार्य को करने में रुचि रखते हैं। और इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने की अनुमति दें। जब प्रोफेसर ने अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने इसे यह कहते हुए शुरू किया कि इस चर्चा की आवश्यकता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के हाल ही के

कथन से उत्पन्न हुई। उस न्यायाधीश के कथनों के बारे में इस विशेष मामले पर विचार न करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा सभी व्यक्तियों द्वारा बनाये रखी जानी चाहिए।

यह सदन भारत के लोगों की आवाज को बिल्कुल सही रूप में अभिव्यक्त करता है। यह सदन इस देश का कानून निर्माता है। और फिर भी हमारे प्रक्रिया नियम अनुमति नहीं देते हैं कि कोई आक्षेप लगाये जायें अथवा कोई ऐसा भाषण दिया जाये अथवा कोई आरोप लगाये जायें जो न्यायपालिका गरिमा को कम करें। मैं यही कह सकता हूं कि एक न्यायाधीश, जो स्वयं न्यायपालिका के सदस्य हैं, के कथनों से न्यायपालिका की गरिमा कम हुई है जिन्होंने अन्य न्यायधीशों के विरुद्ध खुलेआम आरोप लगाये हैं, अन्य न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाये हैं और उन्हें चापलूस आदि कहा है। न्यायपालिका की गरिमा इससे अधिक क्या कम हो सकती है जब देश में उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश सहयोगी न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाये ?

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : यह न्यायालय की अवमानना है आप आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री एडवार्डो फैलीरो : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि विचार करें कि क्या यह स्थिति सही है अथवा नहीं। कोई आक्षेप लगाने का प्रश्न नहीं है। प्रो० मधु दंडवते कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपात काल के दौरान बहुत से न्यायाधीशों की पक्षपातपूर्ण आधारों पर नियुक्तियां की गई थीं। इस वाद-विवाद के शुरू में मेरा यह कहने का इरादा नहीं था। लेकिन प्रो० दंडवते ने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए मुझे यह कहते हुए खेद है। उनकी पार्टी के शासन के दौरान, जनता पार्टी के शासन के दौरान, मैं इस सदन का सदस्य था और मैं विधि मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति का भी सदस्य रहा था। मुझे यह मालूम है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य बहुत से उच्च न्यायालय जनता पार्टी के दक्षिण पंथी धड़क के कार्यकर्त्ताओं से भरे हुए थे। मैंने बहुत नजदीक से देखा है और मुझे मालूम है कि गौहाटी उच्च न्यायालय और बहुत से अन्य न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की गई थी हालांकि वे इन विशेष उच्च न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। उसका कारण केवल यही था कि वे उस समय शासन के राजनीतिक रूप से पसंद नहीं थे।

अतः हम इस आधार पर आरोप न लगायें हम किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते यदि आप हम पर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे पास आपके ऊपर पत्थर फेंकने के बहुत से आधार हैं। लेकिन इससे निश्चित रूप से न्यायिक सुधार का मामला आगे नहीं बढ़ पायेगा।

अब प्रो० दंडवते ने वचनबद्ध न्यायाधीशों के बारे में वाकपटुता दर्शाई है। वास्तव में वचनबद्ध न्यायाधीशों से उनका अभिप्राय क्या है ? उन्होंने न्यायाधीशों की 'वचनबद्धता' की परिभाषा नहीं की है जिस पर उन्हें आपत्ति है। स्पष्ट रूप से हमने उनसे जो सुना है उसका कुल निष्कर्ष यह दिखाई देता है कि प्रोफेसर के विचारानुसार वचनबद्ध न्यायाधीश वे हैं जिन्हें एक

विशेष मामले में सरकार के पक्ष में निर्णय किया है। और यदि वे सरकार के खिलाफ निर्णय देते हैं तो वे अत्यन्त निर्भीक और स्वतंत्र न्यायाधीश हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसकी परिभाषा दूंगा। वचनबद्ध न्यायाधीश वे हैं जो सरकार के प्रति वचनबद्ध हैं। अन्यथा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता।

श्री इज्राडॉर फर्नांडीस : मैं यहां पर इस पार्टी के सदस्य के रूप में खड़ा हूं।

5.00 म० प०

मैं विश्वास करता हूं और मैं कह सकता हूं कि मेरी पार्टी विश्वास करती है कि किसी न्यायाधीश को किसी विशेष वर्ग के प्रति निष्ठा नहीं रखनी चाहिए चाहे यह कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, भा० ज० पा० अथवा कोई अन्य पार्टी हो। लेकिन हम सभी यहां पर विश्वास करते हैं कि वचनबद्धता होनी चाहिये, वचनबद्धता होगी और इस पुस्तक अर्थात् भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित वचनबद्धता न केवल न्यायाधीशों के लिए जरूरी है अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। यह वचनबद्धता चयनात्मक तौर पर संविधान के उपबंधों के लिए ही नहीं होगी। मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अन्य बातों के अलावा संविधान के भाग IV में राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जो कुछ उल्लेख किया गया है, वचनबद्धता उसके प्रति होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 में जो उल्लेख किया गया है वे ऐसे शब्द हैं, जिन्हें अवसर मिलने पर हर बार स्मरण करना होगा और दोहराना होगा। अतः मैं इसे अपने ही हित में और इस बारे में पुनः शिक्षा को ग्रहण करने हेतु पढ़ूंगा क्योंकि वस्तुतः इसी ने हमारा इस सदन, का न्यायपालिका और कार्यपालिका का मार्ग दर्शन करना है।

अनुच्छेद 39 में कहा गया है :

राज्य अपनी नीति का विशेष रूप से ऐसा संचालन करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;
अनुच्छेद 39 (ङ) (च) में कर्मिकों के लिए एवं बच्चों के लिए अवसरों का उल्लेख है।

मुझे उम्मीद है संविधान के इस विशेष अनुच्छेद के प्रति किसी न्यायाधीश की वचनबद्धता पर न तो श्री दंडवते को न ही किसी अन्य सदस्य को आपत्ति होगी। यह अनुच्छेद निर्धनों एवं पिछड़े लोगों के हित में है तथा इसे दृढ़ एवं ठीक दशा में सोचने वाले राष्ट्र का बल है।

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : ये केवल राज्य नीति संबन्धी निदेशक सिद्धांत हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रतिक्रिया वादियों तथा प्रबंधकों की वाणी को सुनिए। संविधान का उल्लंघन करने वालों की वाणी सुनिए। (**व्यवधान**) परन्तु उन्हें भी सभा में बोलने का अधिकार है।

श्री एच० ए० डोरा : आपने नहीं सुना है संविधान के भाग तीन के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह बात मैं रिकार्ड के लिए कहना चाहता हूं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पर मतभेद है। इस पक्ष के सदस्य यह मानते हैं कि संविधान का भाग चार महत्वपूर्ण भाग है, यदि भाग तीन से अधिक नहीं तो उसके बराबर अवश्य है। उस पक्ष के लोग धनी व्यक्तियों के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों तथा निहित स्वार्थी व्यक्तियों के पक्षपाती हैं वे ही मौलिक अधिकारों के चाहते हैं, उनके लिए निदेशक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं; उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। परन्तु जब उन्होंने उसके लिए मतदान किया इसके लिए भी किया, उनका अभिप्राय था कि इन्हें कभी लागूनहीं किया जाना चाहिए। इस समय माननीय सदस्य यही बातकहना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० दंडवते ने एक महत्वपूर्ण बात बकाया मामलों का विषय उठाया तथा उस बारे में कुछ कार्यवाही करने को कहा है। जहां तक मुझे याद है राष्ट्रपति के अभिभाषण में विधि सुधार आयोग का अभिवचन दिया गया है। सरकार ने निर्वाचन में सुधारों का अभिवचन दिया है। सरकार शीघ्रता से दल-बदल (निवारक) विधेयक लायी तथा उसे अधिनियम का रूप दिया। सरकार निर्वाचन सुधार संबन्धी अन्य विधेयक भी लायी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जहां तक संभव है। वैसी ही द्रुत गति प्रदर्शित करे तथा एक न्यायिक सुधार आयोग गठित करें तथा उस पर अनुवर्तीय कार्यवाही करके अपनी प्रणाली में व्यापक सुधार लायें।

बकाया मामलों के बारे में बात यह है कि आज हमारे न्यायालय विधि के न्यायालय है परन्तु अधिकांश लोग इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि यह न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय हैं कारण यह है कि जब न्याय देने में इतनी देर कर दी जाती है तो वह न्याय का ही निषध है। इस बात को एक तरह से विधिमंत्री ने स्वयं हाल ही में सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते समय 22 जनवरी, 1985 को स्वीकार किया है जब उन्होंने चौंका देने वाले आँकड़े प्रस्तुत किये कि केवल उच्चतम न्यायालय में 148891 मामले बकाया पड़े हैं। मुख्य उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2,12,453, मद्रास उच्च न्यायालय तथा अन्य प्रमुख उच्च न्यायालयों में 1,25,993 मामले बकाया पड़े हैं। ये आंकड़ें 30 जून 1984 तक के हैं

अब तक ये और बढ़ गये होंगे। उच्च न्यायालयों में लाखों की संख्या में बकाया मामले हैं। और वास्तव में जिस बात पर बल नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायपालिका में तथा निचले न्यायालय है जहां पर कि अधिकांश मामले प्रारम्भ होते हैं।

यदि आप न्याय अनिर्णीत मामलों की संख्या कम करने और मामलों का शीघ्र निपटारा करना चाहते हैं तो मुझे इस बारे में कुछ सुझाव देने हैं (1) हमें मामलों की अपीलों, पुनरीक्षाओं, सुधारों की संख्या कम करनी चाहिए जिनके निपटारे में वर्षों लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति के मामले में कोई औचित्य नहीं होता फिर भी वे अपीलों पर अपीले करता चला जाता है एक अपील में हारने पर दूसरी, दूसरी के हारने पर तीसरी तथा वह रिट संबन्धी अपील भी करता है। इस दोष से केवल निजी नागरिक ही संबद्ध नहीं हैं अपितु इससे सरकारें भी संबद्ध हैं। एक संसद सदस्य के नाते मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मामले को जानता हूं। छोटे अधिकारी कितनी बार अपनी सेवा की शर्तें, वेतन अथवा सेवा निवृत्ति, पदोन्नति न दिये जाने के मामलों को वह भारी व्यय करके उच्च न्यायालयों में ले जाते हैं। एक बार यदि वे जीत जाते हैं तो प्रायः सरकार न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के स्थान पर अपील करना पसंद करती है परिणामस्वरूप वही छोटा व्यक्ति, लिपिक, और व्यय करने पर विवश हो जाता है, और यह विलम्बकारी तारीका न केवल निजी मुकदमें बाजों अपितु बड़ी-बड़ी कम्पनियों तथा स्वयं सरकार द्वारा भी अपनाया जाता है। (2) यदि हमें बकाया मामलों को कम करना है तथा मामलों के निपटारे में विलम्ब को रोकना है। तो हम एक से अधिक अपील न करें। अनुभव से पता है कि मेरे द्वारा फाइल की गई रिट अपीलों में से तीन चौथाई रद्द कर दी गई। इस सभा में पिछले दिनों एक उदाहरण सामने आया। किस प्रकार एक रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई जबकि उसकी कोई सार्थकता नहीं थी। धार्मिक व्यक्ति होने अथवा धार्मिक न होने का कोई प्रश्न नहीं—यह। मामला इतना तुच्छ था तो भी याचिका स्वीकार कर ली गई (व्यवधान) इसमें तो नोटिस भी जारी नहीं किया जाना चाहिए था (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि न्यायाधीश को इस याचिकाकी सुनवाई भी नहीं करनी चाहिए थी—जैसे ही उसका पता चला। उसे रद्द कर देना चाहिए था, इससे इस देश में इतनी हलचल से बचा जा सकता था तथा इसके अलावा भारत सरकार को राज्य सरकार को अपना महा-न्यायवादी को भेजना पड़ा तथा भारी व्यय एवं कष्ट उठाने पड़े।

विधि और न्याय मंत्री श्री ए० के० सेन) : हम ऐसा अधिकार नहीं रख सकते।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि आप चाहते हैं कि अधीनस्थ न्याय पालिका न्यायप्रणाली का प्रमुख भाग बने तथा अधिक प्रभावी हो तो आपको वहां पर अधिक योग्य व्यक्ति नियुक्त करने चाहिए मैं यह तो नहीं कहता कि हम प्रतिभाशाली तथायोग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह एक प्रकार की निन्दा होगी। न्यायपालिका की स्थिति जैसा कि 'बार' में वकीलों की तुलना में है, अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमानों में सुधार की गुंजायश है। उन्हें आवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा उनके बच्चों को शिक्षा सुविधाएं अवश्य दी जानी चाहिए। तभी आप अधिक व्यक्तियों को आकृष्ट कर

सकते हैं जो और सही ढंग से न्यायिक सुधार ला सकते हैं। जब मैं न्यायधीशों के आवास की बात करता हूं तो तब मुझे न्यायालय के आवास की बात भी करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में भारत भर से मुकदमे बाज आते हैं। कई बार न्यायालय के कक्षों में केरल, तमिलनाडु अथवा अन्य दूर-दूर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के लिए स्थान नहीं होता जहां कि वे अपने कागजात पर ध्यान दे सकें तथा टाईप करवा सकें। वे आहाते में पेड़ के नीचे बैठते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए कुछ लोगों ने दक्षिण में उसकी बैंच रखने की मांग की है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : दक्षिण के पेड़ मुकदमेबाजों को अधिक छाया दे पायेंगे। परन्तु उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि आपको प्रत्येक न्यायालय में मुकदमेबाजों के बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें रास्तों में पेड़ों के नीचे न बैठना पड़े।

महोदय, यह सरकार जिसके विधि मंत्री सम्माननीय सदस्य हैं भारत को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करने की बात करते हैं। जहां तक न्यायालयों तथा उनके कार्य-संचालन का संबन्ध है हम तो इस मामले में 20 वीं शताब्दी से भी बहुत पीछे हैं। दिये गये निर्णय के प्रति लेने में भी कई दिन लग जाते हैं क्योंकि वहां पर टंकन नहीं हैं न ही कोई पुस्तकालय तथा न ही अन्य सुविधाएं हैं। एंग्लो सैक्सन् न्यायशास्त्र के अनुसार पांच से पांच सौ मामलों को उद्धृत करना पड़ता है, यह व्यवस्था सम्पूर्ण विश्व में लागू नहीं होती मेरा सुझाव है कि हमें अपने न्यायालयों के संचालन का आधुनिकीकरण करना चाहिए। पुरानी टंकन प्रथा के स्थान पर फोटो कापी मशीनें लगा कर न समाप्त होने वाले बकाया काम को कम करना चाहिए।

आप फोटो कापी मशीनें क्यों नहीं लगाते? महोदय, आप न्यायालयों में कम्प्यूटर क्यों नहीं लगाते। यह कोई विशेष जटिल कार्य नहीं है। कम्प्यूटर विधि की किसी विशेष पहलू से सम्बन्धित मामलों का रख रखाव, संकलन क्यों नहीं कर सकते? इस समय हम देखते हैं..... (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यदि प्रश्नकाल का कार्य कम्प्यूटर द्वारा किया जाये तो हमें आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कम्प्यूटर अधिवक्ता!

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस समय हम इसे अनावश्यक तथा खर्चीला मानते हैं।

यदि एक बारइंगलैंड इसे अपना लेता है तो हम समझेंगे कि यह ग्राहण करने योग्य है। जो बात इंग्लैंड तथा अमरीका में ठीक है वह 15 वर्ष बाद हमारे लिए ग्राह्य हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वही बात कह रहे हैं। जो बात हमारे लिए ठीक है उसे अमरीका द्वारा पहले अपनाये जाने के स्थान पर वहां से ही क्यों न शुरू किया जाये।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा समय आ गया है कि हमें नये रचनात्मक कार्य करने चाहिए। हमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अन्य छोटे देश जिनकी कोई सांस्कृतिक परम्परा नहीं है, वे पहल करें तथा हम उनका अनुकरण करें।

कोई अन्य मामलों पर बोला जा सकता है। बकाया मामलों का निपटारा करने के सन्दर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी भी मामले में चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी उसे शुरू किये जाने से पहले कोई न्यायाधीश अथवा पीठासीन अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश करे। इस संदर्भ में मैं एक बहुत अच्छे अनुभव का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि गुजरात में लोक अदालत तथा महाराष्ट्र में न्याय पंचायतों तथा कुछ अन्य राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा उस विशेष क्षेत्र के मान्य व्यक्तियों ने उनकी बैठक सभापतित्व किया, प्रायः वे समझौता करा देते हैं। मुकदमे चलाने से पहले समझौते की कार्यवाही हो, उसे न्यायिक प्रणाली का तथा न्यायिक सुधार का अंग बनाया जाना चाहिए। अपने साक्षी अधिनियम में भी सुधारों की आवश्यकता है प्रमाण कौन प्रस्तुत करे इस बात पर भी विचार करना चाहिए। यह सभी तकनीकी मामले हैं।

मैं प्रो० मधु दंडवते के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सुझाव से सहमत हूं। इससे उच्च न्यायालयों तथा साधारण न्यायाधिकरणों पर भार कम होगा। सरकार प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक लायी है कुटुम्ब न्यायालय तथा अन्य संबद्ध विधेयक सभा में लाये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इससे बकाया मामलों में कमी आयेगी।

मुझे साझी सिविल संहिता की आवश्यकता पर भी आग्रह करना है। इस समय देश में में साझी सिविल कोड की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि विघटनकारी शक्तियां पनप न सकें। इस साझे कानून से जनता में एकता आयेगी मेरा देश। के उस भाग से सम्बंध है जो ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहां साझी विधि लागू है। मुझे याद है कि कुछ धार्मिक नेता गोआ गये तथा उन्होंने जनता पर व्यक्तिगत विधि अपनाने के लिए जोर दिया। पुरुषों को तो दुविधा थी लेकिन महिलाएं एक बात पर दृढ़ थी। उन्हें व्यक्तिगत विधि की आवश्यकता नहीं है। वे वही कानून चाहते हैं जो कि उन्हें उपलब्ध हैं इसलिए संबद्ध समुदाय के लोगों से परामर्श करके तथा उनकी सहमति से साझी सिविल संहिता बनायी जानी चाहिए। इस तर्क के साथ जोकि मुझे अत्यन्त प्रिय है मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : मैंने सोचा था कि प्रो० मधु दंडवते देश की मौजूदा न्यायपालिका के बारे में विचार प्रकट करेंगे। परन्तु अपने अधिकांश भाषण में उन्होंने राजनीतिक व्यंग्य कसे हैं और आरोप लगाए हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे विकास में एंग्लो-सैक्सन प्रकार की न्याय प्रणाली बसी है। न्यायापालिका की स्थिति कैसी भी हो लोगों का विश्वास अभी भी न्यायपालिका में बना हुआ है। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी कहा है अधिकांश मामले छोटे अदालतों में चलाए जाते हैं। परन्तु प्रो० दंडवते ने अपने पूरे भाषण में उन थोड़े से मामलों का जिक्र किया है जो उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में चलाए जाते हैं। उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की बहुत चिंता है जैसे कि देश में सारी

न्यायपालिका का काम वही करते हों। वास्तव में संविधान के बाद से हमारे देश की सम्पूर्ण न्याय प्रणाली बदल गई है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पास नीचे के न्यायालयों के कार्यों के पर्यवेक्षण की भी शक्ति है। परन्तु देश में अनेक किस्म की आदलतें काम कर रही हैं। लोग अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी अदालत में अवश्य आते हैं। चाहे वे भूमि सम्पत्ति 'से' दिवानी अधिकार, कराधान सम्बन्धी नियम से परिवहन विधि सम्बन्धी किसी से भी संबंधित मामले हों। निचली अदालतों और जिला अदालतों में प्रतिदिन अनेक किस्म के मुकदमे आते हैं। प्रतिदिन लाखों लोगों की जान का प्रश्न होता है उन पर फौजदारी मुकदमों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी प्रकार का न्यायिक सुधार किया जाना है तो मेरे विचार में वह सुधार केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को ही नहीं किया जाना चाहिए अपितु इस प्रकार की फौजदारी की मुकदमेबाजी को सुधारों के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फौजदारी मुकदमे ठीक और उचित ढंग से नहीं चलाए जाते हैं। पुलिस मामलों की छानबीन करती है। जिस समय शिकायत कर्त्ता थाने में एफ०आई०आर० दर्ज कराने जाता है उसी समय से वह मामले में हेर फेर शुरू कर देता है। वह तथ्य कभी थाने के समक्ष नहीं लाता। पुलिस अभियोग-पत्र दायर करने के लिए छान-बीन का काम अपने ऊपर ले लेती है। पहले यह होता था कि पुलिस वाले मामले को रजिस्टर नहीं करते थे क्योंकि उससे यह लगता है कि अपराधों में वृद्धि हो रही है। परन्तु राज्य सरकारों ने उन्हें आदेश दिये और उन्होंने मामले दर्ज करने आरम्भ कर दिए। अब उनका वह कर्त्तव्य खत्म हो गया है। यदि मामले दर्ज होते हैं तो अब इसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं है। इसलिए उन्हें मामले दर्ज करने पड़ते हैं। परन्तु मुझे खेद है कि फौजदारी मामलों की छानबीन अच्छे स्तर की नहीं है हालांकि हर कोई चाहता है कि इनकी अच्छी जांच पड़ताल की जाये।

उच्चतम न्यायालय ने कतिपय नियम और विनियम बनाये होंगे। अब उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है वह केवल बकाया मामलों की संख्या बढ़ा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी जिम्मेवारी स्वयं छोड़ दी है। उसने न्याय का मुख्य मार्ग छोड़कर न्याय के उप मार्गों को अपना लिया है। यदि एक पोस्ट कार्ड भी डाल दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय उस पोस्ट कार्ड पर सुनवाई आरम्भ कर देता है और छान-बीन का आदेश दे देता है। उसने एक सिपाही का काम भी संभाल लिया है। वह रजिस्ट्रार को जांच करने के लिए भेज देते हैं जिले के न्यायाधीश को जांच के लिए भेज देते हैं। यह उच्चतम न्यायालय का काम नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने वे सभी काम संभाल लिए हैं जो अन्य व्यक्तियों को करने चाहिए थे और इसी कारण बकाया मामलों में वृद्धि हो रही है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस द्वारा लगभग सभी मामलों में ठीक ढंग से छानबीन नहीं की जाती और पुलिस लोगों को अपराध स्वीकार करने के लिए विवश करती है। मुझे यहां और अंग्रेज़ों की स्काट लैण्ड यार्ड की छानबीन की प्रणाली में यही अन्तर दिखाई देता है। इंगलैण्ड में जांच करने वाले अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूत इस किस्म के होते हैं कि अपराधी के पास अपराध स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता परन्तु यहां जांच अपराध स्वीकार करने के बाद से आरम्भ होती है। अधिकांश पुलिस अधिकारी बहुत ही अच्छे कहानीकार होते हैं, वे उपन्यासकार होते हैं। वे अपराध का सारा दृश्य अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसके बाद वे अपराधियों को परेशान करना आरम्भ कर देते हैं और उनके मुंह में स्वीकारोक्ति धर

देते हैं जिससे बाद में निरुपवाद रूप से अपराधी मुकर जाते हैं। मैंने स्वयं कई ऐसे मामले देखे हैं जैसा कि जनसंख्या के वयोवृद्ध नेता दीन दयाल उपाध्याय की हत्या यह हत्या दुर्भाग्य वश मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र मुगल सराय में गाड़ी में यात्रा करते हुए हुई थी। इस मामले में कुछ गरीब लोगों को पकड़ा गया। उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। परन्तु वे सब मुकदमे पर विचार के समय मुकर गये। उस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई थी और राजनीतिक दलों ने बहुत शोर-शराबा मचाया था किन्तु उस मामले में कुछ नहीं निकला··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इसके साथ भारतीय साम्यवादी दल का क्या सम्बन्ध था ?

श्री श्याम लाल यादव : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो कह रहा हूं। यदि भारतीय साम्यवादी दल केन्द्रीय जांच ब्यूरो बन जाता है तो आप मुकदमे बाजी का भाग्य जानते ही हैं। अत: इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि अब न्यायिक व्यवस्था, अधिकतर अपराध सम्बन्धी मुकदमेबाजी और प्रक्रिया राज्य सरकारों के हाथों में है, और सौभाग्यवश इस मामले में बहुत से राज्यों में अन्य दलों का शासन है—बंगला, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र में, जो सदस्य दूसरी ओर बैठे हैं वे निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए अपनी चिन्ता प्रकट कर चुके हैं। अत: मैं उन सबसे और प्रत्येक से यह अनुरोध करूंगा कि अपराध के मामलों की जांच के बारे में हमें साहसपूर्ण कदम उठाना चाहिए और पुलिस से कहना चाहिए कि वह गवाहों और अभियोगी व्यक्तियों के केवल सही ब्यान ही दर्ज करे और यदि कोई मामला वापस किया जाता है अथवा वह तैयार नहीं किया जाता है तो इसके लिए पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनसे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि मुकदमा तैयार करने के लिए वे गलत बातें लिख दें, गवाही के बिना अनावश्यक रूप से आरोप-पत्र बनाएं क्योंकि किसी भी मुकदमे में खासकर हत्या या किसी भी गम्भीर अपराध के मुकदमे में कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए आगे आने को तैयार नहीं होता है। कोई भी गवाही नहीं देना चाहता है। अत. सिपाही को कहीं से पेशेवर गवाह लाने पड़ते हैं।

एक बार सिपाही जब समझ जाएगा कि मुकदमा तैयार करना या कहानी गढ़ना उसका कार्य नहीं है तो मैं समझता हूं कि वह लोगों का विश्वास जीत लेगा। अन्यथा लोग समझते हैं, चाहे वह शिकायत दर्ज कराने वाले हों, या अभियोगी हों कि पुलिस निष्पक्ष और सही नहीं है। अत: पुलिस की ओर से अपराध सम्बन्धी मामलों की जांच में किसी को विश्वास नहीं है। इसलिए, सभी दलों की ओर से इसके लिए साहसपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों का अवश्य ही कोई दर्शन होना चाहिए, मैं प्रो० दंडवते की इस बात से सहमत नहीं हूं कि न्यायाधीशों को प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश का दर्शन उसके परिवेश, मूल व्यवस्था और जीवन यापन से निर्मित होता है। वह किस प्रकार का आदमी है और वह समाज के किस वर्ग से आया है। यह सब उसके मन पर प्रभाव डालते हैं और निर्णय पर भी। मैं अनेक उदाहरणों का हवाला दे सकता हूं जब न्यायाधीश

मकान-मालिक होता है तो उसका विमान उसी दिशा में चलता है। मकान-मालिक किराएदार—चाहे वह मकान मालिक का हो या जमीन का अथवा उप किराएदार हो—की कठिनाईयों को नहीं समझता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उसी समुदाय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने चाहिए। शानदार इलाके में रहने वाले हवाई जहाज में यात्रा करने वाले, उच्च स्तर का जीवन-यापन करने वाले लोग गरीब आदमी की कठिनाईयों को नहीं समझ सकते हैं। मैं जानता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में जमीदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें कृषि भूमि के दखलकारों को अधिकार दिया गया था। यदि किसी निश्चित वर्ष में दखलकार के रूप में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है तो उसे अधिकार दिया जाता था। उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। इलाहबाद उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों ने दर्जनों निर्णय दिए थे जिनमें उन्होंने 'दखलकार' (आक्यूपेंट) शब्द की व्याख्या करने की कोशिश की। एक न्यायाधीश, जो बहुत अमीर आदमी था और समाज के बहुत ऊंचे स्तर वाले जमीदार परिवार से सम्बन्धित था, ने कहा कि दखल करने का अर्थ है "विधि सम्पत्ति दखलकार" दूसरे न्यायाधीश ने कहा "दखल करने से मतलब है कि वह भूमि पर खेती करता हो। अतः उन्होंने बहुत से परस्पर विरोधी निर्णय दिए। हर एक बार उत्तर प्रदेश के विधान-मण्डल को 'दखल करना (आक्यूपाइड)' शब्द का अर्थ बताने के लिए आगे आना पड़ा था कि इसका सीधा अर्थ दखल अथवा भूमि पर खेती करना है। अतः वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में यह कहना कि न्यायाधीशों को प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल पर प्रहार करना ही है। न्यायाधीश को संविधान के नीति-निदेशक तत्वों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उसे समाज के प्रति, गरीब आदमी के प्रति, अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो विपत्ति में दर-दर मारे फिरते हैं। उसे इन लोगों के प्रति और इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा वह जमीदार, पूंजीपति अथवा अत्याचारी नहीं होना चाहिए। उसे आतंककारी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह दर्शन दिमाग में रखना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : उसे बुर्जुआ भी नहीं होना चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव : नौकरशाह क्यों नहीं ? मैं जानता हूं कि नौकरशाह किस प्रकार काम करते हैं। भारतीय सिविल सेवा के पुराने अधिकारी स्वयं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में जाने के अभ्यस्त थे। किन्तु अब यह प्रवृत्ति बदल चुकी है। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं जा सकता है। ऐसी प्रथा पहले थी किन्तु आजकल नहीं है।

मेरे माननीय मित्र ने समान सिविल संहिता की बात की है। मेरे विचार से यह बहुत विवादास्पद विषय है। भारत में जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां समान संहिता संभव नहीं है क्योंकि यहां अनेक जातियां, धर्म तथा वर्ग के लोग रहते हैं। (व्यवधान) ऐसा करना संभव नहीं है और इससे मुसीबतें भी पैदा हो सकती हैं। अगर कोई ऐसा करेगा अथवा इस मामले को उठाने का साहस करेगा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा (व्यवधान)। मौजूदा व्यवस्था को ही बनाये रखा जाए। वैयक्तिक कानून तो हैं ही उनमें से ज्यादातर सम्पत्ति सम्बन्धी, विवाह

संबन्धी मामलों पर लागू होते हैं। कुछ मामलों में ये वैयक्तिक कानून लागू होते हैं, अन्य मामलों के लिए विधान मौजूद हैं। संसद तथा राज्य विधान सभाएं सामाजिक न्याय के लिए रोज कानून बनाती रहती हैं।

एक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्णयाधीन मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन समाज ने भी प्रगति की है। अब हर तरह के मुकदमों द्वारा हर कोई अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों अथवा अपने को होने वाली हानि के प्रति जागरूक हो गया है। इसलिए लोग अब छुटपुट मामलों में भी अदालत में चले जाते हैं तबादले जैसी छोटी-सी बात के लिए भी अदालत में चले जाते हैं। एक प्राईमरी स्कूल के अध्यापक का तबादला हुआ, अथवा गांव के लोकपाल का तबादला हुआ तो वह रोकादेश प्राप्त करने उच्च न्यायालय में चला जाएगा, मेरे अपने शहर वराणसी के एक सहायक इंजीनियर का तबादला किया गया तो उसने इलाहबाद उच्च न्यायालय से रोकादेश ले लिया और अब वहां एक ही जगह पर दो इन्जीनियर काम कर रहे हैं। इससे बहुत समस्या पैदा हुई है। संविधान ने लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वे अदालतों में चले जाते हैं। मैं तो अपने अनुभवों के आधार पर यही कहूंगा कि अधिकतर मामलों में वादी ही नहीं चाहते कि मुकदमे पर जल्दी निर्णय हो। वे तो चाहते हैं कि देरी होती रहे। देरी में ही उन्हें फायदा है। उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली अधिकतर याचिकाएं—उन्होंने 2/3 ही कहा है लेकिन मैं तो कहूंगा कि 90 प्रतिशत याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। वादी तो चाहते हैं कि रोकादेश मिल जाए और जब तक संभव हो रोकादेश जारी रहे उसी से उनका मतलब सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही काफी है। वे मुकदमे जीतने के लिए दायर नहीं करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप क्या यह सुझाव दे रहे हैं कि कोई ऐसी प्रणाली तैयार की जानी चाहिए जिससे कार्यवाई में देरी होती रहे ?

श्री श्याम लाल यादव : नहीं, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से मैंने यह बात स्पष्ट नहीं की कि न्यायाधीशों के कारण देरी नहीं होती बल्कि ज्यादातर वादी प्रतिवादियों के कारण फैसले में देरी होती है। उनके कारण देरी नहीं होती कभी वकील मौजूद नहीं है या फिर एक ही वकील बहुत सारे मुकदमे हाथ में ले लेता है और फिर उन्हें निपटाने की कोशिश करता है। मुकदमा दायर करने वाले भी चाहते हैं कि कार्यवाई आगे न बढ़ाने दी जाये। एक बार मैंने एक राजस्व-मुकदमा दायर किया। मैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से था। मामला 1963 में शुरू हुआ। मैंने अपने मुवक्किल को सलाह दी कि "कानूनन तो आप जीत नहीं सकते आप हार जाएंगे।" वे बोले "जब तक मुकदमा आप चला सकते हैं चलाइए।" और वह मामला अभी भी निम्न अदालत में विचाराधीन है। अभी तो गवाहियां भी शुरू नहीं हुई। वादी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन प्रतिवादी अभी जिंदा है। चुनाव के समय मैं उनसे गांव में मिला था। तो इस तरह कई बार लोग स्वयं चाहते हैं कि देरी हो ताकि उन्हे जो कुछ देना पड़ता हो वह न देना पड़े। चुनावों के दौरान बहुत से मुकदमे दायर किए जाएंगे। विधान सभा तथा संसदीय चुनाव ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों

सहकारी संस्थाओं, सभी स्कूलों, कालेजों और संस्थाओं में चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू होगी। इनसे अदालतों का बहुत समय जाया हो रहा है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : एडवोकेटों के बारे में कुछ बताइए—वे देश के लिए क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल यादव : बन्धु, मैं उस पर भी बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री श्याम लाल यादव : अब, अदालतों में भीड़ होती जा रही है। बेरोजगारी तथा और कोई नौकरी न मिलने के कारण, वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही व्यक्ति वकीलों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। अदालतों में स्थिति अच्छी नहीं है। बैठने की व्यवस्था नहीं है। शेड नहीं है लेकिन वे वहां अपना काम कर रहे हैं। वकीलों का काम तो अपने मुवक्किलों की सेवा करना है। मुवक्किल जो कहे वही उसे करना होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के वकील मुवक्किलों के साथ न्याय नहीं कर रहे। मौलिक अधिकारों, प्रजातंत्र तथा कानून की बातें करने वाले बहुत से वकील मुवक्किलों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। वे उनसे बहुत अधिक पैसा लेते हैं। एक मिनट का 1500 रुपये वसूल कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि उच्चतम न्यायालय में वकील एक मिनट बैठते हैं और 1500 रुपए लेते हैं (व्यवधान)। वे बहुत अधिक पैसा लेते हैं। सभी हिसाब से यह रकम ज्यादा है। जितनी अधिक वे फीस लेते हैं उतना अधिक·····

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) महोदय वे अदालत पर लांछन लगा रहे हैं ; माननीय मन्त्री तो स्वयं एक प्रमुख वकील हैं।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल यादव : यह लांछन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, देश में कुछ ऐसे नामी वकील हैं जिन्हें प्रजातन्त्र, कानून आदि की अधिक चिन्ता है। जितना मुखरित होकर, जितना ऊंचा होकर वे बोलते हैं उतनी अधिक ही फीस वे अपने मुवक्किलों से वसूल करते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम जानता हूं और उनमें से कुछ लोग संसद के सदस्य भी रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनकी दोहरी नीति है। एक तरफ वे प्रजातन्त्र, कानून या न्याय की बात करते हैं तो दूसरी ओर लोगों को लूटते हैं। अतः महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जो भी न्यायिक सुधार हो, यह तो हमेशा महत्वपूर्ण और सदैव चर्चा का विषय बना रहेगा। चाहे न्यायिक सुधार किसी भी तरह किए जायें लेकिन उनसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए। अभी भी थोड़ा विश्वास उनमें शेष है। इसलिए झगड़ा आदि होने पर वे

फैसले के लिए अदालतों में जाते हैं। उनका यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। भारत की न्याय-पालिका काफी हद तक ईमानदार रही है और उसका काम संतोषजनक है। न्यायपालिका से संबंधित लोगों को कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, न्यायिक सुधार संबंधी विषय इतना वृहद है कि निर्धारित किए गए इतने कम समय में हम इसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इस साल के बजट पर हुई चर्चा में विधि तथा न्याय मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं हुई है। आशा है अगले साल उस पर चर्चा की जाएगी।

क्रमिक रूप से कहूं तो यह विधेयक विशिष्ट परिस्थितियों में सदन के समक्ष रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा न्यायाधीशों के स्थानान्तरण संबंधी नीति को कार्यान्वित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में टिप्पणी की गई है। प्रथम दृष्टया मामला है कि सरकार अपनी पसन्द के न्यायाधीश चुन रही है जिसके परिणामस्वरूप चापलूस न्यायाधीश न्याय-पालिका में आ रहे हैं। इस बारे में समाचारपत्रों में प्रमुखता से छपा था। इसी कारण प्रो० के०के० तिवारी ने इस बारे में सदन में कहा कि यह ऐसे न्यायाधीश द्वारा दिया गया राजनीतिक फैसला है जिसे जनता सरकार के शासन के दौरान नियुक्त किया गया था। परिणामस्वरूप हमने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे हमें इस विषय पर बोलने के लिए समय दें और उन्होंने आज का दिन चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था और प्रधानमन्त्री ने भी इस सदन में कहा था कि पांच वर्षों के अन्दर न्यायिक सुधार किए जाएंगे ताकि जरूरतमन्द तथा गरीबों का हित सिद्ध हो सके। मौजूदा प्रणाली में क्रान्तिकारी सुधार किए जाएंगे। हमारी समझ के अनुसार उनका कहना यह है कि 80%-90% व्यक्तियों की अदालतों तक पहुंच ही नहीं है। अधिकतर ऐसे लोगों के लिए अदालतें पहुंच से बाहर की चीज हैं। इन पांच सालों के अन्दर न्याय व्यवस्था में सुधार किए जायेंगे ताकि गरीब से गरीब लोगों के पास भी एक ऐसा कारगर माध्यम हो सके कि वे अपने झगड़े आपस में सुलझा सकें और राज्य तथा नागरिकों के बीच भी झगड़े सुलझ सकें। अगर मुझे ठीक से याद है तो लगभग दो-तीन महीने पूर्व बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रधानमन्त्री तथा विधि मन्त्री ने न्याय-पालिका तथा उसकी स्वतन्त्रता बनाए रखने तथा न्याय प्रणाली में सुधार करने तथा साथ ही न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप न करने संबंधी वक्तव्य दिए थे।

यह बहुत जरूरी है कि आरम्भिक स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली आदि में सुधार लाया जाए ताकि भारत के आम आदमी की इस तक पहुंच हो और उसे वहां न्याय मिल सके।

अदालती फीस, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता, चल-फिरती अदालतें, ट्रायल कोर्टस का गठन, आम आदमी को न्याय सरलता से सुलभ हो, मामलों का शीघ्र निपटान आदि महत्वपूर्ण

[श्री ई० अय्यपु रेड्डी]

मसले आरम्भिक स्तर पर किए जाने वाले न्यायिक सुधारों से संबंध रखते हैं।

विषय काफी विशाल होने के कारण में इन सभी चीजों को नहीं लूंगा। मैं उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी तक ही सीमित रहूंगा जिसके कारण यह चर्चा शुरू हुई। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि राज्यों में, दूसरे राज्य के व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए तथा एक-तिहाई न्यायाधीश भी राज्य विशेष के न होकर दूसरे राज्यों के होने चाहिएं। संभवतः विधि आयोग ने यह सिफारिश की है। विधि तथा न्याय संबंधी पिछली सलाहकार समिति ने भी यही बात कही थी। सिद्धान्ततः यह बात बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है लेकिन इसे लागू करने में सरकार को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहा जाता है कि लगभग किसी राज्य में एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए। लेकिन न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करके ऐसा करने में बहुत सफलता नहीं मिली है। जहां तक बाहर के व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का संबंध है, 12 या 13 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनमें दूसरे राज्य के न्यायाधीश हैं। लेकिन इस मामले में अगर न्यायाधीशों तथा न्यायपालिका की राय मांगी जाए तो ऐसा लगता है कि वे स्थानातरणों से खुश नहीं हैं। इसमें बहुत-सी कठिनाइयां पेश आती हैं। अतः इस योजना को लागू करने पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है।

यहां मैं मुख्य न्यायाधीश तथा उपराष्ट्रपति रह चुके हमारे महान न्यायमूर्ति श्री हिदायतुल्ला को उद्धत करूंगा। आंध्र प्रदेश में एक बार बोलते हुए उन्होंने कहा था कि एक न्यायाधीश को राज्य के कानूनों का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य का न्यायाधीश बनाने से कोई फायदा नहीं जो किसी और राज्य का निवासी है क्योंकि वह उस राज्य के कानूनों से पूरी तरह परिचित नहीं होगा। केन्द्रीय कानून तो एक से होते हैं लेकिन राज्यों के कानूनों में परस्पर भिन्नता होती है। अलग-अलग राज्यों के किसी न किसी तरह अपने-अपने स्थानीय कानून बन जाते हैं। वे समान हो सकते हैं लेकिन निश्चित तौर पर उनमें अन्तर होगा।

अतः किसी राज्य में एक तिहाई न्यायाधीशों को दूसरे राज्यों से लाना व्यवहारतः संभव नहीं है क्योंकि इससे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति इस सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। अगर किसी वकील की वकालत बढ़िया चल रही हो और उससे उस राज्य से बाहर वकालत करने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा करने से साफ मना कर देगा। किसी वर्तमान न्यायाधीश को दूसरे राज्य में जाने के लिए कहा जाए तो वह सोचेगा कि उसे सजा मिल रही है। वह बाहर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि बाहर जाने पर उसे अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर इस बारे में न्यायाधीशों से उनकी राय पूछी जाए तो सम्भवतः 5-10% ही इसके लिए हां करेंगे। शुरू में यह सिद्धान्त अपनाया गया था कि किसी भी न्यायाधीश को तब तक दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाए जब तक कि वह इसके लिए अपनी सहमति न दे दे। उसकी सहमति जरूर प्राप्त करनी पड़ती थी अन्यथा यह तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दूसरे राज्य में भेजना हुआ।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उसे कोई से दो राज्य चुनने का अवसर दें।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : नियुक्ति होने के बाद अगर एक न्यायाधीश अपने राज्य में कुछ समय काम करता है तो सामान्यतः वह अपने राज्य से बाहर नहीं जाना चाहेगा। वह पास का ही कोई ऐसा राज्य चुनेगा जो उसके अपने निवास स्थान से जुड़ा हुआ हो। वह ऐसा इसलिए नहीं करेगा कि उसे वहां जाना पसंद है बल्कि ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं होगा लेकिन शुरू में यह सिद्धांत बनाया गया था कि जब तक स्वयं न्यायाधीश न चाहे उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए भी मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति लेनी होगी। शुरू में इस सिद्धांत का पालन किया जाता था भले ही कोई पक्का नियम नहीं था कि किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता जो दूसरे राज्य का निवासी हो। ऐसे बहुत से न्यायाधीश हुए हैं और उन्होंने अपनी नियुक्ति के राज्य में बहुत अच्छी तरह काम किया वहां के कानूनों में पारंगत हो गए। लेकिन मामले का यह एक अलग पहलू है। उनका कहना है कि एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए। अगर इस समय मौजूदा आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलेगा कि न्यायाधीशों का 1/10 भाग भी दूसरे राज्यों के नहीं हैं। वास्तविकता यह है सरकार का कहना है कि वह न्यायाधीशों का स्थानांतरण तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश अपनी सिफारिश न करें।

अगर वे इस सिद्धांत पर अडिग रहे कि जब तक मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के तबादले की सिफारिश नहीं करते तब तक वे उसका तबादला नहीं करेंगे तो इससे सरकार की विश्वसनीयता पर भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी अथवा यह नहीं कहा जाएगा कि सरकार अनावश्यक ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल रही है। परन्तु भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी एक-तिहाई न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश करना कठिन होगा। यह कोटा पूरा करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए, ऐसा अटल नियम नहीं होना चाहिए कि एक-तिहाई न्यायाधीश अवश्य ही राज्य के बाहर से हों। उनमें से ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध जिनके मामले में मुख्य न्यायाधीश को यह पता लगे कि उनकी निष्पक्षता पर शक की गुंजाइश है तो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर उनका तबादला किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

मुख्य न्यायाधीश की राज्य के बाहर से नियुक्ति के प्रश्न पर मैं फिर कहूंगा कि सरकार को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपातकाल के दौरान राज्य के बाहर से लाए गए न्यायाधीशों के विषय में अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। उन न्यायाधीशों, जिन्होंने दूसरे उच्च न्यायालयों में जाकर सेवायें की थीं, के विषय में हमारा अनुभव सुखद नहीं रहा है। वे यह नहीं कहते हैं कि जिन न्यायालयों में उनका तबादला किया गया था वहां पर वे अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग कर सके थे। यह सत्य है कि नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश की आलोचना की गई है। कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने इस नतीजे पर पहुंचने में मदद की कि वे पक्षपात में विश्वास रखते हैं। यह सच है कि कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने जो कुछ सिफारिशें की उनसे यह आभास होता था कि वे अपने व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं। उन्होंने

[श्री ई० अयप्पु रेड्डी]

अपनी परम्परा कायम करने की कोशिश अवश्य की थी। आलोचना का कोई आधार ही नहीं ऐसी बात नहीं है। परन्तु फिर भी, बाहर से मुख्य न्यायाधीश लाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक मुख्य न्यायाधीश जो मेरे राज्य में आए थे, को सरलता से कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने गुमराह कर दिया था क्योंकि वह उस स्थान के लिए बिल्कुल नए थे।

कुछ लोगों ने, जिनका निजी स्वार्थ था, उनसे संबंध स्थापित करके उन्हें गुमराह कर दिया। सेवा निवृत्त होने के बहुत बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उन्हें उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया था। अगर मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य का होगा तो कम से कम वह गुमराह तो नहीं होगा। केवल एक ही संरक्षण संविधान में उपलब्ध कराया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही चयन करने के मामले में सब कुछ हैं। उसके द्वारा किए गये चयन को मुख्यमंत्री तथा उच्चतम न्यायालय से भी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अतः काफी संरक्षण उपलब्ध है। यह कहना ठीक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की केवल अपने अनुचरों तथा उनकी हां में हां करने वाले लोगों से भर देंगे। काफी संरक्षण उपलब्ध हैं। वास्तव में, राज्य से ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रणाली बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करती रही है। यदा-कदा कुछ गलतियां हुई हैं अथवा उनकी सिफारिशों पर शंका करने की कुछ गुंजाइश रही है। फिर भी मुख्यमंत्री स्वयं अपनी सिफारिशें करते रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने लोगों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है, अगर मुख्यमन्त्री को अपने लोगों को उच्च न्यायालय में रखने की छूट है, तो मुख्य न्यायाधीश को क्यों नहीं हो ? अतः इसमें एक मानवीय मुद्दा सम्मिलित है। यह सब नैतिकता पर निर्भर है। इन सब चीजों का निराकरण हम किसी योजना अथवा नीति से नहीं कर सकते हैं। हम अवश्य ही सरकार को इस सिद्धांत पर कि मुख्य न्यायाधीश को अवश्य ही राज्य से बाहर का तथा न्यायधीशों का एक तिहाई कोटा राज्य से बाहर के जजों की नियुक्ति से पूरा किया जाए, जल्दबाजी में लागू करने के लिए नहीं कहेंगे। उच्चतम न्यायालय अथवा किसी व्यक्ति के लिए यह कहने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि सरकार चुन कर रखने की नीति अपना रही है।

उस मामले के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था, शपथ-पत्र में दिये गए तथ्यों के आधार पर, जिसे प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि उस खास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को काफी लम्बे समय तक कार्यवाहक, के रूप में रखा गया था; वह काफी समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। मुझे नहीं मालूम क्यों उन्हें स्थाई नहीं किया गया था। उन्हें तब स्थाई किया गया जब वह उन निर्धारित मार्गनिर्देशों की शर्तों को पूरा कर चुके थे जिनमें कहा गया है कि अगर एक मुख्य न्यायाधीश को एक वर्ष के अन्दर सेवा-निवृत होना है, तो उसका तबादला उस राज्य से नहीं होगा। अतः उन्हें काफी लम्बे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की तरह रखा गया, उसके

बाद स्थाई किया गया तथा केवल तभी उसकी सिफारिशों को भी क्रियान्वित किया गया था। यहां पर उच्चतम न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने की गुंजाइश की कि इस चयन में कुछ भाई-भतिजावाद अपनाया गया है, नियुक्तियों का पुष्टि करने में भाई-भतीजावाद अपनाया गया।

मैं विधि मन्त्री तथा सरकार का हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह बहुत पहले ही कर दिया था और यही ठीक दृष्टिकोण है। किसी मुख्य न्यायाधीश के सेवा निवृत होने से कम से कम एक या दो माह पहले ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देने का यह बहुत अच्छा सिद्धांत है। परन्तु, दुर्भाग्य से, वे इस पर टिकते नहीं है। कुछ उच्च न्यायालयों में कई माह तक कार्यवाहक न्यायाधीश चलते रहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हांलांकि वहां उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध था।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : मेरे ही राज्य में भूतपूर्व-मुख्य न्यायाधीश बहुत माह तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे हैं। हालाकि हमें ज्ञात होता है कि कौन-सा मुख्य न्यायाधीश कब सेवा निवृत होने जा रहा है। विधि मन्त्रालय का क्या कार्य है? अत: बहुत पहले से ही आपको मुख्य न्यायाधीश का चयन कर लेना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि तुरंत ही उसकी नियुक्ति हो जाए।

अब अधिकांश उच्च न्यायालयों में एक हास्यास्पद स्थिति रहती है। वहां कार्यवाहक स्थायी मुख्य न्यायाधीश और स्थायी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, एक उच्च न्यायालय में यह दलील दी गई थी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त की कोई गुंजाइश ही नहीं है। संविधान में कहीं भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश होता है और न कि एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अत: इन बातों को दूर करना चाहिए।

महोदय, मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका का है। यह एक संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कहने की गुंजाइश ही न रहे कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका के आगे पीछे घूमने पर मजबूर किया जा रहा है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी यह कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका किसी भी तरह से कार्यपालिका पर निर्भर न रहे। संविधान में यह भी व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सचिवालय, सेवा शर्तें तथा अन्य ऐसी सभी बातें पर सम्बद्ध न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिएं, न कि सरकार के। अत:, इस मूल सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए तथा प्रभावी तथा कुशल तंत्र देने के इस मूल उद्देश्य से कि, नागरिकों व नागरिकों तथा राज्य के बीच झगड़ोंको निपटाने के लिए न्यायपालिका है यह बहुत ही आवश्यक है कि हम शीघ्र न्यायिक सुधार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए निर्धारित दो घंटे का समय लगभग समाप्त हो चुका है। अब आप ये बतायें कि हम कितनी देर और कार्य कर सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : समय एक घंटा और बढ़ा दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम एक घंटा बढ़ायेंगे और उसके बाद देखेंगे ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० दंडवते ने न्यायिक सुधारों पर बोलते हुए लगभग आरम्भ में ही प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा बंधुआ न्यायपालिका कहकर शुरूआत की थी। मेरा नम्र निवेदन है कि ये दोनों ही शब्दावलियां सही हैं।

6.00 म० प०

क्योंकि हम एक बंधनकारी चीज की बात कर रहे हैं तथा उस बन्धन की बात कर रहे हैं जो सामाजिक दर्शन शास्त्र से जुड़ा है और जिस हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। हम सरकार के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं चाहते। हम कोई लगाव, कोई पक्षपात सरकार के साथ नहीं चाहते हैं। हम स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं। हम चाहते है कि वे न्यायाधीशों के रूप में अपना कर्त्तव्य करें जो, देश की चेतना के प्रति वचनबद्धता है, हम बंधी दार्शनिकता के साथ वचनबद्धता चाहते हैं, जो हमारे संविधान का सामाजिक अंग है। वास्तव में, मैं बहुत ही अप्रसन्न था तथा मुझे आश्चर्य हुआ था·····

प्रो० मधु दंडवते : मैंने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है अब मैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका का हिमायती हूं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अगर यही कसौटी है तो·····

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : केवल यही एक कसौटी है·····

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप ऐसा सोचकर कह रहे हैं, कि न्यायाधीश आंशिकत असंवैधानिक निर्णय देते रहे हैं और कि आप संविधान के प्रति प्रतिबद्धता चाहते हैं ? आपकी यह मंशा है···

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमने ऐसा कभी नहीं कहा···

श्री अमल दत्त : आप जो कह रहे हैं उसकी कुछ ऐसी ध्वनि निकलती है ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते ? मैंने मुश्किल से दो शब्द ही अब तक बोले हैं और आपने परेशान करना शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है। हम राज्य नीति के निदेशक तत्वों की बात इसलिए करते है क्योंकि न्यायपालिका ने स्वयं यह माना है कि राज्य नीति के निदेशक तत्व ही संविधान की भावना का प्रतिनिधित्व

करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कांग्रेस दल इसकी बात करता है। वास्तव में न्यायापालिका के कुछ सदस्यों ने, जिनके साथ विरोधी दल के कुछ सस्दयों ने हमदर्दी व्यक्त की है तथा प्रशंसा की है, जिसमें न्यायमूर्ति एच० आर० खन्ना भी सम्मिलित हैं, जिनकी प्रो० दंड़वते ने तारीफ की है, यह कहा है । इसी कारण जब हम वचनबद्ध न्यायपालिका तथा बंधुआ न्यायपालिका की बात करते हैं तो हम एक दर्शन शास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता की बात कर रहे होते हैं, न किसी दल, न किसी सरकार तथा न किसी विशेष वर्ग समूह के लोगों के प्रति वचनबद्धता की । हम बिल्कुल स्पष्ट हैं जब हम वचनबद्धता की बात करते हैं, जब हम बंधनों की बात करते हैं, हमारा मतलब सामाजिक दर्शन से होता है। इस संदर्भ में, हम ऐसा क्यो कहते हैं, इसका एक कारण है। यह अकारण नहीं है। एक सदस्य ने मेरी मौजूदगी में किरायेदार उप किरायेदार तथा मालिक की बात कही, उन्होंने उन कुछ कारणों तथा शक्तियों के बारे में कहा जो अंतश्चेतना में मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य करती रहती हैं। पहले भी इस उद्धरण को विशेष तौर पर प्रो० दंड़वते के फायदे के लिए दोहराऊंगा जिन्होंने वचनबद्ध तथा बंधुआ न्यायपालिका की बात कही। यह एक कथन है जिसे ब्रिटेन में न्यायमूर्ति बैंजामिन कैरडोजो की पुस्तक में कहा गया है

> "चेतना की गहराई में अन्य शक्तियां होती हैं, प्रिय व अप्रिय पूर्वाभिरूचि व पूर्वाग्रह, सहज वृत्ति व भावनाएं तथा आदतें एवम् धारणाएं इन सबको मिलाकर एक व्यक्ति बनता है,—चाहे वह मुकदमेबाज हो अथवा न्यायाधीश।"

यही वे सहज-वृतियां, भावनाएं तथा आदतें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे संविधान के अनुरूप हों। हमें एक ऐसा न्यायाधीश नहीं चाहिए जो देश के उच्चतम न्यायालय में बैठकर और शपथ खाकर अथवा संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की कसम खाकर, हमारे संविधान के दर्शन के विरुद्ध बोलता है। भूमिका को लिखने का कोई अर्थ नहीं है, मार्गदर्शक सिद्धांत रखने का कोई अर्थ नहीं है अगर हम यह स्पष्ट नहीं करते कि न्यायाधीश इनके प्रति समर्पित हैं। और दुर्भाग्य से गत समय में ऐसी धारणा रही है; यह वचनबद्धता केवल मूल अधिकारों के प्रति थी, केवल व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति, और संविधान को एक रूप से देखने योग्य नहीं थी। यह एक संजीदा दस्तावेज है। इसको अलग-अलग टुकड़े करके नहीं देखना चाहिए, केवल सुविधाजनक हिस्सों पर ही झुकाव नहीं होना चाहिए। दस्तावेज को उसके सम्पूर्ण संदर्भ तथा उसकी सम्पूर्ण दार्शनिकता में देखा जाना चाहिए। इस समय में प्रोफेसर साहेब के कथन से सहमत हूं कि सही व्यक्ति को मुख्य न्यायधीश चुना गया है ।

जो कुछ मैं इस बात पर कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस व्यक्ति का चयन मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हुआ है उसने निर्णय दिये हैं—बहुत ही आलोचनात्मक, बहुत ही शक्तिशाली तथा बहुत ही सख्त निर्णय—सरकार के विरुद्ध तथा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध। इसके बावजूद, जैसाकि आप जानते हैं उन्हें मुख्य न्यायधीश चुना गया है। यही सिद्ध करता है कि कांग्रेस सरकार चापलूसों को न्यायाधीश बनाने में रूचि नहीं रखती है। हमारी रूचि स्वतंत्र लोगों को रखने में है, हमारी रूचि स्पष्ट विचारों वाले लोगों में है, जो स्वतंत्र ईमानदार तथा न्यायी हैं। मैं नहीं जानता कि यह गलती से कहा गया है अथवा नहीं, परन्तु प्रो० साहिब ने बोलते हुए कहा है कि तीन

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

संगठन है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने, विधायिका, न्यायपालिका तथा जनता का उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'प्रेस' का भी उल्लेख किया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हां। प्रेस चौथी है।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं बोलता हूं तब भी मुझे सुरक्षा की जरूरत होती है।

विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री ऐ० के० सेन) : वह भी विधायिका के दायरे में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर जी, आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : जैसा कि मंत्री महोदय का कहना है, वह भी विधानमंडल के क्षेत्र में आता है। यदि मैं ठीक से समझता हूं, मेरा मुद्दा यह है कि जनता प्रधान है और वह सर्वोच्च है। संविधान के तीन अंग हैं (1) न्यायपालिका (2) जनता तथा (3) कार्यपालिका और निःसंदेह यदि इन तीनों में समन्वय नहीं होगा ये तीनों स्वतंत्र नहीं होते तथा इनका अपना कार्य क्षेत्र नहीं होता तो संविधान का ढांचा लड़खड़ा जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें से कोई भी, चाहे वह विधान मंडल, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका हो संविधान के सामाजिक दर्शन से बाहर जा सकता है। ये तीनों इसे मानने के लिए बाध्य हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कार्यपालिका को विधान मंडल तथा न्यायपालिका के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : मैं उसे एक ही स्तर पर नहीं रख रहा हूं। यह भी एक दूसरा अंग है। यह विधान मंडल के प्रति जवाब देह है। लेकिन जनता सर्वोच्च है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हमें स्वयं को जनता से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि मात्र हैं। इस स्थिति में, एक दूसरी बात भी संगत हो सकती है। मैं प्रोफेसर दण्डवते के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों द्वारा बड़े पद संभालने, किसी प्राधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के साथ काम करने या परामर्श देने पर रोक होनी चाहिए। हम कुछ ऐसे न्यायाधीशों को जानते हैं—मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं—जो आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और यहां तक कि उनमें से कुछ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, निजी क्षेत्र में अथवा इसके लिए सलाहकार बन गए हैं। वस्तुतः उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति शाह बाम्बे डाईंग के सलाहकार थे। मैं एक और बढ़िया उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं कि हमारे मुख्य न्यायाधीश एच० आर० खन्ना परामर्शदाता हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे रोका जाना चाहिए ताकि वे सेवा

निवृत्ति के पश्चात् कुछ और न करें। मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत हूं कि जहां जांच, आदि कराना आवश्यक हो, जहां लोक हित में किसी व्यक्ति की जरूरत हो, वहां हम इन्हें नियुक्त कर सकते हैं। वह दूसरी बात है। लेकिन नौकरी करना और सलाहकार बनना ऐसी बातें हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीशों की बदनामी से बचना चाहिए। आज न्यायपालिका के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वे सेवा निवृत्ति के बाद और जगह नौकरी पाने की फिराक में रहते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप देखिए, किस तरह सर्वसम्मति व्यक्त की जा रही है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं दूसरे मुद्दा का उल्लेख करना चाहता हूं और वह न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में है। वास्तव में न्यायमूर्ति एच० आर० खन्ना विधि आयोग के अध्यक्ष थे। प्रोफेसर साहब, यह आपके लिए संगत है। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर 80वीं रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के एक-तिहाई मुख्य न्यायाधीश बाहर से लिए जाने चाहिए। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यही न्यायमूर्ति श्री एच० आर० खन्ना राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह एक सम्माननीय व्यक्ति नहीं हैं। मैं निःसन्देह एक व्यक्ति के रूप में उनका आदर करता हूं। लेकिन निःसन्देह मैं यह कह सकता हूं कि इन्होंने ही यह सिफारिश की और यह सिफारिश उस नाते नहीं, अपितु विधि आयोग के अध्यक्ष के नाते की और इसीलिए कांग्रेस सरकार विधि आयोग की सिफारिशें लागू कर रही है। मेरे पास एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुझे विश्वास है कि विधि मन्त्री मेरी इस से बात सहमत होंगे और वह यह कि वर्तमान में स्थानांतरण और नियुक्तियां केवल मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही नहीं, अपितु मुझे विश्वास है, उनकी सहमति से की जाती हैं क्योंकि हम बहुत सावधान रहे हैं। जब मामले न्यायालय में गए तो कई मामलों में यह बात सिद्ध हुई। तब फाइल पर मुख्य न्यायाधीश के हस्ताक्षर और टिप्पणियों का पता चला। वास्तव में, वे साइकलोस्टाइलड थे और उन्हें परिचालित किया गया। आपको सभी न्यायाधीशों के मामले याद होंगे।

अतः इसमें और अधिक सच्चाई नहीं है कि मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श नहीं किया गया। अन्यथा प्रो० दंडवते को—जैसा कि श्री फैलीरो ने कहा—मुख्य न्यायाधीशों पर भी सन्देह है। यदि वह हम पर भी संदेह करते हैं, तो यह तो बात समझने में आती है क्योंकि यह राजनीतिक मतभेद है। यदि वे मुख्य न्यायाधीशों पर संदेह करते हैं तो यह ज्यादती होगी।

प्रो० मधु दंडवते : वह प्यारे युवा पुरुष हैं। मैं उन पर सन्देह नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही नहीं, कोई भी उन पर सन्देह नहीं करेगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरे मित्र का कहना है "ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि विभिन्न न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जा रही है। वास्तव में परामर्श को बड़े अर्थ में सहमति कह दिया गया है और सहमति होने पर ही नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिए एक मामले में न्यायाधीश द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों से उसके दर्शन तथा विचारधारा का पता चलता है।

उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस सरकार निष्पक्ष और ईमानदार हो सकती है और उनकी मूल नियुक्ति के समय की पोल खुल रही है। वास्तव में, यदि मैं यह समझ पाया हूं कि जब किसी विशेष न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय पीठ में पदोन्नति की गई थी तो क्या वह वरिष्ठतम नहीं थे। वह निश्चित रूप से वरिष्ठतम नहीं थे और मैं समझता हूं विपक्ष को इस बात की जानकारी है। बहुत से व्यक्तियों के स्थान पर उनकी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय पीठ में कर दी गई। उनकी नियुक्ति की गई जब कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं थी और निःसन्देह विपक्ष के कई सदस्यों की भांति वह भी यह सोचते होंगे कि जिस भी व्यक्ति ने उनकी नियुक्ति की उनके प्रति वह निष्ठावान, है आदि। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल और हमारी सरकार इस तरह की निष्ठा नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि न्यायाधीश स्वतंत्र हों और जैसा कि मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि वह हमारे संविधान में दिए गए समाज दर्शन के प्रति वचनबद्ध रहें।

अन्य मुद्दा यह है कि जहां तक विधि आयोग का संबंध है, इसने स्पष्ट कहा था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति की पदोन्नति करना आवश्यक भी हो सकता है और निश्चय ही अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अधिक्रमण का मामला हल हो गया है। लेकिन मैंने विधि आयोग का उद्धरण इसलिए दिया क्योंकि विधि आयोग के अध्यक्ष और रिपोर्ट तैयार करने वाले न्यायमूर्ति एच० आर० खन्ना जिन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न केवल विपक्ष का और प्रो० मधु दंडवते का समर्थन प्राप्त था अपितु उन्हें समूचे विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था तथा वे उनका सम्मान भी करते थे। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आवश्यक हो सकता है और इसने इस बात का अनुमोदन किया और जोर दिया कि एक तिहाई जजों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए और इस बात पर बल दिया कि किसी भी न्यायाधीश का चयन सदन में से अथवा राज्य में से नहीं किया जाना चाहिए और यह कह कर इसे न्यायोचित ठहराया गया कि इससे ईमानदारी आएगी, इनका स्तर बढ़ेगा और उसमें आंतरिक या राज्य की अथवा कानूनी राजनीति अन्तर्गस्त नहीं होगी तथा न्यायाधीशों की राजनीति से न्यायालय प्रभावित नहीं होगा। अतः जो कुछ किया जा रहा है वह मनमाने ढंग से नहीं किया जा रहा है। यह वर्गीकृत रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या ऐसा प्रत्येक राज्य में किया गया है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : ऐसा हर जगह किया जा रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नहीं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कृपया कोई विशिष्ट मामला उद्धृत कीजिए। यदि आप जम्मू और कश्मीर के बारे में पूछना चाहते हैं तो संबंधित व्यक्ति भूतपूर्व मन्त्री होने चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपको नवीनतम आंकड़े बताने चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : न्यायिक सुधारों का मामला केवल प्रतिबद्ध या वह न्यायपालिका तक अथवा इस प्रश्न तक सीमित नहीं है कि किसे कहां नियुक्त किया गया है लेकिन हमारी समस्या अनिर्णित पड़े मुकदमों की है; और वकील होने के नाते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए बिना अनिर्णित मामलों की समस्या का समाधान किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमने न्यायाधीशों के वेतन भी नहीं बढ़ाए हैं जो कि बहुत आवश्यक है, मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि आज यह कहना अनुचित है कि न्यायाधीश को 3500 रुपये वेतन देना पर्याप्त है।

प्रो० मधु दंडवते : पैसों के मामलों में वह मुझसे सहमत हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा विचार था कि दर्शन के मामले में भी प्रोफेसर साहब मुझसे सहमत होंगे। वह उससे मुकर गये हैं। चूंकि हमारे पास बहुत मामले हैं इसलिए हमें और अधिक जजों की आवश्यकता है और अधिक मामले होने का कारण केवल अधिक जनसंख्या का होना ही नहीं है अपितु इसका कारण यह भी है कि हमारी जनता अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक हो गई है और शिक्षा, साक्षरण के प्रसार से लोकतंत्र अधिक आ गया है। लोग अपने अधिकारों के लिए न्यायालयों में आ रहे हैं। अब समय आ गया है जबकि हमें 13 या 15 या 20 अथवा 30 न्यायाधीशों के नियुक्त करने का विचार छोड़ देना चाहिए और इसका सही विश्लेषण करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के पास और छोटी अदालतों के पास कितने-कितने मामले हैं और कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है मेरा विधि मन्त्री से यह नम्र निवेदन है और मुझे विश्वास है कि यदि वह न्यायाधीशों को उचित वेतन देंगे तो अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इस क्षेत्र में आयेंगे। यह बात नहीं है कि अब प्रतिभाशाली व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं हैं। इस तरह जो लोग आयेंगे वे राष्ट्र तथा सामाजिक—दर्शन के प्रति निष्ठावान होंगे। यदि हम उनका वेतन बढ़ा सकें और अच्छी सेवा शर्तें बना सकें तो मुझे आशा है कि हमें अधिक प्रतिभाशाली और युवा व्यक्ति मिल सकेंगे और इससे हम मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकेंगे।

मैंने देखा है कि 21 जनवरी, 1985 को मन्त्री महोदय ने अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि विलम्ब खत्म करने, अनिर्णित मामलों को निपटाने, आदि के मुद्दे 10वें वित्त आयोग के पास भेज दिए जाएं।

[श्री पी० आर० कुमार मंगलम]

मेरा यह अनुरोध है कि 13-8-1985 को भेजे गये मामलों में जल्दी की जाए हमें कार्यवाही करने के लिए शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त हो सके और मुझे जो यह अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शरद बिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रो० दंडवते ने आज सभा में एक अत्यन्त दिलचस्प वाद-विवाद शुरू किया है। उन्होंने अपने भाषण के शुरू में जो मुद्दे उठाए हैं निस्संदेह उनमें से कुछ मुद्दे आपात स्थिति के समय के एक पुराने वाद-विवाद में से हैं। इसलिए जब उन्होंने नाजुक मामलों की बात की तो उन्हें इस समय कड़े विपक्ष का और कठिनाई का सामना करना पड़ा। मेरे विचार से यह एक व्यापक विषय अर्थात न्यायिक सुधार है और इसमें कई और विषय भी आते हैं। परन्तु आरम्भ से ही वाद-विवाद में प्रतिबद्ध न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले उठाए गए हैं।

अब पूर्व वक्ताओं द्वारा कई बातें कही गई हैं और मैं उन कई वक्ताओं से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि एक माने में प्रतिबद्ध न्यायपालिका आवश्यक है। मतभेद केवल इतना है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का अर्थ क्या है। और मैंने देखा है कि जब वाद-विवाद चल रहा था और जब कुछ माननीय सदस्य इस प्रतिबद्ध न्यायपालिका की परिभाषा दे रहे थे तो माननीय सदस्य प्रो० मधु दंडवते भी अपना सिर हिला रहे थे। निर्णयों पर न्यायाधीशों के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री कुमार मंगलम ने कहा है कि कोई भी न्यायाधीश यह नहीं कह सकता कि उसका निर्णय उसके व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं है और इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका का होना आवश्यक भी है और जैसा कि कहा गया है यह प्रतिबद्धता इस देश के संविधान के प्रति होनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आपने ठीक कहा है।

श्री शरद बिघे : और दूसरे शब्दों में देश में हुई सामाजिक-आर्थिक क्रांति के प्रति तथा गरीबी हटाने तथा उस संबंध में कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। न्यायाधीशों को इन कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अतः जब कभी न्यायाधीश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने अथवा कार्यपालिका द्वारा उठाए गए किसी ऐसे प्रगतिशील कदम का विरोध करते हैं, तो हमेशा ही उसमें बाधा पड़ती है और फिर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। यदि न्यायपालिका भी अपना कर्त्तव्य समझे और इस देश की सामाजिक-आर्थिक क्रांति में अपनी भूमिका निभाये तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में बार-बार यह वाद-विवाद उत्पन्न नहीं होगा और विरोध भी नहीं होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि तीनों अंगों—कार्यपालिका, विधान मंडल तथा न्यायपालिका को अपने कार्य क्षेत्र समझने चाहिए। विरोध तब पैदा होता है जब एक अंग दूसरे की सीमा में बाधा डालता है। और इसलिए यदि संविधान के तीनों अंग इससे बचें तो मैं समझता हूं कि आगे और वैमनस्य नहीं बढ़ेगा तथा जहां तक सामाजिक-आर्थिक क्रांति का संबंध है, इसका काम निर्बाध गति से चलता रहेगा।

जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का सम्बन्ध है, यह मामला नया नहीं है।

जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भी सबसे पहले इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था और एकता के प्रयोजन के लिए यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए इस सराहनीय उद्देश्य से ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था अर्थात् मुख्य न्यायाधीश दूसरे राज्यों का होना चाहिए और उच्च न्यायालय के कम से कम एक-तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से होने चाहिए। इसलिए यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है। यह देश की एकता के लिए है। कभी-कभी इस एक-तिहाई की बात भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, यह एक उद्देश्य है। हमें इसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस प्रयोजन के लिए भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहिए और मैं जानता हूं कि जहां तक स्थानांतरण का संबंध है कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीशों की उपयुक्तता पर विचार करके उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले उसका स्थानांतरण अन्य राज्यों में दिया जाता है। यहां कुछ अपवाद हैं जैसे कि यदि उसकी सेवानिवृत्ति के लिए केवल एक वर्ष है या एक वर्ष से कम है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाता है। इस तरह के कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से ही हैं। यदि ये मार्गदर्शी सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ और मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता है जिससे कि विरोधी दल के संदेह को हटाना है तो मैं अनुरोध करता हूं कि और आगे मार्गदर्शी सिद्धांतों को बनाया जाए ताकि लोगों के मन में सदेह न पैदा हो कि सरकार ऐसे न्यायाधीशों का स्थानांतरण कुछ व्यक्तियों से केवल छुटकारा पाने के लिए करती है जिनकी आवश्यकता नहीं है या जो उसके लिए कठिनाई पैदा करते हैं या कोई निर्णय विशेष देने के लिए न्यायाधीश का स्थानांतरण उसे दण्ड देने के रूप में कियाजाता है।

अतः संदेहों को दूर किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए यदि और मार्गदर्शी सिद्धांत की आवश्यकता हो तो उन्हें भी बनाना चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह इस देश की एकता के लिए एक प्रशंसनीय उद्देश्य है और इसलिए उस दृष्टि से इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

अब जहां तक इस मुद्दे पर न्यायिक दृष्टि का संबंध है मैं समझता हूं कि उन्होंने अब समर्थन किया है और जहां तक इसका संबंध है वे सभी बातें पहले से ही वैध ठहराई गई हैं। विधि आयोग ने भी इस मत का समर्थन किया है इसलिए इसमें कोई आगे विवाद नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जहां तक इसका संबंध है और मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जायें।

न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत मुख्य प्रश्न बकाया मामलों का है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों और छोटी अदालतों में लम्बित हैं। जब हम न्यायापालिका के बारे में बात करते हैं तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को ही हमें अपने सामने नहीं रखना चाहिए। छोटी अदालतों

[श्री शरद दिघे]

में भी मुख्य न्यायापलिका होती है। इसलिए जब हम अधिक कार्यकुशल और बेहतर स्तर के लोगों को आकर्षित करने की बात करते हैं तो हमें छोटी अदालतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हम उनकी सेवा शर्तों को सुधारने की बात करते हैं तब हमें निचली न्यायपालिका को भी अपने सामने रखना चाहिए। निचली न्यायपालिका की सेवा शर्तें बिलकुल संतोषजनक नहीं है। मैं बम्बई की छोटी अदालत के एक न्यायाधीश का मामला जानता हूं जिसे नासिक से स्थानांतरण कर दिया गया था। बम्बई में उसे एक वर्ष तक मकान नहीं मिला था। अतः पूरे वर्ष वह नासिक से आता था। इस तरह की कठिनाइयों को दूर करना होगा। उनके वेतनमान को आकर्षक करना होगा ताकि अधिक से अधिक तीव्र बुद्धि वाले और अच्छी योग्यता वाले लोगों को आकर्षित किया जा सके। बकाया मामलों का प्रश्न सुयोग्य न्यायाधीश पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। आपके पास सुयोग्य न्यायाधीश होने चाहिए ताकि बकाया मामलों को काफी हद तक कम किया जा सके। इसलिए न केवल वेतनमान बल्कि सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए। मैंने बम्बई में कई बार देखा है कि जैसे ही अदालत की कार्रवाई पूरी होती है तो बेचारे न्यायाधीश बस की लाइन में खड़े होते हैं जबकि वकील और वादकारी उन्हें घृणा से देखते हुए अपनी कारों से वहां से गुजरते हैं। यदि यही स्थिति है तो कोई भी न्यायपालिका की इज्जत नहीं करेगा। उनके कार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उनकी सेवा शर्तों में कई ऐसे दोष हैं और ये शर्तें संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए इन बातों पर किसी आयोग या निकाय को तुरन्त विचार करना होगा। अन्यथा हमारी न्यायपालिका इन बकाया मामलों के भारी बोझ से दब जाएगी। यदि लोगों का न्यायपालिका में विश्वास नहीं रहता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कम से कम लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसके द्वारा लोग अपने न्याय को पाने के लिए न्यायिकेतर साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। उसके लिए न्यायिक सुधारों की बहुत आवश्यकता है। मुझे आशा है कि विधि मंत्री जी इस पर अविलम्ब विचार करेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से अन्य सुझाव दिए गए हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां तक उच्चतम न्यायालय को दो भागों में बांटने का संबंध है यह आवश्यक है कि दक्षिण में भी इसकी एक पीठ होनी चाहिए, ताकि लोगों को अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए बहुत दूर से चलकर दिल्ली न आना पड़े। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए जिसका सुझाव श्री मधु दंडवते ने दिया है ताकि बकाया पड़े मामलों की समस्या का समाधान किया जा सके और मामलों को तुरन्त निपटाया जा सके।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं समझता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि आज इस पर वाद-विवाद हो रहा है, हालांकि यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी से शुरू हुई है। यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी है, क्योंकि स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि

वास्तविक रूप से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए क्योंकि संविधान उसकी व्यवस्था करता है परन्तु हमें संविधान की भावना से कार्य करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र हो और उसमें लोगों का विश्वास हो।

6.31 म०प०

[श्री शरद बिघे : पीठासीन हुए]

इस वाद-विवाद का विषय बहुत व्यापक है। हम न्यायपालिका में सुधार या न्यायपालिका के दोषों के बारे में ज्यादातर चर्चा कर रहे हैं जिसको ठीक करना है परन्तु कम समय होने के कारण हम न्यायिक प्रशासन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ने ध्यान केन्द्रित किया है और विशेष रूप से इस विशेष चर्चा की उत्पत्ति के कारण हम अधिकांशत: न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं और न्यायिक प्रशासन पर नहीं। न्यायपालिका के बारे में कहने के लिए मैं अपने आप को सीमित रखूंगा। लेकिन न्यायिक प्रशासन को भी संसद में वाद-विवाद में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इस ताह के प्रशासन की व्यवस्था करना संसद का कर्तव्य है जो मामलों पर ध्यान दे सकें ताकि लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत लम्बे समय तक इन्तजार न करना पड़े तथा उन्हें ऐसा महसूस न हो कि उन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है।

न्यायपालिका के चयन का प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में कहा है। यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं तो वे हमें मालूम नहीं हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे होने चाहिए जो सबको मालूम हों, ताकि हम जान सकें कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों व न्यायाधीशों का चयन अमुक अर्हताओं पर विचार करके अमुक निकाय द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक है अन्यथा लोगों में एक भावना आएगी कि जो लोग सत्तादल में हैं वे अपने ही इच्छा के अनुसार व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं ताकि अन्त में वे उनके प्रति निष्ठावान होंगे। जब तक मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस प्रकार की भावना बनी रहेगी और उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कठोरता से और कड़ाई से पालन किया जाए तथा यह देखा जाए कि उनका पालन किया जा रहा है।

परामर्श के लिए एक उपबन्ध है लेकिन अब इसका पालन कहां तक किया जा रहा है, यह एक विवाद का प्रश्न है। जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं परामर्श को नहीं किया जा रहा है विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के कारण कि उस परामर्श मतलब सहमति नहीं। इसलिए किसी अर्हता या पीठ पर उन लोगों की नियुक्त करने के लिए उन्होंने कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाए हैं, इस बात को बताए बिना न्यायाधीश कौन होगा इस बात का निर्णय कार्यकारिणी पर छोड़ दिया जाये।

इसी तरह स्थानांतरण भी कोई बहुत बुरा प्रस्ताव नहीं है। विधि जगत का होने के कारण जैसा कि मैं जानता हूं कि उच्च न्यायालयों में भी कुछ न्यायाधीशों के विरुद्ध और निश्चित

[श्री अमल दत्त]

रूप से छोटी अदालतों में भी वकीलों की अनेक शिकायतें हैं। और मुझे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के वकीलों को भी कुछ न्यायाधीशों से कुछ शिकायतें होती हैं। अब तथ्य यह है कि इस देश में यह आवश्यक है कि वे न्यायाधीश जिनका पीठ में से चयन किया जाता है और जो "बार" के कुछ सदस्यों से परिचित होते हैं, उनको इस तरह से अलग रखना चाहिए जिससे कि वे अनुचित लाभ न उठा सकें। उच्च न्यायालयों में पक्षपात एक कहावत हो गई है। विवादी सबसे पहले यह पूछता है कि अमुक न्यायालय में उनका एक मामला है और इस तरह वह किस वकील से सलाह ले। स्थिति इस सीमा तक पहुंच गयी है। और यही कारण है कि विधि आयोग ने यह सिफारिश क्यों की थी कि एक-तिहाई न्यायाधीश किसी बाहर के राज्य से आने चाहिए। यह बुरा सुझाव नहीं है। दूसरी तरफ किसी भी अच्छी चीज का बुरा प्रयोग किया जा सकता है। यदि सरकार विधि आयोग के सुझाव को लागू करना चाहती है तो वह इस प्रकार से कर सकती है कि जिसमें किसी भी राजनीतिज्ञों के मन में या जन साधारण के मन में किसी प्रकार की शंका पैदा न हो कि इसे न्यायाधीशों को ब्लैकमेल करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि न्यायाधीशों का पीठ में उनकी सेवा के दौरान कभी-भी स्थानांतरण किया जा सकता है तो वास्तव में इस शक्ति का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई न्यायाधीश जो चार-पांच या इससे अधिक वर्षों तक सेवा कर चुका है, सरकार के लिए असुविधाजनक सिद्ध हो रहा है तो उस मामले में सरकार उसे यह बता सकती है कि यदि वह ठीक तरह से पेश नहीं आएगा तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आशंकायें और संदेह उत्पन्न न हो और यदि यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों को बाहर से आना है, तो अच्छा यह है कि नियुक्ति के समय इन्हें बाहर से आना चाहिए या जब नियुक्ति की जाती है तो उन्हें बताया जा सकता है कि न्याय पीठ में एक या दो वर्ष के पश्चात् उन्हें अमुक उच्च न्यायालय में जाना होगा। या बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्ति को भी जब उसे न्याय पीठ में नियुक्त किया जाता है तो उसे कर्नाटक या गुजरात उच्च न्यायालय में सीधे नियुक्त किया जा सकता है। इससे यह स्थिति भी बनी रह सकेगी कि न्यायाधीश बाहर से आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ किसी भी समय उनका स्थानांतरण सरकार की मर्जी या आदेश पर नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार मेरी राय है कि अधिक्रमण नहीं होना चाहिए। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। वरिष्ठता का नियम से केवल तभी हटाया जा सकता है जबकि व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन रहा हो और सेवानिवृत्ति के लिए कुछ ही महीने रह गए हों। मेरी राय में मुख्य न्यायाधीश पद न्यायिक होने के अलावा प्रशासनिक भी है। अतः एक व्यक्ति जो केवल छः या सात महीने या दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने वाला हो तथा वह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो वह प्रशासन में दिलचस्पी नहीं लेता है और उसके सेवा काल के दौरान उच्च न्यायालय का प्रशासन व्यावहारिक दृष्टि से अकुशल रहता है। इसलिए केवल वही व्यक्ति जिसके पास सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम तीन वर्ष हैं, प्रकाशन कार्य की जानकारी रख सकता है और दिलचस्पी से इसे चला सकता है। इसलिए इस तरह का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कड़ा सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धांतों को बनाया जाना होगा और उसका कठोरता से पालन करना होगा।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और फिर उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के मामले राजनैतिक आधार पर होते हैं और लोगों की यह धारणा है।

हमने न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बारे में बात बताई है। हमने विशेषकर इस विधेयक में वेतन आदि के बारे में भी कहा है जो अभी समाप्त हुआ है। न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को सुधारने की आवश्यकता है। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद अनेक कार्यों के बारे में कुछ माननीय सदस्य बोले हैं। यह आवश्यक है कि जब न्यायाधीश न्याय में हों तो उन्हें इस आशा से कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुरस्कृत किया जाएगा, कोई पक्षपात न करें। इसलिए आवश्यक यह है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार को उन्हें कोई पद आदि नहीं देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अमुक न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी परामर्श वकालत आदि कर रहा है। अब यदि सेवा निवृत्ति न्यायाधीश को पेंशन भी इतनी नहीं मिलेगी जितनी कि उसे सेवानिवृत्ति के समय वेतन मिलता था तो उससे आप यह आशा नहीं कर सकते कि वह सेवानिवृत्ति के बाद वह परामर्श वकालत आदि न करे। अन्यथा वह किस प्रकार अपना गुजारा करेगा ? यदि व्यक्ति जिन्दा है तो सेवानिवृत्ति से पहले की जो उसकी स्थिति थी वही स्थिति उसे बनाए रखनी होती है। आप यह नहीं कह सकते कि उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह अच्छा है कि वह कुछ करे जिसके लिए उसने पहले कोई पक्षपात नहीं किया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा विवाचक या किसी जांच आयोग का चैयरमेन नियुक्त किया जाता है तो उससे हमेशा यह संदेह बना रहता है कि उस न्यायाधीश ने सरकार का पक्ष लेता रहा था और इसलिए उसे सेवानिवृत्त के बाद उसके बदले यह दिया गया है। उसके विपरीत यदि वह अपने चेम्बर में कानूनी परामर्श, आदि देता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है क्योंकि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह फिर से अपने पेशे के कार्य में लग गया है। न्यायपालिका के बारे में बहुत-सी बातें कही जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस समय न्यायपालिका की छवि उज्जवल नहीं है। विशेष रूप से जब सामाजिक दर्शन के प्रति वचनबद्धता की बात की जाती है तो यह मानना चाहिए कि न्यायधीश बहुत से सुधारों विशेषकर आर्थिक सुधारों में बाधक रहे हैं। उन्होंने न केवल बैंक राष्ट्रीयकरण में बाधा पैदा की अपितु पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों में भी बाधा डाली और मेरे विचार में अन्य राज्यों की तुलना में यह बाधा काफी अधिक रही। क्योंकि हमें अधिक सुधारों की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश में यह कार्य छठे दशक में किया गया था।

श्री अमल दत्त : हो सकता है मध्य प्रदेश ने इसे छठे दशक में किया हो— मैं उस पर विवाद नहीं करता। परन्तु पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शासन के दौरान 1977 तक भूमि सुधार केवल कागजों में ही थे। परन्तु 1977 से उन्हें क्रियान्वित किया गया है। हमने देखा है कि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के दौरान प्रारम्भ में कुछ न्यायाधीशों ने उसमें काफी बाधा डाली जिससे भूमि

[श्री अमल दत्त]

सुधारों का कार्य 2-3 वर्ष के लिए पीछे पड़ गया । अंततः भूमि सुधार हो गए क्योंकि जिन न्यायाधीशों ने इन प्रयासों का विरोध किया था । वे न्यायपीठ से हट गये तथा नए आने वाले उन सुधारों के पक्ष में थे । और उन्होंने उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे लोग बाधक नहीं बनते तो इसमें विलम्ब नहीं होता । शायद आप पश्चिम बंगाल के उस प्रसिद्ध मामले के बारे में जानते हैं जिसमें न्यायपीठ ने इस देश की लोक तांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चुनाव को ही रोकने का प्रयास किया । उसे उच्चतम न्यायालय ने विफल कर दिया । अतः मेरा कहना है कि न्यायाधीशों को सामाजिक दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए ।

ये न्यायाधीश कौन थे । ये वे लोग थे जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी तथा कुछ ऐसे भी थे जिनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी । परन्तु यदि किसी व्यक्ति की वकील के रूप में अच्छी प्रैक्टिस है भी तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसे सामाजिक दर्शन का ज्ञान है । अतः न्यायाधीश बनने से पहले उसे सामाजिक दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए । हमें इस पर विचार करना चाहिए था । हमने इस पर विचार नहीं किया, चर्चा नहीं की परन्तु जैसे-जैसे हम प्रगति करते जाते हैं, यह अधिक आवश्यक बनता जा रहा है कि न्यायाधीशों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए ताकि वे सुधारों में बाधक न बनें ।

न्यायपालिका के लिए एक आचरण संहिता होनी चाहिए । हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने समक्ष पेश होने वाले वकीलों से बहुत मेल रखते हैं । ब्रिटिश काल में न्यायपालिका का बड़ा सम्मान था । मैं ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के किसी पहलू की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं किंतु यह सच है कि न्यायाधीशों का बड़ा सम्मान था । न्यायाधीश वकीलों तथा मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों से खुले रूप में नहीं मिलते थे । परन्तु आज यह प्रथा ही बन गई है और न्यायाधीश वकीलों तथा मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं । न्यायाधीशों की कोई आचरण संहिता नहीं है तथा कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है । सातवें दशक के शुरू में कोई ऐसा विनियम बना था कि कुछ रिश्तेदार न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं हो सकते । परन्तु अब हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, तो उसके अपने वरिष्ठ साथी जिसके चैम्बर में बैठकर वह कार्य करता था प्रत्येक मामलों में उसके समक्ष पेश होता है । यदि इसके आंकड़े रखे जायें तो हम पायेंगे कि कई बार न्यायाधीश के सम्मुख पेश होने वाले मामलों में 20 से 30 प्रतिशत तक मामले उसके भूतपूर्व वरिष्ठ साथियों द्वारा पैरवी किए जाते हैं । यह बहुत खराब बात है क्योंकि लोग जान जाते हैं कि उसी वकील द्वारा आदेश दिलाया जा सकता है अन्यथा तो तारीख भी नहीं मिल सकती । आजकल ऐसा हो रहा है तथा विधि मंत्री अपने अनुभव से इसे भली प्रकार जानते हैं ।

अब मैं बिना सोचे विचारे दी जा रही निषेधाज्ञाओं को लेता हूं । निषेधाज्ञा के बारे में कानून है कि यदि कोई व्यक्ति, निषेधाज्ञा ले लेता है और यदि उसके कारण दूसरे पक्ष को हानि होती है तो उसे उसका दण्ड भुगतना होगा । परन्तु होता यह है कि जब कोई सड़क बननी

होती है या कोई नलकूप खोदा जाना होता है तो कोई व्यक्ति मुकदमा या रिट याचिका दायर कर देता है तथा वह कार्य 4-5 अथवा दस वर्ष तक के लिए रुक जाता है। होता क्या है कि लोग कष्ट उठाते हैं तथा उसकी लागत बढ़ जाती है तथा अन्ततः यह सभी मुकदमे या याचिकायें रद्द हो जाती हैं तथा कोई खर्चे नहीं मिलते ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग व्यर्थ की मुकदमेबाजी शुरू करते हैं और यदि न्यायाधीश इस कार्य को नहीं करते तो सरकार को इस बारे में कोई कानून बनाना चाहिए और जब कभी भी यह पाया जाए कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक कार्यों में इस प्रकार की व्यर्थ की मुकदमेबाजी से बाधा डालने की कोशिश की है उसे दण्ड दिया जाए। तभी हम इस व्यर्थ की मुकदमेबाजी को समाप्त कर सकते हैं अथवा उसे कम कर सकते हैं। अन्यथा हमें 2-3 लाख बकाया मुकदमों का बोझ सहते रहना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश मुकदमे बहुत मामूली होते हैं। ये इसीलिए दायर किए गए हैं कि एक बार आप निषेधाज्ञा अथवा कोई अन्य आदेश प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 4-5 वर्ष मिल जाते हैं और इस बीच कुछ नहीं किया जा सकता। अतः इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। परन्तु ये सभी समस्याएं ऐसी हैं कि इन पर पूरे दिन या उससे भी अधिक समय तक चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं। आप घंटी न बजाएं।

मैं कह रहा हूं कि आज हम न्यायपालिका के प्रति की गई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के कारण चर्चा कर रहे हैं। किंतु हमें इस विषय पर चर्चा इस कारण नहीं बल्कि सही कारण अर्थात् भारत में न्यायपालिका में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, पर चर्चा करनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और इस प्रकार का विलम्बपूर्ण न्याय जो कि न मिलने के बराबर है, नहीं मिले और इसके लिए हम संसद सदस्यों का क्या कर्तव्य है और संसद तथा सरकार मिलकर यह सोचें कि न्यायिक प्रणाली में ऐसे कौन से सुधार किए जा सकते हैं। जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा जनता को न्याय मिल सके तथा संविधान का तीसरा अंग ठीक से काम कर सके। यही हमारा लक्ष्य तथा उद्देश्य होना चाहिए और मेरा विधी मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अगले अथवा उसके बाद के किसी सत्र में न केवल नियुक्तियों, चयनों, स्थानांतरणों, अधिक्रमणों पर बल्कि न्यायिक सुधारों से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, अब तक लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि लोग इण्डिया के बारे में बात कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं भारत के बारे में बात करना चाहता हूं, जहां इस देश की 70 प्रतिशत जनता रहती है। आप कभी हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस के बारे में आप दिन-रात बोलते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि देहात का वह गरीब आदमी जिसे दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, क्या उसको न्याय मिल पाता है ? उसको कभी सही न्याय नहीं मिल पाता है।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

यह कल भी सच था और आज भी सच है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। देहात में आप चले जाइए।

(व्यवधान)

देहात में जो लोग रहते हैं, क्या उनके साथ न्याय होता है ? आप जाइए और देखिए कि हरिजन, आदिवासी, गरीब, मल्लाह आदि के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ? वह कोर्ट में जाने के नाम से कांपते हैं। उनके साथ न्याय क्या होगा। बिहार में एक कहावत है कि जब लोग एक-दूसरे को शाप देते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे यहां वकील घुसे, तुम्हारे यहां डाक्टर घुसे, तुम बराबर हो जाओ। इस प्रकार से कोर्ट के नाम से एक दहशत होती है।

मैं आपको सच्ची बात बताता हूं। मैं कहता हूं कि मैं इस सदन का वैसा सदस्य हूं जिसने इस देश के सबसे अमीर आदमी को देखा है और जिसने इस देश के सबसे गरीब आदमी को भी देखा है, जिसने इस देश के बड़े अखबार में काम किया है, जो गरीबों के बीच में रहता है। इस प्रकार मुझे दोनों दुनिया के बारे में पता है।

मेरे लिए तो यह डिस्कवरी आफ इण्डिया है मैं ऐसा सोचता हूं कि जब हम यहां पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो उनका गरीबों पर भी कोई असर होने वाला है या नहीं। देहातों में लोग तबाह हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लीगल एड की बात हजारों बार हमने की है लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप कुछ भी कहें, सच्चाई यही है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है और आगे भी उनको न्याय मिलेगा इसमें संदेह है।

मैं इससे भी ज्यादा सीरियस बात आपको बतलाना चाहूंगा। आपको शायद पता न हो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में माफिया गिरोह काम कर रहे हैं। एक पत्रकार के नाते मैंने भागलपुर ब्लाइंडिंग केस का इन्वेस्टिगेशन किया था और मैं कहना चाहूंगा कि सच्ची बात का पता दुनिया को नहीं है। आपको मालूम होगा कि जिस समय सारी दुनिया में, सारे देश में भागलपुर ब्लाइंडिंग केस की निन्दा लोग कर रहे थे, उस समय भागलपुर में लोग पुलिस अफसरों की जयजयकार कर रहे थे। अखबारों ने इस काण्ड को बहुत उठाया लेकिन सच्ची बात को लोगों तक नहीं आने दिया गया। भागलपुर गंगा के किनारे बसा हुआ है, वहां डाकू लोगों को पकड़ ले जाते थे और उनके टुकड़े-टुकड़े कर देते थे, उनकी मां बहिनों की बेइज्जती करते थे और जब लोग न्याय मांगने के लिए जाते थे तो थाने में उनको न्याय नहीं मिलता था। आपने सुना होगा कि जितने क्रिमिनल पकड़े जाते थे, दूसरे ही दिन उनकी जमानत हो जाती थी। पुलिस कहती थी कि हम क्या करें, हम इस डाकू को पकड़ते हैं तो अगले दिन उसकी जमानत हो जाती है। कोर्ट के जज से भी पूछा कि आप ही कुछ कीजिए, आप इन डाकुओं को क्यों जमानत दे देते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी क्या मारमटी है, हमें ये लोग मार देंगे। तो जो भागलपुर में हुआ वही बेतिया में हुआ, वही चम्पारन में हुआ और वही धनबाद में हो रहा है, वही बोकारो में भी हो रहा है— सारी स्टील और कोल बेल्ट में वही हो रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो न्याय की बात करते हैं, जो जजमेंट की बातें करते हैं, वह सब संसद के डिस्कशन में ही रह जाएगा, जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि जनता को फायदा हो। आज लोग दहशत में हैं, जजेज दहशत में हैं, पुलिस वाले दहशत में हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास कौन से साफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं जिनसे हम उनका मुकाबला करें। अभी हाल ही में डाकुओं ने एक आदमी को मार दिया। मैंने पूछा कि आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं कोर्ट में केस करते हैं तो उन्होंने कहा कि अपराधी अभी जेल में जाएगा और अगले दिन जमानत लेकर बाहर आ जाएगा और हमारी भी जान ले लेगा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिल्ली में बैठे हैं—चाहे पत्रकार हों, चाहे संसद-सदस्य हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हों, वे असलियत से वाकिफ नहीं हैं। हिंदुस्तान में आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। आज जब आप जुडीशियल रिफार्म्स की बात करते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आम जनता को न्याय मिल सके। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टस के अलावा जो लोवर कोर्टस हैं उनमें भी लाखों केसेज फंसे हुए हैं, कई-कई मुकदमे तो ऐसे हैं जो बीस साल से भी अधिक पुराने हैं। आप टेनेन्टलैंडलार्ड की बात करते हैं लेकिन एक बार विडो है जिसने मर-मरकर मकान बनाया है जिसमें किराएदार रह रहा है, वह कहती है कि मेरा पति मर गया है लड़ाई में, मुझे रहने के लिए यह मकान दिया जाए लेकिन किराएदार कोर्ट में केस ले जाता है जो बीस साल तक चलता है। उस विधवा को न्याय नहीं मिलता है। यह संसद इस देश की सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, यदि हम उनको न्याय नहीं दिला सके तो फिर कौन न्याय दिलाएगा ?

श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि हम प्रैक्टिकल बनें। आपने घण्टी बजा दी है, लेकिन मेरे कुछ प्वाइंट्स और हैं, जिन पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे एक मिनट का समय दिया जाए, मैं एक ही बात वकीलों के बारे में कहना चाहता हूं। वकीलों का जो असल रूप है, वह मैंने देखा है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दिल्ली के बड़े-बड़े वकीलों के पास जाता था। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बहुत बड़े वकील के पास गया, वे बाद में संसद सदस्य भी हुए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनके पास इस देश के नामी डाकू बैठे हुए थे। जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था···(व्यवधान)···मैं नाम नहीं लूंगा। जब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा मुकदमा ले लीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि आप मुकदमे के एक दिन का पांच हजार रुपया देंगे। यह जो शख्स बैठा हुआ है—यह मुझे 50 हजार रुपया देगा। यह पूछेगा नहीं कि आपको कितने रुपए की जरूरत है, क्योंकि इसकी झोली में सोना, चांदी और हीरे और जवाहरात भरे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह व्यक्ति डाकू का पक्ष लेता है एक तरफ और दूसरी तरफ यहां लम्बी-लम्बी बातें करते हैं। ईमानदार आदमी का गला घोंटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप चैक से पेमेंट करेंगे और यह कोई रसीद नहीं मांगेगा। यह केवल वहीं नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अखबारों में एक बार निकला कि इस देश के वकील लोगों को लूट रहे हैं। उनका नतीजा यह हुआ कि मुझे और एडीटर को समूचे देश में परेशान किया गया। छोटी-छोटी जगहों

[डा० गोरी शंकर राजहंस]

पर हमको जाना पड़ा। वहां के जजों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। हमको वकीलों के साथ दिन-रात रहना पड़ता है। हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप माफी मांग लीजिए। हमने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। आप फ्रीडम आफ प्रैस की बात करते हैं। यह छोटी-छोटी कोर्ट्स फ्रीडम आफ प्रैस का गला घोंटती है। यह बात उन लोगों को पता नहीं है। हम राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, साउथ इण्डिया में धूप और जाड़े में गए, लेकिन हमने माफी नहीं मांगी। हमने कहा कि वकीलों का जो असल कलर है, वह लोगों को पता होना चाहिए। जब हमने इन जगहों पर वकील किया तो आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि वकीलों ने अपनी फीस ली, अपनी बहू की फीस ली, अपने बेटे के लिए फीस ली और अपने दामाद के लिए फीस ली और कहा कि ये सब तो हमारे एसिस्टैंट्स हैं। मैंने सोचा था कि कभी संसद में मौका आएगा तो इन वकीलों के चेहरे पर से नकाब उतार दूंगा। मुझे आपसे इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, इस विषय पर सभी बातें कह दी गई हैं तथा मुझे आशंका है कि मैं उन्हें ही न दोहरा दूं।

जब मैं अपने से तुरन्त पहले के वक्ताओं को सुन रहा था तब मैं डारसी की इस उक्ति पर विचार कर रहा था कि विधि सार्वजनिक राय से एक पीढ़ी पीछे होती है तथा न्यायपालिका उससे भी एक पीढ़ी पीछे है।

जब प्रो० मधु दण्डवते ने प्रस्ताव रखा था, तब मैंने सोचा था कि वे कुछ सजीव मार्गदर्शन करेंगे जिससे इस अन्तराल को कम करने के बारे में कुछ सुझाव मिल सकेंगे।। परन्तु मुझे उनसे अधिक मार्गदर्शन न पाकर निराशा हुई। वास्तव में मैं उनकी बात को अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन-समझ रहा था।

यदि वह वर्तमान न्यायिक प्रणाली से असंतुष्ट थे तो उन्हें उस समय कुछ परिवर्तन लाने चाहिए थे। जब वह सरकार में थे। (व्यवधान) जब उन्होंने संविधान में संशोधन किए थे, यदि वे चाहते तो उस समय उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते थे।

जहां तक कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की स्थिति का संबंध है, इन्होंने और हमने मिलकर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इस संसद में उच्चतम स्थान पर बिठाया।

7.00 म०प०

हो सकता है हमारी प्रणाली पूर्ण न हो परन्तु मेरा निवेदन है कि यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमरीका में वहां के सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रिय लोगों ने एक ऐसी प्रणाली

अपनायी है जहां राष्ट्रपति लगभग सदा अपनी पार्टी के व्यक्तियों को न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। वहां कोई नहीं कहता कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ब्रिटेन में भी प्रधान मंत्री शासक को परामर्श देता है कि अमुक व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश होगा। वहां पर कोई समस्या नहीं है। वहां पर इस बात को लेकर कभी विवाद नहीं किया जाता कि वह राजनीतिक निर्णय है। मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी इस प्रकार असंतोष नहीं व्यक्त किया जाता जैसा कि भारत में कहा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात किया जा रहा है। जब मैं श्री अमल दत्त को सुनते समय मुझे उन दिनों की याद आ रही थी जब साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सचिव ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय वर्ग के आधार पर न्याय कर रहा है। आज वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पक्ष ले रहे हैं। श्री नमबूदरीपाद के विरुद्ध अवमानना का मामला चला था। मैं यह नहीं कहता कि यह निर्दोष प्रणाली है किन्तु यह विद्यमान प्रणालियों में श्रेष्ठ है। अतः इसके सुधार के लिए किसी रचनात्मक सुझाव का निश्चय ही स्वागत किया जायेगा तथा सरकार उस पर विचार करेगी फिर श्रीमन् जहां तक समाज के निर्धन वर्ग का संबंध है क्या वे न्याय से वंचित नहीं हैं। कितनी देर तक मुकदमे अनिर्णीत पड़े रहते हैं? मैं आंकड़े देख रहा था। उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या 10 लाख से अधिक है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में कुल कितने मामले अनिर्णीत पड़े होंगे।

किस तरह का न्याय हम कर रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं, लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। मुकदमा करने वाला व्यक्ति मर जाता है परन्तु उसके मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता।

प्रो० दण्डवते ने उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिकारों के अंतरण का उल्लेख करते हुए कहा है कि श्रमिकों के मामलों के लिए, करों के मामलों के लिए तथा कुछ अन्य मामलों के लिए अलग-अलग न्यायाधिकरण बनाये जाने चाहिए। यह विचार पहले भी प्रकट किए गए हैं, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सलाहकार समिति में मैंने स्वयं कई बार शक्तियों के अंतरण का मामला उठाया। मैं निवेदन करूंगा कि यह समस्या का कोई समाधान नहीं है। वर्षों से अनिर्णीत पड़े मामले निपटाये नहीं जा सकेंगे। स्वतंत्रता पश्चात् युग में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या रही है? गोलकनाथ के मामले तक जनता की इच्छा प्रमुख थी तथा लोग प्रभु-सत्ता सम्पन्न थे। उसके बाद जनता की इच्छा तब ही चल सकती है जब वह संविधान के अनुरूप हो। अब यह एक उदार लोकतंत्र है और इसमें जब मन सर्वोच्च नहीं है। आज स्थिति अत्यन्त अनिश्चित है···।

सभापति महोदय : चार सदस्यों ने अभी बोलना है और फिर विधि मंत्री महोदय ने उत्तर देना है। अतः यदि आप सहमत हों तो हर एक सदस्य पांच मिनट से ही अधिक न बोले तो इसे 7.30 तक समाप्त कर सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए०के० सेन) : मंत्रीमण्डल की एक बैठक है। अब कल इसे ले सकते है। उत्तर पर भी समय लगेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा सुझाव है कि उत्तर कल दिया जाए परन्तु अन्य सदस्य अपने विचार आज व्यक्त कर लें।

श्री ए०के० सेन : यह महत्वपूर्ण मामला है तथा आप सरकार का उत्तर सुनना चाहेंगे।

सभापति महोदय : उत्तर कल दिया जाएगा। परन्तु बोलने वाले सदस्य आज अपने भाषण समाप्त कर लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु उन्हें जाना नहीं चाहिए। उन्हें यहां तब तक बैठना चाहिए था जब तक वाद-विवाद समाप्त नहीं हो जाता।

श्री ए०के० सेन : मैं यहां राज्य मंत्री को छोड़कर जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम है। इसलिए नहीं कि यह काम महत्वपूर्ण नहीं। मैं माफी चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी भी 5 मिनट बाकी हैं नियम लागू होगा—मेरे विचार से।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा निवेदन है : कौन नहीं जानता कि केशवनन्द भारती के मामले में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। संविधान की मूल विशेषता क्या है जिसे संसद द्वारा संशोधन के लिए छुआ न जा सके ? क्या यह न्यायाधीशों को मालूम है ? क्या यह बार काउंसिल को मालूम है ? यह अनिश्चित है। अमल बाबू हमें जानते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि संविधान की मूल विशेषता क्या है और क्या नहीं।

उस निर्णय में भी विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा भिन्न-भिन्न बातें कही गई हैं। मेरा निवेदन है संविधान के 42वें संशोधन की धारा 4 जोकि अनुच्छेद 31ग का संशोधन करना है। स्थिति क्या है ? मिनर्वा मिल के बारे में इस धारा को अमान्य घोषित कर दिया गया था। बाद वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे दुबारा अनुमोदित किया था। स्थिति क्या है ? क्या यह प्रचलित है ? क्या यह यहां पर लागू होती है ? कोई नहीं जानता। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को उद्धृत कर रहा हूं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के रजत जयन्ती समारोह की अध्यक्षता करते वक्त मुख्य न्यायाधीश ने लार्ड स्करैट्टान के विचारों को उद्धृत किया :—

> "जिन व्यक्तियों के साथ न्यायाधीश रहता है, मिलता है उसी तरह के विचार न्यायाधीश के भी होते हैं और अगर उसको कभी इसके विपरीत या भिन्न विचारों का सामना करना पड़े तो उसका फैसला या न्याय सही नहीं होगा। अधिकांश वकील एवं न्यायमूर्ति अमीर व्यक्तियों की कराधान संबंधी समस्याओं से तो भली-भांति वाकिफ हैं परन्तु श्रमिकों की जबरन छुट्टी व उन्हें मुआवजा दिलाने के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है।"

हमारी प्रणाली परम्परागत प्रणाली है और हमारी न्यायिक प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रो० मधुदण्डवते जी से मुझे आशा है कुछ बातें जिनसे परिवर्तन होगा, जिनसे सक्रिय परिवर्तन होंगे जोकि लोगों की आशाओं की पूर्ति करेंगे। परन्तु उस तरह की नहीं

जिनके बारे में मैंने सुना है। न्यायपालिका के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध विद्यार्थी द्वारा लिखित लेख का एक पैरा उद्धृत करूंगा।

> "मैं सिर्फ कुछ संगत उदाहरण दूंगा जिसमें कानून प्रणाली ने इस तरह का कार्य किया इससे लगता है कि अगर वह कार्य करता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होता। प्रथम, अदालत ने पटरी (फुटपाथ) पर रहने वाले लोगों को बेदखली से बचाने के बारे में कहा इन लोगों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इन्हें वैकल्पिक स्थान नहीं दिलाया जाएगा। इससे तुरन्त न्याय तो मिलता है परन्तु अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के निर्णय से बेईमान लोगों को दण्डाभाव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, अभियुक्तों के कल्याण एवं आराम के लिए कार्य करने में अदालत ने दिन-रात कार्य किया है। विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाए बिना लाने के फैसले से अदालत को बहुत ज्यादा वाहवाही मिली और इसके फलस्वरूप कानून लागू करने वाले प्राधिकरणों की समस्या बढ़ गई, उच्चतम न्यायालय द्वारा कैदियों को फांसी की सजा दिए जाने के बारे में भी काफी कुछ किया जा रहा है···"

मेरा निवेदन है कि न्यायमूर्तियों की छवि बनाने वाली प्रकृति को समाप्त करना चाहिए। उन्हें अपना कार्य करना चाहिए और न्याय करें। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वे संसद तथा जनता के विचारों से कहीं ऊपर हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे कानून का 'तीसरा चैम्बर' है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, प्रोफेसर मधु दंडवते जी ने जो यह मोशन रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसी कि प्रोफेसर साहब को भी उम्मीद है, इससे सरकार को प्रेरणा मिलेगी और जुडीशियल रिफार्म सम्बन्धी एक व्यापक लेजिस्लेशन सदन के सामने लाया जा सकेगा।

जुडीशियल रिफार्म की आवश्यकता आज क्यों पड़ रही है ? यह बात सही है कि आज हमारे देश के अन्दर जुडीशियरी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जुडीशियरी लोगों के अन्दर आस्था जगाती है। परन्तु परिस्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। न केवल आज गरीबों और आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा अपितु न्याय आज इतना मंहगा हो गया है कि आम आदमी वहां जा नहीं पाता है। फिर जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हमारी न्यायपालिका के अन्दर बड़े पैमाने पर करप्शन आ गई है। न्याय मिलने में पक्षपात हो रहा है और इसकी वजह से लोगों का विश्वास उठ गया है।

आजकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ लोगों के लिए रह गई है। आम जनता की यह ताकत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सके। सिविल केस होते हुए और

[श्री विजय कुमार यादव]

यह मानते हुए कि वहां जाने पर उसे न्याय मिलेगा, आम जनता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह वहां जा सके। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खट-खटा सके।

इसलिए जुडीशियल रिफार्म में सब से पहली बात यह होनी चाहिए कि लोगों को सस्ता न्याय मिले। लोगों को जो दरअसल में न्याय का अर्थ है, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी प्रेशर के सस्ता न्याय मिले। दूसरी बात इसमें यह आती है कि न्याय देने में शीघ्रता बरती जाए। जब जुडीशियल रिफार्म की बात आती है ये जो तीन सिद्धांत हैं, ये जो तीन बातें हैं इन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जब इस सम्बंध में कोई लेजिस्लेशन बने तो इन बातों का उसमें होना बहुत आवश्यक है।

सभापति जी, अभी जो न्याय पालिका के अंदर, जो प्रोसेस है, चाहे वह क्रिमिनल केसिज का हो, या चाहे वह सिविल केसिज का हो, वह बहुत देर लगाता है। एक केस को कई स्टेजिज से होकर गुजरना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस कारण से भी न्याय मिलने में देरी होती है। न्याय मिलने में देरी का एक कारण इसका प्रोसीजर भी है। मैं समझता हूं कि इसमें भी बेसिक अमेंडमेंट की जरूरत है। किसी भी केस के बारे में टाईम लिमिटेशन होनी चाहिए कि किसी मुकद्मे को चलाने का क्या समय होगा।

जब तक हम कानूनों से लूप होल्स को नहीं हटायेंगे, जैसे कि लेण्ड रिफार्म्स की बात। बिहार में लेण्ड रिफार्म्स कानून में बड़े लूप होल्स हैं, अपील पर अपील होती रहती है, ये जो लूप होल्स हैं, डिफेक्ट्स हैं।

जिसकी वजह से मुकदमे की अवधि काफी लंबी हो जाती है और फिर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी अपनी समझ यह है कि सी० आर० पी० सी० और सी० पी० सी० में सुधार होना जरूरी है।

ज्यूडिशल रिफार्म्स के बारे में अभी ज्यूडिशरी के कमिटेड होने की बात कही, इसको तरह-तरह से हमारे शासक दल के लोगों ने इंटरप्रेट किया, प्रोफेसर साहब ने जो कहा, अपने मिजाज से उन्होंने कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने रखे हैं। आखिर यह बात क्यों कही जाती है। ट्रांस्फर में, पोस्टिंग में जिस तरह के तरीके अख्तियार किए जाते हैं, उसकी वजह से यह बातें आती हैं। अगर एक कामन गाइडलाइन्स के अंतर्गत सभी हाई कोर्टस और सुप्रीम कोर्ट, ट्रांस्फर और पोस्टिंग या प्रमोशन आदि के जो नार्म्स हैं, उसी के मुताबिक अगर काम किया जाए और पिक एण्ड चूज की बात न की जाए तो जाहिर बात है कि ऐसी बातें नहीं होंगी।

जहां तक कांस्टीट्यूशन के प्रति कमिटमेंट की बात है तो उसमें तो हिन्दुस्तान के तमाम

नागरिकों का कमिटमेंट है, न कैवल जजेज का, एम० पीज का, एम० एल० एज० का, बल्कि तमाम लोगों का होना है । यह जाहिर बात है कि जो कमिटेड नहीं है, उसकी कोई जगह यहां नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : कांस्टीयूशन के मुताबिक ओथ लेते हैं।

श्री विजय कुमार यादव : ओथ लेते हैं। सोशल जस्टिस की बात कही गई है, हमारे देश में सोशल और इकनामिक रेफार्म्स करने की कुछ मान्यता है, उसके प्रति कमिटमेंट तो नंबर एक बात है, सबसे पहली बात है, इसलिए जहां तक इस तरह के कमिटमेंट की बात है, इससे अलग बात देखी जा रही है । कोर्ट के अंदर जो बातें होती हैं, जैसा अभी श्यामलाल यादव जी ने कहा कि हम लोगों को इस बात का भी तजुरबा है कि जिस वर्ग से जजेज आते हैं, उनका कमीटमेंट उसी वर्ग के प्रति रहता है। उनका कमिटमेंट उस तरह से कांस्टीट्यूशन के प्रति या सोशल रेफार्म्स के प्रति नहीं होता है, जिसकी वजह से फैसले पर भी उसका असर पड़ता है । मैं यह नहीं कहता कि कोई बेईमानी करते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट होना चाहिए कांस्टीट्यूशन के प्रति, वह नहीं हो पाता । इंटरप्रिटेशन का बहुत वाइड स्कोप है, जिस तरह से चाहें इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए सभापति जी, मेरा अपना सुझाव है कि इस मामले में यह बात अवश्य होनी चाहिए । मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म कर दूंगा और वह मैं यह कहना चाहता हूं कि लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यह बात जरूर है कि जब हम न्याय चाहते हैं, केसेस का रेपिडली डिसपोजल चाहते हैं, ज्यादा काम चाहते हैं तो उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, उनके सामने जो परिस्थिति है, उनकी जो सेलरी है और दूसरी जो फेसिलिटीज हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा और इस नुक्ताएनजर से उनके सामने जो बेसिक प्राब्लम्स हैं, उस ओर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार करके उनकी सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, घोषणाएं कोई समाधान नहीं होती और हमारे मंत्री जी, नेता से लेकर न्यायाधीश तक बातें करते हैं और वह नेता और न्यायाधीश बात क्या करते हैं कि गरीब के दरवाजे पर न्याय पहुंचाया जाएगा । कोई भी भाषण पढ़ लीजिए, नेता और न्यायाधीश का एक ही भाषण होता है कि न्याय गरीब के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा, यह भाषण होता है और इस प्रकार के भाषण जो आज पार्लियामेंट में हुए हैं, उसमें जजेज की तन्ख्वाहों और फैसिलिटीज की बात भी कही गई । मेहरबानी करके सारे अमाल्यू-मेंट्स उनके बताइएगा, सिर्फ तन्ख्वाह नहीं, सारे अमाल्यूमेंट्स बताइए, उसके बाद आप सोच लीजिए । कानून सिर्फ एक मकड़ी का जाल है, जिसमें गरीब फंस जाता है और धनवान छूट जाता है । ये सारे कानून एक मकड़ी के जाल हैं। और कुछ नहीं तो एक मंत्री जी से पूछ लीजिएगा, राज्य मंत्री बड़े मेहनती हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख 36 हजार केस पेंडिंग पड़े हैं, 10 लाख हाई कोर्टस में पेंडिंग हैं। मेहरबानी करके एक काम और कर लीजिए कि यह पता लगा लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में मुंसिफ कोर्टस में कितने केसेस पेंडिंग

[श्री भूल चन्द डागा]

हैं। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं ?

हजारों-लाखों लोग गांवों में रहते हैं। हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में रहती है और यहां पर बैठकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें करते हैं। ये ऊंचे-ऊंचे लोग धरती को भूल जाते हैं। हमें धरती की बात करनी है। गांव में आदमी इंसाफ के लिए रहता है। सवाल यह है कि वह न्याय कहां मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही जाता है जिसक पास पैसा होता है। न्याय के दरवाजे पर गरीब न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए आपको सोचना होगा। न्यायालय में कितने ही दलाल होते हैं। ज्यूडिशियल रिफार्म्स के बारे में बोलने वाले नेताओं को कहना चाहिए था कि गरीबों को न्याय दिलाना है। मुझे बड़ा दुख हुआ यह सुनकर कि बड़ी-बड़ी बात करेंगे और गरीबों को नहीं पूछेंगे क्योंकि अखबार में आयेगा कि इस तरह का डिसकशन हुआ। देश में गरीबों को न्याय मिले इसलिए हम चाहते हैं कि परिवार कोर्ट्स बनाइए। इसमें वकील काला कोट पहनकर नहीं जा सकेगा। वकील सिर्फ राय ले लेगा। और बात सुनकर फैसला करेगा। समरी ट्रायल्स करवाइए। अमेरिका में तो दोनों पक्ष को बुलाकर सुन लिया जाता था और पांच-छः महीने में निपटारा हो जाता था। हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि कास्टीच्यूशन अपील्स बारह साल से पेन्डिंग है। अभी सुनवाई करने के लिए बाकी है। इसके बावजूद भी आप न्याय की बात करना चाहते हैं। न्याय वह होता है जो सस्ता, सुगम और आसानी से मिलता है। गरीब को न्याय चाहिए। न्याय के आधार पर ही हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमें गरीब को न्याय देना होगा। जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरीके से न्याय देना होगा। जो डिक्री की जाती है, उसकी तामिल कौन करा सकता है। जितने भी फैसले होते हैं सब अंग्रेजी में होते हैं, रीजनल लैंगुवेज में कोई नहीं होता है। एक-एक वकील 25-25 किताबें ले जाता है जैसे बेलदार अपने गधे पर कोई सामान ले जाता है। 1956-इलाहाबाद, 53-कलकत्ता या 52-मध्य प्रदेश, इस तरह की किताबें वकील के पास होती हैं। इनकी नकल करके जजमेंट तैयार कर लेते हैं। यह हमारा कामन सैंस है। हमारा कामन सैंस तो चला गया है। बार-बार कहा जाता है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। हम लोग तो जन-प्रतिनिधि बनकर आए हैं। हमें चाहिए कि जल्दी से न्याय दिलाने की कोशिश करें.....(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि अदालतों में न्याय मिलना चाहिए। अदालतों में न्याय कैसे मिलेगा जबकि आप इन चीजों को भूल गये हैं। जो पुराने कानून हैं, उनमें परिवर्तन करना होगा। आपको रोजाना हेयरिंग रखनी होगी। वकील जो बहस करते हैं, वह चार-चार दिन तक चलती रहती है, एक दिन में सुनवाई होनी चाहिए।.....(व्यवधान)

अब आप क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ डाक्यूमैंटस के लिए सात दिन तक केस चलता है, बहस करते हैं और वकील लोग एक दिन के 3500 रुपये कम-से-कम फीस चार्ज करते हैं। ब्लैकमनी की तो कहीं गिनती ही नहीं, वह तो अलग है। सब कुछ चलता है। ये सारे अच्छे लोगों के गुण हैं कि बात करो समाजवाद की, अच्छे-अच्छे उपदेशों की बात करो और अंग्रेजी में बोलो। ये सात समुन्दर पार की भाषा तो बोलना जानते हैं लेकिन अपने घर की भाषा नहीं बोलना

चाहते, उस भाषा को नहीं बोलना चाहते जिस भाषा में बोल कर उन्होंने वोट हासिल किए। वोट हासिल करने के लिए तो दूसरी भाषा बोलते हैं—मराठी बोलते हैं हिंदी बोलते हैं या गोआन बोलते हैं—लेकिन यहां आकर कहते हैं कि बड़े-बड़े अखबार वालों को बतलाना है ताकि वे कुछ छाप सकें। इसलिए सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि गरीबों को सस्ता, सुगम और शीघ्र न्याय कैसे मिले, इसके लिए क्या जूडीश्यल रिफार्म्स किए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि अच्छे मुंशी हों, सिविल कोर्टस में अच्छे न्यायाधीश हों और उनकी तनख्वाहें बढ़ायी जाएं। अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, अगर वहां अच्छे लोग लगाये जाएंगे तो उन कोर्टों में गरीबों को न्याय मिलेगा। इसके लिए आप जिस मुंह से जूडीश्यल रिफार्म्स की बात करते आये हैं, वह तो सिर्फ रटे हुए वाक्य हैं, उनसे रिफार्म्स नहीं होने वाला है। वैसे हमारे मंत्री लोग बोलते खूब हैं—गरीबों को सस्ता, सुगम और शीघ्र न्याय मिलेगा, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा—आप घोषणाएं बहुत करते हैं, और इस तरह हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। क्या इसी तरह सस्ता, सुगम और शीघ्र न्याय आप गरीबों को दिला सकते हैं, केवल भाषण करने से ही। इस तरह काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप कानून को बदलिए, एविडेंस एक्ट को बदलिए, धाराओं को बदलिए, कानून को ओरीजिनल लैंग्वेज में लाइये। जब सारे कानून रीजनल भाषाओं में हो जायेंगे तो लोग समझ पायेंगे। जजमेंट भी उन भाषाओं में होने चाहिए जिन भाषाओं में लोग बोली बोलते हैं। वरना क्या होता है कि वकील साहब अपनी बहस करते रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं या कहना चाहते हैं हैं और वह फैक्ट के कितना नजदीक है। वे जानते ही नहीं कि फैक्टस बोले जा रहे हैं या नहीं। बहस सिर्फ अंग्रेजी में ही क्यों की जाए। ये लोग औनेस्टली धोखा देने वाले हैं क्योंकि इस देश में सिर्फ एक करोड़ लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं।

श्रीमान्, यह सवाल बहुत टेढ़ा है। बात करना अलग चीज है परन्तु वास्तविकता यह है कि गरीबों को आजकल न्याय नहीं मिल पाता। जहां तक लीगल ऐड टू दी पूअर का सम्बन्ध है, उसके बारे में आपको तो पता होगा कि बम्बई में एक बड़ा जलसा हुआ था, आप उस समय तो वहां रहे होंगे ही और वह जलसा अन्तुले साहब ने किया था। मैं समझता हूं कि 1960 में कोई किताब निकली थी·····(व्यवधान)·····किस तरह आप गरीबों को न्याय दिला पायेंगे, वह आज तक मझे मालूम नहीं हो पाया। किस तरीके से आप गरीबों को सस्ता, सुगम और शीघ्र न्याय दिलायेंगे, कैसे उसका इम्पलीमैंटेशन करेंगे।

इसलिए श्रीमान् मैं चाहूंगा कि जब कभी आप बात करें तो किस तरह आप कानूनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं, उसमें गरीबों को कैसे सस्ता सुगम और शीघ्र न्याय मिलेगा, इस पर पूरा ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : आधे मिनट में मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा—यद्यपि वह मेरी बात को निष्प्रभावित कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि इस सभा का समय देश में किसी भी सभा से ज्यादा मूल्यवान है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

कानून एवं न्याय मंत्री जी ने आज जिस अतांराकित प्रश्न संख्या 6495 का उत्तर दिया वह मेरे द्वारा पूछा गया था। प्रश्न था : सर्वोच्च न्यायालय में 'फुल बेंच' संवैधानिक मामले की संख्या कितनी है जिन पर पिछले बारह वर्षों में एक बार भी सुनवाई नहीं की गयी है। पूर्ण बेन्च संवैधानिक मामले जो कि बारह वर्षों में एक बार भी नहीं सुने गये। और उत्तर का "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 110 ऐसे मामले हैं।".

मुझे और कुछ नहीं कहना है। मेरे विचार से यह आधा मिनट आधे घण्टे से ज्यादा तीक्ष्ण है।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : प्रो० मधु दण्डवते जी का भाषण विवाद-कलाओं से परिपूर्ण था। अत: मैं विवाद-कला का जवाब विवाद-कला से देकर सदन का वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सीधे ही न्यायाधीशों की स्वतन्त्रा के प्रश्न पर आता हूं। एक सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जानी चाहिए। इस सुझाव पर मुझे सख्त आपत्ति है और उसका आधार है कि मंत्री परिषद की संवैधानिक जिम्मेदारी संसद के प्रति है, अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार नियुक्ति करता है तो सदन के प्रति जवाब देही के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता है और अगर उसे नियुक्ति करने के लिए एकमात्र अधिकार दिया जाता है, तो हमारे सदन को नियुक्ति संबंधी प्रश्न करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। अत: संसद के अधिकारों को इतना अधिक समाप्त किया जायेगा अत: मैं निवेदन करता हूं कि जो नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह इस सम्माननीय सदन के प्रति संवैधानिक उत्तरदायित्व के अनुरूप है। अत: इस प्रणाली में कोई परिवर्तन करना इस सभा के अधिकार की अवमानना होगी।

इसलिए, नियुक्ति की शक्तियां और न्यायाधीशों के तबादले की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन ही होनी चाहिए।

उन्होंने सही ही कहा है कि न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को स्वतन्त्र होना चाहिए; लेकिन इसका अर्थ है उनकी न्यायिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कभी भी कार्यपालिका ने या संसद ने न्यायलयों के कार्य में हस्तक्षेप किया हो। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधीशों को, लोगों की इच्छाओं और सामाजिक-दायित्वों और संविधान के दिशा निदेशों और प्रस्तावना को मूल उद्देश्य की अवेहलना करने की स्वतन्त्रता हो। अगर इस बात के लिए कोई निर्णय देखना है तो केशवानन्द भ रती के मामले में दिये गये निर्णय को देखें, अगर इस बारे में किसी अनुच्छेद का हवाला देना है तो कृपया अनुच्छेद 38 का हवाला दें, जिसके अनुसार राज्य के सभी संस्थानों को संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को लागू करना अनिवार्य है, जो कि देश के अभिशासन के लिए आवश्यक हैं।

दुर्भाग्य से, हम देखते हैं कि कुछ निर्णय इन निदेशक सिद्धांतों को लागू करने में बाधक बन रहे हैं। मैं इस बात पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन 'ऐक्सलवियर' मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार व्यापारियों या उद्योगपतियों को अपने संस्थान बन्द करने का अधिकार मिल गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह काम के अधिकार के निदेशक सिद्धान्तों का सीधा उल्लंघन है। इसी प्रकार जब सरकार ने मानेक चौक मिल, अहमदाबाद का अधिग्रहण करने का फैसला किया, ताकि इसे पुन: आरम्भ किया जा सके तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें इस प्रार्थना पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया कि मजदूर कई वर्षों से भूखें मर रहे हैं। कई प्रगतिशील उपाय मात्र इसलिए लागू नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किये हैं। कानून में थोड़ी-सी कमी रह जाने से न्यायालय स्थगत आदेश जारी कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगतिशील उपाय कई वर्षों तक लागू नहीं किया जा पा रहे हैं। हालांकि अंतत: उन्हें न्यायालय द्वारा मान्य करार दिया जा सकता है।

इस बात का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए कि अगर न्यायालय को कानून लागू करने के लिए स्थगन आदेश देने की शक्तियां न होती तो इस देश का विकास ऐसा होता। इससे कई बातें सामने आयेंगी।

कारडोजो के अनुसार न्यायपालिका एक गैर-लोकतांत्रिक संस्था है। इसका न तो निर्वाचन होता है और न ही वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अत: न्यायपालिका के अधिकारों के विस्तार की कोई बात नहीं कही जानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से न्यायालयों में लम्बित पड़े मुकदमों में भारी वृद्धि हुई है। इसका एक कारण यह है कि न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार से बढ़कर कार्य किया है, उससे भी जो कि संविधान में उन्हें दिये गये हैं। लोक हित के नाम पर यह तब तक सही है जब तक यह बंधुआ मजदूरों या श्रमिक वर्ग की कार्य की हालतों या गन्दी बस्तियों या अन्य के लिए है तब तक सही है, लेकिन इसके नाम पर वे अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन कमजोर वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा करने वाली न्यायपालिका उच्चतम कार्यकारी निकाय है।

अहमदाबाद में, कुछ अधिकारियों को दंगाग्रस्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात किया गया था। अब दंगों की स्थिति के बीच, न्यायालय ने आदेश दिये हैं कि उन्हें उस विशेष क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कानून और व्यवस्था का नियंत्रण कार्य-पालिका से ले लिया गया, से गतिरोध पैदा हो गया क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया था कि वह आयुक्त वहां काम न करें या उस विशेष क्षेत्र में विशेष रिजर्व पुलिस के कमांडर वहां तैनात न किये जाएं। न्यायालय सुपर (उच्च) कार्यपालिका की तरह कार्य क्यों करे? न्यायालय वहां भी अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जहां कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह भी एक कारण है कि लम्बित मामलों का ढेर बढ़ रहा है।

लेकिन इसे सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले उच्च न्यायालयों को अधिक दिन कार्य

[श्री हरभाई मेहता]

करना चाहिए। मुझे उस समय आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि यहां कई सदस्यों को आश्चर्य होगा कि दो तीन वर्ष पूर्व जब मैंने उच्चतम न्यायालय के कार्य दिवसों की सूची देखी तो पाया कि केवल 182 दिवस ही कार्यदिवस थे, जबकि 153 दिवसों में न्यायालय नहीं लगा। अभी भी इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आधे वर्ष उच्चतम न्यायालय में कार्य नहीं होता है यह क्या है ? क्या वे और अधिक कार्य नहीं कर सकते ? हम मजदूरों को मशीन पर आठ घन्टे कार्य करने के लिए कहते हैं। लेकिन न्यायाधीश पांच घन्टे से अधिक कार्य नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि प्रो० दण्डवते दिमागी कार्य की अपेक्षा शारीरिक कार्य को कम महत्व देंगे। लम्बी छुट्टियां और कम कार्य घन्टे आराम की बातें हैं। लम्बी बहस और वही तर्क दुबारा नहीं दिये जाते। जनता विद्याडंबर-पूर्ण फैसलों के हक में नहीं है। वे जल्द और सरल न्याय चाहती है।

प्रक्रिया संबंधी कुछ सुधार आवश्यक हैं। कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। गुजरात में हमने सफलतापूर्वक लोक-अदालतों को चलाया है। यह एक अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। न्यायालयों से कुछ मामलों को निकाल कर समझौता-बोर्डों को दिया जाता है। इसके सदस्यों में सेवा निवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि होते हैं। वे दोनों पक्षों को अपने मामले निपटाने के लिए कहते हैं। 100 से अधिक लोक अदालत कैम्प लगाए गए और न्यायालय से बाहर, उनमें 15,000 मामले निपटाये गये। एक तरीका यह है। इससे हमें मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायता मिल सकती है।

अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि न्यायपालिका उन क्षेत्रों के बारे में, जो उससे संबंधित नहीं हैं, घोषणाएं और टिप्पणियां करने की बजाए संविधान के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में रहे तो यह उचित होगा। किसी ने न्यायमूर्ति श्री तुलजापुरकर की टिप्पणी के बारे में कुछ कहा था। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वह एक न्यायाधीश है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक निर्णय देते समय अपने न्यायाधीश भाइयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। यह निर्णय प्रकाशित हुआ है क्योंकि आखिर :

'यदा-यदा उंचति वाक्यवाणम्,
तदा-तदा जाति कुल प्रमाणम्।'

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक वेतन आवश्यक है यहां तक कि एक टालटी खलासी ईमानदार हो सकता है, एक सिपाही ईमानदार हो सकता है। यदि आप ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को अधिक वेतन देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं है।

क्रियासिद्धि सत्वे भवति,
महताम् न उपकरणे।'

यदि कोई यह कहता है कि न्यायाधीश की आय में और उसके समक्ष पेश होने वाले वकील की आय में अन्तर नहीं होना चाहिए तो उसी तर्क के आधार पर व्यापार नियन्त्रक की आय अधिवक्ता के बराबर होनी चाहिए, औद्योगिक लाइसेन्स देने वाले एडजुडेंट की आय उसके समक्ष पेश होने वाले उद्योगपति के बराबर होनी चाहिए। यदि किसी बात की आवश्यकता है तो वह है वकील की फीस की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की। न्यायाधीशों की आय और वकीलों की आय में बहुत अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हरूभाई मेहता : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं सुझाव देता हूं कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जो वर्तमान न्याय प्रणाली में किए जाने वाले आवश्यक सुधारों का पता लगाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्रों से न्यायिक सुधारों की आवश्यकता के बारे में बहुत अच्छे भाषण सुने हैं। सदा की भांति प्रो० मधु दण्डवते ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया और कुछ मुद्दे उठाए जिनमें से कुछ का उत्तर मेरे मित्र श्री फैलीरो ने और कुछ का श्री कुमारमंगलम ने दिया। परन्तु इन सभी भाषणों के बाद मैंने एक भाषण तेलुगू देशम के सदस्य का सुना। श्री अय्यपु रेड्डी का भाषण सुनकर मेरी जानकारी बहुत बढ़ी है। और मेरे अन्य मित्रों ने और कई बातें कहीं हैं। श्री डागा ने कहा कि वे इस गली-सड़ी न्यायिक प्रणाली के स्थान पर पंचायती निजाम चाहते हैं। इन सभी भाषणों को सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न्यायिक प्रणाली अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। श्री कुमार मंगलम संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों और संविधान के दर्शन का उल्लेख कर रहे थे। परन्तु इस बारे में मतभेद कहां है ? मैं उन्हें तथा अन्य सदस्यों को, जो यह मानते हैं कि प्रणाली में कोई दोष नहीं है, यह स्मरण कराना चाहता हूं कि एक ऐसी स्थिति पनप रही है जिसमें हम सब श्री फैज अहमद फैज का निम्नलिखित शेर दोहराने के लिए बाध्य होंगे :

"बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी,
किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें।"

بنے ہیں اہل ہوس ۔ مدعی بھی منصف بھی ۔ کسے وکیل کریں ۔ کس سے منصفی چاہیں

हमने सब कुछ अव्यवस्थित कर रखा है। अब श्री कुमार मंगलम प्रो० दण्डवते से एक प्रश्न पूछ रहे थे और उन्होंने श्री खन्ना के नाम का जिक्र किया। श्री फैलीरो ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री तुलजापुरकर का नाम लिया। हमारी आंखों के सामने ही कुछ खराबियां हो रही हैं, न्यायाधीशों के कारण नहीं बल्कि हमारी अपनी गलत नीतियों के कारण। मेरे पास समय कम है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं। क्या नियुक्ति की नीति और स्थानांतरण की नीति के बारे में सरकार ने

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

कोई स्पष्ट मार्गदर्शी अपनाए हैं ? आपके मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एक तिहाई न्यायाधीश राज्य से बाहर के होने चाहिए और मुख्य न्यायाधीश उसी राज्य से नहीं होना चाहिए। परन्तु जम्मू और कश्मीर में न्यायमूर्ति बाहुद्दीन फारूकी 3½ वर्षों तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जैसी कोई चीज नहीं।

जम्मू और काश्मीर राज्य में अभी भी न्यायमूर्ति फारूकी 3½ वर्षों से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन सभी वर्षों में वह निराशा में ही रहे होगें। एक बार वह स्थायी हो गए थे तो उन्हे सिक्किम जाने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने अपना मामला एक पत्र के द्वारा स्पष्ट किया तो वह पत्र उनका त्यागपत्र समझा गया था। अब भाग्यवश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश केवल छः महीने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप नीतियां कार्यन्वित करते हैं तो आप समूची प्रणाली को तहस नहस कर देते हैं यह मत समझिए कि मैं न्यायमूर्ति शहाउद्दीन फारूकी की कोई तरफदारी कर रहा हूं या मैं वर्तमान न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कह रहा हूं। मुद्दा यह नहीं है मैं कार्यपालिका पर सामान्य शब्दों में आक्षेप नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको यह बता रहा था कि प्रणाली मे कुछ मौलिक रूप से दोष हैं और यदि आप न्यायिक सुधारों की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे केवल दो बातें बतानी हैं। पहले तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड है ? कुछ लोग वरिष्ठता कहते है। नहीं, यदि आपकी प्रणाली पक्की है और आपका आदमी सबसे ऊपर है लेकिन वह उस पद के लिए योग्य नहीं है तो उसका चयन किया जाएगा। आखिरकार यदि आपके पास मानदण्ड है। यदि आपके पास निश्चित मानदण्ड है तो उस मानदण्ड में वरिष्ठता भी एक तत्व है न कि सब कुछ। बहुत प्रतिभाशाली न्यायाधीश हो सकता है, एक न्यायाधीश भारत के संविधान के प्रति वचनबद्ध हो सकता है और एक न्यायाधीश भारत के लाखों लोगों की समस्याओं को समझने के प्रति वचनबद्ध हो सकता है परन्तु ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो आपके संविधान की परवाह नहीं करते हैं, जो समाजवाद से घृणा करते हैं। जो गरीबी रेखा या भुखमरी की रेखा की परवाह नहीं करते है। वे न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के काबिल नहीं हैं। अतः एक निश्चित कसौटी होनी चाहिए तथा वरिष्ठता उसका एक अंग होगा। लेकिन मानदण्ड कहां है ? सिफारिश दण्ड रहा है। जनता शासन के दौरान राजनितिज्ञों की सिफारिश को दण्ड़ माना गया होगा। मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि श्री फैलीरो को प्रो० दंडवते से तय करना है। प्रो० दंडवते न्यायपालिका की प्रति बद्धता और बंधुआ न्यायाधीशों के बारे में आपको बता रहे थे जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और श्री अशोकसेन तथा उनके योग्य साथी वहां हैं। वे पेशे में बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। अतः जब आप न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं। तो मैं न्यायाधीशों की भर्ती नहीं कहता हूं क्योंकि यह अच्छा शब्द नहीं होगा आपको बहुत सावधान होना होगा। जब कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है, क्योंकि उसे उच्च स्तर तक जाना है उसे उच्चतम न्यायालय में जाना है तो उस समय आपको कठोरता से मानदण्ड लागू करना चाहिए तथा उस

समय आपको दल के स्तर से ऊपर उठना चाहिए।

अब मैं परिलब्धियों पर आता हूं। मेरे और श्री डागा के विचार एक से हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तरह से मेरे उस विचार को ले लिया है ऐसी बात नहीं है कि न्यायाधीशों को अधिक पैसा नहीं मिलना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए। कुछ अन्य सुविधायें होनी चाहिए लेकिन यदि आप परिलब्धियों को दुगना करते है यदि आप उनकी परिलब्धियों को तिगुनी करते हैं तो यह भी उनको ईमानदार नहीं बना सकता वह उनको कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। एक न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जीवन में कोई सिद्धांत है। वह केवल वरिष्ठ होकर पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता। अतः कल उत्तर देने के समय मैं चाहता हूं कि विधिमंत्री जी इस सदन में वचन दें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में वे बहुत सावधान होगें। आखिरकार हमें इस देश की आवश्कता और एकता के लिए कार्य करना है राजनिति क्यों? और तब, हम इन न्यायाधीशों पर नजर रख सकेंगे। उनमें से कुछ उस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं जैसा कि एक लोकतंत्रीय देश में करना चाहिए यह ससंद सर्वोच्च है और मैं यहां एक प्रश्न उठाता हूं कि हम न्यायाधीशों पर चर्चा करें जब वह विषय चर्चा के लिए आए तब यह हमारे दिलों को दुखाये। के० के० तिवारी ने उठकर न्याय-मूर्ति तुलजापुरकर का नाम लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि वह अच्छे न्यायाधीश हैं। श्री तिवारी ने कहा तुलजापुरकर की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। किसी ने यहां उसके नाम का उल्लेख किया है किसी ने न्यायामूर्ति खन्ना के नाम का उल्लेख किया है मैं जानना चाहता हूं कि न्यायाधीश को अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए कोन कहेगा। आप कहते है लोग कहेगें। लोग कहां हैं ? हम भारत के लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं। कुमार मगंलम गलत कहते हैं। वह लोगों के प्रति वचन-बद्धता की बात कहते हैं। लोग कहां हैं ? क्या आप 70 करोड़ लोगों से मिल सकते है ? हम भारत के लोग हैं। ससंद सर्वोच्च है। उन्हें यह देखना है कि न्यायाधीश क्या कर रहे हैं। उन्हें कानून द्वारा रोका जा सकता है। यहां लोक सभा पूल से संबंधित मकान है और वहां एक साधारण व्यक्ति है। वह दिल्ली में एक नगन्य व्यक्ति है, अर्थात उसकी शासकीय स्थिति कुछ नहीं है उसका पुत्र या वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जाते हैं तथा स्थगन आदेश ले लेता है। तुच्छ बातों के आधार पर एक न्यायाधीश स्थगन आदेश क्यों देता है। श्री फैलीरो वह मकान अलाट नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की दिल्ली में कोई प्रतिठिष्त स्थिति नहीं है फिर भी वह स्थगन आदेश ले लेता है। यह स्थगत आदेश क्या है और यह स्थगन आदेश बार-बार बढ़ा दिया जाता है। मैं श्री भारद्वाज से पूछना चाहता हूं कि न्यायाधीश किसके प्रति जवाब देह है मैंने आज शून्य काल में एक मुद्दा उठाया था जिसकी माननीय अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी थी। मुझे अध्यक्ष जी के विवेक पर आपत्ति नहीं है क्योंकि आखिरकार उसका कार्य भार उनके हाथ में है। वह जानते हैं कि किसके लिए कौन सा समय उपयुक्त है। लेकिन मेरा मुद्दा भिन्न था। जब मैंने कलकत्ता की स्थिति का उल्लेख किया तो मैं उस स्थिति को एक साम्प्रदायिक स्थिति की समस्या के रूप में नहीं ले रहा था।

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इससे केवल मुस्लिम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो वादियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वह याचिका स्वीकार कर ली गई। न्यायाधीश द्वारा किया गया यह कार्य ठीक नहीं है। यदि मैं यह बात यहां नहीं कहूं तो फिर कहां कहूं ? मैंने यह समस्या यहां केवल शून्य काल के दौरान ही नहीं उठाई अपितु प्रधानमन्त्री के समक्ष भी मुझे यह समस्या रखने का मौका मिला था हम किसी मौके पर एक प्रतिनिधि-मंडल में गए थे। मैंने कहा माननीय प्रधान मन्त्री जी भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही प्रशंसनीय है और यदि पश्चिम बंगाल द्वारा की गई कार्यवाही भी प्रशंसनीय है तो आप इस याचिका को शीघ्र खारिज करिए। लेकिन मुझे बताइये : क्या उन लोगों ने देश के लिए गंभीर स्थिति पैदा नहीं की ? उनका संबंध किसी एंजेसी से हो सकता है और वे देश को कमजोर करना चाहते थे। अत: न्यायाधीश द्वारा इस याचिका को स्वीकार किया जाना उचित नहीं था। जैसा कि श्री फैलीरो ने ठीक ही कहा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सैकड़ों याचिकाएं पहली ही पेशी पर रद्द कर दी जाती है। ये याचिकाएं उच्च न्यायालय में क्यों स्वीकार की गई, जिसके परिणामस्वरूप देश में अशांति पैदा हुई ? मुस्लिम नेताओं का व्यवहार अच्छा था, उन्होंने संयम बरतने के लिए कहा था। लेकिन मुझे बताइये, ये न्यायाधीश किसी के समक्ष जवाब देह हैं और वह कौन हैं, जिसके समक्ष ये जवाबदेह हैं ? वह शक्ति संसद के पास है। अत: संसद को अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार बनाये रखने चाहिए और वे न्यायाधीश हमारे समक्ष जवाबदेह हैं। अत: भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

दूसरी बात अनिर्णित पड़े मामलों के संबंध है जिसे अति संक्षेप में संभवत: श्री दिग्विजय सिंह जी ने बताया है। मैं तो कहूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही मिनट में वह अपना भाषण दे सकते हैं और श्री भारद्वाज जी ने यह जवाब दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में 110 मामले लम्बित हैं जिन पर पिछले 12 वर्षों में सुनवाई नहीं हुई हैं और आप चाहते हैं कि हम काफी धनराशि न्यायधीशों के वेतन और भत्तों के लिए स्वीकृत करें लेकिन यह उनकी कार्य-प्रणाली पर आक्षेप है और इसका कोई समाधान निकालना ही होगा। आप लम्बित मामलों की समस्या कैसे सुलझाएंगे ? मेरे राज्य में 40,000 से अधिक मामले लम्बित पड़े हैं और इन मामलों से संबंधित कई समस्यायें हैं जिनकी जानकारी श्री भारद्वाज जी को होगी। न्यायाधीशों के कई पद रिक्त पड़े हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं करते। उन पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जाती ? तारकंडा—जो उन न्यायाधीशों में से एक बहुत ही योग्य और ईमानदार रहे हैं जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूं—वह हमारे देश के सबसे ईमानदार न्यायाधीश थे। वह एक तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने यह समाधान दिया। न्याय के लिए न्यायालय बनाए जायें। आप श्री डागा की भावनाओं को पहले ही समझ चुके हैं जिन्होंने कहा पंचायती निजाम बनाये जाने की बात कही है। क्यों नहीं ? किस प्राधिकृत प्रतिनिधि की आवश्यकता है। छोटे-छोटे मामलों के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। क्यों ? लोगों के पास पैसा कहां से आएगा ? उनके पास पैसा नहीं है। केवल व्यापारी लोग ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं संभवत: निर्धन लोग नहीं।

अत: कई मामले लम्बित पड़े हैं और उन लम्बित मामलों को निपटाना होगा। विधि मंत्रालय अच्छी तरह जानता है कि इनका निपटान किस तरह किया जा सकता है।

महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय जाते हैं तो वहां का वातावरण बहुत खराब होता है। पहले लोगों को न्यायालय भेजा जाता है। मेरे जैसे लोग न्यायालय जाना नहीं चाहते उन्हें ऐसा लगता है मानो उन्हें ऐसी जगह भेजा जा रहा है जो बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है इसका कारण वहां का वातावरण नहीं है अपितु हम जानते हैं कि न्यायालय में प्रवेश करते समय वे एक बात निश्चित है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा और यदि न्याय होगा भी तो वह बहुत देर से मिलेगा।

[हिन्दी]

कोर्ट की तरफ जाने से कदम टूट जाते हैं लेकिन दूसरा आस्पेक्ट यह है :—

[کورٹ کی طرف جانے سے قدم ٹوٹ جاتے ہیں لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ ہے]

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता यह कैसे होता है। याचिका लिखने वाले और वकील एक साथ टूटी बेंचों और झुग्गियों में मिलकर बैठते हैं। इस समझौते में कई लोग शामिल होते हैं—ये वकील, एडवोकेट और याचिका लिखने वाले। कोई व्यक्ति जब न्यायालय के अंदर होता है तो वह उसे पवित्र स्थल से कम नहीं समझता। मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी की उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या धारण है लेकिन विधि मंत्रालय बाहरी दूषित वातावरण को स्वच्छ कारवाई करवा सकता है। कई विदेशी आते हैं और वे हमारे न्यायालय देखने जाते हैं लेकिन वहां आस-पास का वातावरण बहुत खराब है। आपको अवसर के अनुकूल कदम उठाना चाहिए और वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : न्यायालयों में भी विदेशों का हाथ होता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हो सकता है।

आपका बहुत धन्यवाद। मैंने एक दो मुद्दे ऐसे बताए हैं जो मैं समझता हूं कि विधि मंत्री या श्री भारद्वाज जी—मैं नहीं जानता कि इस वाद-विवाद का उत्तर कौन देगा—से हममें से कुछ लोगों ने अनुरोध किया है और मैं उसका समर्थन करता हूं कि न्यायिक सुधारों के संबंध में पूरे दिन चर्चा की जाए। हमें बहुत-सी बातें कहनी हैं। अतः जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते तब तक विधि मंत्री को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : महोदय, सभा स्थगित होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि वाद-विवाद में बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया है और अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हम उसमें सुधारने के लिए तैयार हैं। मैं दो सुझाव रख रहा हूं।

क्या नीतियों का उल्लंघन करते हुए कभी किसी मुख्य न्यायाधीश का तबादला किया गया है ? क्या किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने शिकायत की है कि वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना मेरा तबादला किया गया था ?" पिछले पांच वर्षों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना किसी भी मुख्य न्यायाधीश का तबादला नहीं किया गया है। यह संवैधानिक बाध्यता है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना एक मुख्य न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया है। यह एकदम गलत है। हम इन न्यायाधीशों को उस अदालत में बंद नहीं रख सकते। परन्तु जब वे कुछ कहें तो आप कहने से पहले सोच कर बोलें। जब भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी बात की सिफारिश करता है तो हम उस पर अमल करते हैं। और फिर हम पर उसका दोषारोपण किया जाता है।

दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी एक नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति के बिना की गई है। इन दोनों मुद्दों पर किसी भी सुझाव का मैं स्वागत करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा अगर इसमें कोई उल्लंघन किया गया है तो वे बतायें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। आपातकाल के दौरान 16 न्यायाधीशों का तबादला किया गया था।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं आपातकाल के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिछले पांच वर्षों की बात कर रहा हूं। संभवतः आपने आपातकाल के बारे में नहीं बोला है। मैं हाल में गुजरे अतीत की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, इतनी देर बैठे रहने के बाद, जो बोनस के रूप में मुझे मौका दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि स्टैम्प ड्यूटी के रूप में जो आर्डीनरी लिटीगेंट्स को फीस अदा करनी पड़ती है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकारों से बात करके इस पहलू को हल करना चाहिए क्योंकि शायद इसकी इन्कम राज्य सरकारों को जाती है। बहुत बड़ी मात्रा में गरीब लोगों को यह फीस अदा करनी पड़ती है, तो उनके लिए न्याय महंगा हो जाता है।

एक दूसरा पहलू, जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है लीगल एजूकेशन। हमारे पास कई माध्यम हैं, जिनके जरिए साधारण लोगों को साधारण कानूनों, जो व्यावहारिक रूप में दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ में काम में आते हैं, की जानकारी दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस दिशा में बहुत कम काम होता है। टेलीविजन में एकाध प्रोग्राम कभी आ जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देने चाहिए और इसके अलावा जो माध्यम सूचना प्रसारण विभाग के पास हैं, उनका भी उपयोग करना चाहिए और लोगों को साधारण कानूनों की जानकारी अधिक से अधिक देनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो कोर्ट्स हैं और विशेष तौर पर जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनमें एक प्रकार का, जैसा कि राजहंस साहब ने भी जिक्र किया माफिया का, मैं माफिया तो नहीं कहूंगा, गैंग इस तरह का बन जाता है, कुछ लायर्स कुछ दलाल किस्म के लोग जजों के साथ मिलकर के, मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के बहुत शोषण करते हैं उन साधारण व्यक्तियों का, जो कोर्ट में जाते हैं। इस बार डेट्स बदल दी जाती हैं और इस प्रकार का इम्प्रेशन क्रीयेट कर दिया जाता है कि अमुक अमुक लायर को जब आप रखेंगे, तभी आपके केस में फेवरएबिल जजमेंट हो सकता है या आपको जमानत मिल सकती है। इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है क्योंकि हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, ज्यादातर लोग उनके सम्पर्क में ही आते हैं और अधिकांश लोगों को न्याय देने की आशा हम लोअर कोर्ट्स से ही कर सकते हैं क्योंकि एपेलेट कोर्ट्स में बहुत कम लोग जाते हैं। इसलिए लोअर कोर्ट्स की फंक्शनिंग को सुधारने की जरूरत है और केवल हमको उनके वर्किंग और जो जजमेंट वे देते हैं, उसी में इम्प्रूवमेंट नहीं करना है बल्कि इस स्तर पर जो हमारे जजेज काम करते हैं, उनको और अधिक इमोलूमेंट्स देने चाहिए। जब जजेज की बात करते हैं, हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं और इस हाउस में बातचीत सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे जो लोग बोलते हैं और अपने विचार रखते हैं, वे सभी लोग अधिकांश तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज और उस स्तर पर जो न्याय है, उसके स्तर से ही प्रभावित मालूम पड़ते हैं।

8.00 म० प०

लेकिन सबसे अधिक आज विचार करने की जरूरत है कि लोअर कोर्ट में न्याय कैसे इफेक्टिवली, सुगमता से, सरलता से लोगों को मिल सके और सस्ते रूप में मिल सके।

एक जो लीगल एड का हमारा संकल्प है, इसे और भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को और अच्छे लोगों को इन्वाल्व करके इसको बढ़ावा देना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 मई, 1935/25 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक — [redacted], दिल्ली-110006